लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी-संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

52 (23) 2
6. 9. 83.

(खंड 35 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 18, सोमवार, 21 मार्च, 1983/ 30 फाल्गुन, 1904 (शक)

साइप्रस के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत 1—2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर 2—21

xतारांकित प्रश्न संख्या : 309 से 313 और 315

प्रश्नों के लिखित उत्तर 31—268

तारांकित प्रश्न संख्या : 314 और 316 से 327

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3493 से 3566, 3568 से 3610, 3612 से 3648, 3650 से 3684, 3686 से 3714 और 3716 से 3725

दिनांक 8-3-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2419 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण 268—277

सभा-पटल पर रखे गए पत्र 277—282

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 282—299

ज्ञात अपराधियों आदि को पवित्र पूजा स्थलों में शरण देकर धार्मिक स्थलों की पवित्रता को भ्रष्ट करने की कथित प्रवृत्ति 282

श्रीमती गीता मुखर्जी 282

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 282

श्री रतन सिंह राजदा 283

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला 287

कार्य-मंत्रणा समिति 299

42वां प्रतिवेदन 299

नियम 377 के अधीन मामले 299

(एक) सोन नदी के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए कारगर उपाय किए करने की आवश्यकता 299

---

xकिसी नाम पर अंकित × चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री दलवीर सिंह 299

(दो) हिमाचल प्रदेश में गिरिबाटा पन बिजली परियोजना के पास दूसरे बांध का निर्माण 300

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 300

(तीन) दक्षिण में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए एक वृक्षा-रोपण कार्यक्रम 301

श्री के० अर्जुन 301

(चार) अमरेली शहर के समुचित विकास के लिए माइक्रोवेव प्रणाली को पूरा करने की आवश्यकता 301

श्री नवीन रवाणी 301

(पांच) दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्वी परिसर की स्थापना करने और यमुना पार के क्षेत्र में दो और कालेज खोलने की आवश्यकता 302

श्री रतन सिंह राजदा 302

(छः) देश के विभिन्न भागों में पड़ा सूखा और उन क्षेत्रों में राहत कार्य 302

श्री मनी राम बांगड़ी 302

(सात) सम्बन्धित पक्षों के अनुरोध पर और न्यायालय के स्वविवेक पर सम्मनों का समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1976 में संशोधन करने की आवश्यकता 303

श्री हरीश कुमार गंगवार 303

रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प, अनुदानों की मांगें (रेल), 1983-84, अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1982-83 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1980-81 304—361

श्री जैनुल बशर 304

श्री रामवतार शास्त्री 304

श्री बी० आर० नहाटा 313

श्री हरीश कुमार गंगवार 313

श्री एफ० एच० मोहसिन 317
श्रीमती सुशीला गोपालन 321
श्री डी० पी० यादव 323
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव 325
श्री के० एस० नारायण 327
श्री एस० टी० के० जक्कायन 333
श्रीमती कृष्णा साही 336
श्री जयन्नाथ पाटिल 338
श्री के० प्रधानी 339
श्री राम विलास पासवान 339
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी 340

विनियोग (रेल) विधेयक, 1983 362—365
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव 362
विचार करने का प्रस्ताव 362
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी 362
प्रो० अजित कुमार मेहता 362

खण्ड 2,3 और 1
पास करने का प्रस्ताव
श्री० बी० ए० गनी खान चौधरी 364

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1983 365—366
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव
विचार करने का प्रस्ताव
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी 365
खण्ड 2,3 और 1
पास करने का प्रस्ताव
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी 366

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1983 367—368

पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव

विचार करने का प्रस्ताव

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी 367

खण्ड 2,3 और 1

पास करने का प्रस्ताव

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प 368—384

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक और दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

श्री एन० के० शेजबलकर 368

श्री पी० वैंकट सुब्बय्या 373

श्री सुधीर गिरि 376

श्री चन्द्रपाल शैलानी 378

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 381

श्री गिरधारी लाल व्यास 383

कार्य-मंत्रणा समिति 385

43वां प्रतिवेदन 385

लोक सभा

सोमवार, 21 मार्च 1983/30 फाल्गुन 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

साइप्रस के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, प्रारंभ में मुझे एक घोषणा करनी है ।

मुझे अपनी ओर से और इस सदन के माननीय सदस्यों की ओर से साइप्रस गणराज्य के हाऊस आंफ रिप्रेजेन्टेरिव्स के अध्यक्ष, महामहिम श्री जार्ज लाडास और साइप्रस संसदीय शिष्ट-मण्डल के सदस्यों का, जो हमारे सम्मानीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, स्वागत करते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है।

क्या मैं शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का अलग अलग एक एक करके, परिचय करा सकता हूं ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप उन्हें देख सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बोलूंगा वे सुन सकते हैं और वे हमारा अभिवादन स्वीकार करेंगे ।

श्री अलेक्सिस गलानोस संसद सदस्य मैं उनके फार्म तक गया हूं और मैंने उनकी निम्बुओं की फलवाटिका देखी है तथा वहां निम्बु फलों को चखा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे आशा है, हमें भी वह अवसर मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगली बार, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन् इस आश्वासन को **कार्यवाही** वृतान्त में शामिल किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय वह **कार्यवाही** वृतान्त में दर्ज है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मेरे बारे में क्या कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे बड़े भाई हैं । मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा ।

(2) श्री माईकल पोम्बोरिस, संसद सदस्य ।

(3) श्री अवगेरिनोस पपरेस, संसद सदस्य ।

(4) श्री थानाकिस ओमिरोड़, संसद सदस्य ।

(5) श्री फेलिक्स किरिली, संसद सदस्य ।

शिष्टमण्डल बल प्रातः यहां आया था । जैसा कि आपने देखा है, इस समय वे 'स्पेशल बाक्स' में बैठे हुए हैं । हमारी कामना है कि हमारे देश में उनका ठहरना आनन्ददायी और लाभकारी हो ।

हम उनके माध्यम से साइप्रस गणराज्य भी संसद को, और वहां की जनता को अपनी शुभकामनाएं प्रेरित करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हलाली सिंचाई परियोजना

*309. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है मध्य प्रदेश में हलाली सिंचाई परियोजना की देखभाल के लिए कमान एरिया डेवेलमेंट अथारिटी का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस कमान क्षेत्र की सभी विकास योजनायें कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं; और

(घ) आने वाले वर्षों में इस योजना के लिए धन किस प्रकार जुटाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, हलाली और बर्ना सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की देख-भाल करने के लिए जुलाई, 1979 में बर्ना-हलाली कमान क्षेत्र विकास (सी. ए. डी.) प्राधिकरण का गठन किया था जिसका मुख्यालय भोपाल में है।

(ग) प्राधिकरण ने जल मार्गों, खेत चेनलों तथा खेत-नालों के निर्माण, फसल उगाने की उपयुक्त पद्धति, कृषि-विस्तार सेवाओं तथा निवेशों और सम्पर्क सड़कों जैसे कार्य की मदों के सम्बन्ध में विकास योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन 1980-81 में आरम्भ कर दिया गया है मुख्य नालों, मध्यवर्ती नालों, भूमिगत जल विकास और विपगण सम्बन्धी सुविधाओं के लिए अभी तक योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं।

(घ) इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं के जरिए की जाएगी। कमान क्षेत्र विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत, स्वीकार्य मदों के लिए, केन्द्र से बराबर के अनुदान/ऋण भी उपलब्ध होंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह जानकारी दी है कि बर्ना-हलाली कमाण्ड एरिया में परियोजनाओं के विकास के लिए कमाण्ड-एरिया-डवेलपमेंट-अथारिटी का गठन जुलाई, 1979 में किया जा चुका है तथा उसने वाटर-कोर्सेस निर्माण का कार्य, फील्ड-चैनल्ज, फील्ड-ड्रेन्ज, लिंक रोड्स बनाने का काम 1981 से प्रारम्भ कर दिया है।

मैंने हाल ही में इसके अन्तर्गत बायीं तरफ की नहर (लेफ्ट बैंक केनाल) का दौरा किया, जिससे करीब 65 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई अपेक्षित थी। पिछले सालों में वाटर कोर्सेज, फील्ड चैनल और फील्ड ड्रेन्ज का जिस गति से निर्माण होना चाहिए था, उसके सही प्रगति के अभाव में जो 65 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होनी चाहिए थी, वह न हो कर सिर्फ 15 या या 16 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो पा रही है।

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं—इस योजना में जो मंद गति से निर्माण कार्य हुआ है, क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कमाण्ड एरिया के विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो राशि दी जाती है, वह इन्हें समय पर नहीं मिल पाई थी ? यदि मिली थी, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि दी गई तथा उसमें से कमाण्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए कितना उपयोग किया गया ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सही है कि कुछ काम जोकि तेज रफ्तार से होने चाहिए थे, वे अभी पूरी तरह से नहीं हो पाये हैं। अथारियटी प्रारम्भ तो हो गई है लेकिन कई चीजों का सर्वे जो उनको करना चाहिए था अभी तक नहीं कर पाये हैं जैसा मैंने स्वयं उत्तर में बतलाया है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के अनुदान का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि उसमें किसी प्रकार की देरी हुई है। दरअसल होता क्या है—इनमें कुछ मदें ऐसी हैं जिनमें 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय सरकार से दिया जाता है, जब वे खर्च हो जाती हैं तो उनका हिसाब आता है, उसके बाद स्वतः ही वह अनुदान की राशि राज्य सरकार को दे दी जाती है। इसलिए अनुदान न मिलने के कारण देरी हुई हो, ऐसी स्थिति नहीं है। परिस्थिति कुछ और है—हम राज्य सरकार के साथ सम्पर्क में हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस योजना में जहां पर पोटेन्शियल बहुत ज्यादा क्रिएट किया जा चुका है लेकिन यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रहा है, उसको और तेज गति से चलाया जाना चाहिए।

श्री प्रताप भानु शर्मा : आपने अपने जबाव में लिखा है कि कमान क्षेत्र विकास की सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम के अन्तर्गत स्वीकार्य मदों के लिए केन्द्र से बराबर अनुदान। ऋण उपलब्ध होंगे। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कमान एरिया डेबलपमेंट अथोरिटी के अन्तर्गत जो केन्द्रीय सिंचाई विभाग यहां से प्राधिकरण को अनुदान और ऋण देता है वह किस तरह के निर्माण कार्यों के लिए देता है और इस परियोजना में अब तक कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है।

श्री राम निवास मिर्धा : केन्द्रीय-प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कमांड एरिया प्राधिकरणों की स्थापना, स्थल विज्ञान सम्बन्धी और मिट्टी सर्वेक्षण, खेत चैनलों और खेत नालियों का निर्माण जैसी मदों के लिए एक संगत आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान और ऋण दिए जाते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को भी भूमि समतल बनाने और उसे अच्छा प्रदान करने तथा खेतों में नाली

निकालनी और भूमिगत जल के विकास के लिए आर्थिक राजसहायता दी जाती है। उपकरणों की खरीद और इक्विटी पूंजी भागीदारी के लिए भूमि विकास निगमों को भी ऋण दिए जाते हैं। अन्य मदों को राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के साधनों से पूरा करना होता है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : कितना अनुदान और ऋण दिया गया है, यह नहीं बताया। अगर अभी उनके पास आंकड़े न हों तो बाद में बता दें।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको भिजवा देंगे।

श्री कृपा सिंधु भोई : कमांड एरिया विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में भी हम अत्यन्त कार्य रखते हैं। यद्यपि 61 मिलियन हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत बताया जाता है लेकिन यह वास्तव में 57 मिलियन हैक्टेयर भूमि है यदि इसे आप वास्तव में देखेंगे तो यह और कम होगी। सामान्यतः प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में कमांड एरिया विकास प्राधिकरण कार्य कर रहा है और कमांड एरिया विकास प्राधिकरण के कार्यकरण के बारे में माननीय मन्त्री महोदय नेएक अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक तस्वीर पेश की है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि कर्नाटक की कुछ सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर सभी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में इस कमांड एरिया विकास प्राधिकरण के पास कोई वैज्ञानिक सलाहकार नहीं है अपितु इसका प्रबन्ध कुछ स्थानीय प्रशासी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समस्त वैज्ञानिक ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

दूसरे, पानी का हिसाब खेत के चट्टानो (चैनलों) और नहरों की मुख्य समस्या है। इससे बड़ी समस्या पैदा हो रही है और यह राष्ट्रीय हानि है। इस कारण में जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री महोदय सभी राज्य सरकारों को अपना परामर्श दे रहे हैं और क्या इस बात की जांच करने के लिए उनके विभाग में कोई निगरानी कक्ष बनाए गए नियमों और युक्तियों के अनुसार कार्यकरण रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बा सवाल करते हो ?

श्री राम निवास मिर्धा : वास्तव में माननीय सदस्य ने जो कहा है कि सिंचाई के लिए स्थापित की जा चुकी क्षमता पर्याप्त है, वह बात ठीक है। परन्तु हम क्षमता के पूर्ण उपयोग में अभी पीछे हैं। कमान्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सी० ए० डी०) की स्थापन्न का कारण यही है और इस बात को देखने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है कि स्थापित की गई क्षमता का जिस पर सरकारी से व्यय कोष होता है, पूरा उपयोग हो और जनता को जिनके लिए ये निर्माण कार्य दिए गए हैं, इनका लाभ प्राप्त हो।

जहां तक विभिन्न राज्यों में सी० ए० डी० प्राधिकरण के ढांचे का सम्बन्ध है मुझे यह कहना है कि यह भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। कहीं-कहीं पर मंडल आयुक्त इस

पर प्रमुख है और उसके नीचे सिंचाई विभाग, कृषि विभाग तथा भूमि संरक्षण विभाग के तकनीकी अधिकारी हैं वे और सभी विशेषज्ञ है तथा वे काम करते हैं।

डा० कृपा सिंधु भोई : आपका निगरानी का ढंग क्या है ?

श्री राम निवास मिर्धा : हमारी निगरानी पद्धति बहुत कठोर है। हम उनसे रिपोर्ट मंगवाते हैं। हमारे अधिकारी समय-समय पर वहां दौरों पर जाकर देखते हैं। हम बैठकें बुलाते हैं जिनमें कमान प्राधिकरण अधिकारियों को बुलाया जाता है और हम पूरी तरह से जानते हैं कि हमारे पिछड़ने का कारण क्या है।

श्री मनी राम बागडी : अध्यक्ष जी क्या मैं आ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बेल कम सर। हमने तो उस दिन भी आपको कुछ नहीं कहा था आप भी नाराज होकर चले गए थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने कला कोट पहन लिया है। हमें उसका विरोध करना चाहिए।

दिल्ली में खाद्य तेलों का जब्त किया जाना

*310. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 19 फरवरी, 1983 को किसी अनधिकृत गोदाम में लाखों रुपये के मूल्य का आयातित खाद्य तेल जमा था ;

(ख) यदि हां, तो यह कुल कितनी मात्रा में बरामद किया गया है ?

(ग) क्या इसके लिए उत्तरदायी पाये गए लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

(घ) क्या गत तीन से चार महीनों में राजधानी में ऐसे बहुत से मामलों पता लगाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक खाद्य तेल की कुल कितनी मात्रा बरामद है और उन सभी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) 18-2-1983 को दिल्ली प्रशासन द्वारा मारे गए एक छापे के दौरान बादली गांव के एक

गोदाम से खाद्य तेलों के 15/12 कि० ग्रा० के 446 टीन पकड़े गये। उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी और दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(घ) से (ङ) 10 मार्च, 1983 को दिल्ली पुलिस ने समयपुर गांव में एक और गोदाम पर छापा मारा और लगभग 5600 कि० ग्रा० आयातित खाद्य तेल बरामद किए। 5 व्यक्तियों के विरुद्ध एक दंडनीय मामला दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया गया है और दो व्यक्तियों को 27-3-1983 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार बार-बार छापे मार कर और जांच करने से सन्तुष्ट है कि राजधानी में खाद्य तेल आसानी से उपलब्ध है तो और इसकी कीमत में निरन्तर स्थिरता है। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या जमाखोरों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के अतिरिक्त सरकार ने लाइसेंस निलम्बित करने अथवा रद्द करने जैसे कोई अन्य कार्रवाई भी की है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

श्री भागवत झा आजाद : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, जैसा कि सदन को पता है, स्वदेशी मांग और उत्पादन के बीच अन्तर है और इसलिए पिछले तीन वर्षों में और अन्य वर्षों में भी हम खाने के प्रयोजन से तथा वनस्पति के निर्माण के लिए बाहर से तेल का आयात कर रहे हैं। इसके द्वारा हम मांग को पूर्ति करने के प्रयास कर रहे हैं और हमारी स्थिति सन्तोषजनक है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है हमने अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है और जांच पड़ताल चल रहे हैं छापे के पश्चात दिल्ली प्रशासन ने जांच के लिए पत्र उचित दर दुकानों का भी निरीक्षण दिया और 28 दुकानों में अनियमितताएं देखीं और उन 28 दुकानों के विरुद्ध जिनमें अनियमितताएं देखी गई कार्रवाई की जा रही है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है। जैसा कि ठीक कहा गया है कि 40 लाख टन की स्वदेशी सप्लाई की तुलना में हमारी कुल मांग लगभग 46 लाख टन है। अन्तर को केवल आयात से ही दूर किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री से जान चाहता हूं कि क्या सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहनों और तेल के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने को तत्पर है ?

श्री भागवत झा आजाद : जी हां, उसके बिना हम सुधार नहीं ला सकते। राष्ट्रीय नीति के दो भाग हैं। एक भाग है जिसमें देश में तिलहनों के उत्पादन के लिए हमें कुछ प्रोत्साहन देने हैं और इस बारे में कृषि मंत्रालय द्वारा नजर रखी जा रही है दूसरे भाग के सम्बन्ध में तेल नीति के क्षेत्र में

वास्तविक स्वदेशी तेल और आयातित तेल और उसके वितरण के बारे में खाद्य मंत्रालय में हमारी नीति है जिसके अनुसार हम पी० डी० एस० और वनस्पति के उत्पादन के लिए आवश्यकता के अनुसार आवंटन करते हैं ताकि मार्किट में मूल्य का उचित स्तर बना रहे।

श्री मोहन लाल पटेल : एक ओर तो हम घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं और दूसरी ओर हजारों टन मूंफली का तेल कच्छ सीमा से आगे देश से चोरी से छिपे बाहर भेजा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनको पता है कि हजारों टन खाद्य तेल कच्छ सीमा आदि के रास्ते से देश से बाहर भेजा जा रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं।

श्री भीकू राम जैन : मन्त्री महोदय ने अभी उल्लेख किया कि दोनों छापों में एक में लगभग 446 टीन तथा दूसरे में लगभग 600 किलोग्राम खाद्य तेल बरामद हुआ। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि भारी मात्रा में आयातित तेल अनाधिकृत गोदामों में किस प्रकार पहुंच गया और क्या इस पर कोई नियन्त्रण है और यदि छापे मारे गए तो वे जिस कानून के अन्तर्गत मारे गए थे ?

श्री भागवत झा आजाद : वास्तव में मैं भी माननीय सदस्य के साथ हूं। अनाधिकृत गोदामों तक किस प्रकार से पहुंचा। इसलिए कई बार छापे मारे जाते हैं क्योंकि हमारे देश में अभी भी अवांछनीय व्यक्ति हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने पर हम जान सकेंगे कि यह काम किस प्रकार के कहां तक किसके द्वारा किया गया।

श्री भीकू राम जैन : मैंने पूछा है कि छापे किस कानून के अन्तर्गत मारे गए हैं और क्या गोदामों में इस तेल को रखने के बारे में कोई नियंत्रण है।

श्री भागवत झा आजाद : जी हां। नियन्त्रत है। ये अनाधिकृत व्यक्ति है जिनके पास आयातित रखने का लाइसेंस नहीं है और इसलिए इस अपराध के अधीन छापे मारे गए हैं।

श्री वी० आर० नहाटा : क्या मन्त्री महोदय, हमें बतायेंगे कि आयात किस स्रोत से किया गया और इन तेलों को अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने वाले व्यक्ति कौन हैं। क्या जांच करने वाली एजेन्सी ने ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई की है।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैं कह चुका हूं, छापों के बाद, इन सब बातों की जांच की जा रही है कि किसने ऐसा किया, यह अनाधिकृत व्यक्तियों तक किस प्रकार पहुंचा और इन लोगों ने जिनके पास लाइसेंस नहीं थे, किस प्रकार किया।

कृषि उत्पादन के लिए आदानों/उर्वरकों की मांग और सप्लाई में अन्तर

311. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

श्री भोखा भाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में कृषि उत्पादन के लिए अपेक्षित आदानों/उर्वरकों की मात्रा वास्तविक जरूरत से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा देश में ही क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) आयात द्वारा इसकी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशी दवाओं जैसे कृषि आदानों की आम उपलब्धि इनकी वास्तविक मांग से कम नहीं है। देशी उत्पादन तथा आवश्यकतानुसार आयात के माध्यम से इनकी पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित की गई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : रोजाना हम देखते हैं कि खान और बीजों में मिलायट होती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मिलावट वाले और बगैर मिलावट वाले मिलाकर कमी नहीं है या जो अच्छे हैं उनमें कमी है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जो अच्छे हैं उनमें कमी नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैंने जो पूछा है इसका मतलब है मेरा दिमाग खराब नहीं है। अगर कमी नहीं है तो मुझे सवाल करने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, यह वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मजाक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह सुझाव देते हैं कि मंत्री के जांच के लिए दिया जाए।

श्री आर० एन० राकेश : दोनों को।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, वे प्रश्न की स्वीकृति को चुनौती दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : पिछले तीन वर्ष के आंकड़े बताएं कि कितनी इन चीजों की डिमान्ड थी और ये कितनी उपलब्ध रहीं ? पूरे रिकार्ड के साथ विस्तार से जवाब दिया जाए। कहीं ऐसा न हो जैसे कि किसी गांव या शहर में आप उद्घाटन करने चले जाते हैं इसके सिवाय दूसरा काम नहीं होता।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप कौन-सी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, फर्टिलाइजर या इन्सक्टिसाइड ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैंने जनपद बदायूं के गोडाउन में हाल ही में देखा है कि वहां सारा माल सब-स्टैन्डर्ड है, जिसके बारे में मैंने सूचना भी दी थी ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : ये सही कह रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यदि माननीय सदस्य पिछले तीन वर्षों की जानकारी चाहते हैं तो वर्ष 1979 में 59-58 लाख टन उर्वरक उपलब्ध था और खपत 52-56 लाख टन थी । वर्ष 1980-81 में उर्वरक की उपलब्धता 68.18 लाख टन और खपत 55.16 लाख टन थी तथा वर्ष 1981-82 में उपलब्धता 73.44 लाख टन और खपत 60.64 लाख टन थी । और 1982-83 में अनुमानित आंकड़े 80.47 लाख टन तथा खपत 64.18 लाख टन हैं ।

महोदय, कीटनाशक औषधियों की योग और उपलब्धता के आंकड़े इस प्रकार हैं : वर्ष 1980-81 में 60.40 हजार टन की मांग का अनुमान था और देश में उत्पादन 50 हजार टन का हुआ था और 6.74 हजार टन का आयात किया गया था और खषत 56.78 हजार टन की थी वर्ष 1980-81 मांग 61.82 हजार टन और देश में उत्पादन 43.28 हजार टन का हुआ तथा 4.28 टन का आयात किया गया जबकि खपत 47.56 हजार टन की थी । वर्ष 1981-82 में मांग 61.06 हजार टन की थी और उत्पादन 43.28 हजार टन का हुआ तथा 3.78 हजार टन का आयात किया ग या तथा खपत 52-44 हजार टन की थी । वर्ष 1982-83 में मांग 72 हजार टन की थी और उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और खपत के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं । 15 मार्च, 1983 तक की खपत 8.52 हजार टन है ।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, सूचना सभा पटल पर रखी जाए । ये काफी लम्बे चौड़े आंकड़े हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक ट्रेक्टरों का सम्बन्ध है वर्ष 1979-80 में इनका उत्पादन 62.55 हजार था और बिक्री 59.42 हजार की हुई । वर्ष 1980-81 में उत्पादन 71.12 हजार का था और विक्री 68.75 हजार की थी । वर्ष 1981-82 में उत्पादन 84.22 हजार का हुआ और बिक्री 74.07 हजार की हुई ।

अध्यक्ष महोदय : ये आंकड़े सभा पटल पर रखे जाने चाहिएं ।

श्री योगेंद्र मकवाना : महोदय वे सभी आदान के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मान्यवर, मैंने यह भी पूछा है कि इसमें सब-स्टैन्डर्ड कितना है ? एक जिले में सब-स्टैन्डर्ड माल पकड़ा गया है, सरकार की रिपोर्ट है ।

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : पहले असली का पूछ लो, फिर दूसरे का बताएंगे ।

श्री माधव राम सिंधिया : महोदय, ऐसे समय जबकि हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन का सामना कर रहे हैं कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक के आयात, जैसा कि इस प्रश्न में बताया गया है, को बड़े ही अप्रांसगिक रूप में लिया है । विश्व में हमारे देश की जनसंख्या दूसरे नम्बर पर है । विश्व की कुल पशुओं की संख्या का 16 प्रतिशत हमारे पास है । इससे हमारे पास खाद के बहुत अधिक संसाधन हैं जिनका उर्वरक में इस्तेमाल किया जा सकता है । विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग किया जाए तो इसमें 11 मिलियन टन शहरी कम्पोस्ट 658 मिलियन टन ग्रामीण कम्पोस्ट और शहर का 800 मिलियन गेलन अवमल प्रतिवर्ष मिलेगा । कृषि विशेषज्ञों ने समन्वित पौष्टिक पूर्ति प्रणाली, का समर्थन किया है जिसमें उपलब्ध उर्वरक, खाद, हरी खाद और बामो-उर्वरक को एक निश्चित मात्रा में मिलाने से नाइट्रो जीनियस उर्वरक की सप्लाई की जा सकती है । इससे आयात प्रतिस्थापन में भी सहायता मिलेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि खाद के इन संसाधनों के प्रयोग के लिए कृषि विशेषज्ञों के सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सरकार की प्रतिक्रिया सकारात्मक है और बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त इन संसाधनों के प्रयोग के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय सरकार को इसकी जानकारी है और हम खाद को प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं । ग्राम सेवक किसानों के खेतों पर जाते हैं और उन पर खाद को प्रयोग के लिए बल देते हैं ।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर बिचार करेगी कि केन्द्र सरकार को खाद के संसाधनों का उर्वरक के रूप में प्रयोग करने पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष कक्ष बनाएगी बजाए इसके कि इस कार्य को ग्राम सेवकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाए ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । यह मामला विचाराधीन है ।

पीने के प्रयोजनों के लिए गंगा के पानी को दिल्ली की ओर मोड़ना

*312. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीने के प्रयोजनों के लिए गंगा के पानी को दिल्ली लाने की कोई योजना तैयार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब अनुमोदित किया गया था तथा इसके लिए कितन धनराशि आबंटित की गई है ;

(ग) क्या इस योजना को पूरा करने के लिए उक्त धनराशि पर्याप्त है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए अनुमानतः और कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ;

(ङ) लागत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(च) क्या यह योजना निर्धारित समय में पूरी हो जाएगी ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) यह योजना दो चरणों में स्वीकृत की गई थी । 800.000 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर कच्चे पानी के कन्ड्यूट के निर्माण को तकनीकी स्वीकृति 1975 में दी गई । 1977 में 1804.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर शाहदरा में जल शोधन सयंत्र के निर्माण को तकनीकी तौर पर स्वीकृत किया गया । प्रारम्भिक निर्माण कार्य तथा इसके बाद योजना को कार्यान्वित करने के लिए 1972-73 से विधियों का नियतन किया गया था ।

(ग) से (ङ) दिल्ली आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान के अनुसार, परियोजना के विभिन्न घटकों पर अनुमानित व्यय लगभग 5500.00 लाख रुपए है संस्थान ने सूचित किया है कि यह वृद्धि-अपर गंग नहर के आर-पार रैगुलेटरों के निर्माण, मुराद नगर में तलछट बेसिनों के निर्माण तथ-प्रवाह अवरोधकों की व्यवस्था जो कि मूल योजना में नहीं थी, स्थलीय परिस्थितियों के कारण कतिपय घटकों के डिजाइनों में संशोधन, सीमेंट, इस्पात, स्टीलप लेट, पाईप, विद्युत एवं आभियान्त्रिक उपस्कर जैसी भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि तथा श्रमिकों की मजदूरी आदि में वृद्धि के कारण हैं ।

(च) तथा (छ) संस्थापन ने सूचित कि कच्चे पानी के कन्ड्यूटों, रेगुलेटरों तथा तलछट बेसिनों का निर्माण व्यवहारिक रूप से पूर्ण कर दिया गया है । जल शोधन संयत्र 1983 में चालू किया जाना है । उन्होंने सूचित किया है कि संयंत्र के प्रथम चरण के जून, 1983 तक चालू हो जाने की आशा है बशर्ते कि शाहदरा में रोड नं० 65 के साथ-साथ पाइप लाइनों की सीध में आने वाली झुग्गियां हटा दी जाएं । निर्माण सामग्री की कमी, पाइप लाइन आदि के बिछाने के लिए अव-

रोध रहित स्थल की अनुपलब्धता के कारण सम्पूर्ण परियोजना के पूर्ण होने में निर्धारित समय से कुछ अधिक विलम्ब होने का अनुमान है।

डा० सुब्रह्मणयम स्वामी : गंगा के जल को दिल्ली की यमुना पार कालोनियों में प्रयोग संकल्पना जनता शासन में की गई थी। (**व्यवधान**) महोदय, मैंने ऐसा क्या कहा है कि वे विचलित हो गए ?

प्रो० मधु दन्डवते : महोदय, क्या जनता शासन असंसदीय था ?

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी ने ऐसा कहा है ?

मनी राम बागड़ी : जनता के बिना संसदीय प्रणाली नहीं हो सकती।

श्री भोकू राम जैन : जब जनता शासन शुरू हुआ तो उन्होंने गांधी समाधि पर कुछ किया है। गंगा के जल को लाने की योजना को मंजूरी जनता पार्टी बनने से पहले दे दी गई थी।

श्री ईरा अनबारासु : उन्होंने केवल मूत्र चिकित्सा शुरू की थी।

सुब्रह्मणयम स्वामी : बिना इसका प्रयोग किए वे कैसे कह सकते हैं, महोदय, यह बुरी बात है ? आप उसकी सिफारिश करते हैं, पहले आप कोशिश करके देखें और इसके बाद ऐसी बात कहें (**व्यवधान**) : महोदय, इसे परियोजना में इस बहाने कभी उस बहाने विलंब किया गया। मैं तो नगर निगम के कर्मचारियों से पता लगाया है कि एशियाई खेलों के कारण परियोजना के लिए धन-राशि नहीं है और स्वंय इस बात को स्वीकार करती है कि सामग्री आदि के अभाव में विलंब हुआ है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे जल संयंत्र के पूरा होने की कोई निश्चित तारीख बता सकते हैं ताकि जल शीघ्र उपलब्ध हो।

संसदीय कार्य मंत्री : खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : माननीय सदस्य की सूचना ठीक नहीं। परियोजना को 1975 मंजूरी दी गई थी जबकि जनता शासन नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : यह जनता पार्टी बनने से भी पहले हो गया था।

श्री बूटा सिंह : जनता पार्टी की संकल्पना से भी पहले। सूचना का दूसरा भाग कि एशियाई खेलों के दौरान धनराशि की कमी के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ है, भी गलत है।

मैं ऐसा कोई शब्द नहीं कहूंगा तो संसदीय नहीं है। महोदय इसके लिए नियत की गई कोई भी धनराशि एशियाड पर खर्च नहीं की गई, अपितु हमने इस परियोजना पर भी ध्यान दिया था क्योंकि हम चाहते थे कि दर्शक गंगा नदी का पानी पिए। परन्तु दुर्भाग्यवश वह पूरा नहीं हो पाया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप पानी बिल्कुल नहीं लाए।

श्री बूटा सिंह : हम लाए । महोदय, पिछली बैठक संबद्ध राज्य सरकारों के साथ हुई थी, यह बैठक दिसंबर 1982 में हुई थी । इसमें परियोजना के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाए जाने पर विचार किया गया था । हम आशा करते हैं कि अगले जून तक हम एशियाड की तरह इस परियोजना पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे और इसे समय से पहले पूरा कर लेंगे ।

राव वीरेन्द्र सिंह : बच गए, पता नहीं क्या पिलाया जाता था जनता रूल में ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : शाहदरा के पास मोहन मी की फैक्टरी भी है मैं उनके उत्तर से उतना प्रभावित नहीं हुआ हूं जितना कि उनकी पगड़ी से ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नहीं जानते कि आज उनका जन्मदिन है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बधांइयां और उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं । महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या गंगा नदी के पानी को दूसरी तरफ ले जाने से पैदा हुई पर्यावरण सम्बन्धी समस्या की ओर मन्त्री जी का ध्यान गया है । भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री डा० के० एल० राव ने कहा था कि गंगा के पानी को किसी भी स्थिति में इलाहाबाद के पश्चिम की ओर नहीं ले जाना चाहिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गंगा के पानी का इस तरफ उपयोग करने से पैदा होने वाली पर्यावरण समस्या पर भी विचार कर रही है।

श्री बूटा सिंह : इस प्रकार के किन्हीं निष्कर्षों की मुझे जानकारी नहीं है । लेकिज यह जल एक नाली पाइप में लाया जा रहा है । और यह जल हम भूमि के ऊपर करके नहीं ला रहे हैं । इसलिए भूविज्ञान की दृष्टि से भी बहुत अधिक असुरक्षित नहीं है क्योंकि यह जल अधिकांश भूमि के नीचे होकर लाया जाता और जहां कहीं इसे भूमि के ऊपर लाया जाता है तो इसे पाईप के जरिए लाया जाता है । इसलिए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कठिनाई है ।

श्री ईरा अनबरासु : श्रीमन् यह स्थायी बात हो गयी है कि भारत में, चाहे बाढ़ हो अथवा अकाल, भारत सरकार राहत उपायों के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है । इस वर्ष भी मैं देखता हूं कि 750 करोड़ रुपए की धनराशि राहत उपायों के लिए नियत की गई है । जब यह गड़बड़ी का जरिया है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी दक्षिण की कावेरी नदी के साथ गंगा नदी को जोड़ने के जरिए एक दीर्घावधि परियोजना पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अप्रासंगिक है । इसका इस मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रेणुपद दास : गंगा के पानी की दिशा को मोड़ने के कार्य से तत्काल छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि यह गगा के किनारे पर नहीं है। गंगा भारत में सबसे लम्बी नदी है और अनेक पुराने नगर इसके किनारे पर स्थित हैं और इसका पानी असीमित नहीं है। इसलिए इसके पानी को दिल्ली की ओर नहीं मोड़ा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह पीने के प्रयोजनों के लिए है। यह पानी की दिशा को मोड़ने का प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन्, यह पेय जल सुविधाओं और दिल्ली की समस्या से सम्बन्धित हैं। हम माननीय सदस्यगण इस सदन में इस मुद्दे पर उद्वेलित होते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस परियोजना के पूरा होने से वहां कुछ राहत मिलेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन् दिल्ली तेजी से बढ़ता हुआ एक शहर है।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी को गंगा-जल से नहलाया करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन्, दिल्ली तेजी से बढ़ता हुआ एक शहर है और पिछले दो वर्षों से वहां पानी की भारी कमी रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात उनकी जानकारी में लाई गई है कि दिल्ली में पेय जल से सम्बद्ध समस्या दोमुंही है। पहली है पानी की कमी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई व्यापक योजना केवल इस विशेष योजना के लिए नहीं, दिल्ली विशाल, बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। यदि हां तो इस पर कितनी लागत आएगी और इसकी क्या कार्य-सूची है?

दूसरे, इस समय उपलब्ध पानी अत्यन्त घटिया दर्जे का पानी है। यदि आप किसी अस्पताल में जाएं तो डाक्टर आपको बताएंगे कि अनेक बीमारियां दिल्ली के दूषित पानी के कारण हैं अधिकांश क्षेत्रों में समुचित स्तर का पेयजल नहीं है। इसका उपचार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री बूटा सिंह : इस सदन में पहले भी मान्य सदस्यगण दिल्ली में जल की आपूर्ति के मुद्दे को उठाते रहे हैं। सरकार को इस समस्या की जानकारी है। अन्य नगरों की तुलना में दिल्ली में पेय जल की वर्तमान उपलब्धता अच्छी है। दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 55 गैलन प्रति व्यक्ति है जब कि इसकी तुलना में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता मद्रास में 17 गैलन और बम्बई तथा कलकत्ता में 29 अथवा 30 है। लेकिन वहां पानी की सप्लाई बढ़ाई जाने की आवश्यकता है और सरकार को इस समस्या की जानकारी है। हम दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ा रहे हैं और हमें आशा है कि हम निकट भविष्य में शहरी क्षेत्रों में पानी की 70 गैलन प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्राप्त कर सकेंगे।

जैसा कि प्रश्न के पिछले भाग के उत्तर में मैंने बताया, दिल्ली तक गंगा का पानी लाकर पानी की सप्लाई बढ़ाने का हमारा विचार है और हम वर्षा के पानी के नलकूप लगाकर, दिल्ली में भूमि जल स्रोतों को काम में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे दिल्ली के लिए और अधिक पानी प्राप्त किया जा सकता है। अवमृदा जल सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है लेकिन वे गहरे कुएं जो दिल्ली के सभी भागों में खासतौर पर उत्तर और पश्चिम दिल्ली में, जलमग्न हो गए थे, लाभकारी सिद्ध हुए हैं, उन कुओं का सभी प्रकार का परीक्षण किया गया है और उनके पानी को पीने के प्रयोजनों से उपयुक्त घोषित किया गया है और यह अच्छा पानी है। इसलिए हम दोनों तरीकों से, जल को बढ़ाने के लिए पड़ौसी राज्यों से पानी लाकर इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अवमृदा जल को काम में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दिल्ली के नागरिकों को अच्छा पानी मिल सके।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में पूछ लेता मेरा दोस्त है। मेहरबानी होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप अलहदा ही पूछ लीजिए।

श्री बूटा सिंह : मुझे दिल्ली की जलपूर्ति की योजनाओं से, खासतौर पर एशियाड के दौरान स्वयं को सम्बद्ध करने का मौका मिला, क्योंकि उस समय कुछ अशंकाएं व्यक्त की गई थीं। हम दिल्ली में विशेष परिष्करण संयन्त्र लगाने में सफल हुए जिससे अत्यन्त उच्च स्तर का पानी की व्यवस्था करने में सहायता मिली।

फरक्का बांध परियोजना के अन्तर्गत काम कर रहे व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक रोजगार

*313 **श्री जायनल अबेदिन :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जो फरक्का बांध परियोजना के अन्तर्गत मस्टर-रोल श्रमिक और कर्मचारियों के रूप में अब भी काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार उन मस्टर-रोल श्रमिकों और कर्मचारियों को फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना में वैकल्पिक रोजगार देने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) फरक्का बैराज परियोजना

की पंजी में, इस समय 3131 कर्मचारी (नियमित एवं कार्य-प्रभारित दोनों) और 732 उपस्थिति नामावली (मस्टर रोल) श्रमिक हैं ।

(ख) से (घ) फरक्का बराज परियोजना के मस्टर-रोल श्रमिकों और अन्य कार्य प्रभारित कर्मचारियों को फरक्का सुपर ताप-विद्युत केन्द्र में वैकल्पिक नौकरियां देने के लिए ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है ।

श्री जायनल अबेदिन : फरक्का बांध परियोजना के मस्टर-रोल कर्मचारी लम्बे समय से, छः से सात वर्षों या इससे अधिक समय से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं । सेवा की यह लम्बी अवधि स्वयं यह सिद्ध करती है कि जो उन्हें करना होता है वह नैमित्तिक किस्म का बिल्कुल नहीं है । यह स्थायी किस्म का कार्य है । इसका अर्थ है कि यद्यपि कार्य स्थायी किस्म का है मजदूर नहीं हैं । इस प्रकार उनको उन सभी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है । जिनका एक नियमित मजदूर अपने अधिकार के रूप में उपभोग करता है । इसके परिप्रेक्ष्य में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस बात का पता करने के लिए कि कितने पद स्थायी किस्म के हैं, कोई सर्वेक्षण कराए जाने का बिचार है और क्या उनका मंत्रालय उन मस्टर-रोल कर्मचारियों को, जो कुछ रिक्त पदों पर कार्य कर रहे हैं, नियमित कर्मचारियों के रूप में खपाएगा ।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, फरक्का बांध पर बहुत लम्बे समय से काम चलता रहा हो और 1983 में यह पूरा होने वाला है । दूसरे निर्माण की प्रक्रिया में, बड़ी संख्या में 'मस्टर-रोल' कर्मचारी नियुक्त किए गए थे और हम सबसे पहले अपने स्वयं के प्रतिष्ठानों में उन्हें खपाने के सभी प्रयास कर रहे हैं और यदि वह संभव नहीं होगा तो नियमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में उन्हें खपाएंगे । सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, 1980 में उन लगभग 1,600 'मस्टर रोल' कर्मचारियों में से, जो दो वर्ष या इससे अधिक समय से सेवा कर रहे थे 850 व्यक्तियों को 'मस्टर-रोल' पर थे, इस प्रकार के रिक्त स्थानों को भरने के लिए लिया गया था। इसका अर्थ है कि हमने इस प्रकार के 850 व्यक्तियों को पहले ही कार्य प्रभारी कर्मचारी के रूप में ले लिया है जिससे उन्हें बेहतर सुविधाएं और वेतन मिलते हैं । हम ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्री औद्योगिक सुरक्षा हाल तथा पड़ौसी राज्यों की अन्य परियोजनाओं से यह देखने के लिए निरंतर सम्पर्क रखे हुए हैं कि जैसे ही काम बंद हो इन व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर इन परियोजनाओं में खपाया जा सके ।

श्री जायनल आबेदिन : श्रीमन्, 24 जुलाई, 1974 की अतारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर में तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने कहा था ;

> "फरक्का बांध के अतिरिक्त कर्मचारियों को ताप बिजली परियोजना में खपाने की सीमा और ढंग पर एक उपयुक्त समय पर, जल निर्माण कार्य शुरू हो, विचार किया जाएगा ।"

उन्होंने यह आश्वासन एक ऐसे समय में दिया जब कि ताप बिजली परियोजना का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किया गया था। उसके बाद आठ-नौ वर्ष बीत चुके हैं। निर्माण कार्य धीरे-धीरे पूरा हो रहा है, परन्तु उपयुक्त समय अभी तक नहीं आया है और फरक्का बांध परियोजना के अतिरिक्त कर्मचारियों को खपाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है अर्थात सरकार अब अपने आश्वासन से पीछे हट रही है।

दिनांक 15 दिसम्बर 1981 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3822 के उत्तर के संबंध में श्री विक्रम महाजन, ऊर्जा राज्य मंत्री ने फिर कहा था ;

> "राष्ट्रीय ताप बिजली निगम इन कर्मचारियों को नियुक्ति अपने फरक्का सुपर ताप बिजली परियोजना में करने के लिए विचार करने हेतु सहमत हो गया है बशर्ते वे होने वाले खाली स्थानों के लिए उपयुक्त पाये गए हों और उनके नाम रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किए गए हों।"

महोदय, मन्त्री जी अब कहते हैं कि ऊर्जा मन्त्रालय से वैकल्पिक नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

महोदय, यह स्पष्ट रूप से निर्णय से हटना है। फिर भी अब ऐसा होता है कि भर्तियां बाहरी लोगों द्वारा नैमित्तिक आधार पर स्थानीय रोजगार कार्यालय की जानकारी के बिना की जा रही हैं। स्थानीय रोजगार कार्यालय से उनके पास पंजीकृत अतिरिक्त कर्मचारियों के नाम नहीं मगवाये जाते।

बाहर से की गई ऐसी भर्तियों के पक्ष में ताप बिजली परियोजना के प्राधिकारी कहते हैं कि नैमित्तिक आधार पर की गई ऐसी भर्त्तियां नियमों के अनुसार हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अबेदिन, क्या आप इसे एक प्रश्न मानते हैं? यह व्याख्यान है या प्रश्न है?

श्री जायनल अबेदिन : महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, इसे भाषाई भौतिकवाद कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछने का ढंग नहीं है।

श्री जयनाल अबेदन : महोदय, इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय ऊर्जा मन्त्रालय से इस संबध में अधिक प्रभावशाली ढंग से बातचीत करेंगे ताकि स्थानीय रोजगार कार्यालय की पूर्ण उपेक्षा करके नैमित्तिक आधार पर बाहर से की जा रही भर्ती को रोका जा सके

और जैसा कि मैंने पहले बताया है क्या सिंचाई मन्त्रालय के आश्वासन को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जायेगा ?

श्री जायनल आबेदन : क्यों, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न के रूप में नहीं है क्या मै एक लम्बे व्याख्यान को प्रश्न के लिए अनुमति दे सकता हूं ? क्या मुझे अनुमति देनी चाहिए ? यदि आप चाहते हैं, तो मैं इसके लिए अनुमति दे सकता हूं, परन्तु प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह एक लम्बा प्रश्न है, परन्तु संतुलन बनाये रखने के लिए आपको इसका छोटा उत्तर देने के लिए अनुमति देनी चाहिए ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, वह यह जानने के हकदार हैं कि क्या मंत्री महोदय उनके भाषण से सहमत हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । आज कह सकते हैं कि क्या आप उनके भाषण से सहमत है या नहीं ।

श्री राम निवास मिर्धा : अच्छा, महोदय, मैं उनके भाषण और सुझावों से पूर्णतया सहमत हूं । महोदय, केवल सहमत ही नहीं जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि हमें ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध करना चाहिए हमने कार्य किया है । हमने पहले ही ऊर्जा मंत्रालय से सचिव के स्तर पर तथा मंत्री के स्तर पर अनुरोध किया है । हमने पड़ोसी राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस दिशा में जो समस्त प्रयास कर रहे हैं । यदि उसका विवरण दूं, तो मुझे एक लम्बा भाषण देना पड़ेगा । वहां चल रही सभी परियोजनाओं में ये कदम उठाने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया है ।

वनों का संरक्षण

315. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में वन क्षेत्र कितना है और छठी योजना में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या आरक्षकों, आन्तरिक संचार प्रणाली और वित्तीय संसाधनों के अभाव में राज्य वनों का प्रभावशाली रूप से संरक्षण नहीं कर सके हैं ; और

(ग) क्या वन, संरक्षण और विस्तार कार्यक्रमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता ली जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय देश में 750.6 लाख हैक्टयर वन क्षेत्र है । छठी योजना में वन क्षेत्र के विस्तार के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं तथापि, छठी योजना अवधि में वनरोपण के विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं जिनका बद्देश्य मौजूदा वनों का सुधार करना तथा वन क्षेत्र से इतर क्षेत्र में वृक्ष लगाना है ।

(ख) राज्य सरकारें वन आरक्षकों की संख्या और आन्तरिक संचार प्रणाली के अपर्याप्त होने तथा वित्तीय संसाधनों के सीमित होने जैसी गम्भीर कठिनाइयों के बावजूद अपने वन क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है ।

(ग) जी हां ।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : वन क्षेत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों 'हेड-लोड' पद्धति के अन्तर्गत ईंधन की लकड़ी ले जा सकते हैं जबकि आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लोग संगृहित सूखी लकड़ी ले जा सकते हैं अखवार में ऐसा लिखा है और यह कार्य सराहनीय है क्योंकि इससे उन लोगों को सुविधा होती है जो सदियों से वन उत्पादों पर निर्भर करते आए हैं। फिर भी बड़े बड़े ठेकेदार फिर इस व्यवस्था का शोषण कर रहे हैं और एक नियमित आयोग की स्थापना होती है तथा अन्ततोगत्वा वे हेड-लोड को ट्रक-लोड़ बना लेते हैं । क्या यह सच नहीं है ? यदि हां तो क्या सरकार मौजूदा कानून और दंड-संहिता में संशोधन करने पर विचार करेगी । तथा बड़े-बड़े ठेड़दारों को और वन-विभाग के कर्मचारियों को, न कि आदिवासियों को अति कठोर दंड के भागी बनाएगी । श्री माधवराव ने कहा ये आदिवासी तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो सदियों से इन जंगल क्षेत्रों में रह रहे हैं । जमीन पर पड़ी कोई भी सूखी लकड़ी ले जा सकते हैं और उतना ही संग्रह कर सकते हैं जितना वे सिर पर ले सकें । उन्हें उन लकड़ियों को ले जाने की अनुमति है । सवाल यह है कि क्या बड़े-बड़े ठेकेदार इस काम में दखल दे रहे हैं और हेड-लोड़' प्रणाली को ट्रक-लोड प्रणाली में बदल रहे हैं । क्या आप भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत इन बड़े-बड़े ठेकेदारों न कि आदिवासियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने इसके लिए अनुमति दी है ? मन्त्री जी, आप श्री गायकवाड़ के प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं श्री गायकवाड़ के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे अन्य माननीय सदस्य की तरफ से कह रहे हैं ? ऐसा लगता है ।

श्री योगेंन्द्र मकवाना : श्री गायकवाड़ की बात सुनाई नहीं देती थी ।

हमने एक कानून बनाया है जिसका नाम है भारतीय वन अधिनियम और जिसमें वन को

नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करने का प्रावधान है परन्तु आदिवासी और जंगल के आस-पास के बासिन्दा अपने प्रयोग के लिए सिर पर ढोने लायक एक बोझा जंगली लकड़ी ले जा सकते हैं।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या यह सच नहीं है कि अनेक कागजी अभयारण्य हैं जिसमें न पेड पौधे हैं और न ही जीव जन्तु हैं। ऐसे अभयारण्य के भीतर बिजली का तार लेना कठिन कार्य है। क्योंकि इसे अभयारण्य के रूप में मान्यता मिली है। यदि स्थिति ऐसी है, तो इन कागजी अभयारण्यों को अभयाण्यों की सूची से हटाने के लिए कठोर कदम क्यों न उठाये जा रहे हैं? दूसरे, क्या वनों की सुरक्षा, बन कटाई और इस प्रकार के पर्यावरण संबंधी असंतुलन को रोकने के लिए स्थानीय मान्यता प्राप्त संगठनों को विश्वास में लिया गया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार देश की वनस्पति और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए उत्सुक है और जिन बातों का उल्लेख वे कर रहे है। उनके बारे में हम नहीं जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव।

श्री सन्तोष मोहन देव : खड़े हुए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, पहले आपने मुझे बुलाया। जो हो, वे अब बैठ गये हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बंगाल के लोग असम- निवासियों के साथ इसी प्रकार का बर्ताव करते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : हम परस्पर मित्र और भाई-भाई हैं। प्रश्न वनों के रक्षण से संबंधित है। वनों की अंधा धुंध कटाई से पर्यावरण सबंधी असन्तुलन पैदा हो जाता है। आप जानते हैं कि बिना सोच बचार के आरा मिलों को लाइसेंस देना भी वन कटाई का एक कारण है। क्या सरकार वनों के संरक्षण करने और वनों के विस्तार से लिए आरा मिलों के नये लाइसेंस देना बन्द करने के लिए एक विधेयक लायेंगी,

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक लाइसेंसों का संबंध है, राज्य सरकार उन्हें नियमित करती हैं, परन्तु जहां तक वन संरक्षण तथा वन रोषण का संबंध है, मैंने पहले ही बताया है कि एक वन संरक्षण अधिनियम है जिसके अधीन हम यह करते हैं और राज्य सरकारों ने भी वन रोपण कार्य-क्रम को आरंभ किया है। मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सभी राज्यों में अब तक जो काम किये गये, उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। सभी राज्यों में 195 करोड़ बीजांकुर रोपने के लिए वन रोषण का लक्ष्य था और वास्तव में 206 करोड़ बीजांकुर रोपे गये हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मन्त्री महोदय के कथन के अनुसार वन रोहण के द्वारा ही वनों का संरक्षण किया जा सकता है और असम के मामले में एक मार्मिक बात यह है कि वन क्षेत्रों की भूमि

समतल क्षेत्रों के लोगों के अधिकार में है। आदिवासी लोग समझते हैं कि भूमि उनकी है। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुये, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार वनों के संरक्षण तथा वन रोपण के लिए क्या अनुकूल कदम उठा रही है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक वनों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बता रखा है कि भारतीय वन अधिनियम के नाम से एक कानून है जिसमें अनुमति के बिना अंधाधुंध वन कटाई करने वालों को दंडित करने का प्रावधान है और वन संरक्षण अधिनियम के नाम से अन्य एक कानून है। जहां तक वन रोपण का संबंध है। मैंने माननीय सदस्यों को पहले ही बताया है कि हमने तत्सम्बधी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, लक्ष्य 195 करोड़ बीजांकुर थे वास्तव में 206 करोड़ किए गए।

श्री एम० सत्यनारायण दत्त : इस वन कटाई की समस्या समूचे देश के लिए एक गंभीर समस्या है। आपने आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में संपादकीय स्तम्भ अवश्य देखा होगा। समूचा दक्षिण अब रेगिस्थान बनने जा रहा है। तमिलनाडु में पीने के पानी की समस्या है। यह एक अत्यन्त कठिन समस्या बन चुकी है। अंधाधुंध वन कटाई करना तथा भ्रष्टाचारों में लिप्त रहना इसके प्रमुख कारण हैं। इन प्रकार की स्थिति के लिए भ्रष्टाचार उत्तरदायी है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार मिटाने तथा वन रोपण करने के लिए वे क्या कदम उठाने वाले हैं ;

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सहकारिता संबंधी कानूनों के पुनरीक्षण के लिए समिति

314. **श्री चित्त बसु :**
श्री दीन बंधु वर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सहकारिताओं संबंधी कानूनों तथा उनके कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और(ख) जी नहीं। तथापि, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के फरवरी, 1983, में हुए सम्मेलन में सहकारी समितियों संबंधी कानूनों और प्रशासन की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करने की सिफारिश

की गई है । इस सम्मेलन की सिफारिशों पर पहले राज्यों के सहकारिता मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाएगा ।

गोदामों के निर्माण में कमी

316. **श्री अनन्त रामुलु मुल्लु :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसूल किए गए खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए गोदामों के निर्माण में कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध क्षमता क्या है और कितना खाद्यान्न भण्डार में है तथा इस वर्ष वसूल किए गए खाद्यान्नों के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वसूल किए गए खाद्यान्न को सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु उचित प्रबन्ध किए गए हैं ताकि वहां वर्षा से बचे रहें ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) वर्षा और दोषपूर्ण भण्डारण के कारण औसतन कितने खाद्यान्न की क्षति होती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास दोनों निर्मित और किराये की कुल क्षमता स्टाक की वर्तमान मात्रा के लिए पर्याप्त समझी जाती है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए कुल 157.3 लाख मीटरी टन ढकी हुई क्षमता उपलब्ध हैं । निगम के पास 1-2-1983 को 95.7 लाख मीटरी टन का स्टाक था । देश में विपणन वर्ष 1982-83 के दौरान 138.6 लाख मीटरी टन की कुल मात्रा वसूल की गई थी—77.2 लाख मीटरी टन गेहूं, 59.8 लाख मीटरी टन चावल और 1.6 लाख मीटरी टन मोटे अनाज ।

(ग) और (घ) जी हां, । कुल मिलाकर खाद्यान्नों के स्टाक को वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गोदामों में रखा जाता है । योग्य स्टाफ द्वारा मानसून से पूर्व गोदामों का निरीक्षण किया जाता है/उनकी मरम्मत की जाती है, स्टाक की समय-समय पर जांच की जाती है । कीटनाशक संबंधी उपाय किए जाते हैं । स्थानीय बाधाओं के कारण तथा भरपूर मात्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की केवल मामूली मात्रा को ही कवर-एवं-प्लिथ (कैप) में रखा जाता है । वर्षा, समुद्री, तूफानों आदि के स्टाक की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती हैं ।

(ङ) वर्षों, समुद्री तूफानों और अन्य देवी कारणों से कैप भण्डारण में पड़े स्टाक को हुई क्षति पहुंचने का डर होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्यतया इन कारणों से औसतन लगभग 43,000 मीटरी टन की मात्रा ही क्षतिग्रस्त हुई थी।

खाद्यान्न की कमी

*317. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

बापू साहिब पल्लेकर : क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न की कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें यह बात केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लायीं थीं तथा कुछ सुझाव दिए थे ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अन्य राज्यों तथा विदेशों से खाद्यान्न आयात करने की अनुमति मांगी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) जी हां, तमिलनाडु की सरकार समेत कुछेक राज्य सरकारों ने देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति के कारण बढ़ रही मांग के संदर्भ में खाद्यान्नों का अधिक आबंटन करने के लिए अनुरोध किया था। कुछेक राज्य सरकारों ने अपनी कमी को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति देने के लिए भी अनुरोध किया था।

भारत ने राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए थे :—

(1) राज्य सरकारों की मांगों पर प्रत्येक मास विचार किया गया था और सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर जहां आवश्यक थी, वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मासिक आवंटनों में वृद्धि की गई है।

(2) सूखे से प्रभावित राज्यों में राहत कार्यों के लिए रोजगार पैदा करने वाली योजना के अधीन गेहूं का विशेष आवंटन भी किया गया है।

(3) उसके अनुरोध के प्रत्युत्तर में कुछेक राज्य सरकारों को अधिशेष गैर चावल उपभोक्ता राज्यों से खुले बाजार से लेवी मुक्त चावल की विशिष्ट मात्रा खरीदने की अनुमति भी दी गई है।

राज्यों मे "ट्राइसेम" का कार्यान्वयन

*318. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षण देने संबंधी "ट्राइसेम" योजना कब शुरू की गई थी तथा यह किन राज्यों में शुरू की गई थी ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अब तक स्व-नियोजन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है तथा प्रत्येक राज्य में कितने युवकों को प्रशिक्षित किया गया है ; और

(ग) स्व-नियोजन योजना के अधीन अब तक कितने व्यक्ति काम पर लग गए हैं ;

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना देश के सभी राज्यों में 15 अगस्त, 1979 को शुरू की गई थी । प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं की संख्या और स्वनियोजित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है।

विवरण

ट्राइसेम के अन्तर्गत उपलब्धियों की प्रगति

(18-3-83 तक की स्थिति)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1979-80		1980-71		1981-82		1982-83 (अप्रैल से सितम्बर, 1982 तक)		
		प्रशिक्षित	स्वनियोजित	प्रशिक्षित	स्वनियोजित	प्रशिक्षित	स्वनियोजित	प्रशिक्षित	प्रशिक्षणाधीन	स्वनियोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	426	134	14237	6551	6222	4479	असूचित	असूचित	अनुसूचित
2.	असम	शून्य	शून्य	816	116	4253	1049	2153	3452	1174
3.	बिहार	255	87	3164	1726	16854	3283	1393xx	4268xx	898xx
4.	गुजरात	40	शून्य	14600	3900	5693	7679	6338	4137	2227
5.	हरियाणा	1562	232	4066	1928	1386	371	575xx	825xx	19xx
6.	हिमाचल प्रदेश	246	81	1818	614	1835	1331	1465	2181	1129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	जम्मू तथा कश्मीर	422	50	723	156	1836xx	315xx	असूचित	असूचित	असूचित
8.	कर्नाटक	2304	1163	5014	1335	4487	2862	2814	3196	1371
9.	केरल	182	106	1707	409	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
10.	मध्य प्रदेश	339	41	8626	1727	21135	8396	5119	3637	3344
11.	महाराष्ट्र	6282	असूचित	5578	1201	8932	4082	2486xx	1432xx	295xx
12.	मणिपुर	75	43	562	34	112	482	असूचित	असूचित	असूचित
13.	मेघालय	शून्य	शून्य	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	शून्यxx	शून्यxx	शून्यxx
14.	नागालैंड	61	असूचित	105	असूचित	465	असूचित	170	50	85
15.	उड़ीसा	832	320	3470	791	4934	1128	3063	4163	602
16.	पंजाब	675	675	1880	891	8971	2891	7803	10875	4364
17.	राजस्थान	2548	390	8160	3363	21318	9340	11594	10217	6825
18.	सिक्किम	25	20	शून्य	शून्य	10	10	20xx	46xx	40xx
19.	तमिलनाडु	17560	9334	16297	9555	38771	21145	21569	20927	54205
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	1409	686	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
21.	उत्तर प्रदेश	6096	1052	29619	10274	27925	12700	9181	9065	5912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	396	200	1271	267	असूचित	असूचित	असूचित
	केन्द्र शासित क्षेत्र									
23.	अन्डेमान तथा निकोबार दीप समूह	शून्य	शून्य	14	1	15	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	16	3	असूचित	3	असूचित	असूचित	असूचित
25.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	31	असूचित	40	40	असूचित	असूचित	असूचित
26.	दादरा तथा नगर हवेली	कार्यान्वित नहीं किया गया		कार्यान्वित नहीं किया गया		शून्य	शून्य	48x	26xx	11xx
27.	दिल्ली	66	5	233	53	88	73	41	140	2
28.	गोवा दमन तथा दीव	कार्यान्वित नहीं किया गया		42	22	2785	644	74xx	1849xx	992xx
29.	लक्षद्वीप	कार्यान्वित नहीं किया गया		कार्यान्वित नहीं किया गया		कार्यान्वित नहीं किया गया		असूचित	असूचित	असूचित
30.	मिजोरम	यथोपरि		यथोपरि		यथोपरि		असूचित	असूचित	असूचित
31.	पांडिचेरी	188	शून्य	13	59	6	5	शून्यx	शून्यxx	शून्यxx
	अखिल भारत	40,184	13,735	1,22,596	45,494	1,79,044	82,571	75,904	80,486	43,485

x नवम्बर, 1981 की स्थिति

xxअप्रैल से जून, 1982 की स्थिति

स्कूलों में छात्र-संसद से लाभ

319. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **संसदीय कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में (अब तक) विभिन्न विद्यालयों में "छात्र संसद" आयोजित करने पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) विद्यार्थियों को इस योजना से किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है ;

(ग) इस योजना के मुख्यतः बड़े शहरों या उनके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहने और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक इसके नहीं पहुंचने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र (आदिवासी या जनजाति) भी इस योजना का लाभ उठा सकें ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) संसदीय कार्य विभाग द्वारा विभिन्न विद्यालयों में चालू वर्ष के दौरान छात्र संसद (अब युवा संसद) के आयोजन में किया गया कुल खर्च नीचे दिया गया है :—

(1) वार्षिक पुरुष्कार वितरण समारोह		रु० 14,888-50
(2) संसद सदस्यों/भूतपूर्व संसद सदस्यों को जिन्होंने निर्णायक का कार्य किया, दैनिक भत्ता	...	रु० 1,910-00
(3) तमिलनाडु राज्य को दिया अनुदान		रु० 1,000-00
		जोड़ : रु० 17,798-50

(ख) यह योजना विद्यार्थियों में अनुशासन की स्वस्थ आदतों को डालती है, उनमें अपने-आप में आत्म-विश्वास को आत्म-अभिव्यक्ति पैदा करती है, एक दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णुता के साथ-साथ विद्यार्थी समुदाय को संसद के कार्यचालन, उसके प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देती है यह उनमें नेतृत्व के गुणों के विकास में भी सहायक होती है।

(ग) यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वह इस योजना को अपने-अपने राज्य में लागू करें और फैलाएं। राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समय-समय पर लिखा गया है। क्योंकि यह नई योजना है इसलिए राज्य सरकारों ने प्रारम्भ में इसे केवल बड़े शहरों में ही लागू किया है।

(घ) संसदीय कार्य विभाग ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना को अपने-अपने राज्य में लागू करने के लिए समय-समय पर जोर दिया है।

एशियाड के लिए आयात की गई सामग्री

320. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम एशियाड के लिए देश के बाहर से कुल कितने मूल्य की सामग्री का आयात किया गया ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

नवम एशियाई खेल, 1982 के लिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला तथा नवम एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति (वि० आ० स०) के माध्यम से 390.33 लाख रुपए की लागत के उपस्कर तथा सामग्री आयात की गई थी।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा, मादक औषधि परीक्षण तथा नारीत्व परीक्षण सम्बन्धी वस्तुओं के आयात पर 7.68 लाख रुपये का खर्च किया गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में समारोह सम्बन्धी ज्योति, पुंजप्रकाश तथा श्रव्य संचार प्रणाली सम्बन्धी वस्तुओं के आयात पर 49.02 लाख रुपए की राशि खर्च की।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम में दोहरे विभागीकरण से सम्बन्धित वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में 49.87 लाख रुपए की धनराशि खर्च की तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने, तालकटोरा तरणताल में जन सम्बोधन प्रणाली के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा में 7.81 लाख रुपए खर्च किए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे की राशि की किस्तों पर ब्याज लिया जाना

****321. श्री गुलशेर अहमद** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिरण द्वारा पट्टे की राशि की अधिक समय से देय हो चुकी ब्याज की मांग की जा रही है हांलाकि पट्टे के दस्तावेजों मे देरी से की जाने वाली अदायगियों पर ब्याज की अदायगी के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है और मांग का नोटिस न भेजे जाने का उत्तरदायित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण का है ;

(ख) यदि हां, तो पट्टाधारियों को होने वाली अनुचित दिक्कत को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार "लीज—होल्ड प्लाटों" को "फ्री होल्ड प्लाटों" में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और यदि हां ; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पट्टा धारियों से पट्टा राशि की अदायगी हेतु स्थानीय चैक स्वीकार करना भी बन्द कर दिया है, और पट्टाधारियों द्वारा भेजे गए इस प्रकार के चैक उसको वापस भेजे जा रहे हैं, और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और उसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जहाँ पट्टाविलेख में पट्टा की राशि लेने की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पट्टा राशि पर किसी ब्याज की मांग नहीं की जाती है । तथापि जहां पट्टाविलेख में यह व्ययस्था की गई है कि विशेष तिथियों अर्थात् प्रत्येक वर्ष जनवरी के 15 वें दिन तथा जुलाई के 15 वें दिन अग्रिम रूप से भूमि किराया देय होता है वहां चाहें उसकी मांग की गयी हो या नहीं, ब्याज वसूल किया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि क्या दिल्ली में रिहायशी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पट्टाधिकार प्रणाली को समाप्त किया जाय या उसमें उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाय । क्योंकि कोई अन्तिम निर्णय नही लिया गया है इसलिए इस स्तर पर विवरण देना सम्भव नहीं है ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पट्टा राशि के भुगतान के लिए पट्टाधारियों से प्राप्त चैकों को आमतौर पर वापस नहीं किया जाता है अपितु उन्हें स्वीकार किया जाता है ।

दक्षिण दिल्ली में निर्माणधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण का काम्पलेक्स

*322. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण 23 मंजिला विकास मीनार स्थिति अपने कार्यालय को स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से दक्षिण दिल्ली में एक नए काम्पलेक्स का निर्माण कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का उद्देश्य इस गगनचुम्बी भवन को अधिक उद्देश्य पूर्ण उपयोग के लिए प्रयोग करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे खर्चीले उद्यम में लिप्त होने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके द्वारा दक्षिण दिल्ली में कार्यालय स्थान की अपनी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास मीनार का उपयोग करता रहेगा।

खाद्यान्नों का निर्यात

*323. **श्री के० रक्कप्पा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1983 के दौरान किन्हीं खाद्यान्नों का निर्यात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 के लिए खाद्यान्नों का निर्यात करने विषयक नीति की अभी घोषणा की जानी है। वर्ष 1982-83 के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, खुले-सामान्य-लाइसेंस पर बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। गैर-बासमती चावल वाणिज्यिक निर्यात करने पर प्रतिबन्ध है। सरकार के वायदों को निभाने के लिए गैर-बासमती चावल की सीमित मात्रा का सरकार से सरकार के आधार पर निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

दिल्ली में पानी की टंकी का गिरना

*324. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** :

श्री राम विलास पासवान : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में 100 फुट ऊंची पानी की एक टंकी अपनी परीक्षण अवधि में ही गिर गई गई थी ;

(ख) हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली जलपूर्ति एवं मल-व्ययन संस्थान के अनुसार, 300,000 गैलन की क्षमता वाली ऊपरी टंकी 24-2-1983 को जलीय परीक्षण के दौरान गिर गई थी। टंकी की ऊंचाई 65 फुट थी और गहराई 22 फुट थी। टंकी को गुम्बज से ढका गया था

ठेका करार के मुताबिक, ठेकेदार ढांचे के संरचनीय टिकाउपन और सुरक्षा के लिए उत्तर-दायी था।

(ग) जैसा कि दिल्ली जलपूर्ति एवंमल व्ययन संस्थान द्वारा बताया गया है दिल्ली नगर निगम के मुख्य इंजीनियर-II श्री बी०बी नन्दा द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

"टिसको" को जमीन का स्वामित्व बहाल करने के बारे में बिहार सरकार का विधान

*325. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिसको) को जमीन का स्वामित्व बहाल करने के बारे में बिहारी सरकार के विधान संबंधी दिनांक 21 फरवरी, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा वित्तीय खर्च का हिसाब लगा लिया गया है और पूछे गए प्रश्नों को स्पष्टीकरण केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या तत्पश्चात उक्त विधेयक के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है, बाधाओं हानियों की परिगणना कर ली गई है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने से इन्कार कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) बिहार सरकार से बिधेयक के सम्भावित वित्तीय खर्च के बारे में कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि के बन्दो-बस्त की टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी (टिस्को) के साथ पट्टे में परिवर्तित करने के सम्भावित लाभों, राज्य के पट्टाधारियों को दी जाने वाली प्रस्तावित सुरक्षा के स्वरूप आदि के बारे में कुछेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। विधेयक पर निर्णय सभी सम्बद्ध मुद्दों की जांच किए जाने के पश्चात लिया जाएगा।

नगरीय आयोजना तथा विकास के लिए संगठन

*326. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री बी० वी० देसाई : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय नगरीय आयोजना तथा विकास संगठन की यह जांच करने के लिए पुनरीक्षा करने पर विचार कर रहा है कि क्या संगठन में संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है ;

(ख) क्या हाल में नई दिल्ली में नगरीय आयोजना तथा विकास संगठन पर नवम्बर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी ;

(ग) क्या स्थानीय सरकारों तथा नगर विकास संगठनों के सभी प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया था ; और

(घ) नगरीय आयोजना के विकास के लिए क्या निर्णय लिए गए थे ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नगरीय विकास तथा आयोजना राज्य क्षेत्र के विषय हैं। तथापि निर्माण और आवास मंत्रालय ने शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली को नगरीय अधसंरचना के विकास तथा अनुरक्षण हेतु व्यवहार्य संगठनात्मक पद्धति विकसित करने की दृष्टि से वर्तमान नगरीय विकास अभिकरणों में से कुछेक की कार्यप्रणाली की जांच करने के ध्येय से अध्ययन सौंपा है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। संस्थान ने राज्यों तथा स्थानीय अभिकरणों के चुनिन्दा प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था।

(घ) संस्थान द्वारा अध्ययन की अन्तिम सिफारिशें सरकार को शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना है।

नेपाल का गेहूं और चावल की तस्करी

*327. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से होकर नेपाल और चीन को चावल और गेहूं की तस्करी की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं से की जाने वाली इस तस्करी की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि गोरखपुर क्षेत्र के

सीमावर्ती जिलों से नेपाल को चावल और धान की तस्करी की जा रही है। इस संबंध में बिहार सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) जिन राज्यों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से उन राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने प्रशासनिक तंत्र को संशक्त करें और अन्य प्रभावकारी उपाय करें। उनको यह भी परामर्श दिया गया है कि वे तस्करों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक और निवारण कार्रवाई करें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने क्रय कर प्राधिकारियों और क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों को सचेत किया है और उन्हें सतर्क रहने के निदेश दिए हैं बिहार सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थिति अपनी चौकियों को सचेत किया है और उन्हें अनुदेश दिए हैं कि वे ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए चौकस रहें।

रावी-व्यास के पानी पर अकाली प्रस्ताव

3493. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1983 को 'स्टेट्समैन, में अकाली मूव-आन रावी-व्यास पेक्ट वरीज राजस्थान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में पहले से ही पानी और बिजली की कमी है और अकाली प्रस्ताव से स्थिति और भी खराब हो जाने की संभावना है ; और

(ग) राजस्थान के हित की रक्षा के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रावी व्यास के अधिशेष जल के सम्बन्ध में वर्तमान करारों की कोई पुनरीक्षा करते समय रास्थान सहित, सम्बन्धित राज्यों से परामर्श किया जाएगा।

मेरीडियन होटल, नई दिल्ली

3494. **डा० वसन्त कुमार पंडित** :

श्री रतन सिंह राजदा : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरीडियन होटल परियोजना में एक विपणन केन्द्र और कार्यालय का पलेक्स होगा, यदि हां, तो प्रत्येक कितने वर्गमीटर में होगा ;

(ख) कार्यालय और विपटन केन्द्र बनाने के बारे में नई दिल्ली नगर पालिका के साथ क्या शर्तें हैं ;

(ग) दुकानों और कार्यालयों के कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है, क्या उन्हें पट्टे पर अथवा किराये पर दिया जाएगा ; और

(घ) दुकानों और कार्यालय काम्पलेक्स के लिए कितनी राशि एकत्र की गई है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि होटल मालिक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा पालिका द्वारा अनुमोदित भवन नक्शों में कोई विपणन और कार्यालय परिसर नहीं दिखाया गया है परन्तु मैजनीन फ्लोर पर दुकानों का प्रस्ताव किया गया है जिसका क्षेत्रफल 1734.86 वर्ग मी० है ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० जो अब सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लि० है, के साथ किए गए लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारी एक पांच तारा श्रेणी का होटल बनाएगा जिसमें विपणन केन्द्र सहित सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ अतिथियों के लिए लगभग 350-400 सुसज्जित कमरे होंगे ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि ऊपर बताये गए लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार किसी भी हालत में 31 दिसम्बर, 1984 तक होटल भवन का निर्माण तथा उसे चालू किया जाना है और कि लाइसेंस करार में होटल के किसी भी हिस्से को पट्टे या किराये पर देने की कोई शर्त नहीं है । तथापि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा होटल मालिक के साथ किए गए लाइसेंस करार में एक प्रावधान यह है कि लाइसेंस करार के उपबन्धों की शर्त पर वे अन्य बातों के साथ-साथ विपणन केन्द्र, बैंक, कार्यालय (विपणन केन्द्र के भीतर) चलाने के लिए लाइसेंस की अवधि के भीतर उप-लाइसेंस दे सकते हैं ।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है ।

सौर ऊर्जा द्वारा उठाऊ सिंचाई कार्य का निष्पादन

3495. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में सौर ऊर्जा द्वारा उठाऊ सिंचाई कार्य निष्पादित करने हेतु प्रयोग किए गए ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां ऐसे तजुर्बे किए गए हैं ;

(ग) ऐसे तजुर्बे करने में केन्द्र द्वारा क्या सहायता दी गई है । अथवा दिये जाने का विचार है ; और

(घ) इस तजुर्बे से क्या सफलता मिली है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) लघु सिंचाई तथा पेय जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल को ऊपर उठाने के वास्ते और ऊर्जा के उपयोग के सम्बन्ध में प्रदर्शन तथा क्षेत्रीय परीक्षण, केन्द्र के अपरम्परागत ऊर्जा साधन विभाग द्वारा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा दिल्ली और मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्रों में 70 पम्प प्रतिष्ठापित किए गए हैं । इसके अलावा, ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों संबंधी आयोग द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, अनेक राज्य सरकारों को इमदादी कीमत पर भी पम्प सप्लाई किए गए हैं । यह देखा गया है कि ये पम्प 5 से 8 मीटर के समग्र शीर्ष पर अच्छी तरह धूप की स्थितियों के अन्तर्गत, औसतन 30,000 से 40,000 लिटर जल, प्रतिदिन उठाने में सक्षम हैं । पम्पों का नियमित रूप से रख-रखाव किए जाने पर इनका कार्य अब तक सामान्यत: सन्तोषप्रद पाया गया है ।

सिंचाई मंत्रालय ने भी छठी योजना, 1980-85 के दौरान, सौर पम्पों, पवन चक्कियों, हाइड्रामों और छिडकाव यंत्रों इत्यादि, के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरम्भ की है । इस स्कीम के अन्तर्गत, जल उठाने वाले इन यत्रों के लिए लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए 50 से लेकर 75 प्रतिशत तक और अन्य व्यक्तियों के लिए 20 से 33 1/3 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाएगी । आर्थिक सहायता, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर हिस्से में बांटी जाएगी ।

किसानों और श्रमिकों को उदार शर्तों पर ऋण

3496. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों और राज्य सरकार के बैंकों को किसानों और श्रमिकों को उदार शर्तों पर ऋण देने के लिए बार-बार परामर्श दिया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखाएं ऋण की किश्तों की वसूली के लिए, जो अक्तूबर और नवम्बर के महीने में देय हो जाती हैं, किसानों और श्रमिकों को नोटिस जारी करती है, जबकि उस समय उन लोगों के पास किश्तों की अदायगी के लिए कोई पैसा नहीं होता और किसानों को बार-बार बैंक कार्यालयों में बुलाया जाता है और किसानों से कुछ धनराशि ऐंठने के बाद ही किश्तों की अदायगी फसल की कटाई तक स्थगित कर दी जाती है और इस प्रकार किसानों का शोषण किया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करेगी कि ऋण की किश्तों की वसूली फसल की कटाई के समय ही की जाए ;

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक कृषि क्षेत्र के कमजोर वर्गों को उदार शर्तों पर ऋण देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों को सलाह देता है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के देय होने पर देय धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए ऋण लेने वाले व्यक्तियों को नोटिस जारी करता है। इसके बाद ऋण की किश्तों की अदायगी के लिए स्मरण पत्र जारी किए जाते हैं। चिरकालिक चूककर्ताओं के मामले में उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस भेजे जाते हैं। जब खरीफ और रबी की फसलें मंडी में आ जाती हैं तब किस्तें क्रमशः 1 अक्तूबर अथवा 1 अप्रैल को देय हो जाती हैं। ऋण की किश्तों की अदाएगी में मोहलत के लिए ऋण लेने वाले व्यक्तियों से पैसा नहीं ऐंठा जाता है। तत्परता से अदायगी करने के लिए माफी की अवधि मंजूर की जाती है और प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के लिए प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं

3497. **श्री लक्ष्मण वर्मा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 1980 से लेकर आज तक कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, उनके नाम क्या हैं और ये परियोजनाएं कौन सी नदियों पर बनाई गई हैं और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(ख) प्रत्येक परियोजना से कितने एकड़ भूमि पर सिंचाई हो रही है और राष्ट्रीय प्रतिशत की तुलना में मध्य प्रदेश में सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र की प्रतिशतता क्या है और उन नदियों के नाम क्या हैं, जिन पर परियोजनाएं बनाने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 1980 से आज तक, योजना आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की तीन बृहद सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई है इन परियोजनाओं के नामों, नदियों के नाम जिन पर ये निर्मित की जा रही हैं, उनकी अनुमानित लागत तथा लाभों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

1978-79 के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार, 26.56 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत की तुलना में, मध्य प्रदेश में निबल सिंचित क्षेत्र से निबल बुआई क्षेत्र का प्रतिशत 12.23 है।

मध्य प्रदेश सरकार सिंध नदी, नर्मदा,-तापीमहानदी, माही, गोदावरी इत्यादि के नदी बेसिनों में नयी बृहद परियोजनाओं का निर्माण करने पर विचार कर रही है ।

विवरण

करोड़ रुपये/हजार हैक्टेयर

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नदी	अद्यतन अनुमानित लागत	अन्ततः सृजनीय सिचाई क्षमता
1.	हंसदेव बांगो परियोजना	हसदेव (महानदी की एक सहायक नदी)	352.96	255.0 (629.85 हजार एकड़)
2.	राजघाट बांध परियोजना (मध्य प्रदेश का भाग)	बेतला (यमुना बेसिन)	61.61	97.1 (239.88 हजार एकड़)
3.	हलाली सिचाई परियोजना	हलाली (बेतला की एक सहायक नदी)	13.06	37.2 (91.88 हजार एकड़)

सहकारी गृह निर्माण समितियों केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सदस्यों को ऋण दिया जाना

3498. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समिति के सरकारी कर्मचारी सदस्यों को ऋण नहीं देती है और वित्तीय संस्थान उन्हें इस शत पर ऋण देते हैं कि वे कुल निर्माण लागत की कम से कम एक तिहायी/एक चौथाई राशि पहले जमा कर दे और उसके बाद ही उन्हें ऋण दिया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने पास से 30,000 या 40,000 रुपये एकत्र करने की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कम ब्याज की दर पर उन्हें मकान की पूर्ण लागत के बराबर ऋण देगी जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के मामले में कर्मचारियों को कम ब्याज की दर पर फ्लैटस की कुल लागत के बराबरा ऋण दिया जाता है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) सरकार ने उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो सहकारी ग्रुप आवास समितियों के सदस्य हैं यह निर्माण अग्रिम देने का निर्णय किया है। इस अग्रिम की राशि कर्मचारी के 75 महीनों के वेतन या 70,000 रुपये या उसकी वापस भुगतान की क्षमता या फ्लैट की लागत इनमें से जो भी कम हो, होगी। इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

चीनी का उत्पादन और निर्यात

3499. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने के चालू पिराई मौसम में देश में 84.35 मिलियन टन सफेद रवेदार चीनी का उत्पादन होने की आशा है जिससे हमारा देश ब्राजील और क्यूबा के रिकार्डों को पीछे छोड़कर दुनियां में सब से बड़ा चीनी उत्पादक देश के रूप में उभरेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या फालतू चीनी का निर्यात एक ऐसे मूल्य पर किया जा रहा है जिससे इसकी उत्पादन लागत भी पूरी नहीं होती ; और

(ग) यूरोप और उत्तर अमेरिका के देशों में चीनी के निर्यात से वस्तुतः कितनी हानि होगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारत में 84 लाख मी० टन सफेद चीनी का उत्पादन होने से भारत अब सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। वर्तमान वर्ष अर्थात 1982-83 के दौरान भारत में 80 लाख मी० टन सफेद चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) 1983 के प्रति अभी कोई निर्यात शुरू नहीं किया गया है।

(ग) यदि यूरोप और उत्तरी अमेरिका को कोई मात्रा निर्यात की जाती है तब वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर 1275 रु० प्रति० मीट्रिक टन की निवल हानि होने का अनुमान है।

तथापि, यदि यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित किए गए कोटे के प्रति यूरोप संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं उस दशा में निवल हानि कम होगी क्योंकि कोटों के लिए निर्धारित किए गए मूल्य सामान्यतया अधिक होते हैं।

पटना में तरणताल

3500. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने पटना में तरणताल के निर्माण हेतु कुछ अनुदान दिया है और यदि हां,

तो इस तरणताल के निर्माण में क्या कठिनाइयां हैं और इसका निर्माण कब पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या 1983 के अन्त तक, जब अफ्रीकी-एशियाई प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया गया है, पटना में तरणताल का निर्माण पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास खेल मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) बिहार सरकार को राजेन्द्र नगर, पटना में मोइनुल हक स्टेडियम में एक तरणताल के निर्माण पर व्यय के कुछ भाग को पूरा करने हेतु मार्च, 1982 में 1,00,000 रु० का अनुदान संस्वीकृत किया गया था । बिहार सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, परियोजना को पूरा किए जाने की अपेक्षित अवधि तीन वर्ष थी । राज्य सरकार ने अब बताया है कि तरणताल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने हेतु वे आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने की स्थित में नहीं हैं ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3501. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की देखरेख के पहले से दिए गए काम के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयय की देखरेख करने का काम दिया गया हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न ग्रामीण संघटन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए विभिन्न राज्यों को धनराशि दी है ;

(ग) यदि हां तो 1982-83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत की गई धनराशि के बारे में क्या ब्यौरा है और

(घ) उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 1982-83 में किए गए कार्य के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) जी हां । 1982-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को बंटित निधियों को दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है ।

(ग) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय अंश के रूप में 10.34 करोड़ रुपए की धनराशि बंटित की गई है ।

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान जैसा कि अब तक सूचित किया गया है इस कायंक्रम के अन्तर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला **विवरण-2 संलग्न है** ।

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को बटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण ।

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बंटित धनराशि	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बंटित धनराशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	989.00	1983.00
2.	असम	6.00	200.00
3.	बिहार	1174.00	2540.00
4.	गुजरात	394.00	590.00
5.	हरियाणा	347.00	160.00
6.	हिमाचल प्रदेश	198.00	120.00
7.	जम्मू और काश्मीर	122.00	152.00
8.	कर्नाटक	513.00	1300.00
9.	केरल	481.270	804.00
10.	मध्य प्रदेश	1047.22	1704.60
11.	महाराष्ट्र	638.00	1419.20
12.	मणिपुर	52.00	10.00
13.	मेघालय	—	10.00
14.	नागालैंड	—	10.00
15.	उड़ीसा	652.00	865.00

1	2	3	4
16.	पंजाब	461.64	2 6.00
17.	राजस्थान	613.00	466.20
18.	सिक्किम	8.00	16.00
19.	तमिलनाडु	1435.55	1960.00
20.	त्रिपुरा	68.00	60.00
21.	उत्तर प्रदेश	2130.00	3448.30
22.	पश्चिम बंगाल	307.00	1414.00
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5.00	20.97
24.	अरुणाचल प्रदेश	192.00	—
25.	चण्डीगढ़	—	4.00
26.	दादरा और नगर हवेली	4.00	8.00
27.	दिल्ली	40.00	4.00
28.	गोवा दमन और दीव	96.00	32.00
29.	मिजोरम	80.00	32.00
30.	लक्ष्यद्वीप	20.00	32.00
31.	पाण्डिचेरी	16.00	19.97
	योग	12183.195*	19622.46

*इसमें राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा तथा अरुणाचल प्रदेश को खण्ड प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए 91.865 लाख रुपए की बंटित धनराशि (राजस्थान 55 लाख, गुजरात 26.50 लाख रुपये, उड़ीसा 9.215 लाख रुपए, अरुणाचल प्रदेश 1.15 लाख रुपये तथा अरुणाचल प्रदेश में निगरानी कक्ष को मजबूत बनाने के लिए 0.65 लाख रुपए की धनराशि भी शामिल है।

विवरण-2

1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में सृजित वास्तविक परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम संख्या	निर्माण कार्यों की मदें	1982-83 (सितम्बर 82 तक)
1.	वनरोपण/सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	5499
2.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पेयजल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, सामूहिक आवास आदि	683
3.	ग्रामीण तालाबों का निर्माण (संख्या)	1036
4.	लघु सिंचाई कार्यों, बाढ़ बचाव कार्यों आदि के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र (हैक्टेयर)	2669
5.	भू तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र (हैक्टेयर)	4808
6.	सुधारी गई निर्मित ग्रामीण सड़कें	5968
7.	निर्मित विद्यालय तथा बालवाडी भवन/ पंचायत घर आदि (संख्या)	1880*
8.	अन्य निर्माण कार्य	378

*विद्यमान भवनों का सुधार तथा नया निर्माण कार्य ।

सब्जियों के मूल्य में वृद्धि

3502. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि शहरों में दिन-प्रति दिन सब्जियों के मूल्य बढ़ रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या का कोई हल निकाला है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सब्जियों के दामों में भिन्नता किसी विशेष मण्डी में आपूर्ति और मांग की स्थिति पर निर्भर करती है। सरकार सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय कर रही है जो ये हैं :—बीजों की आपूर्ति, उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं और अन्य आदानों की पर्याप्त उपलब्धि। उत्पादकों को सब्जियां उगाने की नवीनतम तकनीकों के बारे में सलाह भी दी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी उत्पादन और कटाई के बाद की प्रोद्योगिकी के संम्बद्ध में अनुसंधान कार्य में जुटी हुई है।

उत्तर प्रदेश में केसरी दाल की खेती प्रतिबंध

3503. **श्री जैनुल बशर** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने केसरी दाल की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है, और

(ख) यदि हां, तो नकदी फसल के रूप में केसरी दाल की खेती करने वाले किसानों की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक को सहायता से राज्यों में नलकूप लगाना

3504. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में नलकूप लगाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से धनराशि का आबंटन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य के लिए उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ग) उक्त अवधि में उड़ीसा राज्य में कितने नलकूप लगाये गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों के प्रतिष्ठापन का कार्य सम्पूर्णतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्यों में नलकूप प्रतिष्ठापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 500 नलकूल प्रतिष्ठापित करने के लिए एक परियोजना अप्रैल, 1980 में आरम्भ की है। इस परियोजना को मार्च, 83 के अन्य तक पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित राशि

3505. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) इसमें से वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) अद्यतन कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों को वर्ष 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के अंश सहित आबंटित निधियों, इन आबंटनों में से किए गए व्यय तथा प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में सृजित हुए रोजगार को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई नकद निधियों तथा उपयोग में लाई गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	1982-83 के लिए आबंटित राज्य के अंश सहित बंटित नकद निधियां ।	उपयोग में लाई गई नकद निधियां	अवधि जिससे कालम (4) की सूचना संबंधित है	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिनों में)	वह अवधि जिससे कालम (6) की सूचना संबंधित है ।
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	3966.00	2460.43	दिसम्बर, 82	314.26	फरवरी, 83
2.	असम	800.00	157.14	दिसम्बर, 82	15.24	दिसम्बर, 83
3.	बिहार	5080.00	3287.82	फरवरी, 83	337.04	15 फरवरी, 83
4.	गुजरात	1480-00	1374.95	फरवरी, 83	178.17	फरवरी, 83
5.	हरियाणा	320.00	176.14	दिसम्बर, 82	9.11	फरवरी, 83
6.	हिमाचल प्रदेश	240.00	129.90	सक्तूबर, 82	23.17	फरवरी, 83
7.	जम्मू तथा काश्मीर	320.00	116.17	जनवरी, 83	10.90	दिसम्बर, 82
8.	कर्नाटक	1748.00	1977.14	जनवरी, 83	240.19	फरवरी, 83
9.	केरल	1694.00	517.19	अक्तूबर, 82	869.45	फरवरी, 83

1	2	3	4	5	6	7
10.	मध्य प्रदेश	2780.00	1604.26	दिसम्बर, 82	178.91	फरवरी, 83
11.	महाराष्ट्र	2996.00	1353.00	दिसम्बर, 82	186.42	फरवरी, 83
12.	मणिपुर	40.00	17.22	दिसम्बर, 82	1.87	फरवरी, 83
13.	मेघालय	40.00	8.87	जुलाई, 82	2.28	दिसम्बर,82
14.	नागालैंड	40.00	10.12	दिसम्बर, 82	1.40	दिसम्बर,82
15.	उड़ीसा	1730.00	893.32	दिसम्बर, 82	145.14	फरवरी, 83
16.	पंजाब	532.00	325.38	फरवरी, 83	20.45	फरवरी, 83
17.	राजस्थान	984.00	439.24	नवम्बर, 82	42.86	दिसम्बर, 82
18.	सिक्किम	32.00	16.99	फरवरी, 83	1.78	दिसम्बर, 82
19.	तमिलनाडु	3120.00	3064.83	जनवरी, 83	407.38	फरवरी, 83
20.	त्रिपुरा	120.00	52.30	सितम्बर, 82	11.21	दिसम्बर, 82
21.	उत्तर प्रदेश	7026.00	3476.69	15 फरवरी, 83	249.13	दिसम्बर, 82
22.	पश्चिम बंगाल	2828.00	613.00	दिसम्बर, 82	289.03	दिसम्बर, 82
	केन्द्र शासित क्षेत्र					
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	32.00	7.63	नवम्बर, 82	2.65	फरवरी, 83
24.	अरुणाचल प्रदेश	28.00	3.45	दिसम्बर, 82	0.43	जनवरी, 83
25.	चंडीगढ़	8.00	शून्य	अगस्त, 82	0.01	फरवरी, 83
26.	दादर व नगर हवेली	16.00	शून्य	सितम्बर, 82	असूचित	—
27.	दिल्ली	4.00	—	—	असूचित	

1	2	3	4	5	6	7
28.	गोवा, दमन तथा दिव	32.00	10.33	फरवरी, 83	0.72	फरवरी, 83
29	लक्षद्वीप	8.00	0.66	दिसम्बर,82	0.10	जनवरी, 83
30.	मिजोरम	32.00	20.40	अक्तूबर,82	5.11	जनवरी, 83
31.	पांडिचेरी	32.00	13.66	दिसम्बर,82	1.39	फरवरी, 83
	योग	37808.00	24128.23		2745.80	

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात को आबंटित खाद्यान्न

3506. **श्री नवीन रावणी :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात को गेहूं और चावल की पृथक-पृथक कितनी मात्रा (एक) आबंटित की गई और (दो) वास्तव में सप्लाई की गई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किए काम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) अक्तूबर, 1980 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने ले लिया है। 1982-1983 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सरकार को 8426 मीटरी टन गेहूं की कुल मात्रा बंटित की गई है। अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 6100 मीटरी टन गेहूं की मात्रा उठा ली है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार आवश्यकताओं के अनुसार तथा स्थानीय संस्थाओं के निकट सहयोग, जिसमें कार्यक्रम में जनता का सहयोग भी शामिल है, से एक योजना कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक मार्ग निर्देशक सिद्धांत जारी किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात राज्य में सृजित भौतिक परिसम्पतियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	निर्माण कार्यों की मदें	1982-83 (दिसम्बर, 1982 तक)
1.	वनरोपण/सामाजिक वाणिकी के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	2968
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पेय जल कुएं, सामुदायिक सिंचाई के कुएं, सामूहिक आवास तथा भूमि विकास (संख्या)	6620*

1	2	3
3.	गांव के तालाबों का निर्माण (संख्या)	51*
4.	लघु सिंचाई कार्य, बाढ़ बचावं कार्य आदि के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	190*
5.	भूमि तथा जल संरक्षण तथा भूमि सुधार आदि कार्यों के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	3488
6.	निर्मित ग्रामीण सड़कें (किलोमीटर में)	19:0*
7.	निर्मित स्कूल तथा बालबाड़ी भवन/ पंचायत घर (संख्या)	32
8.	अन्य निर्माण कार्य (संख्या)	55*

*इनमें से कुछ कार्य अभी भी प्रगति पर हैं।

बिहार के पर्वतीय क्षेत्रों में काजू उगाने की संभावनाएं

3507. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि बिहार के धनवाद जिले के बिराजपुर पहाड़ी क्षेत्रों में काजू वृक्षारोपण होता है और इससे यह पता चलता है कि इस बहुमूल्य नकद फसल को छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में उगाने की बहुत अच्छी संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार जनजाति समाज में आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु इस पहाड़ी क्षेत्र में काजू उगाने के लिए विशेष कार्यवाही करेगी ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में संयुक्त उद्यम के लिए विदेशी कम्पनियों से प्रस्ताव

3508. **श्री डी० पी० जवेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में संयुक्त उद्यम के लिए विदेशी कम्पनियों से कोई प्रस्ताव् प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है और उनकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। कृषि मन्त्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

छठी योजना अवधि में भण्डारण क्षमता को कम करना

3509. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के लिए खाद्यान्न भंडारण क्षमता का लक्ष्य कम कर दिया गया है ;

(ख) क्या कार्यक्रम के अपने हाल के मध्यावधि मूल्यांकन में कृषि मन्त्रालय ने गोदाम क्षमता लक्ष्य को पहले के 76.85 लाख टन की तुलना में 70.47 लाख टन निर्धारित करने का निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो खाद्य भंडारण के छठी योजना लक्ष्यों को कम करने के मुख्य कारण क्या थे ;

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कितनी भण्डारण क्षमता बनाई गई ; और

(ङ) लक्ष्य प्राप्ति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कौन सी कठिनाइयां महसूस की गई हैं उनको किस हद तक सुधारा गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) मध्यावधि मूल्यांकन करने के फलस्वरूप तथा मुख्यतया भूमि अधिग्रहण करने तथा निर्माण सामग्री की उपलब्धता में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा छठी योजना में अतिरिक्त भाण्डारण और भाण्डागारण क्षमता का निर्माण करने विषयक लक्ष्य को 76.85 लाख मीटरीटन से

घटाकर 70.47 लाख मी० टन कर दिया गया है। इन कठिनाइयों पर यथा सम्भव काबू पाने के लिए प्रयास किए का रहे हैं।

(ङ) छठी योजना (980-81 और 1981-82) के प्रथम दो वर्षों के दौरान इन एजेंसियों ने 20.79 लाख मी० टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया है। वर्ष की समाप्ति के बाद 1982-83 की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

पीतमपुरा में बरसाती पानी की नालियां

1510. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1975 में और उसके पश्चात पीतमपुरा आवासीय क्षेत्र में जनता श्रेणी, निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के लोगों को हजारों प्लाट आबंटित किए गए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश आबंटितियों के पास उनके प्लाटों पर मकान हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि यहां के निवासियों द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद बरसाती पानी की नालियां नहीं बनाई गई हैं जिससे वहां पानी जैसा हो जाता है और बने मकानों को हानि पहुंचाता है ; और

(घ) वहां पर बरसाती पानी की नालियां बनाए जाने में इतने विलम्ब के कारण क्या हैं और यह सुविधाएं वहां कब तक दे दी जाएगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्मित मकानों की क्षति की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पीतमपुरा में बरसाती पानी के नालों में पीतमपुरा, गांव पीतमपुरा और कई अनधिकृत/नियमित कालोनियों की आन्तरिक नालियां शामिल हैं। योजनाओं में शकूरपुर बस्ती के नाले को ठीक करने तथा नजफगढ़ नाले में इसे मिलाने पर विचार किया गया है। दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण विभाग जैसे विभिन्न प्राधिकरणों से परामर्श किया जाना है। इसके अतिरिक्त शकूर बस्ती नाले के किनारों पर अत्यधिक अतिक्रमण तथा समीप से रेलवे लाइन के गुजरने के कारण पर्याप्त भूमि की उपलब्धता

भी एक अड़चन है जो कि इस योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब कर रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है और दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण विभाग के परामर्श से यथाशीघ्र ही कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही कर रहा है।

देश में रोलर फ्लोर मिलें

3511. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोलर फ्लोर मिलों के मालिकों का ब्यौरा क्या है और इन मिलों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन सब मिलों पर एक छोटे से पारिवारिक ग्रुप का एकाधिकार हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रथा को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा के पटल पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

हस्तान्तरण पत्रों का जारी न किया जाना

3512. **श्री एस० एस० रामा स्वामी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में उन लोगों को फ्लैट लेने के लिए हस्तान्तरण पत्र जारी नहीं किए गए हैं जिन्हें अगस्त, 1976 में निम्न आय वर्ग योजना के अन्तर्गत फ्लैट आबंटित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप वे विशेषरूप से वे सरकारी कर्मचारी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिन्होंने ऋण लेकर फ्लैटों की कुल कीमत डी० डी० ए० को अदा कर दी थी और जिसके लिए उन्हें उन फ्लैटों को भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में गिरवी रखना था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों विशेषकर उन लोगों की संख्या कितनी है जिनसे डी० डी० ए० द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया है और अभी तक हस्तांतरण पत्र जारी नहीं किए गए हैं और ऐसे विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(ग) हस्तांतरण पत्र कब तक जारी कर दिए जाने की सम्भावना है और जनता को परेशानी से बचाने में सहायता करने के लिए डी० डी० ए० द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अधिकांश मामलों में, प्रतिहस्तान्तरण विदेशों को स्टाम्प कलैक्टर के कार्यालय से स्टाम्प लगाने के लिए या तो आबंटियों को भेजा एया है या आबंटियों से कहा जा रहा है कि वे देरी से भुगतान का ब्याज भुगतान तिथि पर देयों का भुगतान न करने का जुर्माना भूमि किराया आदि जैसे देयों का भुगतान करें ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि क्योंकि कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है, इसलिए ऐसे मामलों की संख्या देना संभव नहीं है । उन्होंने यह भी बताया है कि विलम्ब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) स्मरण पत्रों के बावजूद देयों अर्थात ब्याज प्रभार, सेवा प्रभार, भूमि किराया आदि का भुगतान न करना ;

(2) स्थान, चाहर दीवारी और आवास दर्शाते हुए फ्लैट के नक्शे तैयार करने के के लिए फ्लैटों का निरीक्षण ।

(3) स्टाम्प कलैक्टर द्वारा स्टार्पिग प्रक्रिया में परिवर्तन ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि स्टाप कलैक्टर के कार्यालय से स्टाम्प लगाने के लिए प्रति हस्तान्तरण विलेख को आबंटियों को भेजने पर लगने वाला संमय आबंटियों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के लिए गए समय पर निर्भर करेगा ।

'स्पोटक्यिाड' में भाग लेना

3513. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का विचार 1983 में मास्को में होने वाले 'स्पोटक्यिाड' में भाग लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यदि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ ऐसा प्रस्ताव करेंगे तो सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ।

विभिन्न राज्यों में यांत्रिकी कम्पोस्ट खाद संयंत्रों का प्रयोग

3514. **श्री जो० नरसिंहा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में मल/कूड़ा करकट के प्रयोग के लिए यांत्रिकी कम्पोस्ट खाद संयंत्रों के प्रयोग हेतु एक योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेष कर आन्ध्र प्रदेश में उनकी संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में उपलब्ध कूड़ा करकट/मल की कुल मात्रा का मूल्यांकन किया है, और क्या इसका अब संयंत्रों में पूर्ण उपयोग हो रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितने और संयंत्र लगाये जाने की आवश्यकता है ; और इनकी स्थापना के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) तथा (ख) : यंत्रीकृत कम्पोस्ट संयंत्र शहरी ठोस अपशिष्ट के परिसंस्करण हेतु कम्पोस्ट के उत्पादन के लिए होते हैं। खाद के स्थानीय स्रोतों के विकास के लिए प्लान योजना के अन्तर्गत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अहमदाबाद, बड़ौदा, बंगलौर, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर तथा जयपुर शहरों में ऐसे आठ संयंत्र स्थापित किए गए थे। कूड़े-करकट/जल-मल का उपयोग यंत्रीकृत कम्पोस्ट संयंत्रों द्वारा नहीं किया जाता अपितु इसके उपयोग के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पृथक योजनाएं स्वीकृत की गयीं थीं, जिनका उल्लेख किया गया है, इसमें आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है।

(ग) तथा (ख) 1978 के दौरान देश में जल-मल की संभावित उपलब्धि प्रतिदिन लगभग 8000 लाख गैलन आंकी गई थी। उपरोक्त प्लान योजना राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर देने से राज्य सरकारों को कूड़े-करकट/जल-मल की उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कहा गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	बिहार	3
3.	गुजरात	16

1	2	3
4.	हरियाणा	27
5.	केरल	3
6.	कर्नाटक	7
7.	महाराष्ट्र	25
8.	मध्य प्रदेश	17
9.	उड़ीसा	3
10.	पंजाब	66
11.	राजस्थान	6
12.	तमिलनाडु	38
13.	उत्तर प्रदेश	49
14.	हिमाचल	3
15.	दिल्ली	1
16.	पश्चिम बंगाल	1
17.	गोवा	1
18.	पांडिचेरी	1
19.	चण्डीगढ़	1
20.	जम्मू और कश्मीर	1
	योग	279

चूहों आदि पर नियंत्रण की योजना प्रारम्भ करना

3515. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसी सरकारी एजेंसियों ने चूहों आदि पर नियंत्रण की कोई योजना प्रारम्भ की थी ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या परियोजना सफलता पूर्वक पूरी हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो चूहों आदि की संख्या में कमी करने में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृन्तक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर एक अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना राष्ट्रीय स्तर पर चला रही है। भारत सरकार का खाद्य विभाग भी 'अन्न बचाओ अभियान' योजना चला रहा है जहां कि भंडारित अन्न को कृन्तक नियंत्रण करके सुरक्षित रखना आवश्यक है। भारत सरकार के कृषि विभाग का पादप सुरक्षा निदेशालय इसमें तत्परता से सहयोग कर रहा है और राज्यों के विभागों को कृन्तक नियंत्रण कार्यक्रम में सहायता दे रहा है ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत के कार्यक्रम सफलतापूर्वक जारी हैं।

(ग) कृन्तक नियंत्रण साधनों के द्वारा कृन्तकों की संख्या में हुई कमी के परिणाम को फसल में होने वाली हानि और क्रियाशील बिलों-दोनों में आई कमी को ध्यान में रखकर देखा जा सकता है। कृन्तक नियंत्रण से गेहूं में 80 प्रतिशत और सब्जियों में 62 से 90 प्रतिशत हानि को रोका गया है। बिलों की गणना के आधार पर, नियंत्रण कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप चावल, मूंगफली और रागी में क्रमशः 83, 73 और 67 प्रतिशत कृन्तकों की संख्या कम पाई गई है। ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृन्तक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना अक्तूबर, 1977 से चला रही है। प्रारम्भ में प्रायोजना तीन केन्द्रों नामतः केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर में चलाई गई। अप्रैल, 1978 में केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, केरल को भी चौथे के रूप में इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रायोजना को पुनः अगस्त, 1982 में सुदृढ़ किया गया और इसमें चार नये केन्द्र नामतः केन्द्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ; भा० कृ० अ० प० का उत्तर-पूर्वी अनुसंधान कम्पलेक्स, शिलांग ; आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर सम्मिलित किए गए। ये आठ केन्द्र देश की विशाल कृषि परिस्थितिकी के लिए कृन्तक समस्या पर कार्य कर रहे हैं। शीर्ष स्तर पर प्रशिक्षण एक दूसरा महत्वपूर्ण साधन है जहां तक कृन्तक नियंत्रण कार्यक्रम में रत राज्यों के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक 7 शीर्ष स्तर प्रशिक्षण इस प्रायोजना के अन्तर्गत आयोजित किए जा चुके हैं। खेतों की फसलों के कृन्तक अनुसंधान में विशेष ध्यान निम्नलिखित बातों पर दिया जा रहा है :

1. विभिन्न परिस्थितिकियों में कृन्तक प्रजातियों का पता लगाया और कीटों के रूप में उनका सापेक्षिक महत्व।

2. विभिन्न उपायों द्वारा कृन्तक नियंत्रण ;

3. दी जाने वाली गोलियों को खाने में संकोच को कम करना ;

4. यौन आकर्षक या अन्य ऐसे ही रसायनों का प्रयोग ;

5. व्यावहारिक अध्ययन जैसे समागम, प्रव्रजन, फसल को होने वाली हानि का रूप, संख्या का अनुमान लगाने की विधि का मूल्यांकन आदि ।

प्रायोजना के अधीन प्रत्येक केन्द्र के पास एक सामाजिक यान्त्रिकी साधन था जिसमें कृन्तक नियंत्रण अभियान के लिए पर्याप्त क्षेत्र सुना गया । इसके द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए और अनुसंधान के द्वारा त्रुटियां मिटाने के लिए निरोधक उपायों का मूल्यांकन करने के लिए भी एक आधार प्राप्त हुआ ।

अन्न बचाओ अभियान योजना, जो कि खाद्य विभाग द्वारा लागू की गई के द्वारा लोगों को विशेषकर किसानों को प्रोत्साहित करने, समझाने और शिक्षित करने का दृष्टिकोण था ताकि वे अन्न के भंडारण व संरक्षण तथा साथ ही कृन्तक नियत्रण के लिए वैज्ञानिक तकनीकें अपनायें । खाद्य विभाग के भारतीय अन्न संस्थान, हापुड़ और इसके लुधियाना, हैदराबाद, जबलपुर, जीरहाट और उदयपुर स्थिति क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा कार्यक्रम हेतु मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है । सिफारिश की गई तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में 17 अन्न बचाओ अभियान दल, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के निकट सहयोग से स्थापित किए गए हैं ।

केन्द्रीय पौध सुरक्षा, संगरोध और भण्डारण निदेशालय राज्यों को कृन्तक नियंत्रण प्रौद्योगिकी के बारे में सलाह और सर्वेक्षण व प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सहायता दे रहा है । इसके अतिरिक्त यह निदेशालय नई कृत्तक तकनीकों का क्षेत्र मूल्यांकन भी करता रहा है । विभिन्न प्रकार के फसल नाशी जीवों के लिए स्थानिक क्षेत्र योजना के अन्तर्गत निदेशालय ने राज्यों को 50 : 50 अनुपात के आधार पर, किसानों के लाभार्थ कृन्तंकनाशी दवायें भी दी हैं । निदेशालय नियमित रूप से विभिन्न राज्यों द्वारा कृन्तक नियंत्रण के अन्तर्गत लिए गए क्षेत्रों/प्रस्तावित क्षेत्रों के संबंध में आंकड़े भी एकत्र करता है ।

कृन्तक नियंत्रण में जहां तक विशेष उपलब्धि का प्रश्न है, उसकी सफलता का मूल्यांकन अधिक वास्तविक रूप में, नियंत्रण अभियानों द्वारा फसल में हुई हानि में कमी और क्रियाशील बिलों की संख्या में कमी के आधार पर किया जा सकता है । कृन्तक नियंत्रण अभियानों से प्राप्त उपलब्धियों के कुछ नवीन उदाहरण सारणी-1 और 2 में दिए गए हैं ।

सारणी-1

अनुरक्षण(नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत) और सर्वेक्षण(बिना नियंत्रण अभियान के) क्षेत्रों में कृन्तक हानि के तुलनात्मक आंकड़े

फसल	प्रतिशत हानि		प्रजातियां
	अनुरक्षण क्षेत्र	सर्वेक्षण क्षेत्र	
टमाटर	2.07	15.90	मस० स्पे० रट्टस मेलटाडा मेरिओन्स हरिएने
बैंगन	1.2	9.00	एम० हरिएने टी० इंडिका,
मिर्च	3.41	15.61	एम० हरिएने, टी० इंडिका आर० मेलटाडा
गाजर	7.03	18.52	—वही—
मूली	4.0	21.25	—वही—
शकरकन्दी	0.27	2.97	एम० हरिएने, टी० इंडिका मस० स्पे० आर० मेलटाडा
गेहूं के किल्ले (1"—6")	2.83	14.43	एम० हरिएने टी० इंडिका

सारणी-2

अल्यूमीनियम फास्फाइड के दो बार धूम्रीकरण के प्रभाव से बिलों की प्रतिशत कमी

उपचार	मूंगफली				रागी				धान			
	बिल/है०		प्रतिशत कमी		बिल/है०		प्रतिशत कमी		बिल/है०		प्रतिशत कमी	
	अल० फा/बिल		अल० फा/बिल		अल० फा/बिल		अल० फा/बिल		अल० फा/बिल		अल० फा/बिलें	
	0.6 ग्रा०	1.2 ग्रा०	0.6 ग्रा०	1.6 ग्रा०	0.6 ग्रा०	1.2 ग्रा०	0.6 ग्रा०	1.2 ग्रा०	0.6 ग्रा०	1.6 ग्रा०	0.6ग्रा०	1.2 ग्रा०
धूम्रीकरण से पहले	15	22	—	—	21	18	—	—	18	25	—	—
प्रथम धूम्रीकरण के पश्चात	9	10	40	55	16	8	24	56	19	11	50	56
द्वितीय धूम्रीकरण के पश्चात	4	4	73	82	7	3	67	83	3	4	83	84

पंजाब में रोलर फ्लोर मिलों के लिए नए लाइसेंस

3516. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य केन्द्रीय पूल में 45 लाख टन गेहूं का योगदान करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस राज्य में रोलर फ्लोर मिलों की क्षमता राज्य के कुल गेहूं उत्पादन का 10 प्रतिशत भी नहीं है ;

(ग) क्या सरकार उस राज्य में और अधिक फ्लोर मिलों को लाइसेंस प्रदान करने की वांछनीयता पर विचार करेगी जिससे यह राज्य न केवल अन्य राज्यों को आटे की सप्लाई कर सकेगा बल्कि बिस्कुट निर्माण, बेकरी आदि जैसे अन्य उद्योगों की स्थापना की गुंजाइश भी बढ़ जाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) रबी मौसम 1982-83 के दौरान पंजाब ने केन्द्रीय पूल में लगभग 48.25 लाख मी० टन गेहूं का अंश-दान दिया था ।

(ख) पंजाब की लाइसेंसशुदा रोलर फ्लोर मिलों की वर्तमान वार्षिक क्षमता 4.78 लाख मी० टन है । तथापि लाइसेंसशुदा क्षमता का गेहूं के उत्पादन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन इसका सम्बन्ध गेहूं के उत्पादन की खपत करने के पैटर्न और आवश्यकताओं के साथ जरूर है ।

(ग) और (घ) देश में उद्योग की वर्तमान क्षमता का काफी हद तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है । इन परिस्थितियों में फिलहाल पंजाब में और फ्लोर मिलों को लाइसेंस प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है ।

नियमित कालोनियों में निर्माण

3517. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** अनधिकृत कालोनियों में निर्माण के बारे में 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2028 के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास शुल्क निर्धारित कर दिया गया है ;

(ख) क्या अन्य सम्बन्धित औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं ;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई तकनीकी समिति ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(घ) यदि उक्त भाग (ग) का उत्तर सकारात्मक है, तो नियमित कालोनियों में निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए अनुमति कब दी जाएगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 1960-62 के दौरान नियमित की गई कालोनियों के सम्बन्ध में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के लिए विकास प्रभार निर्धारित किए गए हैं जहां निर्मित प्लाटों के समजन जो सामुदायक सुविधाओं के लिए उद्दिष्ट स्थलों में आ गए हैं को भी अनुमोदित कर दिया गया है । नियमित की गई अन्य कालोनियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित के अलावा विकास प्रभार अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं—

(i) निवासियों के संघों के औपचारिक अनुरोध पर तथा विद्युतीकरण की अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत के भुगतान पर नियमित विन्यास नक्शे के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में विद्युतीकरण करता है । सम्बन्धित विकास अभिकरणों द्वारा वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा करने के अलावा किसी कालोनी में सड़कों में बिजली की व्यवस्था दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा औपचारिकता अनुरोध पर तथा उसकी अनुमानित लागत का शतप्रतिशत भुगतान करने पर की जाती है ।

(ii) विकास प्रभारों का भुगतान करने की तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त पर नियमित की गई कालोनियों में जलपूर्ति तथा जल निर्यास सेवाओं की सुविधा देना दिल्ली जलपूर्ति तथा मल निर्यास संस्थान की नीति है । अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत संस्थान के पास जमा कराने के बाद ही कार्य आरम्भ किया जाता है ।

(ग) तकनीकी समिति अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के विन्यास नक्शों की जांच और उन्हें अनुमोदित करती आ रही है जो अन्ततः दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं । तकनीकी समिति के अपने कार्य को तब तक जारी रखने की आशा है जब तक सरकारी नीति के अनुसार अनधिकृत कालोनियों से नियमितीकरण का कार्य पूरा हो जाता है ।

(घ) कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं होगा ।

महाराष्ट्र में पेयजल की कमी की समस्या का सामना करने वाले गांव

3518. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में 2600 ऐसे गांव हैं, जो पानी की कमी, विशेष रूप से पेय जल की कमी का सामना कर रहे हैं ;

(ख) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समस्या से निबटने के लिए केन्द्र राज्यों को कुछ सहायता देता है ;

(ग) महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1982 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और इसमें से कितनी धनराशि ग्रामीण निर्धन लोगों को पेय जल सुलभ कराने हेतु इस्तेमाल की गई तथा उसके अन्तर्गत कितने गांवों में शामिल किया गया है ; और

(घ) महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1983 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कितने गांवों को पेय जल सुलभ कराया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) छठी पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ में (1.4.80 को) महाराष्ट्र में पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 12935 थी । जिनमें पेय जल सुविधाएं मुहैया की जानी शेष थी । राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इनमें से 6871 समस्याग्रस्त ग्रामों में से दिसम्बर, 1982 तक पेय जल सुविधायें मुहैया कर दी गई हैं (इसमें आंशिक रूप से जल मुहैया कराए गए ग्राम शामिल हैं) ।

(ख) त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को जल मुहैया कराने के लिए केन्द्र, राज्य सरकारों को उनके प्रयासों में सहायता करता है ।

(ग) त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र के कार्यों के लिए वर्ष 1982-83 के लिए 716·50 लाख रुपए का नियातन है । वर्ष 1982-83 के दौरान दिस बर, 1982 तक पता लगाए गए 1265 समस्याग्रस्त ग्राम को जल मुहैया कर दिया गया है । इसमें आंशिक रूप से जल मुहैया कराए गए ग्राम भी शामिल हैं ।

(घ) संसद द्वारा इस मन्त्रालय को अनुदान भागों में पारित करने के पश्चात वर्ष 1983-84 के लिए नियतन को अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

खाद्य प्रोसेसिंग एककों का आधुनिकीकरण

3519. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया फूड प्रजर्वेशन एसोसिएशन ने खाद्य प्रोसेसिंग और पेकेजिंग उद्योग के आदान, जोकि वर्तमान एककों का आधुनिकीकरण करने के लिए आवश्यक है और सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना नए संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन द्वारा सरकार के समक्ष रखे गए सुझावों के बारे में क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय में अखिल भारतीय खाद्य परिरक्षक एसोसिएशन से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मन्दिर मार्ग में कोयले के डिपो द्वारा मुसीबत

3520. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैक्टर डी, मन्दिर मार्ग, नवयुग विद्यालय के सामने, गोल मार्किट नई दिल्ली में कोयले के डिपुओं को कितनी भूमि आबंटित की गई है ;

(ख) क्या इन कोयले डिपुओं द्वारा चार दीवारी नहीं बनाई गई है जिसके फलस्वरूप कोयले को वेट आबंटित भूमि पर उतारा और लादा जा सकता है जिससे कोयले की धूल संलग्न क्षेत्र अर्थात नवयुग विद्यालय और आवासीय मकानों में फैल जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी भूमि के अवैध उपयोग और कब्जे के लिए कोयले के डिपुओं के आबंटियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क), से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्वित

3521. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने भूमि सुधार कानून के क्रियान्वियन के वर्षों के दौरान वर्ष 1983 के आरम्भ से कितनी प्रगति की है ;

(ख) पुराने कानून, जिसमें बाद में संशोधन किया गया था, में क्या उपबंध था तथा वर्तमान कानून में क्या है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1978 और 1979 के दौरान भूमि सुधार कानून में किसी संशोधन का प्रस्ताव किया था और उसे भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा था ;

(घ) यदि हां, तो उस राज्य द्वारा किस संशोधन का सुझाव दिया गया था और उस पर उनके मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या यह सच है कि उस राज्य द्वारा 1978-79 के संशोधन की तरह हाल ही में वर्तमान कानून में और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव किया गया था ; और

(च) यदि हां, तो उसके उद्देश्यों की उक्त संशोधन द्वारा कहां तक पूर्ति होगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) एक **विवरण** संलग्न है ।

(ङ) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के कार्यकरण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। राज्य सरकार से कोई नया विधेयक अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा लगाने तथा काश्तकारी को विनियमित करने के लिए एक व्यापक विधान है। अधिनियम में 1974 तथा 1976 में व्यापक संशोधन किया गया था। यह अधिनियम आमतौर पर अधिकतम भूमि सीमा के बारे में जारी किए गए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप है। एक परिवार के लिए अधिकतम सीमा 10 मानक एकड़ निर्धारित की गई है, मानक एकड़ वर्ष में दो या उससे अधिक फसलें पैदा करने की क्षमता वाली सिंचित भूमि का एक एकड़ होता है ; जैसे भूमि की क्वालिटी में गिरावट आती है, एक मानक एकड़ के क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। निम्नतम श्रेणी की भूमि के लिए अधिकतम सीमा 45 सामान्य एकड़ की होगी। अधिकतम सीमा कानून के अन्तर्गत "विशेषाधिकार प्राप्त रैयतों" तथा काफी, कोको अथवा चाय बागानों की भूमि अथवा औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रमों अथवा मिलों, फैक्ट्रियों अथवा कर्मशालाओं की भूमि जहां ऐसी जमीनें, ऐसी मिलों, फैक्ट्रियों तथा कर्मशालाओं के गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अनिवार्य हो, को छूट दी गई है। अधिकतम सीमा कानून

में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विद्यालय अथवा कालिज अथवा कृषि में अनुसंधान आयोजित करने वाली किसी भी संस्था की भूमि को छूट दी जाती है। "विशेषाधिकार प्राप्त रैयत" की अभिव्यक्ति में पुरी में भगवान जगन्नाथ के मन्दिर के अलावा, सहकारी सोसायटियां अथवा सार्वजनिक न्यास भी शामिल हैं।

1.1.01965 से पूर्व शामिल किए गए काश्तकार तथा बट्टाईदार अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत रैयती अधिकारों को प्राप्त करने के पात्र थे। रैयत अधिकार लेने के लिए समयावधि समाप्त हो चुकी है "विकलांगता के आधीन व्यक्तियों" अर्थात् विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, कुछेक मानसिक रूप से पीड़ित तथा शारीरिक रूप अशक्त व्यक्तियों, सेना में कार्यरत सदस्यों तथा वे किसान जिनके पास 3 मानक एकड़ से अधिक भूमि न हो, को छोड़कर 1.10.65 के पश्चात् पट्टे पर भूमि देना वर्जित कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा 1980 में संकलित प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम के काश्तकारी प्रावधानों के अन्तर्गत 4 लाख 60 हजार मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें से 436,000 मामलों का निपटान किया गया है। इससे 1,72,000 काश्तकारों को लाभ पहुंचा जिसमें 1,32,000 एकड़ क्षेत्र सम्मिलित हैं।

जहां तक अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रावधानों का सम्बन्ध है, संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानून के अन्तर्गत कुल मामलों की संख्या 52,631 थी जिनमें से दिसम्बर, 198२ के अन्त तक 50,393 मामलों को निपटा दिया गया था अब 2238 मामले शेष हैं। फालतू भूमि के वितरण में हुई समग्र प्रगति नीचे दी गई है :—

फालतू घोषित क्षेत्र	1,44,775 एकड़
कब्जे में लिया गया क्षेत्र	1,23,798 एकड़
वितरित क्षेत्र	1,06,992 एकड़
लाभभोगियों की संख्या	82,180 (अनुसूचित जातियों से 27,665 तथा अनुसूचित जनजातियों से 32,072)

उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1979 में संशोधन करने हेतु राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित एक विधेयक भारत सरकार को राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया था।

विधेयक में मुख्य रूप से धारा 51 तथा 52 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

धारा-51 : मुख्य अधिनियम की धारा 51 में राज्य में निहित फालतू भूमि के बन्दोबस्त की योजना की रूपरेखा दी गई है। इसमें यह व्यवस्था है कि इन जमीनों के 70 प्रतिशत का

बन्दोबस्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों में गांव में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा ।

संशोधन विधेयक में प्रस्ताव है कि जहां कोई भी फालतू भूमि काश्तकार के काश्तकारी वाले कब्जे में है, ऐसी भूमि का निर्धारण उसी काश्तकार के साथ किया जायेगा । दूसरे शब्दों में खेती करने वाले काश्तकार के साथ भूमि का निर्धारण किए जाने के पश्चात् ही अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के सदस्यों तथा अन्य लोगों को देने के लिए उपलब्ध भूमि को आंका जाएगा तथा उसे अधिनियम की योजना के अनुसार निपटाया जायेगा ।

यह समझा गया था कि विधेयक से अधिकतम सीमा के प्रावधानों का बड़े पैमाने पर बचावों होगा ।

धारा 52 : धारा 52 में संशोधन हेतु यह प्रावधान है कि जहां उडीसा सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पहली बार सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य किए जाते हैं तो अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किए गए अधिकारों के अभिलेख में दर्ज किया गया कोई भी व्यक्ति उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1973 के लागू होने के पश्चात् ऐसी भूमि को अर्जित किया समझा जायेगा । इस संशोधन में यह भी व्यवस्था है कि वह वर्तमान संशोधन के लागू होने के 90 दिनों के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने का हकदार होगा ।

यह सोचा गया था कि प्रस्तावित संशोधन से उनके विरुद्ध भेदभाव पैदा होगा जिनके मामल में निर्णय लिया गया है तथा मुकदमेबाजी से बचने के लिए विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया गया था ।

हरिजनों को दी गई भूमि की अवैध बिक्री

3522. **श्री तारिक अनवर** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन मामलों की ओर दिलाया गया है । जिनमें हरिजनों और भूमिहीन लोगों को सरकार द्वारा दी गई भूमि की प्रधानों, पटवारियों और तहसीलदारों को मिली भगत से अवैध बिक्री की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामले (राज्यवार) प्रकाश में आए हैं ;

(ग) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब के अलावा, ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है । पंजाब

में, अनुसूचित जाति के लोगों के 53 मामलों सहित 106 मामलों में सूचना मिली है कि भूमि के आबंटियों ने 447 एकड़ फालतू भूमि को बेच दिया है। 8 मामलों जिनमें 52 एकड़ भूमि शामिल है में भूमि का आबंटन रद्द कर दिया गया है और अन्य मामलों में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल और जम्मू तथा काश्मीर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यन्न के वितरण में हेरा-फेरी

3523. **श्री राम प्यारे पनिका** : खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण में भारी हेरा-फेरी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस हेरा-फेरी को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) सामान रूप से यह कहना सही नहीं होगा कि देश के विभिन्न भागों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण में भारी हेरा-फेरी हो रही है ; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वियन तथा पर्यवेक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। उनसे मिलने वाली नियतकालिक रिपोर्टों से पता चलता है कि यह प्रणाली आमतौर पर ठीक प्रकार से काम कर रही है, यद्यपि इतने बड़े पैमाने की प्रणाली में कुछेक मामलों में अनियमितता की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी अनियमितताओं के मामलों में राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधनियम, 1980 के तहत कार्यवाही की जा सकती है और की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए दी जाने वाली वस्तुएं वास्तविक उपभोक्ताओं को पूर्व निर्धारित मूल्यों पर मिलें और राज्य सरकारें अपने निरीक्षण तथा प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाए।

"व्हाईट कन्वोलूशन" शीर्षक से समाचार

3524. **श्री० अजित कुमार मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "व्हाईट कन्वोलूशन" शीर्षक से प्रकाशित लेख (सूर्य 16-31

जनवरी,1983) में उल्लिखित विभिन्न गंभीर बातों का भेद खोलने की ओर दिलाया गया है जिसमें 2 विशाल डेरी परियोजनाओं की असफलता पर प्रकाश डाला गया है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में पी०आई० बी० या मंत्रालय के आरोप पर ओ० एफ० 2 के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपए की धनराशि का अब तक आबंटन नहीं दिया गया है,

(ग) क्या धनराशि का आवंटन एक गैर-सरकारी व्यक्ति की अध्यक्षता में आई० डी०सी० बोर्ड और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या यह वित्तीय मापदण्डों के अनुसार है, और

(घ) क्या मंत्रालय के प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए वित्तीय शक्तियां और प्राधिकार दिया गया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी 483 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर करने की शक्तियां उसे कब प्रदान की गई ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, । अनुच्छेद में दी गई बातें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं ।

(ख) आपरेशन फ्लड-2 के तहत सरकार ने विधियों की राज्यवार आवंटन निर्धारित नहीं किया है । निधि की मांग राज्य सरकार तथा इसके द्वारा नामित कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सी के परामर्श और परियोजना के आकार के आधार पर निर्धारित की जाती है । सरकार ने आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिए राशि का मदवार आबंटन करने की मन्जूरी दी है ।

(ग) आपरेशन फ्लड-2 के तहत राज्यों को राशि का आबंटन राज्यों द्वारा तैयार की गई तथा भारतीय डेरी निगम को भेजी गई संदर्श डेरी विकास योजना के आधार पर किया जाता है । योजना में निहित विकास परियोजना के आंकलन के आधार पर इस प्रकार का आवंटन किया जाता है । ये आबंटन भारतीय डेरी निगम के निदेशक मण्डल, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, द्वारा मंजूर किए जाते हैं ।

(घ) सरकार, सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों के निदेशक मंडल के सदस्यों को वित्तीय शक्तियां और अधिकार प्रत्यायोजित नहीं करती है ।

रासायनिक उर्वरकों की खपत और आगे न बढ़ाने की कार्यवाही

3525. **श्री अमल दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कृषि उत्पाद में प्रति यूनिट रासायनिक उर्वरक की खपत और आगे न बढ़ने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की है ;

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत अभी निम्न स्तर पर है अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में और वृद्धि करना आवश्यक है ।

उर्वरक वितरण एजेंसियां

3526. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जो उर्वरकों का वितरण कर रही हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों से अभी भी उर्वरकों की कीमत के भुगतान की राशि बकाया है, और

(ग) यदि हां तो क्या तत्संबंधी ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ;

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आयातित उर्वरकों का वितरण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है:—

(1) भारतीय खाद्य निगम ।

(2) भारतीय पोटाश लिमिटेड ।

(3) मैसर्ज साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड ।

(4) मैसर्ज मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि० ।

(5) मैसर्ज राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड ।

(6) मैसर्ज हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड । देशी उर्वरकों का वितरण विनिर्माताओं द्वारा स्वयं किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लेह का "कठिन स्थान" के रूप में वर्गीकरण

3527. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लेह (लद्दाख) को कठिन स्थान के रूप में

वर्गीकृत करने का सुझाव दिया है ताकि कर्मचारी लेह के अपने स्थानान्तरण की अवधि के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में अपने अपने रिहायशी आवास को अपने परिवार के वास्तविक उपयोग के लिए रख सकें, जैसा दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानान्तरित किए जाने वाले कर्मचारियों के मामले में किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रावधान किस तारीख से किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कब तक किए जाने की सम्भावना है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

गुजरात द्वारा 1977 से 1982 तक प्रस्तुत की गई सिंचाई योजनाएं

3528. **श्री छोतू भाई गामित** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने वर्ष 1977 से 1982 तक की अवधि के दौरान कितनी सिंचाई योजनाएं योजना आयोग की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक सिंचाई योजना की अनुमानित लागत कितनी है और इनसे कितनी भूमि पर सिंचाई किए जाने की संभावना है ; और

(ग) अब तक योजना आयोग ने कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और शेष योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से 1977 से 1982 की अवधि के दौरान, केन्द्रीय जल आयोग में 13 बृहद और 20 मध्यम सिंचाई स्कीमों की परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी स्वीकृति एवं योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुई है। उनमें से, 2 बृहद और 12 मध्यम सिंचाई स्कीमों को योजना आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। 2 अन्य बृहद स्कीमों की योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति की जा चुकी है। प्राप्त हुई स्कीमों के नाम तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी स्कीमों, उनकी अनुमानित लागत और लाभों आदि, का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

शेष रही स्कीमों पर स्वीकृति के लिए आगे कार्रवाई, गुजरात सरकार से केन्द्रीय जल आयोग के स्पष्टीकरणों टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त हो जाने और उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता एवं लागत प्रभावकारिकता सिद्ध हो जाने के पश्चात ही की जा सकती है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	सिंचाई लाभ (हजार हेक्टेयर)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5
	(क) बृहद स्कीमें			
1.	सिपुx	1872.67	15.46	12-12-77
2.	ओरसंगx	2035.14	18.69	1-10-78
				गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच बांध की मुख्य बातों के बारे में समझौता होना है।
3.	जनखरीx	1843.46	20.61	3-10-78
4.	सरदार सरोवर xx	4240.00	1525.70	11-2-80
5.	फतेहवाड़ी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	1350.65	38.863 × (अतिरिक्त 9.70)	6-3-80
6.	दन्तीवाड़ा का आधुनिकीकरण	1952.91	49.41 × (अतिरिक्त 4.90)	6-3-80
7.	भादर का आधुनिकीकरणxx	910.91	21.684 × (अतिरिक्त 4.52)	6-3-80
8.	पोलीथाना में ज़त्रुजी का आधुनिकीकरण	1343.70	34.30 × (अतिरिक्त 0.20)	6-3-80
9.	माछू एक का आधुनिकीकरण	580.04	11.50 × (अतिरिक्त 2.60)	6-3-80

1	2	3	4	5
10.	खारीकट नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	547.42	12.00 × (अतिरिक्त 1.80)	14-5-80
11.	उकई-ककरापार का आधुनिकीकरण	7125.48	264.71 × (अतिरिक्त 52.857)	26-5-80
12.	चतरक	2160.00	16.874	4-9-81
13.	सिधुम्बर जलाशय परियोजना	3053.029	20.48	18-1-82
	(ख) मध्यम स्कीमें			
1.	वेनू—2x	281.92	5.52	18-2-77
2.	कबूतरीx	113.55	2.03	17-10-77
3.	हरनाव चरण 2x	300.18	3.44	30-9-78
4.	केलियाx	280.14	2.66	3-7-79
5.	मुक्तेश्वर	592.72	4.74	15-10-79
6.	झुजx	503.00	4.09	14-11-79
7.	गुहाईx	802.27	5.94	16-11-79
8.	माजमx	506.26	5.85	26-11-79
9.	हाडफx	578-55	5.24	2-2-80
10.	डेमी—2x	273.42	2.99	4-3-80
11.	उबेन	330 89	2.55	11-6-80
12.	अजी—2x	321.93	2.30	11-6-80
13.	अजी—3x	448.85	6.15	11-6-80
14.	उमरिया	111.07	1.99	1-4-80
15.	मेन	820.13	6.48	15-1-81

1 2	3	4	5
16. भादरx	131.06	5.48	मई, 1981
17. अनी	600.10	3.52	21-8-81
18. खम्भाडा	296.85	2-05	8-12-81
19. वालन	848.34	6.50	19-4-82
20. माछू—2	2043.45	7.284	20-4-82

xगोजना आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है ।
xxयोजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है
× वर्तमान लाभ ।

पुरानी दिल्ली के गन्दी बस्ती क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार

5529. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी दिल्ली के उन क्षेत्रों के विकास या सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं जो कटरों और गन्दी बस्तियों से भरे पड़े हैं और जिनमें से अधिकतर अस्वाथ्य कर, गन्दे और जीर्ण हालत में है ; और

(ख) शाहजहांबाद के नाम से जाने वाले पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सुधार के लिए 1970 में शुरू की गई योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई योजनाएं, यदि कोई हैं, तैयार की गई हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बम्बई में रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों का बड़ी संख्या में आगमन

3530. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के बड़ी संख्या में आ जाने से बम्बई महानगरी "गन्दी नगरी" में बदल गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस समस्या को सुलझाने में सहायता करने का अनुरोध किया है जिससे कि महाराष्ट्र सरकार सफाई बनाये रखे सके तथा बम्बई जीवन को एक उचित स्तर तक अच्छा बनाए रख सके ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार से ऐसे किसी अनुरोध के बारे में इस मंत्रालय को पता नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में भूख से हुई मौतें

3531. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री भीम सिंह :

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया जिले में मोहनपुर ब्लाक से हाल में भूख से हुई चार मौतों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूर्व ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र के आम आदमी को रोजगार देने हेतु क्या तत्कालीन उपाय करने का विचार है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए तैयार की गई योजनाएं

3532. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) ये योजनाएं कब तक कार्यान्वित की जायेगी और उनकी कुल लागत क्या है ; और

(ग) तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राजस्थान में कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम**

छठी योजना के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपदानों तथा संस्थागत ऋण का प्रावधान करके प्रत्येक खंड में छोटे/सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लक्षित वर्ग के कम से कम 3000 परिवारों को सहायता पहुंचाने की अपेक्षा की गई है। जिससे वे सक्षम आर्थिक गतिविधियां शुरू करने योग्य बन जायेंगे। छोटे किसानों के लिए उपदान की दर परियोजना की लागत पूंजी की 25 प्रतिशत है और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों आदि के लिए 33 1/3 प्रतिशत है जिसके अधीन अधिक से अधिक 3000 रुपये दिए जा सकते हैं। आदिवासियों के लिए, उपदान की दर 50 प्रतिशत है और इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक 5000 रुपए दिए जा सकते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों में से कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगियों को लिया जाना है और ऋण तथा उपदान के माध्यम से इन वर्गों को कम से कम 30 प्रतिशत लाभ प्राप्त होने चाहिएं।

(2) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम**

अक्तूबर, 1980 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार पैदा करना और इसके माध्यम से स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित करना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजार्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हो जाएगा। परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए 10 प्रतिशत परिव्यय रखा गया है जिसका अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सामाजार्थिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटन संबंधित राज्य में कृषि श्रमिकों तथा सीमांत किसानों की जनसंख्या के लिए 75 प्रतिशत बल और निर्धनता के प्रभाव पर 25 प्रतिशत बल देते हुए किया जाता है।

(3) **सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम**

इस कार्यक्रम के मुख्य घटक ये हैं :—

(1) सिंचाई संसाधनों का विकास तथा प्रबन्ध ;

(2) भूमि तथा जल संरक्षण और वनरोपण ;

(3) फसल प्रतिमान की पुन. संरचना और चरागाह विकास ;

(4) शुष्क भूमि खेती की तकनीकें लोकप्रिय बनाना ;

(5) पशुधन विकास आदि ।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को राजस्थान के 4 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) मरुभूमि विकास कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भौतिक, मालबीय तथा पशुधन संसाधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा लोगों की उत्पादकता, उनके आय स्तरों तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करके गर्म तथा शुष्क दोनों प्रकार के मरुभूमि क्षेत्रों का समेकित विकास करना है । परिकल्पित मुख्य गतिविधियां वन-रोपण, चरागाह विकास भू–जल विकास, जल संचयन ढांचों के निर्माण पम्प सेटों के लिए ग्रामीण विद्युतिकरण और कृषि, बागवानी तथा पशुपालन के विकास से संबंधित हैं । कार्यक्रम को राज-स्थान के 11 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रखे जाने वाले कार्यक्रम हैं । अतः कुल लागत का प्रश्न ही नहीं उठता ।

महानदी पर दूसरा बांध

3533. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मणिभद्रा में महानदी पर एक दूसरे बांध का निर्माण करने का कुछ विरोध है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और मामले पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) उड़ीसा में मणि-भद्रा में महानदी पर एक बहुप्रयोजनी बांध का निर्माण करने के प्रस्ताव के विरुद्ध जनता से नभ्या-वेदन प्राप्त हुआ है । राज्य सरकार, परियोजना तैयार करने के लिए क्षेत्र में अन्वेषण और कार्या-लय में अध्ययन पूरे कर रही है । बडे क्षेत्रों के आप्लाबित होने, इससे होने वाले संभावित सिंचाई और विद्युत लाभों के सीमित होने के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन राज्य सरकार को भेज दिया गया है, ताकि वे परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय, इन तथ्यों पर विचार करें ;

स्वयं सेवी शिक्षा संस्थानों द्वारा खेल सुविधाएं

3534. **श्री रामजी भाई मावाणि : क्या खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य निकायों

द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी शिक्षा संस्थानों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में खेल तथा खेल के मैदानों में सुधार तथा तत्संबंधी सुविधाओं की जांच करने के लिए स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से समय-समय पर विभिन्न समितियां गठित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने क्या रिपोर्ट और सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है और उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध अभिलेखा के अनुसार सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्ति नहीं की है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डा० सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में शारीरिक शिक्षा पर एक समिति नियुक्त की, जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट 1967 में प्रस्तुत की । रिपोर्ट में जिसका प्रमुख विषय शारीरिक शिक्षा था, प्रश्न में उल्लिखित विषयों पर कुछ सिफारिशें थी । इस सम्बन्ध में प्रमुख सिफारिशों का सारांश विवरण में दिया गया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध है । उन्होंने बताया है कि धनराशि सीमित होने के कारण खेल-कूद के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के वास्ते पर्याप्त सहायता की व्यवस्था करना उनके लिए सम्भव नहीं हो सका है । विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के समुचित विकास के लिए आयोग ने इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने हेतु हाल ही में एक कार्यदल नियुक्त किया है । कार्यदल ने पहले से ही अपना विचार-विमर्श प्रारम्भ कर रखा है ।

सरकार पहले से ही एक ऐसी राष्ट्रीय खेल संगठन योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों में व्यायामशालाओं के निर्माण, खेल के मैदानों के विकास आदि प्रशिक्षण और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में प्रतिभावान पुरुष और महिला खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय विश्वविद्यालय संघ और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के लिए अनुदानों की व्यवस्था की जाती है ।

विवरण

यह आवश्यक है कि प्रत्येक कालेज का उद्देश्य खेल-मैदानों के लिए लगभग 8 से 10 एकड़ का भूखंड रखने का होना चाहिए । जिन स्थानों पर क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है अथवा अतिरिक्त भूखंड प्राप्त नहीं किया जा सकता, वहां कालेज परिसरों के अन्दर अथवा इनके आस-पास छात्रों के उपयोग के लिए कुछ इस प्रकार की सुविधाओं, अर्थात बैडमिन्टन अथवा स्क्वेश कोर्टस, जिनके लिए

इतने अधिक भूखंड की आवश्यकता नहीं होती है, के निर्माण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में तरणतालों के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। आमतौर पर, प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम से कम दो क्रिकेट मैदानों, दो हाकी मैदान, दो फुटबाल मैदान, चार बास्केटबाल-कोर्टस, छः वालीबाल-कोर्ट, बारह टेनिस कोर्ट, रनिंग ट्रेक वाला एक खेल स्टेडियम, एक क्रिकेट पेविलियन तथा बेडमिन्टन, टेबिल-टेनिस और व्यायाम के लिए एक व्यायामशाला-हाल और कुश्ती के पिटस होने चाहिए। इसी प्रकार, प्रत्येक कालेज में कम से कम एक क्रिकेट-मैदान, एक हाकी-मैदान, एक फुटबाल मैदान, दो बास्केट बाल-कोर्ट दो बालीबाल-कोर्ट दो टेनिस-कोर्ट, रनिंग ट्रेक वाला एक खेल स्टेडियम, एक तरणताल तथा एक व्यायाम-शाला-हाल होना चाहिए। व्यायाम जैसी कुल मूल आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2. क्योंकि खेल कूद के मैदान में मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, अतः वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अनुदान की उपयुक्त प्रणाली तैयार करनी होगी। (इसे अब राष्ट्रीय खेल संगठन योजना में शामिल कर लिया गया है)।

3. छात्रों तथा शिक्षकों को खेलकूद तथा अन्य प्रकार की शारीरिक शिक्षा में भाग लेने और उनमें इन कार्यकलापों के प्रति निरन्तर रुचि पैदा करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जाने चाहिए।

(ऐसे प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा खेल छात्रवृत्तियां दी जाती हैं)।

4. अन्य बातें लगभग समान होने पर उन छात्रों को जिन्होंने खेल कूद में सक्रिय तथा नियमित रूप से भाग लिया है, दाखिला तथा रोजगार के मामलों में वरीयता दी जा सकती है। खेल कूद में निष्पादन के लिए परीक्षाओं में उचित श्रेय देने हेतु एक प्रणाली तैयार की जा सकती है।

5. उम्मीदवार को प्रदत्त डिग्री में नियमित विषयों में उसके अंकों अथवा डिवीजन/श्रेणी के अलावा खेलकूद में उसके रिकार्ड का भी उल्लेख होना चाहिए।

6. अधिक छात्रों को, खेलकूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7. जहां कालेज अलग-अलग खेलों ले लिए विशेष प्रशिक्षकों को नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है, वहां विश्वविद्यालय स्तर पर संसाधनों को एकत्र करने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। विश्वविद्यालय सम्बद्ध कालेजों में छात्रों के लाभ के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के सम्बन्ध में भी विचार कर सकते हैं।

पेयजल तथा सफाई योजनाएं

3535. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनाये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल तथा सफाई वर्षों के अंग के रूप में छठी योजना में पेय जल तथा सफाई योजनाओं के लिए क्या-क्या लक्ष्य रखे गए हैं ;

(ख) इस प्रयोजन हेतु देश के ऐसे कितने गांवों का पता लगाया गया है जिनमें समस्या हैं ; और

(ग) सभी राज्यों को इस सम्बन्ध में दिए गए धन का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) मनाए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता दशक के सम्बन्ध में, राज्य सरकरों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, छठी योजना के दौरान इन सुविधाओं द्वारा लाभान्बित की जाने वाली जनसंख्या के संबंध में लक्ष्य इस प्रकार हैं :...

उप क्षेत्र	31-3-1981 को लाभान्वित जनसंख्या की प्रतिशता	31-3-1985 तक लाभान्वित की लाने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता
1. ग्रामीण जल पूर्ति	31 प्रतिशत	52 प्रतिशत
2. नगर जल पूर्ति	75 प्रतिशत	93 प्रतिशत
3. ग्रामीण स्वच्छता	0.5 प्रतिशत	1.47 प्रतिशत
4. नगर स्वच्छता	27 प्रतिशत	39 प्रतिशत

(ख) छठी योजना के प्रारम्भ में अर्थात 1-4-1980 को, देशभर में पता लगा गए 2,30,784 समस्याग्रस्त गांव थे ।

(ग) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और इस प्रयोजन के लिए राज्य बजट में निधियों की व्यवस्था की जाती है । पता लगाए गए समस्याग्रस्त गाँवों को लाभान्वित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के तहत केन्द्र, राज्य सरकारों को अनुदान देकर सहायता करता है । इन कार्यक्रम क अन्तर्गत सभी राज्यों को वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए दी गई निधियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियां

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83
1. आन्ध्र प्रदेश	436.23	376.75	479.50
2. असम	427.11	403.45	483.98
3. बिहार	503.36	862.50	863.75
4. गुजरात	358.50	402.25	287.00
5. हरियाणा	357.09	337.34	277.05
6. हिमाचल प्रदेश	561.77	368.69	273.73
7. जम्मू व कश्मीर	314.75	426.55	1058.00
8. कर्नाटक	248.81	485.50	941.500
9. केरल	330.08	529.53	643.30
10. मध्य प्रदेश	690.00	1033.75	1397.50
11. महाराष्ट्र	664.00	558.00	722.50
12. मणिपुर	10(.03	131.32	158.00
13. मेघालय	149.00	246.12	202.63
14. नागालैण्ड	150.00	182.79	155.18
15. उड़ीसा	307.00	603.08	772.50
16. पंजाब	128.95	90.10	183.00
17. राजस्थान	559.10	1506.42	2231.50
18. सिक्किम	19.50	71.74	63.94
19. तमिलनाडु	506.00	569.71	856.50
20. त्रिपुरा	112.44	85.50	81.50

1	2	3	4
21. उत्तर प्रदेश	951.95	1024.13	1940.99
22. पश्चिम बंगाल	433.50	580 96	893.50
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	6.00	20.10	6.64
24. अरुणाचल प्रदेश	35.00	35.00	30.00
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	13.50	13.50	2.00
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28. गोवा, दमण तथा द्वीव	11.46	14.25	20.94
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	26.25	2.47	4.50
31. पाण्डिचेरी	7.00	12.00	14.50
	8424.38	10993.57	15145.48

टिप्पणी : 1. इन आंकड़ों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रवोधन तथा अन्वेषण के लिए दी गई निधियां शामिल हैं।

2. 1980-81 में सूखाग्रस्त राज्यों के लिए प्राप्त किए गए ड्रिलिंग रिगों की लागत और सम्बधित खर्चों के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया गया।

आयातित खाद्यान्न का मूल्य

3 36. **श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित अनाज की कीमत भारतीय किसानों को दी जाने वाली कीमत से अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की नीति भारतीय किसानों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुएं खरीदे

जाने की शक्ति बढ़ाने और विदेशी मुद्रा की गिरावट को रोकने तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले व्यापारिक अन्त को दूर करने में कहां तक सहायक है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) आयातित गेहूं का जहाज तक निष्प्रभार अनुमानित औसत मूल्य निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य से अधिक है ।

(ख) सरकार देश के अन्दर गेहूं की वसूली करने के लिए गेहू के समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि बाजार में मूल्य समर्थन मूल्य के स्तर से स्तर से नीचे न गिरने पाएं । तथापि, उत्पादक अपना गेहूं समर्थन मूल्य से किसी भी अधिक मूल्य पर बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं । बफर स्टाक की कमी को पूरा करने के लिए तथा खाद्यान्नों के मूल्यों पर दबाव को कम करने के लिए गेहूं का आयात करना आवश्यक हो गया था ।

वनस्पति एककों का विस्तार

3537. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की वनस्पति यूनिटों ने वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिए उनके मंत्रालय से अनुमति मांगी थी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त मामले म क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

1981-82 और 1982-83 में रबी की फसल की खेती के अन्तर्गत भूमि

3538. **श्री नारायण चौबे** : क्या **कृषि** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे, कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान कितनी भूमि पर रबी की फसल की खेती की गई;

(ख) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आन्ध्र प्रदेश जैसी सूखाग्रस्त राज्यों में रबी की फसल की खेती के लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) सूखाग्रस्त राज्यों में राज्यवार रबी की फसल की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) समूचे देश में रबी की फसल की राज्यवार संभावना क्या है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1981-82 के दौरान रबी खाद्यान्नों तथा तिलहनों के तहत क्षेत्र का विवरण संलग्न है। 1982-83 के दौरान इन फसलों के तहत रबी क्षेत्र के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) देश में रबी की संभावनाएं काफी अच्छी है। तथापि, राज्यवार अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

विवरण

1981-82 में रबी फसलों के तहत क्षेत्र

(हजार हैक्टार)

राज्य	रबी खाद्यान्न	रबी तिलहन
आन्ध्र प्रदेश	2485	306
असम	248	230
बिहार	2940	173
गुजरात	991	320
हरियाणा	2763	202
हिमाचल प्रदेश	408	12
जम्मू व कश्मीर	215	45
कर्नाटक	1801	338
केरल	117	—
मध्य प्रदेश	6596	773
महाराष्ट्र	5389	982
उड़ीसा	1662	317
पंजाब	3270	109
राजस्थान	4171	736

1	2	3
तमिलनाडु	148	330
उत्तर प्रदेश	10852	2896
पश्चिम बंगाल	974	219
अन्य	114	22
अखिल भारत	45144	8010

नवें एशियाड के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण का निर्माण कार्य

3539. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नवें एशियाई खेलों के समय में अनेक निर्माण कार्य किए थे ;

(ख) यदि हां, तो उन कार्यों के नाम एवं स्थल क्या-क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक कार्य पर कितना व्यय किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने नवें एशियाई खेलों से सम्बन्धित निम्न-लिखित परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया था :—

हरियोजना का नाम	स्थान
इन्डोर स्टेडियम	इन्द्रप्रस्थ एस्टेट
साइकिल वैलोड्रम	राजघाट
एशियाई खेलग्राम	सीरीफोर्ट
शूटिंग रेंज	तुगलकाबाद आदिलाबाद फोर्ट के पास

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सुपर बाजार में कर्मचारियों की संख्या

3540. **श्री जे० एस० पाटिल :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सुपर बाजार में अस्थायी/स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितनों की भर्ती बिना कोई सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए और अथवा रोजगार कार्यालय के माध्यम के बिना की गई है ;

(ग) कर्मचारियों की भर्ती स्थायी किए जाने और पदोन्नति के बारे मे नीति, नीति निर्देश और नियम क्या हैं ; और

(घ) क्या सुपर बाजार के मामले पर विचाद करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 28-2 1983 को निम्नलिखित कर्मचारी थे :—

(1) नियमित	788
(3) तदर्थ	119
(3) दिहाड़ी पर रखे गए	274
योग :	1181

(ख) 800, जिनमें सुपर बाजार को चलाने के लिए 1966—68 में नियुक्ति किए गए 607 व्यक्ति शामिल हैं ।

(ग) इन्हें सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(घ) सुपर बाजार एक सहकारी सोसायटी है, जो अपनी उपविधियों आदि के अनुसार प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कर रहा है । इस समय सुपर बाजार के मामलों की जांच करने के लिए किसी संसदीय समिति के गठन की आवश्यकता नहीं समझी जाती है ।

ग्रामीण जल पूर्ति योजना के अधीन कार्य का पूरा किया जाना

3541. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में (जिलावार) केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अधीन पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल रखने की कृपा करेंगे ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में (जिलावार) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे किए गए कार्य के ब्यौरों का एक **विवरण** संलग्न है ।

विवरण

क्र० सं०	जिलों का नाम	केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण जल कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
	राज्य :—**पूर्वी उत्तर प्रदेश**	
1.	गाजीपुर	118
2.	जौनपुर	153
	राज्य : **बिहार**	
1.	पटना	35
2.	नालन्दा	22
3.	गया	1108
4.	नवादा	51
5.	औरंगाबाद	33
6.	भोजपुर	24
7.	रोहतास	89
8.	मुंगेर	104

1	2	3
9.	भागलपुर	105
10.	पूर्णिया	42
11.	कटिहार	23
12.	सहरसा	121
13.	मधुबानी	99
14.	दरभंगा	8
15.	समस्तीपुर	55
16.	बेगूसराय	47
17.	सीतामढ़ी	84
18.	मुजफ्फरपुर	127
19.	वैशाली	46
20.	सारन	56
21.	सीवान	58
22.	गोपालगंज	40
23.	पूर्वी चम्पारण	86
24.	पश्चिमी चम्पारण	53
25.	रांची	5
26.	गिरीडीह	40
27.	हजारीबाग	35
28.	धनबाद	21
29.	सिंहभूमि	17
30.	पलामू	33
31.	संथाल परगना	10

सुपर बाजार को हुआ घाटा

3542. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० राजगोपाल रेड्डी :

श्री राम लाल राही : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पता है कि सुपर बाजार नई दिल्ली को इसकी स्थापना के समय से ही भारी घाटा हो रहा है ?

(ख) सुपर बाजार को गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना घाटा हुआ ;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच सुपर बाजार के गत पांच वर्षों के कार्यकरण की जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई अनियमिततायें पाई गई हैं ; और

(ङ) सुपर बाजार की कमियां दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भांगवत झा आजाद) : (क) से (ङ) 1966 से अपना कार्य शुरू करने की छः वर्षों की प्रारम्भिक अवधि में, सुपर बाजार, दिल्ली को घाटा हुआ था। वर्ष 1972-73 से सुपर बाजार लाभ में चल रहा है। पिछले पांच वर्षों के में हुआ लाभ नीचे दिया गया है :—

सहकारी वर्ष	(लाख रुपये में)
1977-78	2,02 (लेखा परीक्षित)
1978-79	2.32 (लेखा परीक्षित)
1979-80	16.56 अनन्तिम,
1980-81	17.19 (अभी लेखा परीक्षा होनी है।
1981-82	25.36
	योग : 63.45

सुपर बाजार के प्रबन्धकों ने इसके कार्य और इसका लाभकारिता में सुधार लाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं :—बिक्री में वृद्धि करना, उपरिव्यय में कमी

करना, बेहतर वस्तु सूची प्रबन्ध आदि । सुपर बाजार के कार्य की मंत्रालय में भी समय-समय पर समीक्षा की जाती रहती है ।

ग्रामीण विकास संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन

3543. **श्री नरसिंह सूर्यवन्शी :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के संबंध में सरकार का विचार देश में ग्रामीण विकास संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) जी हां। समन्वित ग्रामीण बिकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिन्हें जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया है । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने ये मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए हैं ।

छठी पंचवर्षीय योजना मे मत्स्य पालन के लिए किया गया राज्यवार आवंटन

3544. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में में विभिन्न राज्यों के लिए मत्स्य पालन हेतु राज्य वार कुल कितनी राशि का आबंटन किया गया है ;

(ख) इस संबंध में राज्यवार तथा वर्ष-वार अब तक हुई हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उड़ीसा राज्य के लिए प्रायोजित योजनायें क्या हैं तथा 1982-83 तथा 1983-84 के कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) **विवरण-1** संलग्न है ।

(ग) तथा (घ) जानकारी **विवरण 2** में दी गई है ।

विवरण-1

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत योजना परिव्यय	व्यय	
		1980-85	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1400.00	306.17	329.70
2.	असम	600.00	55.08	78.72
3.	बिहार	696.00	113.57	110.01
4.	गुजरात	2000.00	251.60	378.39
5.	हरियाणा	195.00	37.00	32.00
6.	हिमाचल प्रदेश	180.00	15.00	30.00
7.	जम्मू व कश्मीर	230.00	34.00	41.00
8.	कर्नाटक	1303.00	118.55	145.02
9.	केरल	2000.00	380.98	440.84
10.	मध्य प्रदेश	700.00	74.00	90.00
11.	महाराष्ट्र	1207.00	227.02	256.84
12.	मणिपुर	250.00	44.87	50.15
13.	मेघालय	0.00	14.97	15.62
14.	नागालैंड	70.00	15.61	16.33
15.	उड़ीसा	1000.00	189.89	166.56
16.	पंजाब	175.00	29.31	28.27

1	2	3	4	5
17.	राजस्थान	225.00	27.75	28.60
18.	सिक्किम	100.00	15.00	13.89
19.	तमिलनाडु	2400.00	133.13	207.91
20.	त्रिपुरा	333.00	53.32	79.99
21.	उत्तर प्रदेश	659.00	75.00	95.00
22.	पश्चिम बंगाल	2700.00	311.00	269.65
23.	अन्दमान	200.00	15.60	25.55
24.	अरुणाचल प्रदेश	78.00	15.88	19.92
25.	चंडीगढ़	10.00	2.98	1.00
26.	दिल्ली	60.00	14.78	6.96
27.	गोवा	400.00	66.22	64.50
28.	लक्ष द्वीप	175.00	16.07	26.64
39.	मिजोरम	60.00	7.25	12.00
30.	पांडिचेरी	241.00	41.05	45.48
31.	दादर तथा नगर हवेली	5.00	—	—
	योग	19742.00	2702.69	3106.54

विवरण-2

(लाख रुपए)

क्र० सं०	योजना का नाम		मंजूर की गई धनराशि	
			1982-83	1983-84
1.	नील कृषि विकास	अनुदान	2.00	4.00
	मछुआ विकास (एजेंसी)	ऋण	3.55	

1	2	3	4	5
2.	मछुआ विकास एजेंसी के अन्तर्गत मिनीकिटों का वितरण	अनुदान	2.70	1.35
3.	विश्व बैंक सहायता से अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना	अनुदान	9.20	15.00
4.	खारे पानी में मछली पालन	अनुदान	2.00	15.00
5.	सावेलिया (राम्बा) स्थित मछली पकड़ने के घाट का निर्माण	अनुदान	2.07	अन्तिम रूप नहीं दिया गया
6.	सक्रिय मछुओं के लिए सामूहिक बीमा योजना हेतु राजसहायता	अनुदान	1.25	अन्तिम रूप नहीं दिया गया
	योग :	अनुदान	19.22	30.35
		ऋण	3.55	

*अस्थायी

खाद्य उत्पादन के बारे में सुझाव देने हेतु राष्ट्रीय आयोग

3545. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

प्रो० मधु दण्डवते : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस शताब्दी के अन्त तक जनसंख्या की अनाज की मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या खाद्य उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में राज्य और केन्द्र सरकार को परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो यह आयोग किस प्रकार का होगा ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) योजना आयोग द्वारा देश के लिए तैयार की गई संदश योजना तथा पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं का उद्देश्य मूल सुविधायें तैयार करना और विकास कार्यकलापों का इस प्रकार से सम्वर्द्धन करना है जिससे खाद्यान्नों के मामले में निकट भविष्य में तथा दीर्घकाल में आत्म निर्भरता सुनिश्चित हो सके । शताब्दी के अन्त तक खाद्य सम्बन्धी मांग में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखा जा रहा है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) योजना आयोग के अतिरिक्त भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकार द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिपेक्ष में कृषि विकास की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 1971 में सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया था । इस आयोग ने अनेक विशेषज्ञों तथा अध्ययन दलों से सहायता ली थी और केन्द्रीय और राज्य सरकारों एवं विभिन्न संस्थानों से विस्तृत रूप से परामर्श किया था। इस आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 1976 में प्रस्तुत कर दी थी जिसमें इसने देश को सन् 2000 और इसके बाद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण और विकास के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। सरकार ने आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उन पर पहले से ही अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है । दूसरे राष्ट्रीय कृषि आयोग के गठन को आवश्यक नहीं समझा गया है।

श्वेत क्रान्ति

3546. **श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत विज्ञापित श्वेत क्रांति वास्तव में सफेद हाथी सिद्ध हुई है और इससे देश को आयातित उत्पादों पर पहले से भी अधिक निर्भर कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आनन्द पैट्रन की सफलता जैसा कि अमूल में है पूरी तरह से वाणिज्यक तौर पर प्राप्त किए गए कम मूल्य के दूध उत्पादों अथवा उपहारों पर निर्भर करता है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि केवल इस प्रकार के दूध उत्पादों का प्रयोग करने वाले डेयरी संयंत्र ही लाभ कमा रहे हैं और अन्य संयंत्र घाटे में चल रहे हैं ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) स्प्रे टा दुग्ध चूर्ण का वाणिज्यिक आयात 1975-76 से बन्द कर दिया गया था । आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिए यूरो-

पीय आर्थिक समुदाय से उपहार के रूप में मिली जिनमें की बिक्री से सृजित धनराशि परियोजना के क्रियान्वयन लिए संसाधनों के रूप में उपयोग की जा रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण

3547. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की अनुमानतः कितनी आवश्यकता है ;

(ख) छठी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा सोसाइटियों द्वारा मकान बनाने के लिए उपलब्ध तकनीकी तथा वित्तीय-सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(घ) योजना में इस प्रायोजन हेतु कितनी धनरशि का प्रावधान है ;

(ङ) इस क्षेत्र में कौन-कौन से संगठन कार्य कर रहे हैं ; और

(च) यह कार्य किन-किन सरकारी एजेंसियों को सौंपा गया है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 1981 में क्षेत्रों में आवास की कमी 165 लाख एकक थी।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में स्थल एव निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत 68 लाख स्थलों के आबंटन तथा 39 लाख ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को निर्माण सहायता देने के प्रावधान का विचार किया गया है।

(ग) ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिये स्थल एवम निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत निर्माण सहायता आर्थिक सहायता के रूप में और/या विभिन्नि राज्यों में ऋण 500 रुपये से 6,-500रुपये तक की सीमा में दिया जाता है। कुछ राज्यों में मकानों का निर्माण किया जाता है और पात्र परिवारों को आबंटित किए जाते हैं।

(घ) छठी योजना में 353.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें से 170 करोड़ रुपये आवास स्थल के लिए है तथा 183.00 करोड़ रुपये निर्माण सहायता के लिए हैं।

(ङ) तथा (च) यह योजना राज्य क्षेत्र में है और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा 20 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग है। राज्य सरकारें इसको सम्बन्धित विभागों और/या आवास बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित कर रही हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन अधिकांशत: कलक्टरों, पंचायत निकायों आवास बोर्डों/निगमों आदि के माध्यम से होता है।

नेताजी नगर के सरकारी क्वार्टरों में पानी की कमी

3548. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निमाण और आवास मन्त्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी नगर के सरकारी क्वार्टरों के सभी ब्लाकों में पानी की बेहद कमी है यदि हां, तो क्या पानी की पूर्ति के लिए सरकार कोई नए प्रभावी कदम उठायेगी और यदि हां, तो कब तक ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि काफी लम्बे समय से नेताजी नगर के सरकारी क्वार्टरों में मरम्मत नहीं की जा रही है तथा उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि जलपूर्ति की स्थिति बिल्कुल ठीक है।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि नेताजी नगर के क्वार्टरों का सामान्य अनुरक्षण तथा मरम्मत की जा रही है।

गांवों का [illegible]कास

3549. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों के विकास के लिए विद्यमान व्यवस्थाएं क्या हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक गाँव के विकास के लिए जिला स्तर पर आयोजन-एकक स्थापित करने का विचार है ;

(ग) गांवों के विकास के लिए शीघ्र और प्रभावकारी समन्वय हेतु क्या विशेष कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न योजनाओं जिनमें इस मन्त्रालय के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं, के माध्यम से गांवों के विकास की परिकल्पना की गई है ।

(ख) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां जो मुख्यत: इस मन्त्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्थापित की गई हैं, जिला स्तर पर आयोजन के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) व (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने में छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता

3550. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों के उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो छोटे और सीमान्त किसानों को अपने कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तर करने हेतु किस प्रकार की सहायता दी गई है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) जी हां । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों को लघु सिंचाई कार्य करने के लिए 25 प्रतिशत तथा सीमान्त किसानों को 33 1/3 प्रतिशत की दर से चयन किए गए लाभभोगियों के लिए सहायता उपलब्ध है । पोटासिक तथा फास्फेटिक उर्वरकों, सुधरी किस्म के कृषि औजारों, भण्डारण, घानियों आदि जैसे कुछ निवेशों के लिए भी सहायता ग्राहय है । यद्यपि इस प्रकार के मामलों में प्रति खंड 1500 रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा है तथापि, बीजों, उर्वरवों, सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों, कीट-नाशक दवाओं आदि जैसे सभी निवेशों तथा लघु सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता देने की एक अलग योजना सरकार के विचाराधीन है ।

मछुआरों के कल्याण के बारे में केरल की योजना

3551. **श्री वी० एस० विजल राघवन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के समुद्र तटीय क्षेत्र में रहने वाले मछुआरों के कल्याण हेतु कोई योजना पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए सिंचाई योजनाओं हेतु धन राशि का आबंटन

3552. **श्री रामलाल राही** : क्या **क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजना के क्रियान्वियन के लिए 165.10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों राज्य-वार को कितनी धनराशि आबंटित की है ; और

(ग) यदि ऐसा कोई आबंटन नहीं किया गया है तो उसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को समस्त धन एकमुश्त ऋणों तथा अनुदानों के रूप में देती है, जो किसी विशेष परियोजना या विकास के क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होता है । तथापि, 1982-83 के लिए राज्यवार समस्त परिव्यय को दिखाने वाला एक **विवरण संलग्न** है ।

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान बृहद् तथा मध्यम सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में परिव्यय ।

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य	बृहद तथा मध्यम सिंचाई	लघु सिंचाई	कमान क्षेत्र विकास	जोड
1.	आन्ध्र प्रदेश	148.50	10.00	8.00	166.50
2.	असम	10.20	13.50	0.30	24·60
3.	बिहार	169.07	34 05	6.35	209.47
4.	गुजरात	183.40	17.50	3.50	204.40
5.	हरियाणा	62.00	3.35	15.30	80.65
6,	हिमाचल प्रदेश	2.10	4.30	—	6.40

1 2	3	4	5	6
7. जम्मू तथा कश्मीर	11.43	7.00	1.25	19.68
8. कर्नाटक	80.07	18.51	4.56	103.14
9. केरल	45.00	6.65	1.20	52.85
10. मध्य प्रदेश	136.50	46.00	19.00	201.50
11. महाराष्ट्र	260.88	33.00	7.18	301.06
12. मणिपुर	7·50	1.25	—	8.75
13. मेघालय	0.30	1.25	—	1.55
14. नागालैंड	—	1.86	—	1.86
15. उड़ीसा	70.00	16.65	1.40	88.05
16. पंजाब	45.00	1.20	7.30	53.50
17. राजस्थान	65.28	6.45	19.13	90.86
18. सिक्किम	—	0.90	—	0.90
19. तमिलनाडु	38.35	0.03	1.29	44.67
20. त्रिपुरा	3.50	2.55	—	6.05
21. उत्तर प्रदेश	179.80	49.54	13.30	242.64
22. पश्चिम बंगाल	36.64	19.87	2.00	58.51
उपजोड़ राज्य	1556·12	300.41	111.06	1967 59

(करोड़ रुपए)

क्रम सं० राज्य	बृहत् तथा मध्यम सिंचाई	लघु सिंचाई	कमान क्षेत्र विकास	जोड़
दो संघ राज्य क्षेत्र				
1. अण्डमान तथा निकोबार	—	0.24	—	0.24
2. अरुणाचल प्रदेश	0.15	2·90	—	3.50

1 2	3	4	5	6
3. चण्डीगढ़	—	0.12	—	0.12
4. दादरा तथा नागर हवेली	3.25	0.13	—	3.38
5. दिल्ली	0.50	0.44	—	0.94
6. गोवा दमण व दीव	10.00	1.20	0.08	11.28
7. लक्षद्वीप	—	—	—	—
8. मिजोरम	—	05.0	—	0.50
9. पाण्डिचेरी	0.30	0.85	—	1.15
उप-जोड़ संघ राज्य क्षेत्र	14.20	6.38	0.08	20.66
तीन केन्द्रीय सेक्टर	11.55	10.80	45.00	67.35
कुल जोड़	1581.87	317.59	156.14	2055.60

आन्ध्र प्रदेश में मत्स्यन बन्दरगाहों का निर्माण

3553. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा और भावनापाड में मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण सम्बन्धी स्थिति क्या है; और

(ख) मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए उनको शीघ्र पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) काकीनाडा में लगभग 65 प्रतिशत और भावनपाडु मत्स्यन बन्दरगाह में 5 प्रतिशत कार्य किया गया है ।

(ख) माडल अध्ययनों में विलम्ब और घटिया मृदा की स्थितियों से संबंधित कठिनाईयों की ओर ध्यान दिया गया है ।

"रुपीज 25 लाख लास टु एफ० सी० आई०" शीर्षक समाचार

3554. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1983 के "ट्रिब्यून" में "रुपीज 25 लाख लास टु एफ०सी०आई" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह हानि घटिया चावल स्वीकार करने के कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है ; और

(घ) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ ने घटिया किस्म के चावल की कुछ मात्रा स्वीकार की थी । तथापि, निगम इस मात्रा के बदलने की दिशा में कार्रवाई कर रहा है । कुछेक मिल मालिकों ने इसके कुछ भाग को बदल भी दिया है ।

(ग) और (घ) जी हां । भारतीय खाद्य निगम के एक उप प्रबन्ध को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था और उनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है । इसके अलावा, तीन सहायक प्रबंधकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई है ।

राजघाट सिंचाई परियोजना को पूरा करना

3555. **श्री माधव राय सिंधिया** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजघाट सिंचाई परियोजना, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, की प्रारम्भ में 1985-86 में पूरा होने की आशा थी परन्तु अब इसके पूरा होने में दो वर्ष का विलम्ब होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भागीदार राज्यों द्वारा निर्माण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां उपलब्ध न किए जाने के परिणाम-स्वरूप, राजघाट बांध परियोजना पर निर्माण-कार्य, अपेक्षित निर्माण अनुसूची से पिछड़ रहा है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली में निवासी कल्याण एसोसिएशनों के साथ सम्पर्क न बनाए रखना

3556. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारी दिल्ली में यह जानने के लिए किन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और तत्सम्बन्धी प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए निवासी कल्याण एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें नहीं बुलाते और यदि यदा-कदा बुलाते भी हैं तो चर्चा/दौरों का रिकार्ड तैयार नहीं किया जाता और उसे सरकुलेट नहीं किया जाता ;

(ख) क्या सरकारी क्वार्टरों के रख-रखाव में अव्यवस्था है और उसमें सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है ; और

(ग) यदि हां, तो इस ढील के क्या कारण हैं और कमियों को दूर करने तथा उचित सम्पर्क बनाए रखने के लिए क्या कार्यक्रम शुरू करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि दिल्ली में रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती हैं तथा आमतौर पर विचार-विमर्श की कार्यवाहियां/टिप्पणियां तैयार करके प्रचलित की जाती हैं ।

(ख) सरकारी क्वार्टर का अनुरक्षण सामान्यतः सन्तोषजनक है । अनुरक्षण में सुधार करना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में पट्टे पर भूमि देने की प्रणाली को समाप्त करना

3557. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेंट :**

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में आवासीय प्रयोजनों के लिए आवंटित सारी भूमि को "फ्री-होल्ड" घोषित करने और पट्टे पर भूमि प्रणाली को समाप्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर इस समय किस स्तर पर विचार हो रहा है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत रिहायशी पट्टा सहित दिल्ली में रिहायशी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पट्टा पद्धति को समाप्त कर दिया जाए या उसका उचित संशोधन किया जाए, यह सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने में कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

दिल्ली के लिए वृहत योजना

3558. **श्री चित्त महाटा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली बृहत योजना का संशोधन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी, 1983 तक दिल्ली की वृहत योजना में 118 संशोधन/परिवर्तन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन/परिवर्तन भू उपयोग तथा क्षेत्रीय विनियमिनों से सम्बन्धित हैं तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 "क" के अधीन दिल्ली की वृहत योजना के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए किए गए हैं।

देश में खाद्य तेल की कमी

3559. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित खाद्य तेलों की व्यापक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ खाद्य तेल आयात करने का विचार है ;

(ग) आगामी वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्य तेल आयात करने विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) देश में खाद्य तेलों का उत्पादन उनकी माग की तुलना में कुछ कम होता रहा है। इस कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए सरकार खाद्य तेलों का आयात करती रही है। इनका

आयात कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का किया जाना है, इसका निर्णय समय-समय पर बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिनमें ये बातें भी शामिल हैं। देश में खाद्य तेलों का कितना उत्पादन हुआ है तथा उनकी कितनी मांग है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इसके मूल्यों का क्या रुख है, कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है तथा ऐसी ही दूसरी बातें।

छोटे और मध्यम शहरों का समेकित विकास

3560. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री एच० एन० नंजे गौडा : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उसके मंत्रालय ने छोटे और मध्यम शहरों के समेकित विकास के लिए केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं की प्रगति को तेज करने हेतु सभी राज्यों और संघशासी क्षेत्रों को हाल ही में निर्देश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्यों और संघशासी क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि महानगरों में जनसंख्या में असाधारण वृद्धि के कारण जीवन का स्तर दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए निरन्तर कहा जा रहा है।

(ख) एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) तथा (घ) बड़े शहरों में जनसंख्या के प्रवलन को करने के लिए छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना 1979-80 में आरम्भ की गई गई थी।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विवरण				
	1676-80 दी गई राशि	1980-81 दी गई राशि	1981-82(ख) दी गई राशि	1982-83 (ख) फरवरी-83 के अन्त तक दी गई राशि	1979-83 (ख) दी गई राशि
1. आन्ध्र प्रदेश	42.00	16.95	123.80	33.00	315.75
2. असम	4.92	36.00	13.00	85.12	139.04
3. बिहार	15.00	14.00	109.00	28.00	166.00
4. गुजरात	39.48	34.25	93.00	20.50	187.00
5. हरियाणा	—	—	52.00	—	52.00
6. हिमाचल प्रदेश	—	15.00	—	—	15.00
7. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	5.00	5.00
8. कर्नाटक	—	47.05	32.80	3.50	83.35
9. केरल	9.40	67.00	93.00	27.00	201.40
10. मध्य प्रदेश	35.50	38.00	56.00	35.00	164.50
11. महाराष्ट्र	5.50	114.65	53.90	71.18	245.23
12. मणिपुर	—	4.50	—	4.60	9.10
13. मेघालय	—	—	—	—	—
14. नागालैण्ड	—	—	—	—	—
15. उड़ीसा	15.00	1.00	32.64	29.00	77.94
16. पंजाब	2.00	98.25	89.00	—	189.25
17. राजस्थान	3.15	71.05	113.00	—	187.20
18. सिक्किम	—	5.50	—	—	5.50
19. तमिलनाडु	42.50	148.75	185.25	100.80	477.30
20. त्रिपुरा	—	9.00	—	—	9.00

1 2	3	4	5	6	7
21. उत्तर प्रदेश	10.50	161.55	31.00	15.00	218.10
22. पश्चिम बंगाल	—	10.00	120.00	70.70	200.70
संघ राज्य क्षेत्र					
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	25.00	25.00
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3. दादर तथा नगर हवेली	—	—	—	—	—
4. गोवा, दमण तथा द्वीव	—	3.50	—	—	3.50
5. मिजोरम	—	—	—	20.00	20.00
6. पांडिचेरी	—	4.00	—	—	4.00
योग	225.00	905.00	1209.60	573.40	2900.79

राजस्थान को खाद्यान्न की सप्लाई

3561. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में लगातार चार पांच बार अकाल पड़ने के बावजूद सार्वजनिक वितरण योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राजस्थान को दिया गया गेहूं का कोटा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण योजना के राजस्थान को दिए गए गेहूं की किस्म बहुत घटिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उसे अच्छी किस्म का गेहूं सप्लाई करेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल

में स्टाक की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाता है । मासिक समीक्षा करने के फलस्वरूप, जहां कहीं आवश्यक होता है वहां आबंटनों में वृद्धि/कमी कर दी जाती है । एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों को मार्च, 1983 के महीने के लिए सार्वजनिक वितरण हेतु गेहूं के किए गए आवंटन का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की आवंटित मात्रा पूर्ति की जाती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने के लिए राज्य सरकार को उचित औसत किस्म के अनुरूप स्टाक जारी किया जाता है ।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से मार्च, 1983 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गेहूं के आबंटन को बताने वाला विवरण ।

(हजार मीटरी टन)

राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश	आबंटित मात्रा
आन्ध्र प्रदेश	21.0
असम	19.0
बिहार	50.0
गुजरात	17.5
हरियाणा	2.5
हिमाचल प्रदेश	15.0
जम्मू तथा कश्मीर	7.0
कर्नाटक	5.0
केरल	20.0
मध्य प्रदेश	28.0
महाराष्ट्र	55.0
मणिपुर	2.0
मेघालय	2.1

1	2
नागालैंड	1.0
उड़ीसा	12.0
पंजाब	8.0
राजस्थान	28.0
सिक्किम	0.25
तमिलनाडु	4.0
त्रिपुरा	2.5
उत्तर प्रदेश	100.0
पश्चिमी बंगाल	105.0
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.5
अरुणाचल प्रदेश	1.4
चंडीगढ़	1.5
दादर तथा नागर हवेली	0.02
दिल्ली	41.0
गोवा, दमन और दीव	2.3
पाण्डिचेरी	0.17
मिजोरम	1.05
लक्ष द्वीप	0.04

जंगलों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा

3562. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जंगलों में आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा के लिए उठाये गए कदमों का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार प्रस्तावित जंगलात विधेयक में उन सभी उपायों को शामिल करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार की पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जंगलों में आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाए गए उपायों के सम्बन्ध में जानकारी है ।

(ख) विभिन्न योजनायें आमतौर पर केन्द्रीय सरकार की नीतियों के अनुरूप हैं ।

(ग) तथा (घ) प्रस्तावित वन विधेयक में विशिष्ट विकासात्मक योजनायें शामिल नहीं हैं ।

1980 से पहले प्रारम्भ की गई सिंचाई परियोजनाओं के रास्ते की अड़चनों को दूर करना

3563. **श्री केशवराव पारधी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संशोधन विधेयक, 1980 के अधिनियम के परिणामस्वरूप, उन सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य रोक दिया गया था जो इससे पूर्व कार्यान्वित की जा रही थी और उन परियोजनाओं के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं ; जो लगभग पूरी होने को थी और उनसे सिंचाई कार्य शुरू होने को था ; और

(ख) यदि हां, तो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता पैदा करने के लक्ष्य को को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन सिंचाई परियोजनाओं के, जो 1980 से पूर्व कार्यान्वित की जा रही थीं, के रास्ते में आधी अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ताकि अपेक्षित वन कटाई आदि के पश्चात उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गेहूं की प्रति एकड़ उपज

3564. **श्री जयराम वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि रुक गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1975-76, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन क्या था ; और

(घ) गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (ग) 1975-76, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान गेहूं की अखिल भारतीय प्रति हैक्टार/प्रति एकड़ उपज नीचे दी गई है :—

उपज (किलो ग्राम में)

वर्ष	प्रति हैक्टेयर	प्रति एकड़
1975-76	1410	571
1979-80	1436	581
1980-81	1630	660
1981-82	1696	687

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि गेहूं की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि रुकी नहीं है ।

(घ) गेहूं की उत्पादकता में और अधिक वृद्धि करते के लिए किए जा रहे प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई और अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में विस्तार करना, डीजल, बिजली, उर्वरक, कृमिनाशी जैसे महत्वपूर्ण आदानों की समय पर आपूर्ति करना, तथा विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अधिक उपज देने वाली तथा रोग और रतुआ प्रतिरोधी किस्मों का विकास शामिल है ।

सोन सिंचाई योजना के आधुनिकीकरण की स्वीकृति

3565. **श्री रणजीत सिंह**: क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की 100 वर्ष पुरानी सोन सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजना स्वीकृति के लिए गत चार वर्ष से सरकार के पास लम्बित है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबध में शीघ्र अनुमति प्रदान करने तथा छठी पंच-वर्षीय योजना में इसका निर्माण करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने पुरानी सोन सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक स्कीम 1981 में प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय जल आयोग में की गई उसकी तकनीकी जांच के पश्चात् तथा इस संबंध में दी गई टिप्पणियों के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम को आशोधित किया जाना था। आशोधित परियोजना रिपोर्ट को शीघ्रतापूर्वक तैयार करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया गया था। स्कीम पर निर्माण कार्य तभी आरम्भ किया जा सकता है जब बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आशोधित परियोजना रिपोर्ट को सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाया जाता है और योजना आयोग द्वारा उसे स्वीकृति दे दी जाती है और बिहार सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना द्वारा, में इस स्कीम के लिए किए गए 30 करोड़ रुपए के प्रावधान में से, इस परियोजना के लिए धनराशि की व्यवस्था कर दी जाती है।

देश में पेय जल समस्या-मूलक गांव

3566. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में पेय जल की कमी वाले कितने समस्या-मूलक गांव हैं ;

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान अब तक कितने गांवों को पेय जल उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) क्या यह उपलब्धि विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों को पेय जल की समस्या वाले गांवों की प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षा करने की सलाह देना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की सख्या 2,30,784 थी।

(ख) दिसम्बर, 1982 तक चालू योजना के दौरान पता लगाए गए जिन समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल पूर्ति की गई उनकी संख्या 79,778 है।

(ग) इस मंत्रालय ने वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। वर्ष 1982-83 के लिए लगभग 42,000 समयाग्रस्त ग्रामों का लक्ष्य निर्धारित किया

गया है। वर्ष 1982-83, दिसम्बर, 1982 तक, में सम्पूर्ण देश में 25,963 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभ पहुंचाया गया है।

(घ) 19-1-83 को नयी दिल्ली में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ हुए सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि राज्य एपेक्स समितियां कम से कम प्रत्येक तिमाही में प्रगति का प्रबोधन करें।

कृषि उत्पादन

3568. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में गन्ने का उत्पादन कितना है ;

(ख) वर्ष 1980 से 83 के दौरान तिलहन, दालों और खाद्यान्न का उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि क्या किसानों को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1980-81 और 1981-82 के दौरान गन्ना, तिलहनों, दलहनों और खाद्यान्नों का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

उत्पादन (लाख मीटरी टन में)

फसल	1980-81	1981-82
गन्ना	154.2	183.6
तिलहन	9.4	12.1
दलहन	10.6	11.4
खाद्यान	129.6	133.1

1982-83 के लिए उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सभी प्रमुख फसलों के लिए सरकार ने ऐसे स्तरों पर अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये हैं, जिन्हें लाभकारी मूल्य माना गया है। भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों, राज्य सरकारी विपणन संघों, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, भारतीय कपास निगम, भारतीय पटसन निगम, राज्य व्यापार निगम जैसी सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से घोषित समर्थन मूल्यों पर अधिप्राप्ति और खरीद करके विपणन सहायता प्रदान की जाती है।

मयूर बिहार सहित यमुना पार कालौनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का गिरना

3569. **श्री अनवर अहमद** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना पार क्षेत्र में बनाये गए उन मकानों की संख्या कितनी है जो पिछले दो वर्षों के दौरान उचित सीमेंट और अच्छी सामग्री के अभाव में गिर गए हैं ;

(ख) यमुना पार की उन कालौनियों के नाम क्या हैं जिनमें ये मकान गिरे हैं ;

(ग) ऐसे निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने मयूर बिहार में प्रयुक्त सामग्री की जांच के आदेश वे दिये गए हैं, जिसके कारण ये मकान गिरे हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और यदि जांच की गई है तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्टेडियमों से आय और उन पर व्यय

3570. **श्री सत्यगोपाल मिश्र**: क्या **खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड 1982 के दौरान प्रयोग में लाए गए विभिन्न स्टेडियमों के रख-रखाव पर इस समय कितना व्यय प्रति माह किया जाता है ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) एशियाड 1982 के दौरान निर्मित विभिन्न स्टेडियमों से इस समय प्रतिमाह कितनी आय होती है ; और

(घ) उक्त स्टेडियमों के प्रयोग के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) एशियाड-82 के लिए निर्मित स्टेडियमों के अनुरक्षण पर अनुमानित वार्षिक व्यय नीचे दिया गया है ;

		लाख रुपए
1. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम	...	29.40
2. लान टेनिस स्टेडियम, हौज खास	...	1.20
3. इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम	...	58.00
4. यमुना बेलोड्रोम इन्द्रप्रस्थ एस्टेट	...	3.00
5. तुगलाबाद शूटिंग रेंजिस	...	6.90
6. तालकटोरा तरणताल	...	31.00

(ग) एशियाड-82 के लिए निर्मित स्टेडियमों से जनवरी तथा फरवरी, 1983 की मासवार आय संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) एशियाड-82 के लिए निर्मित स्टेडियमों का, उनके अनुरक्षण के अनुकूल सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके इन स्टेडियमों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से खेल जानकारी बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है।

विवरण

एशियाड-82 के लिए निर्मित विभिन्न स्टेडियमों से, जनवरी तथा फरवरी 1983 के दौरान हुई मासवार-आय दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	स्टेडियम का नाम	जनवरी, 1983		फरवरी, 1983	
		टिकटों की बिक्री से हुई आय	आबंटन से आय	टिकटों की बिक्री से हुई आय	आबंटन से आय
		रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम	16000 (14-1-83 से 31-1-83 तक)	2505	18725	25000

1	2	3	4	5	6
2.	लॉन टेनिस स्टेडियम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम तथा यमुना बेलोड्रोम	10200	488800 (15-12-82 से 31-1-83 तक)	12048	252500
4.	तुगलकाबाद शूटिंग रेंजिस	831	शून्य	796	शून्य
5.	तालकटोरा तरणताल	5651	शून्य	7268	शून्य

मछुओं के लिए सामूहिक बीमा योजना

3571. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र के समूचे मछुआ समुदाय पर सामूहिक बीमा योजना लागू की जाएगी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या 2500 समुद्र तटीय मत्स्य गांवों में रहने वाले और 1,40,000 गैर यांत्रिक परम्परागत नौकाएं, चलाने वाले तथा 17,000 छोटी यांत्रिक नौकाएं चलाने वाले 21 लाख मछुओं को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है जिससे कि वे लोग इस सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा सकें, और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, अन्तर्देशीय नदी घाटी तथा समुद्री क्षेत्रों में कार्य कर रहे उन सभी सक्रिय मछुओं पर लागू होती है, जो मछुआ सहकारी समितियों/संघ/कल्याण संगठनों के सदस्य हैं तथा होंगे। मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अपंग होने पर 15,000/ रुपए का बीमा संरक्षण तथा आंशिक रूप से अपंग होने पर 7,500/ रुपए का बीमा संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक पालिसी पर वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक प्रीमियम का 50 प्रतिशत राशि पर केन्द्रीय सरकार राज सहायता देगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि पूर्ण रूप से या ऐसे संगठनों, जिसके मछुआरे सदस्य हैं, के सहयोग से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वहन की जाएगी। वार्षिक प्रीमियम के आधार पर केन्द्रीय राज-

सहायता संगठनों को राज्य सरकारों के माध्यम से नियुक्त की जाएगी जिसे ये संगठन बीमा कम्पनियों को अदा करेंगे।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार समुद्री मछुओं की 21 लाख जनसंख्या में से लगभग 5 लाख सक्रिय मछुआरे हैं। उसमें से लगभग 2.5 लाख मछुए समुद्री प्राथमिक मात्स्यकी सहकारी समितियों के सदस्य हैं।

ऐसे सक्रिय मछुआरे, जो सहकारी क्षेत्र में नहीं आते हैं, इस सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। तथापि, कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मछुआरों की सहकारी समितियों का सदस्य बनाने के प्रयास किए गए हैं।

प्रमाणित बीजों का सीमित उत्पादन

3572. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रजनक और आधार बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण प्रमाणित बीजों के उत्पादन सीमित हैं और राष्ट्रीय बीज निगम को प्रजनक और आधार बीजों तथा सब्जियों के बीजों के उत्पादन का काम सभालना था और भारतीय राज्य फार्म निगम को भी महत्वपूर्ण अनाजों और विशेषकर तिलहन, सब्जियों आदि अन्य समूहों के बीजों का उत्पादन भी करना था ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अब देश प्रमाणित बीजों में आत्मनिर्भर है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) आधारी बीजों तथा आधारी बीजों से प्रमाणीकृत बीजों में आगे और संवर्धन करने के लिए प्रजनक बीजों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की करने दृष्टि से सरकार ने भारतीय कृषि अनुसधान परिषद के संस्थानों तथा कृषि विश्व विद्यालयों के अतिरिक्त 1982-83 में राष्ट्रीय बीज निगम लि० तथा भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड को प्रजनक बीजों का उत्पादन करने का कार्य सौंपने का निर्णय कि ये दो निगम आधारी बीजों का उत्पादन पहले से ही कर रहे हैं।

(ख) उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप, 1982-83 के दौरान प्रजनक बीजों का अनुमानित उत्पादन 10,655 क्विंटल होने की सम्भावना है, जबकि 1981-1982 मे 3,915 क्विंटल हुआ था। 1982-83 में इन दो निगमों का प्रजनन बीजों का अनुमानित उत्पाद 4,778 क्विंटल है। 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम लि० द्वारा किया गया आधारी बीजों का अनुमानित उत्पादन 1.03 लाख क्विंटल है, जबकि 1981-82 का उत्पादन 0.75 लाख क्विंटल है।

(ग) 1982-83 के दौरान देश में 40.00 लाख क्विंटल के लक्ष्य की तुलना में अच्छी किस्म के 42.00 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया गया। तथापि, अप्रैल तथा मई, 1982 में आसामयिक वर्षा के कारण गेहूं के बीजों की पर्याप्त क्षति हुई। इसके फलस्वरूप, गेहूं के बीजों की कमी हुई थी। परन्तु यह कमी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में आवश्तक परीक्षण करने के बाद भारतीय खाद्य निगम से गेहूं के अच्छे किस्मों के दानों की सप्लाई करके पूरी की गई।

उर्वरकों में मिलावट का पता लगाने के लिए मंडलीय/जिला प्रयोगशालाओं की स्थापना

3573. **श्री रेणुपद दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उर्वरकों के जब्त किए गए नमूनों में मिलावट की मात्रा और किस्म का पता लगाने और उस पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए राज्य स्तर पर एक प्रयोगशाला की बजाय मंडलीय/जिला प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रभाग अथवा जिला स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना करना इस समय न तो आवश्यक समझा गया है और न ही सम्भव है।

निर्माताओं द्वारा उर्वरक का विवरण।

3574. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की खंड मुख्यालयों तक उर्वरक वितरण की योजना, जिसमें काफी मात्रा में अतिरिक्त परिवहन राजसहायता शामिल है, के इच्छित परिणाम नहीं निकले हैं ;

(ख) योजना की असफलता के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार अब निर्माताओं को स्वयं खंड मुख्यालयों तक उर्वरक वितरण करने के लिए कह कर इस योजना के क्रियान्वयन की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह योजना 1-4-1981 से चल रही है। राज्य सरकारों, संस्थागत एजेंसियों,

विनिर्माताओं, पूल सम्भाल एजेंसियों, के साथ समय-समय पर हुई बैठकों के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ योजना की कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया और यह बताया गया कि यह योजना अधिक उपयोगी पाई गई है और दूर-दराज के इलाकों में उर्वरक अधिक आसानी से पहुंच रहा है। यह भी देखा गया है कि सारे देश में अनियमित मौसम की स्थिति होने के बावजूद 1982 83 में उर्वरकों की खपत में लगभग 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इस योजना के लागू होने के बाद विक्रय केन्द्रों की संख्या भी लगभग 1.10 लाख से बढ़कर 1.30 हो गई है। तथापि योजना के लाभों का विशिष्ट मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है। इस समय सरकार इस प्रकार का अध्ययन करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

"हरित क्रान्ति" में गतिरोध

3575. **श्री जेवियर अराकल :**

श्री पीयूष तिरकी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन में 30 प्रतिशत के कमी के कारण सरकार 1982-83 में खाद्यान्न की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या भारतीय कृषि क्षेत्र में "हरित क्रांति" में गतिरोध आ गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर 1982-83 में खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछले वर्ष के 1331 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 50 से 80 लाख मीटरी टन की कमी अर्थात् लगभग 4 से 6 प्रतिशत की गिरावट होने की सम्भावना है। सरकार द्वारा 39.5 लाख मीटरी टन गेहूं के आयात का करार किया गया है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए "बफर स्टाक" में वृद्धि की जा सके।

(ख) जी, नहीं।

एशियाड के लिए दानदाता कार्ड

3576. **श्री के० ए० राजन :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड के लिए दान दाताओं को अपने दानदाता (सोने के) कार्ड दिखा कर सभी खेल देखने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने लोगों ने दान दिया था और सोने के कार्ड प्राप्त किए थे ·

(घ) उनके लिए ब्लाक में बैठने का प्रबन्ध किया गया था ;

(ङ) क्या संसद सदस्यों को पूर्वी द्वार के पास दिए गए थे जहां से वे उद्घाटन और समापन समारोह के दिन केवल खिलाड़ियों की पीठ देख सकते थे ; और

(च) उन्हें प्रधान मन्त्री के ब्लाक/आसन के किसी भी ओर दक्षिण द्वार में स्थान देने में क्या कठिनाई थी ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं । तीरंदाजी, साइक्लिंग, गोल्फ, भारोत्तोलन, नौकायन, हैण्ड-बाल और निशानेबाजी के सिवाय, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए सुनहरे रंग के दानदाता टिकट, समूल्य सीजन टिकट थे । प्रत्येक ऐसी टिकट से दानदाता एक विशेष खेल-प्रतियोगिता को फाइनल तक देखने का हकदार होता था । तथापि, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के लिए इस प्रकार के टिकट, उद्घाटन समारोह, एथलेटिक्स, फुटबाल-मैचों और समापन समारोह आदि के लिए मान्य थे । एक टिकट पर केवल एक ही व्यक्ति को अन्दर जाने की अनुमति था ।

(ग) कुल मिलाकर, 19 व्यक्तियों/फर्मों ने दानदाता टिकट खरीदे और इस प्रोत से लगभग 14 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया ।

(घ) विभिन्न स्टेडियमों में जिनके लिए ये टिकट जारी किए गए थे, बैठने के स्थान अलग से निर्धारित किए गए थे ।

(ङ) संसद सदस्यों, राज्य सरकारों के राज्यपालों और मुख्य मन्त्रियों को पूर्वी परिसर में बैठाया गया था । उद्घाटन समारोह के दौरान भाग लेने वाले देशों के दलों ने दक्षिण-पूर्व द्वार से स्टेडियम में प्रवेश किया और पूर्वी परिसर में बैठे हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लेने वालों को किसी अन्य परिसर में बैठे हुए व्यक्तियों से पहले देखा सांस्कृतिक दलों में भाग लेने वाले प्राय चलते ही रहे थे और अधिकांश सांस्कृतिक मदों में चार प्रदर्शन एक जैसे ही थे, जो प्रत्येक परिसर के सम्मुख एक ही समय पर किए गए थे ।

(च) दक्षिण परिसर भाग लेने वालों के लिए निर्धारित था, क्योंकि उनके लिए चेंज रूम तथा अन्य सुविधाएं उक्त परिसर के नीचे स्थित थीं।

डी० डी० ए० द्वारा मकानों का शीघ्रता से निर्माण

3577. **श्री हरिहर सोरन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विवकास प्राधिकरण ने कम समय में अधिक मकानों का निर्माण करने का कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए डी० डी० ए० द्वारा किस क्षेत्र का चयन किया गया है ; और

(ग) डी० डी० ए० द्वारा निर्मित उन मकानों की संख्या कितनी है, जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक आवंटित किए जाने की सम्भावना है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय के उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया गया है कि उसने अब तक विभिन्न श्रेणियों के 85,900 से अधिक मकानों का निर्माण किया है । उसने आगे यह बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 20,00 से 25,0000 मकानों के पूर्ण किए जाने की सम्भावना है जिन्हें यथासमय पर जनता के लिए रिलीज कर दिया जाएगा ।

सोवियत रूस के शिष्ट मंडल का दौरा

3578. **श्री बाबू राव परांजवे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्यान मन्त्री की अध्यक्षता में सोवियत रूस के एक शिष्ट मंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था जैसा कि 11 फरवरी, 1983 के "नेशनल हेराल्ड" में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो भारत के दौरे पर आए शिष्ट मंडल का ब्यौरा क्या है और भारतीय समकक्षों के साथ क्या चर्चा हुई तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) यदि उद्यान/कृषि के क्षेत्र और संयंत्रों की स्थापना के लिए किसी सहायता का प्रस्ताव किया गया हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) मि० यू० के० तुरकिन, विभाग प्रमुख, रूस खाद्य मंत्रालय के नेतृत्व में सोवियत विशेषज्ञों का एक शिष्टमण्डल तमिलनाडु में स्थित वेल्लोर की भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की फैक्ट्री में सोवियत रूस की सहायता से उष्ण कटिबंधीय फलों के गूदों का अपूर्तिक परिक्षण करने

के लिए एक प्रयोगात्मक प्लांट लगाने हेतु तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए फरवरी 9 से 22, 1983 तक के लिए भारत आया था। शिष्टामण्डल के अन्य सदस्यों के नाम नीचे दिए जाते हैं।

1. डा० वी० टी० काबानोव,
"जी० आई० पी० आर० ओ० पी० आई० एस० एच० ई० पी० आर० ओ० एम०"
के स्टेट डिजाइन इंस्टीट्यूट के निदेशक

2. श्रीमती आई० एस० स्त्रादेवा,
अर्थशास्त्री
"जी० आई० पी० आर० ओ० पी० आई० एस० एच० ई० पी०
आर० ओ० एम०' इंस्टीट्यूट

3. मि० वी० एस० कुजनेत्सोव,
विशेषज्ञ,
आर्थिक कार्य के परामर्शदाता,
सोवियत रूस दूतावास, नई दिल्ली

4. श्रीमती आई० जी० रितोवा,
दुभाषिया।

विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों ने उत्पाद-सम्मिक्षण सहित विभिन्न पैरामीटरों के संदर्भ में व्यवहार्यता रिपोर्ट की पुनः जांच की गई थी। इसके फलस्वरूप रिपोर्ट में संशोधन किया गया है और विस्तृत उत्पादन सम्मिश्रण में आम, पपीते और अमरूद के गूदे तथा जैम और अनन्नास के उत्पाद शामिल होंगे। इस परियोजना के लिए सोवियत सहायता की पेशकश में मशीनरी और उपकरणों की सप्लाई और सोवियत विशेषज्ञों की सेवाएं शामिल हैं। इस सहायता का प्रतिदेय परियोजना के उत्पादों का निर्यात कर दिया जाएगा। सहायता की शर्तों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

छोटे किसानों के लिए योजनाएं

3579. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री रसीद मसूद : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से अब तक छोटे किसानों के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने योजनाओं के कार्यों का कोई गहन विश्लेषण किया है और उसके परिणामस्वरूप छोटे किसानों को क्या लाभ मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि योजनाओं/कार्यक्रमों में कोई कमियां हैं तो वे क्या हैं और सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) लघु कृषक विकास कार्यक्रम को छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया है। छोटे तथा सीमान्त किसान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्षित वर्ग में आते हैं।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन शुरू किया है तथा रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि विकास

3580. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री रशीद मसूद : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम मास्टर प्लान में आवास और हरित क्षेत्र के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने एकड़ भूमि का विकास किया जाना था ;

(ख) आवास और हरित क्षेत्र के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तव में कितने एकड़ भूमि का विकास किया गया (अलग-अलग दिखाया जाए) ;

(ग) लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) वह भूमि कुल कितने एकड़ है जिसका अवैध कब्जे के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास नहीं किया जा सका ; और

(ङ) उन कालोनियों की संख्या कितनी है जो अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर बनी हैं और उनका क्षेत्र कितना है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली के लिए 1 सितम्बर, 1962 से भावी 20 वर्षों तक के लिए केवल एक बृहत योजना है। यह योजना फिर आगे सन् 2001 के लिए प्रक्षेपित की जा रही है। इस योजना में इस समय लगभग

1.10 लाख एकड़ नग रीकरण योग्य सीमाओं का विकास करना दिखाया गया है जिसमें से 47,400 एकड़ रिहायसी उपयोग तथा 25,000 एकड़ मनोरंजनात्मक उपयोग के लिए है। नगरीकरण योग्य सीमाओं के अंतर्गत जो कुल क्षेत्र अर्जन के लिए उद्दिष्ट किया गया था वह लगभग 62,000 एकड़ था।

(ख) बृहत योजना के आधार पर भू-अर्जन दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और दिल्ली विकास प्राधिकरण सबसे बड़ा विकासकर्त्ता है परन्तु वह एकमात्र विकासी कर्त्ता नहीं है। दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई 44,960 एकड़ भूमि में से अधिकांश भूमि को निम्न प्रकार से उपयोग में लाया गया है :—

(क) रिहायसी (सामान्य)	13,900 एकड़
(ख) रिहायसी (पुनर्वास)	7,180 एकड़
(ग) औद्योगिक	2,700 एकड़
(घ) (1) वाणिज्यिक सांस्थानिक, सरकारी	6,050 एकड़
(2) —वही—सीधे ही दिल्ली प्रशासन द्वारा आवंटित)	2,242 एकड़
(ङ) मनोरंजनात्मक	7,110 एकड़
(च) अनधिकृत उपयोगाधीन	2,290 एकड़
(छ) रिक्त (अब विकसित की जाने वाली)	3,310 एकड़
कुल योग	44,960 एकड़

(ग) भू-अर्जन की लम्बी (जटिल) प्रक्रिया पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त न करने का मुख्य कारण है।

(घ) 2,290 एकड़

(ङ) सरकारी नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने सारी दिल्ली में नियमितीकरण के लिए 612 अनधिकृत कालोनियों की एक सूची बनाई है। तथापि

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गठित एक तकनीकी समिति इस सूची की जांच कर रही है और इस अनधिकृत कालौनिया के दखल में लगभग 4,000 हैक्टेअर भूमि है जिसमें निजी व गैर कानूनी रूप से दखल की गई सार्वजनिक भूमि दोनों ही शामिल हैं।

कालकाजी, प्रीतमपुरा और उत्तरी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजनाओं में संरचनात्मक खराबियां

3581. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** :

श्री छोटे सिंह यादव : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता ने अपनी रिपोर्ट में कालकाजी, पीतमपुरा और उत्तरी दिल्ली में पूरी होने वाली डी० डी० ए० की तीव्र प्रतिष्ठित आवास योजनाओं में संरचनात्मक खराबियों का उल्लेख किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निर्माणाधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं में से एक के तकनीकी निरीक्षण के दौरान मुख्य इंजीनियर (कोटि नियन्त्रण) ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि तीन स्थानों में संरचनात्मक घटकों पर अधिक दवाब पड़ने की सम्भावना थी तथा अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक (आयोजना) दिल्ली विकास प्राधिकरण को परिकलनों की पुनः जांच करने तथा अधिक दवाब के मामले में उन घटकों को सुदृढ़ करने के उचित उपाय करने को कहा गया। इसने यह भी सूचित किया है कि ग्रेटर कैलाश, कालकाजी एक्सटेंशन एवं पीतमपुरा में सम्बन्धित वास्तुकीय योजना के अनुसार भवन निर्माणाधीन हैं।

(ख) मुख्य इंजीनियर (कोटि नियन्त्रण) ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित तीन सम्भावित अधिक दवाब वाले स्थानों का उल्लेख किया था :

(1) तृतीय तल पर अवस्थित झुके कक्ष की टेक दीवार के किनारे पर।

(2) द्वितीय तथा तृतीय तल पर ईंट चिनाई आर० सी० सी० स्तम्भ।

(3) भूमि तल पर ईंट की चिनाई वाली दीवार।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक (आयोना) ने डिजाइन परिकलनों की दोबारा जांच की तथा उसकी रिपोर्ट के अनुसार, इन स्थानों पर वाब भारतीय मानक कोड में उल्लिखित अनुमेय सीमाओं के भीतर है । इसने यह भी सूचित किया कि सुरक्षा के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में तृतीय तल के लम्बित कक्ष के नीचे ईंट की दीवार ो चौड़ा किया जा रहा है ताकि तृतीय तल के कक्ष को पूर्ण टेक दी जा सके तथा झुकाव को दूर किया जा सके ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण की क्वालिटी की जांच के लिए कक्ष

3582. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की ृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की र्माण की क्वालिटी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के कार्यकरण की जांच ; लिए एक कक्ष स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का जनता के साथ पत्र-व्यवहार ा कार्य बहुत धीमा है और यदि हां, तो इनकी गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण में क्वालिटी नियन्त्रण कक्ष की पहले ही स्थापना की जा चुकी है ो अपने इंजीनियरिंग विंग अलग स्वतन्त्र रूप से तथा सीधे ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के ः उपाध्यक्ष के अधीन कार्य करता है । इसका अध्यक्ष मुख्य इंजीनियर (कोटि नियन्त्रण) है तथा समें 3 कार्यपालक इंजीनियर तथा 4 सहायक इंजीनियर हैं ।

(ग) जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लोगों से प्राप्त पत्रों के उत्तर ाघ्र देने के प्रयास किए जा रहे हैं । कई मामलों में लोगों से प्राप्त शिकायतों की उच्च अधिारियों तथा कोटि नियन्त्रण कक्ष द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाती है कि लोगों ो शीघ्र उत्तर भेजे जाएं ।

दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पश्चिमी बंगाल की सहायता

3583. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को वर्ष 1981-82 और 1982-83 में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत क्या सहायता दी गई है ;

(ख) उसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लिए 1983-84 की योजना क्या है ; और

(ग) योजना के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पश्चिम बंगाल में दलहनों के विकास सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। इसमें प्रमाणीकृत ठीक तरह से लेवल लगे बीजों, वनस्पति रक्षण रासायनों, उपकरणों तथा प्रचालन शुल्कों तथा राइजोबियम कल्चर के उत्पादन और वितरण और प्रदर्शनों पर राजसहायया देना भी शामिल है। इसके अलावा सिंचाई लागतों तथा ग्रीष्म मूंग के उत्पादन के प्रचार के लिए भी राजसहायता दी गई है। प्रजनक आधारी बीजों के उत्पादन के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी गई है।

1981-82 तथा 1982-83 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को इस कार्यक्रम के तहत क्रमश: 6.05 लाख रुपए तथा 15.82 लाख रुपए की धनराशि दी गई है।

(ख) तथा (ग) 1983-84 के दौरान यह योजना जारी रहेगी। घटकवार विवरण तैयार किया जा रहा है।

नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा नये बिजली/पानी के कनेक्शन

3584. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा नये बिजली/पानी के कनेक्शन देने के बारे में 18 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली नगर पालिका की नीति के अन्तर्गत बिजली/पानी के नये कनेक्शन केवल जोरबाग, गोल्फ लिंक्स, आदि रिहायशी क्षेत्रों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ही दिए जा सकते हैं, और क्या जनवरी, 1976 से इस नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि बिजली/पानी की सम्पूर्ण खपत का प्रभार घरेलू मीटर में से एक भी यूनिट गैर-आवासीय/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ही प्रयोग क्यों न किया गया हो ;

(ग) क्या किसी निवास का कभी-कभी व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग कर पर घरेलू दरें वसूल की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित, प्रावधानों की एक प्रति सभापटल पर रखी जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) नयी दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि पालिका की नीति के अनुसार रिहायशी कालोनियों में बिजली/पानी के कनेक्शन केवल रिहायशी प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं तथापि क्षेत्रीय आयोजना के अनुसार कुछ वाणिज्यिक पाकेटों में उदाहरणतः विपणन केन्द्रों आदि जो कि रिहायसी क्षेत्रों में भी हैं, ऐसे पाकेटों में वाणिज्यिक कनेक्शन दिए जाते हैं ;

नयी दिल्ली नगर पालिका ने आगे बताया है कि जनवरी, 1976 से बिजली और पानी के कनेक्शन देने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । किन्तु मार्च, 1976 में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की स्पष्ट व्यवस्था करके उसे तर्क संगत बनाया गया और उसे दिल्ली नगर निगम के द्वारा निर्धारित पानी की दरों के समान लाया गया । दुबारा जुलाई, 1977 में पालिका ने पानी की दरों को फिर तर्कसंगत बनाया । उसके बाद पानी की दरों की पद्धति में या पानी के कनेक्शन देने की नीति के बारे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ सिवाय उस पद्धति के आधार पर दरों के संशोधन के ।

(ख) नयी दिल्ली नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि सामान्यतः अब कनेक्शन दिया जाता है तो उसे उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग करना होता है जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है । जहां तक बिजली के कनेक्शन का सम्बन्ध है यदि कोई घरेलू कनेक्शन या उस कनेक्शन का एक प्वाइन्ट भी वाणिज्यिक या अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सम्पूर्ण कनेक्शन को वाणिज्यिक समझा जाता है । यह भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 23 के अनुसार है जिसके अनुसार यदि कोई भी कनेक्शन और उसका कोई भी हिस्सा, जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृत हुआ है उसके अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए यदि उसका दुरुपयोग किया जाता है तो पूर्तिकर्ता उपभोक्ता से दुरुपयोग प्रभारों के अतिरिक्त दोनों दरों से जो अधिक है उस पर से प्रभार वसूल करने का अधिकारी है ।

पानी के कनेक्शन के बारे में पालिका के दिनांक 8-8-75 के सकल्प सं० 27, जिसे बाद में दिल्ली प्रशासन ने अनुमोदित कर दिया, के अनुसार, पानी के कनेक्शन की वसूली भी दोनों दरों में से उच्चतम दर पर की जाएगी यदि उसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा हो ।

(ग) नयी दिल्ली नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि यदि उसके रिहायशी परिसर में

कोई नियमित क्लीनिक या व्यापारिक कार्यालय नहीं है तो उससे बिजली और पानी की दरें घरेलू दरों पर वसूल की जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि वे अपने रिहायसी परिसर के किसी भाग में व्यवसाय चलाते हैं तो उस मामले में यदि उन्होंने व्यवसाय वाले भाग के लिए अलग मीटर ले रखा हो तो घरेलू मीटर पर खपत की गई बिजली/पानी की वाणिज्यिक दरें नहीं ली जाती हैं। यदि व्यवसाय के लिए उपयोग में लाए गए परिसर के भाग के लिए कोई अलग मीटर नहीं है तो उस मामले में सम्पूर्ण खपत के लिए उच्चतम दरें वसूल की जाती हैं। उसी प्रकार इस तरह से खपत की जा रही बिजली के मामले में दुरुपयोग प्रभारों की वसूली के अलावा सम्पूर्ण पूर्ति पर वाणिज्यिक दर वसूल की जाती है। यदि परिसर के जिस भाग को व्यवसाय के उपयोग में लाया जा रहा है उसमें पानी का नल नहीं है तो इस परिसर के लिए जलपूर्ति के प्रभार घरेलू नरों पर ही वसूल किए जाते हैं।

(घ) निम्नलिखित संगत प्रावधानों की प्रतियां अनुलग्नक 1, 2 और 3 में संलग्न हैं :—

(1) नगर पालिका का संकल्प सं० 27 दिनांक 8-8-75,

(2) अधिसूचना सं० एफ/11/78-स्थ० स्वा० शा० दिनांक 8-5-78 और

(3) नयी दिल्ली नगर पालिका के उप वाणिज्यिक अधिकारी की टिप्पणी

[ग्रंथालय में रखे गए बेखिए संख्या एल० टी०—6159/83]

सामाजिक और कृषि वानिकी के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

3585. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के दौरान पौध-रोपण के बारे में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कई राज्यों में सूखा और बाढ़ के बावजूद वहां प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां।

विवरण

सामाजिक तथा फार्म वानिकी के तहत 1982-83 के लक्ष्य और 15-3-1983 तक की उपलब्धियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सामाजिक वानिकी		फार्म वानिकी	
	लक्ष्य	उपलब्धियां (क्षेत्र हैक्टार में)	लक्ष्य	उपलब्धियां (पौधों की संख्या लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	29000	28388	600.00	782.00
2.	असम	3600	4200	30.00	17.00
3.	बिहार	18000	18100	200.00	200.00
4.	गुजरात	24680	25143	1500.00	1592.00
5.	हरियाणा	17000	17000	800.00	512.00
6.	हिमाचल प्रदेश	13600	11133	100.00	57.42
7.	जम्मू और कश्मीर	4000	540	40.00	86.00
8.	कर्नाटक	4365	20728	1075.00	970.00
9.	केरल	3000	3677	300.00	511.00
10.	मध्य प्रदेश	38000	60517	1000.00	1010.00
11.	महाराष्ट्र	26000	33270	150.00	996.00
12.	मणिपुर	700	870	7.00	7.38
13.	मेघालय	3630	2330	4.00	7.20
14.	नागालैण्ड	1694	3647	12.50	44.00
15.	उड़ीसा	20000	17394	89.00	173.07
16.	पंजाब	10050	10220	450.00	304.00
17.	राजस्थान	12300	11300	104.00	113.00

1	2	3	4	5	6
18.	सिक्किम	—	1639	—	4.00
19.	तमिलनाडु	43000	36555	217.00	23.00
20.	त्रिपुरा	2450	1392	5.00	3.00
21.	उत्तर प्रदेश	41000	36316	1138.00	1207.00
22.	पश्चिम बंगाल	20000	16450	270.00	300.00
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	268	—	0.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	830	1648	1.60	1.84
3.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
4.	दादर तथा नगर हवेली	—	481	—	7.30
5.	दिल्ली	—	28	—	0.40
6.	गोवा, दमन तथा दीव	—	220	—	9.24
7.	मिजोरम	2000	4155	4.00	4.00
8.	पाण्डिचेरी	—	206	—	0.30
	योग अखिल भारत	338,899	370,815	8097.10	8940.86

दिल्ली में खेल संस्थान खोलने का प्रस्ताव

3586. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बजट में एशियाई खेलों के लिए शीर्षवार कितना प्रावधान किया गया और 15-3-83 तक मद-वार वस्तुतः कितना खर्च किया गया ;

(ख) क्या सरकार भविष्य में इन स्थायी संरचनाओं/निर्माणों के सही उपयोग के लिए, जापान की तरह, दिल्ली में एक खेल संस्थान खोलने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास इन संरचनाओं को दूरदर्शन या किसी दूसरे संस्थान को किराए पर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एशियाई खेलों के लिए केन्द्रीय बजट में किए गए शीर्ष-वार प्रावधान तथा 28 फरवरी, 1983 तक दर्ज किए गए व्यय को दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है ।

(ख) और (ग) यद्धपि प्रश्न से यह स्पष्ट है कि किन स्थायी संरचनाओं/निर्माण कार्यों से माननीय सदस्यों का भावाश्य है , हो सकता है कि उनका संकेत एशियाड 1982 के दौरान इस्तेमाल किए गए स्टेडियमों की ओर हो । स्टेडियमों के उचित उपयोग और रख-रखाव के लिए किए जाने वाले अपेक्षित प्रबन्धों पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है । विचाराधीन प्रस्तावों में स्टेडियमों को दूरदर्शन को किराए पर देना शामिल नहीं है और ये किसी विशेष विदेशी संस्था के माडल पर आधारित नहीं हैं ।

विवरण

क्रम सं०	उप-शीर्षक (मद)	1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान संस्वीकृत बजट	1980-81, 1981-82 और 1982-83 (20-2-83 तक के दौरान खेल विभाग द्वारा दर्ज व्यय	
1	2	3	4	
	(क) राजस्व शीर्ष	(रुपये करोड़ों में)	(रुपये करोड़ों में)	
1.	एशियाई खेल का सैल	0.27	0.20	
2.	विशेष आयोजन समिति को सहायक अनुदान *	10.00	9.33	
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण को सहायक अनुदान	9.22	11.24 *	(*) भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि के रूप में लिए गए।
4.	राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला को सहायक अनुदान	3.68	3.68	3.82 करोड़ रु० सहित

1	2	3	4
5.	नई दिल्ली नगरपालिका को सहायक अनुदान	4.34	4.34
6.	अन्य संगठनों को सहायक अगुदान	1.46	1.39
7.	अन्य कार्यक्रम	6.72	4.06
	कुल (राजस्व)	35.69	33.24
	(ख) पूंजीगत शीर्ष **	25.17	21.91
	कुल योग (क और ख)	60.86	55.15

*इसके अतिरिक्त शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदित बजट में से 1979-80 के दौरान एशियाई खेल आयोजक समित (अब इसका स्थान भा० ओ० सं० ने ले लिया है) के लिए 0.05 करोड़ रु० की राशि संस्वीकृत की गई थी।

**इसके अतिरिक्त शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदित बजट में से के० लो० नि० वि० द्वारा 1979-80 में 0.03 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

पंचायत राज संस्थाओं के लिए चुनाव

3587. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में पंचायत संस्थाओं जैसे नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं, निगमों के लिए चुनाव नियत अवधि की समाप्ति के बाद नहीं हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि पंचायत राज की स्थापना संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में से एक है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संस्थाओं के ठीक रूप से काम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं अर्थात ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव 9 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में होने हैं ।

(ख) जी हां । ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में से एक है ।

(ग) पंचायती राज राज्य का एक विषय है तथा राज्य विधानों में अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे निकायों की स्थापना करने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार पन्चायती राज के मामलों पर केवल नीति निर्देश ही देती है । केन्द्रीय सरकारने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि पंचायती राज निकायों के चुनाव समय पर कराए जाएं ।

डी० आई जेड० एरिया के श्रेणी दो क्वार्टरों के निवासियों से ली जाने वाली लाइसेंस फीस

3588. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० आई० जेड० एरिया (गोल मार्किट, काली वाड़ी मार्ग और और मन्दिर मार्ग) के श्रेणी-दो क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी लाइसेंस कर्मचारियों से ली जाने वाली फीस किदवई नगर, आर०के० पुरम० और एण्ड्रयूज गंज से श्रेणी-दो में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से ली जाने वाली लाइसेंस फीस की तुलना में अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिक लाइसेंस फीस के बावजूद गोल मार्किट काली बाड़ी मार्ग

और मन्दिर मार्ग के श्रेणी-दो के क्वार्टरों में वाशबेसिन और सिंक और एक कमरे में अलमारी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जब कि इन सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो ये सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली/नई दिल्ली में टाइप "बी" से "डी" तक के क्वार्टरों के सम्बन्ध में एफ० आर० 45 ए के अन्तर्गत लाइसेंस फीस को पूलित किया गया है और सभी कालोनियों में टाइप "बी" से "डी" के सभी क्वार्टरों के लिए प्रति वर्ग मीटर पूलित दर एक समान है। इसलिए अधिक रिहायशी क्षेत्र वाले क्वार्टरों की मानक लाइसेंस फीस उन क्वार्टरों की मानक लाइसेंस फीस से अधिक है जिनका रिहायशी क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम है। एण्ड्रयूज गंज में टाइप-II का कोई क्वार्टर नहीं है।

(ग) सरकारी आवासों में फिटिंग तथा जुडनारों के मापदण्ड क्वार्टरों के टाइप के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं न कि विभिन्न क्षेत्रों में क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के आधार पर ।

(घ) तथा (ङ) विद्यमान फ्लैटों में अतिरिक्त सुविधओं/फिटिंगों का प्रावधान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है जिसके लिए समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

शालीमार बाग में डी० डी० ए० फ्लेटों का आवंटन

3589. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार बाग में डी० डी० ए० के फ्लैटों का आवंटन मई 1982 के अतिन्म सप्ताह में लाटरी निकाल कर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन विभिन्न टाइप के फ्लैटों की संख्या कितनी है जिनके लिए लाटरी निकाली गई थी ;

(ग) प्रत्येक आवंटी ने फ्लैट की कितनी कीमत देनी है ;

(घ) क्या यह सच है कि एम० आई० जी० के फ्लैटों के लिए लाभों को कहा गया है कि वे 40,000/-रुपये से 50,000/-रुपए की पूरी कीमत की अदायगी करें ;

(ङ) यदि हां, तो इस धनराशि को किश्तों में न लेने के क्या कारण हैं जैसा कि इन वर्षों में रहा होता है ; और

(च) क्या लोगों की आर्थिक हालत को ध्यान में रख कर डी० डी० ए० यह धनराशि किश्तों में लेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वन संसाधनों में कमी

3590. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे उन वन संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो बड़ी तेजी में, प्रतिवर्ष सेब की पेकेजिंग के लिए 4,00,000 टन लकड़ी और अन्य फसलों की पेकेजिंग में खपत की जा रही इससे आठ गुना अधिक लकडी के रूप में कम होते जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सेबों तथा अन्य फसलों की पेकेजिंग के लिए किसी वैकल्पिक तरीके पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन संसाधनों का बड़ी तेजी से ह्रास हो रहा है जिसका कारण पैकिंग सम्बन्धी कार्यों के लिए लकड़ी की आवश्यकता ही नही है बल्कि ईंधन और अन्य कार्यों के लिए लकड़ी की बढ़ती हुई मांग का होना भी है । अतः छठी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक वानिकी और उत्पादन वानिकी, दोनों के अन्तर्गत वनरोपण का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 12.2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 107.28 करोड़ रुपये की लागत से किए गए वृक्षारोपण की तुलना में छठी योजना में 452.19 करोड़ रुपये के परिव्यय से लगभग 21.47 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ख) जी, हां ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा बीजों की बिक्री में कमी

3591. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीजों की बिक्री में कमी की है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों ने पिछले पांच बर्षों के दौरान वर्षवार कितने बीजों की किस्मों की तथा सम्बद्ध संस्थानों द्वारा जनन द्रव्य के तौर पर कितने पशु और मुर्गियां बेची गयीं और प्रत्येक संस्थान का इन वर्षों में वार्षिक बजट कितना था ;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित कृषि विश्वविद्यालयों की आनुपातिक बिक्री कितनी थी ; और

(घ) क्या कृषि का क्षेत्र राज्य का विषय होने के कारण सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को बन्द करने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 100 करोड़ रुपये के वार्षिक खर्चे के औचित्य में असफल रहने को ध्यान में रखते हुए और उनके काम को सम्बद्ध कृषि विश्वविद्यालयों को हस्तांतरित करने पर विचार करेगी ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बीज बिक्री में पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई कमी नहीं आयी है ; केवल 1980-81 और 1981-82 के अतिरिक्त जब कि गेहूं के करनाल बंट रोग के कारण कुछ भंडारित बीज दूषित हो गया था। दूसरी ओर भा० कृ० अ० सं० द्वारा बेचे जाने वाले बीज की मात्रा में 1982-83 के दौरान भारी वृद्धि हुई, जैसा कि आगे दर्शाया गया है।

भा० कृ० अ० सं० द्वारा पिछले पांच वर्षों (1978-79 से 1982-83 तक) के दौरान बेचे गए बीज की मात्रा (क्विंटल में)

1978-79	1979-80	1980-81	1982-83
623.91	685.05	585.01	1093.06

(ख) भा० कृ० अ० प० के विभिन्न संस्थानों से सूचनाएं एकत्र की जा रही है और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) भा० कृ० अ० प० से वित्तीय सहायता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों से सूचना मांगी गई है और उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों और भा० कृ० अ० प० के संस्थानों के बीच कार्यकलाप की भागीदारी को निकट सहयोग प्रदान करती है। इस प्रणाली के भारी लाभ हैं और इस प्रकार किसी भी भा० कृ० अ० प० के संस्थान को बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

गेहूं का आयात, भंडार और मूल्य

3592. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से कितना गेहूं आयात किया जा रहा है, किन-किन देशों तथा किस मूल्य पर आयात किया जा रहा है ;

(ख) इसे जनता को किस मूल्य पर बेचा जाएगा ;

(ग) गत तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष सरकार के पास गेहूं का कितना भंडारर है ;

(घ) गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है जिससे कि इसका अग्यात बन्द किया जा सके ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1982-83 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल 39.50 लाख मी० टन गेहूं का आयात करने का ठेका किया गया था—अगस्त, 1982 में 24.95 लाख मी० टन और नवम्बर, 1982 में 14.55 लाख मी० टन 1 अगस्त, 1982 और नवम्बर, 1982 में खरीदे गए गेहूं का जहाज तक निष्प्रभार समूचा औसत मूल्य क्रमश: 164.66 और 167.66 अमरीकी डालर प्रति मी० टन बैठता है ।

(ख) गेहूं का वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 160/-रु० प्रति क्विंटल और रोलर फ्लोर मिलों के लिए 185/-रु० प्रति क्विंटल है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें इस वर्ष और पिछले तीन वर्षों की गेहूं की स्टाक का ब्यौरा दिया गया है ।

(घ) गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो पग उठाए गए हैं उनमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, उर्वरकों का पर्याप्त और संतुलित इस्तेमाल करना, बेहतर किस्म के बीजों का वितरण करना और पर्याप्त पौध संरक्षण उपाय करना आदि शामिल हैं ।

विवरण

इस वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी एजेंसियों के पास गेहूं के स्टाक को बताने वाला विवरण ।

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

को	मात्रा
1-2-1983	6717
1-2-1982	4833
1-2-1981	4318
1-2-1980	7410

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किया जाना

3593. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय में कई वर्षों से अनेक कर्मचारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तदर्थ कर्मचारियों का श्रेणीवार और ग्रेडवार ब्यौरा क्या है तथा ये कर्मचारी कितने समय से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) उनकी नियुक्तियों को नियमित न करने के क्या कारण हैं और इन तदर्थ कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) तदर्थ आधार पर भरें गए पदों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ग) कार्य के हित में अनुभाग अधिकारियों, सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों में तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गई थीं क्योंकि रिक्तियां सीधी भर्ती/सीमिति विभागीय परीक्षाओं के लिए नियत किये गये कोटा के लिए थी, जैसाकि अनुमोदित भर्ती नियमों में प्रावधान था । अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों के पदों के लिए ऐसी परीक्षाएं ली जा चुकी हैं और रिक्तियों को अब नियमित रूप से भरा जा रहा हैं । अतः अनुभाग अधिकारियों, सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा निम्न श्रेणी लिपिकों को उन ग्रेडों में नियमित करने का प्रश्न शीघ्र ही लिया जाएगा ।

जहां तक अन्य पदों में तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का संबंध है कारवाही पहले ही शुरू कर दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	पद	तदर्थ कर्मचारियों की संख्या	ग्रेड/वेतनमान	सबसे पहले की गयी तदर्थ नियुक्ति की तिथि
1.	अनुभाग अधिकारी	40*	650-1200	09.06.75
2.	सहायक	86*	426-800	12.01.76
3.	उच्च श्रेणी लिपिक	157*	330-560	12.01.76
4.	निजी सहायक	4*	425-800	31.05.77
5.	निम्न श्रेणी लिपिक	4*	260-400	06.01.81
6.	सहायक उत्पादन अधिकारी	1	700-1300	06.04.72
7.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	500-900	01.04.79
8.	निरीक्षण लेखापाल	1	500-900	26.05.80
9.	टेलेक्स ओपरेटर	1	200-400	27.11.78

* इन ग्रेडों में अधिकारी विभिन्न तिथियों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक श्रेणी के सामने सर्वप्रथम तदर्थ नियुक्ति की तिथि दी गयी है।

गुजरात में आए तूफान से जन हानि

3594. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नवम्बर, 1982 में आए विध्वंसक तूफान से कुल कितने व्यक्ति मारे गए ;

(ख) तूफान पीड़ित परिवारों को अब तक क्या राहत दी गई है और उन्हें मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(ग) क्या सरकार ने इस तूफान से पीड़ित बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए प्रबन्ध किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 544 व्यक्ति ।

(ख) भारत सरकार ने समुद्री तूफान से पीड़ित लोगों को राहत देने तथा उनका पुनर्वास के लिए चालू वर्ष के दौरान 41.94 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1983-84 के लिए 4.45 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी है ।

राहत व्यय के लिए वित्त देने से सम्बन्धित योजना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है । तथापि, मृतक के परिवारों को 1000 रुपए प्रति मृत व्यक्ति की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है । इसी प्रकार, निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पूरी तरह से/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को पुन बनाने तथा मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है ।

(ग) तथा (घ) जानकारी गुजरात से प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एशियाई खेल गांव में भारतीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार

3595. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल गांव में भारतीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की कुछ घटनायें घटी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही कर चुकी है

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में पिछली योजनाओं से संबंधित अधूरी सिंचाई परियोजनाएं

3596. **श्री शान्तुभाई पटेल :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में (बड़ी और मध्यम दर्जे की) ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें पिछली योजना में शुरू किया गया था और उनका काम वर्तमान योजना अवधि में अब तक चल रहा है ;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाये निर्धारित लक्ष्य तिथि से पिछड़ गई हैं ;

(ग) इन परियोजनाओं का काम कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(घ) ऐसे कमान क्षेत्र का ब्यौरा क्या है जिसका विकास किया जा चुका है और जिसका विकास किया जाना अभी शेष है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) गुजरात की 9 बृहद और 43 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जो पिछली योजनाओं से वर्तमान छठी योजना में आगे लाई गई हैं, राज्य में क्रियान्वित की जा रही हैं। सामान्यतः ये सभी परियोजनाएं निर्माण अनुसूची के पीछे है। उन परियोजनाओं के नामों, उनकी अन्ततः सृजनीय क्षमता, अब तक सृजित की गई क्षमता और उनके पूरी होने का संभावित वर्ष का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

विवरण

(हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अन्ततः सृजनीय क्षमता	जून, 1982 तक सृजित क्षमता	पूर्ण किए जाने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5
(क)	**बृहद स्कीमें**			
1.	दमनगंगा	56.6	—	1987
2.	कर्जन	77.6	—	1986-87
3.	हेरन	39.5	—	सातवीं योजना

1	2	3	4	5
	4. पावम	49.4	20.0	सातवीं योजना
	5. सुखी	25.2	—	1984-85
	6. वतरक	18.3	5.0	1984-85
	7. सिधु	32.1	—	सातवीं योजना
	8. साबरमती	56.7	34.5	1984-85
	9. माही-बजाज सागर	सीधे सिचाई के कोई लाभ नहीं हैं। कनाडा-माही मकान के लिए जल सप्लाई की व्यवस्था होती है।		1984-85

(ख) **मध्य स्कीमें** — **पूर्ण किए जाने का संभावित वर्ष**

I. स्कीमों के नाम तथा पूर्ण किए जाने का संभावित वर्ष

1. सुखभादर	सातवीं योजना
2. मुछुन्दरी	1984-85
3. कालुभर	सातवीं योजना
4. मछन नाला	1984-85
5. वेर-दो	-तदेव-
6. डी	-तदेव-
7. वेनू-दो	-तदेव-
8. अजी-दो	-तदेव-
9. उन्ड	सातवीं योजना
10. भादर	1984-85
11. अजी-तीन	सातवीं योजना
12. मजाम	-तदेव-

1	2
13. डेमी-दो	-तदेव-
14. हडाफ	1984-85
15. गुहाई	-तदेव-
16. केलिया	-तदेव-
17. झुज	-तदेव-
18. उबान	-तदेव-
19. हरनव-दो	सातवी योजना
20. रामी	1983-84
21. बलदेव	1984-85
22. पिगुट	1983-84
23. बगद	-तदेव-
24. शिगाडा	1984-85
25. रावल	-तदेव-
26. सानी	-तदेव-
27. गोंडाहड	-तदेव-
28. अमिषुर	सातवीं योजना
29. गोडाधारी	1984-85
30. हिरन	-तदेत-
31. जनगडिया	-तदेव-
32. भुखी	-तदेव-
33. बकलेश्वर भे	-तदेव-
34. राजवल	-तदेव-
35. मित्ती	-तदेव-
36. नानी वहिआल पर बांध	सातवीं योजना

1	2
37. लखीगाम	1984-85
38. कबूतरी	सातवीं योजना
39. संखाल	-तदेव-
40. धेली	-तदेव-
41. उमरिया	1984-85
42. शेधी शाखा का विस्तार	सातवीं योजना
43. नदियों और नहरों से लिफ्ट सिंचाई स्कीमें	सातवीं योजना

II. **सिंचाई क्षमता**

(एक) 43 मध्य सिंचाई परियोजनाओं की कुल अन्ततः सृजनीय क्षमता	268.31 हजार हैक्टेयर या 2.68 लाख हैक्टेयर
(दो) इन 43 मध्य परियोजनाओं से जून, 1983 तक सृजित की जाने वाली प्रत्याशित क्षमता	36.815 हजार हैक्टेयर या 0.37 लाख हैक्टेयर

वर्क्स, हाऊसिंग एण्ड सप्लाई को आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी को आबंटित भूमि पर मकानों का अवैध निर्माण

3597. **श्री कमल नाथ :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री वर्क्स हाऊसिंग एण्ड सप्लाई को आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी को आबंटित भूमि का अधिकार सौंपने के बारे में 30 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1345 तथा वर्क्स हाऊसिंग एण्ड सप्लाई कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी को आबंटित भूमि पर मकानों के अवैध निर्माण के बारे में 18 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2347 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना भेजने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : जैसा कि दिनांक 30-11-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1345 के उत्तर में दिए आश्वासन को पूरा करने के विवरण में बतलाया गया था, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण से विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता था। जहां तक दिनांक 18-10-82 के प्रश्न संख्या 2247 का सम्बन्ध है, 18-10-82 को प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से समय पर सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, प्रश्न के उत्तर में दिया गया आश्वासन, दिल्ली विकास

प्राधिकरण से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तीन माह की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया गया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय की बैठक

3598. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय की 18 नवम्बर, 1982 को बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी ;

(ग) बैठक में क्या निर्णय लिए गए थे ;

(घ) क्या "शीप इंस्टिट्यूट" के कार्यों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय को 600 पृष्ठ की एक रिपोर्ट चर्चा हेतु रखी गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो रिपोर्ट के मुख्य मुद्दे क्या थे ; और

(च) रिपोर्ट के आधार पर क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) बैठक में ज्योतिर्मय बसु समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया था।

(ग) उस पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए शासी निकाय की सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं।

(घ) बैठक में विचार-विमर्श के लिए ज्योतिर्मय बसु समिति रिपोर्ट के भाग I, II तथा III शासी निकाय के सदस्यों को भेजे गए थे।

(ङ) केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान, अविकानगर (राजस्थान) तथा भेड़ प्रजनन फार्म, ताल (हिमाचल प्रदेश) तथा टीकों और नैदानिक अभिकरणों का समय पर उपलब्ध न होना, रोगी पशुओं का इलाज शव-परीक्षा जांच, चमड़ा और ऊन का विक्रय, आहार और चारे की सप्लाई, अखिल भारतीय समन्वित भेड़ प्रजनन अनुसंधान प्रायोजना का कार्यकरण, नुकसान को बट्टे खाते में डालना आदि जैसे संबंधित मामले मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें रिपोर्ट में प्रकाश में लाया गया है।

(च) उपरोक्त भाग (ग) में प्रकाश में लाए गए मुद्दों की तरह अब तक रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सिंचाई के अन्तर्गत भूमि

3599. **श्री चतुर्भज** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश में 31 दिसम्बर, 1982 के कितने हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती थी और इस भूमि में नलकूपों से सिंचाई की जाने वाली भूमि का अनुपात क्या है और कुल कितने हेक्टेयर भूमि असिंचित है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकडों का संकलन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अद्यतन आंकड़े वर्ष 1978-79 के लिए उपलब्ध हैं, जिनके अनुसार;

(1) निवल सिंचित क्षेत्र 37.96 मिलियन हैक्टेयर था ;

(2) कुओं द्वारा सिंचित निवल क्षेत्र 16.41 मिलियन हैक्टेयर (43 प्रतिशत) था ;

(2) कुल असिंचित भूमि का क्षेत्र 104.98 मिलियन हैक्टेयर था।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीत लहर से हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन दल के लिए अनुरोध

3600. **श्री राम अवध** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शीत लहर से हुई क्षति का मौके पर मूल्यांकन के लिए एक दल भेजने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वन रोपण के लिए किए गए उपाय

3601. **श्री जय नारायण रौत** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनरोपण के लिए कोई उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने देश में वनरोपण करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनका क्रियान्वयन

विभिन्न राज्य और केन्द्र द्वारा प्रायोजित वानिकी योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है । बन-रोपण को नए बीस सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है । 1982-83 के दौरान 195.55 करोड़ पौधों के रोपण के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 15-3-1983 को उपलब्धि 206.15 करोड़ थी । राज्य वार लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1982-83 के लिए वनरोपण के लिए निर्धारित लक्ष्य और 15 3-83 को उपलब्धियों का राज्य वार विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(संख्या लाखों में)	
		लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	1410.00	1243
2.	असम	260.00	306
3.	बिहार	900.00	901
4.	गुजरात	2330.00	2468
5.	हरियाणा	1200.00	760
6.	हिमाचल प्रदेश	400.00	453
7.	जम्मू और कश्मीर	200.00	133
8.	कर्नाटक	1975.00	1768
9.	केरल	445.00	619
10.	मध्य प्रदेश	2500.00	2829
11.	महाराष्ट्र	1200.00	2376
12.	मणिपुर	66.20	69
12.	मेघालय	75.00	82
14.	नागालैंड	100.00	95
15.	उड़ीसा	950.00	1096
16	पंजाब	600.00	547

1	2	4	5
17.	राजस्थान	400.00	368
18.	सिक्किम	80.00	50
19.	तमिलनाडु	1100.00	1024
20.	त्रिपुरा	120.00	127
21.	उत्तर प्रदेश	2100.00	2305
22.	पश्चिम बंगाल	650.00	677
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अण्डमान और निकोबार	73.70	80
2.	अरुणाचल प्रदेश	110.00	51
3.	चंडीगढ़	—	4
4.	दादरा और नागर हवेली	15.00	27
5.	दिल्ली	20.00	31
6.	गोवा, दीव और दमन	20.00	26
7.	मिजोरम	255.00	257
8.	पांडिचेरी	—	13
	अखिल भारती-योग	195,54.90	20615

गाजियाबाद में हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा डालडा वनस्पति का उत्पादन

3602. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री अजय विश्वास : खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा डालडा ब्रांड नाम के अन्तर्गत किया जाने वाला वनस्पति का उत्पादन लाइसेंस में मौजूद है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवन लि०, गाजियाबाद के पास वनस्पति के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस संख्या एल०/28 (2) एन-5/60 तारीख 9.4.1960 है, जो औद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत दिया गया है।

कृषि की वृद्धि दर में कमी

3603. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्र रूप से किए गए प्राककलनों के अनुसार कृषि की वृद्धि दर छठे दशक में 2.9 प्रतिशत, सातवें दशक में 2.2 प्रतिशत और आठवें दशक में 1.5 प्रतिशत रही है ;

(ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग और योजना आयोग की रिपोर्टों में उल्लिखित सरकारी लक्ष्य की तुलना में नौवें दशक की प्रत्याशित वृद्धि दर कितनी है ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं। उत्पादन सूचकांक के आधार पर (आधार : 1969-70 को समाप्त होने वाले त्रैवार्षिक = 100), पांचवें दशक (1950-51 से 1959-60) के दौरान कृषि वृद्धि की मिश्रित दर प्रतिवर्ष 3.64 प्रतिशत थी। छठे दशक (1960-61 से 1969-70 तक) के दौरान कृषि उत्पादन 1965-66 तथा 1966-67 में प्रतिकूल मौसम के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इन दो वर्षों के उत्पादन के रुख के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, छठे दशक के दौरान उत्पादन दर 2.10 प्रतिशत थी। सातवें दशक (1970-71 से 1979-80 तक) के दौरान कृषि उत्पादन की दर 2.14 प्रतिशत वार्षिक थी। वर्ष 1979-80 सूखे का वर्ष था। यदि 1980-81 के दौरान उत्पादन के वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए, 1970-71 से 1980-81 तक की अवधि में वृद्धि दर प्रतिवर्ष 2.26 प्रतिशत निकलती है।

(ख) तथा (ग) न तो कृषि मूल्य आयोग ने और न ही योजना आयोग ने आठवें दशक की सारी अवधि के लिए कोई प्राक्कलन/लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आठवें दशक के लिए वृद्धि दर के पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है।

सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह जागरुक है, अतः वह कृषि उत्पादन की दर में तेजी लाने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा बीजों की उन्नत किस्मों, उर्वरक, सिंचाई के लिए बिजली तथा डीजल जैसे आदानों की समय पर्याप्त सप्लाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

2. कृषि अनुसंधान तथा विस्तार प्रयासों को तेज करना ।

3. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ।

4. मध्यवर्ती फसल तथा अन्तः फसल पद्धति के जरिए फसलों की जल्दी तैयार होने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना ।

5. बारानी प्रौद्योगिकी को अपनाना ।

6. संस्थागत ऋण की अधिक सप्लाई करना ; तथा

7. किसानों के लिए लाभकारी मूल्य ।

नगर निगम के चुनावों के बाद रामकृष्ण पुरम में झुग्गियों का निर्माण

3604. **श्री पो० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के तुरन्त बाद राम कृष्ण पुरम लगभग 5,000 झुग्गियों का निर्माण हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) फरवरी, 983 के दूसरे सप्ताह के दौरान रामाकृष्णापुरम में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण रने का प्रयास किया गया था ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय पर कार्यवाही करने से इस प्रयास को विफल दिया गया था ।

फालतू अनाज की खरीद तथा वितरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहयोग न किया जाना

3605. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा गे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जो फालतू खाद्यान्न की बसूली और वितरण के मामले में केन्द्रीय सरकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) उनके द्वारा सहयोग न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कोई नहीं जी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

3606. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाफलौंग, कुमारनगर, मोकुकचुंग, टुएनसौंग, पालीघाट, लुंगलेई और लांगटलेई में नए गोदामों का निर्माण करेगी ;

(ख) यदि हां, तो इन गोदमों की क्षमता कितनी होगी और इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तरी बंगाल और सिक्कम में नए गोदाम बनाने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक और ये कहां-कहां बनाए जाएंगे ;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक खन्ड में भाण्डागार और शीत भण्डार बनाने का है ; और

(च) यदि हां, तो इनका अनुमानित व्यय कितना होगा और ये कब तक बनाए जाएंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने विषयक एक प्रस्ताव भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है। केन्द्रीय भाण्डागार निगम और पश्चिमी बंगाल राज्य भाण्डागार निगम उत्तर बंगाल में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने विषयक प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इससे सम्बन्धित विवरणों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। सिक्किम में भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों का देश के प्रत्येक ब्लाक में भाण्डागार तथा शीत गृहों का निर्माण करने का कोई विचार नहीं है। इन एजेन्सियों द्वारा आवश्यकता और परिचालन सम्बन्धी तथ्यों को ध्यान में रखकर देश के विभिन्न भागों में भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जाता है।

बिहार को खराब किस्म के गेहूं की पूर्ति

3607. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य में सार्वजनिक वितरण के लिए खराब किस्म के गेहूं की पूर्ति किए जाने पर दुख प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) जनवरी, 1982 से फरवरी, 1983 तक महीना-वार बिहार को खराब किस्म के गेहूं की कुल कितनी मात्रा की पूर्ति की गई ; और

(घ) भविष्य में बिहार तथा पश्चिमी बंगाल को गेहूं की मानक किस्म की पूर्ति किए जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) बिहार सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनके राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खराब किस्म के गेहूं की पूर्ति करने के बारे में शिकायत की है। निगम द्वारा बिहार सरकार को सप्लाई किया गया गेहूं मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है और वह खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है हालांकि कुछेक मामलों में अनाज की चमक में कमी हुई है और सतही तौर पर उनको क्षति पहुंची है लेकिन इससे अनाज की किस्म प्रभावित नहीं हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल अच्छे किस्म के गेहूं की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

इण्टर नेशनल मदर स्कूल, हौज खास, दिल्ली को भूमि का आबंटन

3608. **श्री निहाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री इण्टर नेशनल मदर स्कूल, अरविन्द आश्रम, हौज खास, दिल्ली को भूमि का आबंटन के बारे में 18 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्टर नेशनल मदर स्कूल अरविन्द नगर आश्रम, हौज खास को भूमि के आवंटन से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी एकत्र करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन से पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रीतमपुरा में मकानों का आबंटन

3609. **श्री अनन्त रामुलुमल्लु :**

श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन व्यक्तियों के नाम मई, 1982 की आबंटन सूची में हैं उन्हें प्रीतमपुरा में अभी तक मकान आबंटित नहीं किए गए हैं यदि हां, तो उस सूची का समूचा कोटा कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ख) प्रीतमपुरा के फ्लैटों की वर्गकार तथा तल-वार क्या कीमतें निर्धारित की गई हैं तथा किराया खरीद योजना के अधीन पहली किश्त के रूप में कितना पैसा देना पड़ेगा ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से दिए गए पी आई ए 008 ए, पी ओ ओ आर वी आई, पी के आई एल, एच पी जी एफ सकेताक्षरों का पूर्ण रूप क्या है ; और

(घ) आबंटियों को आबंटन पत्र कब तक मिलने की सम्भावना है और उन्हें कब्जा कब तक दे दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां । दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचनानुसार मांग एवं आबंटन पत्र जारी किए जाने सम्बन्धी स्थिति भाग (घ) के उत्तर में व्यक्त की गई है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रीतमपुरा में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों का बिक्री मूल्य निम्नलिखित है :—

पाकिट	तल	बिक्री मूल्य (रुपए)
"एल"	भूमि तल टाइप-I	48,300
पूर्वी	टाइप-II	45,600
	प्रथम तल टाइप-I	43,400
	टाइप-II	43,000
	द्वितीय तल टाइप-I	40,200
	टाइप-II	40,000
"डब्ल्यू"	भूमितल टाइप-I	48,000
पूर्वी	टाइप-II	45,400
	प्रथम तल टाइप-I	43,200
	टाइप-II	42,800
	द्वितीय तल टाइप-I	40,100
	टाइप-II	39,900
"एन"	भूमितल	53,500
पूर्वी	प्रथम तल	43,000
	द्वितीय तल	46,000

उसने यह भी सूचित किया है कि किराया खरीद के अन्तर्गत, आबंटन के समय प्रारम्भिक जमा के रूप में भूमि का मूल्य तथा फ्लैट की बकाया लागत का 20% लिया जाता है और शेष राशि 10 वर्ष की अवधि में समान मासिक किस्तों में वसूल की जाती है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पी० आई० ए० से प्रीतमपुरा का तात्पर्य है, 0088ए फ्लैट नं० 88ए को व्यक्त करता है, पूर्वी कालोनी के पूर्वी भाग को प्रदर्शित करता है, पी० के० टी० एल पाकिट "एल" व्यक्त करता है, एच० पी० से किराया खरीद का तात्पर्य है तथा जी० एफ० भूमि तल को व्यक्त करता है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पाकिट "एल" तथा "एन" के बारे में मांग तथा आबंटन पत्रों के अप्रैल, 1983 के प्रथम सप्ताह तक जारी हो जाने की संभावना है

तथा पाकिट "डब्ल्यू" के बारे में मांग तथा आबंटर पत्रों के जारी होने में कुछ और अधिक समय लग जाएगा ।

कम लागत वाली निर्माण सामग्री के उत्पादन पर भारत सोवियत करार

3610. **श्री अनन्त रामुलुमल्लु :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लाई-एश और चूना पत्थर से कम लागत वाली निर्माण सामग्री के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्वारूप का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त चीजों के उत्पादन के बारे में ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : रूस तथा भारत के बीच फ्लाई-एश तथा लाइम स्टोन से कम लागत भवन निर्माण सामग्री के निर्माण के लिए कोई करार नहीं किया गया है । तथापि, मार्च, 1979 के भारतीय गणतंत्र तथा यू० एस० एस० आर० के बीच आर्थिक वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सहयोग के दीर्घावधि कार्यक्रम के अनुसार एवं भारत सोवियत संयुक्त दल की तृतीय बैठक के बाद एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भवन निर्माण सामग्री के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग शामिल था ।

राज्यों में मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान

3612. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं ;

(ख) इन राज्यों में प्रत्येक में कितने मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं ।

(ग) क्या सरकार का विचार 1983-84 में कुछ और मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में कितने ऐसे मत्स्य पालन अनुसंधान खोलने का विचार है ; और

(ङ) ये संस्थान कहां खोले जायेंगे तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) किसी भी राज्य में मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान स्थापित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, महोदया ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को भरना

3613. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में विभिन्न विभागों में श्रेणी-वार कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी-वार कितने कर्मचारी हैं तथा प्रत्येक श्रेणी में उनका क्या प्रतिशत है ;

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो शेष कोटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है ;

(ङ) क्या सरकार अनुसूचितों जातिय तथा अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने पर भी उन्हें जानबूझकर भर्ती न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करती है ; और

(च) यदि हो, तो अब तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राजभाषा अधिनियम का क्रियान्वयन

3614. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान कितने सामान्य आदेश जारी किये गए और इनमें से कितने आदेश अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में जारी किए गए ;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उनमें से कितने पत्रों का हिन्दी में उत्तर दिया गया ;

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकाएं निकाले गए और उनमें से कितने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाले गए ;

(घ) वर्ष 1968 के पश्चात कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए और उनमें से कितनों के नाम शुरू से ही हिन्दी में रखे गए ; और

(ङ) क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। पिछले वर्ष, अर्थात् 1982 के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा कुल 1892 सामान्य आदेश जारी किए गए थे, और इनमें से 1148 हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी किए गए थे।

(ख) वर्ष 1982 के दौरान, 3558 पत्रादि हिन्दी में प्राप्त हुए थे और उनमें से 1398 के उत्तर हिन्दी में दिए गए थे।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा कोई प्रकाशन/पत्रिका प्रकाशित नहीं की जाती है। तथापि, इस मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका "भागीरथ" हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा, 1968 के पश्चात् 15 कार्यालयों/संगठनों की स्थापना की गई थी और उनमें से, एक कार्यालय अर्थात "राष्ट्रीय बाढ़ आयोग" को प्रारम्भ से ही भारतीय नाम दिया गया था।

(ङ) सभी अधिकारियों/अनुभागों/संगठनों आदि, को इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सभी

कागजात को अनिवार्यतः द्विभाषिक रूप में जारी किया जाए और ऐसे कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे इस कानूनी अपेक्षा के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करें।

निर्माण और आवास मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

3615. **श्री राम विलास पासवान :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबन्धों को लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो गत वर्ष कितने सामान्य अत्देश जारी किए गए और उनमें से कितने आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए ;

(ख) गत वर्ष के दौरान कुल कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उनमें से कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया ;

(ग) उनके मंत्रालय से कितनी पुस्तकें पत्रिकायें प्रकाशित हुई और उनमें से कितने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई ;

(घ) 1968 के बाद कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए और उनमें से कितनों के नाम प्रारम्भ से ही हिन्दी में रखे गए ; और

(ङ) क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी, हां गत वर्ष अर्थात जनवरी से दिसम्बर, 1982 के दौरान जारी किए गए 1658 सामान्य आदेशों में से, 1498 सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए थे।

(ख) गत वर्ष के दौरान हिन्दी में प्राप्त 2442 पत्रों में से केवल 728 पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित था और उत्तर हिन्दी में दिए गए।

(ग) मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट जो हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती है के सिवाय कोई नहीं।

(घ) दो कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए। उनके नाम भारतीय हैं।

(ङ) सम्बन्धित व्यक्तियों से उल्लंघन करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए और राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के अनुदेश जारी किए गए।

ताल क्षेत्र (बिहार) के लिए सिंचाई-व-जल निकासी योजना

3616. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पटना और मुंगेर जिलों में ताल क्षेत्र दालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं ;

(ख) क्या ताल क्षेत्र योजना के क्रियान्वयन के बाद दालों का उत्पादत कई गुना बढ़ाया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ताल क्षेत्र के लिए सिंचाई व जल निकासी योजना तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) योजना के क्रियान्वयन का कार्य किस स्थिति में है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) वर्षा ऋतु के दौरान क्षेत्र के जलमग्न हो जाने के कारण, कृषकों द्वारा रबी के मौसम में दालों की खेती ताल क्षेत्र में की जाती है । दालों के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा फसल के लिए सुधरी हुई एक मुश्त पद्धतियों के साथ, आवश्यक निवेशों की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए ।

(ग) और (ख) ताल क्षेत्रों में जल-निकास समस्या पर काबू पाने के लिए उपायों का सुझाव देने तथा सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, राज्य सरकार ने एक समिति भी गठित की है । केन्द्रीय सरकार ने, यह सुझाव भी दिया है कि वे राज्य सरकार को ताल क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए मंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में, ताल विकास समिति को पुनर्गठित किया जाना चाहिए ।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन बिहार की सिंचाई योजनाएं

3617. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है बिहार की कुछ सिंचाई योजनाएं उनके मंत्रालय के पास विचार के लिए लम्बित पड़ा हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन योजनाओं के लम्बित होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन योजनाओं को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) बिहार की 11 बृहद और 9 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं इनमें से, एक बृहद परियोजना (तिलैय्या के जल का घाघर में व्यपवर्तन) और एक मध्यम परियोजना (धनसिंह टोली जलाशय) को योजना आयोग की सलाहकार समिति के विचारार्थ, उनके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है । सलाहकार ससिति ने मध्यम स्कीम के बारे में कुछ स्पष्टी, करण मांगे ते, जिनको अभी राज्य द्वारा भेजा जाना है । स्कीमों के नामों, अनुमानित लागतों अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता, स्कीमों के केन्द्रीय जल आयोग में मूलतः प्राप्त होने की तारीख और वर्तमान स्थिति को दिखाने वाला **विवरण** संलग्न ।

[ग्रन्थालय में दिया गया । **देखिए** संख्या एल० टी०—6160/83]

इन स्कीमों के बारे में राज्य के प्राधिकारियों के साथ पत्रव्यवहार किया जा रहा है और वे अतिरिक्त सूचना, आंकड़ों, भेजी गई टिप्पणियों के स्पष्टीकरणों आदि, के अभाव में लम्बित पड़ी हैं और अपेक्षित सूचना के प्राप्त हो जाने के पश्चात् उन पर आगे कार्रबाई की जाएगी । उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के पश्चात् इन स्कीमों को सलाहकार समिति के विचारार्थ तथा योजना आयोग की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की पुनरीक्षा

3618. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मध्यावधि पुनरीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण उत्थान कार्यक्रमों के विकास में प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में उड़ीसा से प्राप्त रिपोर्ट क्या है ; और

(ग) उड़ीसा में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के बारे में हुई प्रगति को दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०—6161/83]

ग्रामीण ईंधन के लिए वन-रोपण तथा कृषि वानिकी योजना

3619. **श्री नवीन रवाणी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जहां जलाने की लकड़ी की कमी है विशेषकर वहां जहां वन कट चुके हैं ; ग्रामीण ईंधन के लिए वन-रोपण और कृषि वानिकी की एक योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में सम्मिलित किए गए जिलों के नाम क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सामाजिकी वानिकी, जिसमें ग्राणीण ईंधन की लकड़ी वाले वृक्ष लगाना भी शामिल है, की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना वर्ष 1980-81 से कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) इस योजना में शामिल किए गए जिलों की सूची विवरण में दी गई है ।

(ग) वर्षवार प्रगति नीचे दी गई है : -

	80-81	81-82	82-83
	उपलब्धियां	लक्ष्य	
पौदरोपण (हैक्टेयर में)	1741	45963	69832
पौद की आपूर्ति (लाखों में)	313.55	965.32	1485.62
दिया गया/दिया जाने वाला केन्द्रीय अनुदान (लाख रुपए)	426.60	488.02	980.00

विवरण

"ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के पौद रोपण सहित सामाजिक वानिकी" सम्बन्धी नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिए चुने गए जिलों की सूची

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	चुने गए जिलों के नाम
1. आन्ध्र प्रदेश	1. रंगारेड्डी
	2. गुन्टूर

1		2	
		3.	मेडक
		4.	नालगोंडा
		5.	कृष्णा
		6.	नेल्लोर
		7.	प्रकाशम
		8.	निजामाबाद
2.	असम	1.	कामरूप
		2.	गोलपाड़ा
		3.	सिबसागर
		4.	कछार
3.	बिहार	1.	संथाल परगना
		2.	भागलपुर
		3.	गिरिडीह
		4.	धनबाद
		5.	हजारीबाग
		6.	गया
		7.	औरंगाबाद
		8.	नालंदा
		9.	मंगेर
		10.	रोहतास
		11.	नवादा
	गुजरात	1.	बड़ोदरा
		2.	पंचमहल
		3.	कच्छ

1		2	
		4.	सुरिन्द्रनगर
		5.	साबरकांठा
		6.	जामनगर
		7.	भावनगर
5.	हरियाणा	1.	करनाल
		2.	महेन्द्रगढ़
		3.	कुरुक्षेत्र
		4.	गुड़गांव
		5.	सोनीपत
6.	हिमाचल प्रदेश	1.	कांगड़ा
		2.	मण्डी
		3.	सिरमौर
		4.	शिमला
		5.	हमीरपुर
7.	जम्मू व कश्मीर	1.	अनंतनाग
		2.	राजौरी
		3.	कारगिल
		4.	कथुवा
8.	कर्नाटक	1.	बंगलौर
		2.	गुलबर्गा
		3.	कोलार
		4.	बेल्लारी
		5.	मांड्या
		6.	धारवाड़

1		2	
		7.	मैसूर
		8.	चिकमगलूर
9.	केरल	1.	कन्नानोर
		2.	त्रिवेन्द्रम
		3.	कोझीकोड़
		4.	कोट्टायम
10.	मध्य प्रदेश	1.	रीवा
		2.	रतलाम
		3.	इन्दौर
		4.	भोपाल
		5.	ग्वालियर
		6.	झाबुआ
		7.	स्योनी
		8.	जबलपुर
		9.	विलासपुर
		10.	रायपुर
		11.	सतना
		12.	दुर्ग
		13.	सागर
		14.	खण्डवा
		15.	पन्ना
11.	महाराष्ट्र	1.	अहमदनगर
		2.	रत्नागिरि
		3.	शोलापुर
		4.	उस्मानाबाद

1		2	
		5.	कोल्हापुर
		6.	परभनी
		7.	नासिक
		8.	पुणे
		9.	थाणे
		10.	जलगांव
12.	मणिपुर	1.	मणिपुर मध्य
		2.	मणिपुर उत्तर
13.	मेघालय	1.	पश्चिमी खासी पहाड़ियां
		2.	पश्चिमी गारो पहाड़ियां
14.	नागालैण्ड	1.	कोटिकोहिमा
		2.	फेक
		3.	तुइनसांग
15.	उड़ीसा	1.	बालासोर
		2.	कटक
		3.	बोलांगीर
		4.	पुरी
		5.	गंजम
16.	पंजाब	1.	अमृतसर
		2.	पटियाला
		3.	फिरोजपुर
		4.	गुरदासपुर
		5.	फरीदकोट

1		2	
17.	राजस्थान	1.	जयपुर
		2.	उदयपुर
		3.	भरतपुर
		4.	अलवर
		5.	भीलवाड़ा
		6.	अजमेर
		7.	बांसवाड़ा
		8.	झंझुनू
		9.	कोटा
		10.	सवाई माधोपुर
18.	सिक्किम	1.	गंगटोक
		2.	दक्षिणी गंगटोक
19.	तमिलनाडु	1.	मदुरै
		2.	त्रिचिरापल्ली
		3.	चेंगलपट्टु
		4.	धर्मपुरी
		5.	उत्तरी अर्काट
		6.	दक्षिणी अर्काट
20.	त्रिपुरा	1.	पश्चिमी जिला
		2.	उत्तरी जिला
21.	उत्तर प्रदेश	1.	हमीरपुर
		2.	जालौन
		3.	पीलीभीत
		4.	बीरी

1		2	
		5.	झांसी
		6.	ललितपुर
		7.	टिहरी
		8.	अल्मोड़ा
		9.	गढ़वाल
		10.	मिर्जापुर
		11.	मेरठ
		12.	इलाहाबाद
		13.	देवरिया
		14.	गोरखपुर
		15.	जौनपुर
		16.	आजमगढ़
		17.	मुरादाबाद
		18.	आगरा
		19.	अलीगढ़
22.	पश्चिम बंगाल	1.	वर्दवान
		2.	मिदनापुर
		3.	बांकुड़ा
		4.	चौबीस परगना
		5.	बीरभूम
		6.	नदिया
			143

1		2	
संघ शासित क्षेत्र			
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.	पश्चिमी कामेंग
		2.	लोअर सुबनसिरी
		3.	दिबांग वेली
		4.	तिरेप
		5.	लोहित
		6.	पूर्वी कामेंग
		7.	अपर सुबनसिरी
		8.	पूर्वी सियांग
		9.	पश्चिमी सियांग
2.	दिल्ली	1.	दिल्ली
3.	मिजोरम	1.	ऐजल
		2.	लुंगलेइ
		3.	चिन्तुइपुइ
4.	गोवा, दमन और द्वीव	1.	गोवा
		14	
		कुल	157 जिले

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी उद्योग का विकास

3620. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी उद्योग का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का विकास करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) विदेशी जलयानों को किराए पर लेकर, संयुक्त उद्यम, आयात तथा देश निर्माण में करके मत्स्यन बेड़े में वृद्धि करना,

(2) मत्स्यन जलयानों को खरीदने के लिए देश में निर्मित जलयानों की लागत का 95 प्रतिशत तथा आयातित जलयानों की लागत का 90 प्रतिशत तक उदार शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था। यह ऋण 15 वार्षिक किस्तों में अदा करना होता है, जिसमें एक वर्ष का ऋण स्थगन काल शामिल नहीं है।

(3) देश में निर्मित जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत की राजसहायता मंजूर करना,

(4) बड़े तथा आधुनिक जलयानों के माध्यम से मात्स्यकी सर्वेक्षण को तेज करना ।

(5) जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना ।

(6) प्रमुख तथा छोटे पतनों पर मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण में सहायता देना तथा छोटे मत्स्यन केन्द्रों पद माल उतारने तथा जलयानों को ठहराने की सुविधाओं को देना ।

(7) भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियम) अधिनियम 1981 तथा इसके तहत् बनाए गए नियमों के माध्यम से विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन को नियन्त्रित करना ताकि अनाधिकृत जलयानों द्वारा हमारे क्षेत्र में मछली पकड़ने की समस्या से कारगर ढंग से निपटा जा सके ।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों तथा शहरी गांवों के लिए केन्द्रीय सहायता

3621. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता करने की अपनी नीति के अनुसार, पुनर्वास कालोनियों तथा शहरी गांवों के कार्य को तेज करने हेतु 10 करोड़ रुपए का तदर्थ अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो डी० डी० ए० द्वारा इस धनराशि को उस कार्य के लिए जिसके लिए यह स्वीकृति किया गया था, कहां तक इस्तेमाल किया गया है ; और

(ग) इस ऋण से कितनी पुनर्वास कालोनियों की सहायता की गई है और क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजधानी में आवास के लिए कोई कार्यक्रम आरम्भ किया गया था ।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उन्होंने निम्नलिखित राशि जारी की है :—

(1) पुनर्वास कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाएं	400 लाख रु०
(2) शहरी गांवों का विकास	650 लाख रु०

पुनर्वास कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान की योजना के लिए उनके द्वारा 600 लाख रुपए की दूसरी राशि शीघ्र ही जारी की जा रही है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फरवरी, 1983 तक, इन दो योजनाओं पर किया गया व्यय इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

(1) पुनर्वास कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाएं	5.82
(2) शहरी गांवों का विकास (ये आंकडे अनन्तिम हैं)	4.52**

(ग) झुग्गी-झोंपड़ी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत स्थापित की गई 44 पुनर्वास कालोनियां हैं। इन प्रत्येक कालोनियों में 25 वर्ग गज के 1,96,090 प्लाटों में अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कर ने के लिए निम्नलिखित कार्यों के निष्पादनार्थ निधियां दी गई हैं :—

1. जलपूर्ति लाइन
2. मल-निर्यास
3. बरसाती नालियों और पुलियों का सुधार
4. सड़कों/मार्गों का सुधार
5. परिधीय सेवाएं
6. निर्माण के दौरान अनुरक्षण
7. ऊपरी टैंक तथा भूमिगत टैंक

जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है, योजना आयोग ने इस वर्ष आवास हेतु 1.77 करोड़ रुपए का नियतन किया है। इस परिव्यय की तुलना में, शालीमार बाग और बोडेला

में निम्न आय वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के 1632 मकान निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक दृष्टि कमजोर वर्गों के 1538 एककी का निर्माण कार्य आरम्भ होने की प्रक्रिया में है।

मलिन बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत, दिल्ली विकास प्राधिकरण का स्लम विभाग वर्ष 1982-83 के दौरान मलिन बस्ती निवासियों के लिए 1650 टैनीसैन्टों का निर्माण कार्य पूरा करेगा जोकि चालू वर्ष का लक्ष्य था। स्लम विभाग के पास अन्य 2500 मकान निर्माणाधीन हैं और उनमें से लगभग 2000 मकान 1983-84 के दौरान पूर्ण हो कर आवटनार्थ तैयार हो जाएंगे।

देश में ग्रामीण प्रबंध संस्थाएं

1622. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण प्रबन्ध संस्थाओं के नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या इन संस्थाओं को केन्द्र द्वारा कोई सहायता दी जाती हैं ; और

(ग) इन संस्थाओं की संख्या बढ़ाने और उनके कार्यों का विस्तार करने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा एक योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत देश में 22 राज्यों के ग्रामीण विकास में एक अनुसंधान/प्रशिक्षण संस्थान को मजबूत बनाने का प्रस्ताव है। अब तक 8 राज्यों को 46.92 लाख रुपए की सहायता दी गई है। इसी प्रकार की सहायता के लिए अन्य राज्य सरकारों से भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंध में लगे हुए कार्मिकों के प्रशिक्षण में सम्मिलित संस्थाओं की एक सूची विवरण रूप में संलग्न है।

विवरण

प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में लगे हुए महत्वपूर्ण संस्थाओं की सूची

क्रम संख्या	संस्था का नाम	स्थान
1.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान	भवानीसागर, मद्रास (तमिलनाडु)
2.	राज्य ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थान	जूनागढ़, गुजरात

1	2	3
3.	राज्य सामुदायिक विकास केन्द्र	नीलोखेड़ी, हरियाणा
4.	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान	शिमला, हिमाचल प्रदेश
5.	सरकार प्रबन्ध संस्थान	त्रिवेन्द्रम, केरल
6.	एच० सी० एम० लोक प्रशासन संस्थान	जयपुर, राजस्थान
7.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान	हैदराबाद, आन्ध्र प्रवेश
8.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान	बक्शी का तालाब, लखनऊ (उ० प्र०)
9.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	हैदराबाद
10.	ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, आनन्द	आनन्द, गुजरात
11.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	नई दिल्ली
12.	बैंकर्स प्रशिक्षण संस्थान	बम्बई
13.	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र	कैकुची, असम
14.	सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान	रांची, बिहार
15.	जेवियर समाज विज्ञान संस्थान	रांची, बिहार
16.	ग्रामीण प्रशासन संस्थान	मैसूर, कर्नाटक
17.	पंचायत राज तथा सामुदायिक विकास संस्थान	जबलपुर, मध्य प्रदेश
18.	संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र	कोल्हापुर, महाराष्ट्र
19.	राज्य सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान	भवनेश्वर
20.	सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्र	बटाला, गुरदासपुर
21.	अनुस्थापन अध्ययन केन्द्र	नादिया, पश्चिमी बंगाल
22.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान	बंगलौर, अहमदाबाद तथा कलकत्ता
23.	लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान	हैदराबाद

कावेरी जल के विषय पर चर्चा

3623. **श्री एस० बी० सिदनाल**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कावेरी जल के विषय पर चर्चा करने हेतु तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे थे ; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा कब तक किया जाना निश्चित किया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : कावेरी के जल के बटवारे के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए तमिलनाडू, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के मुख्य मंत्रियों के साथ अप्रैल, 1983 के पहले सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में बैठक निश्चित करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कोटे को भरना

3624. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में वर्गवार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(ख) उनमें वर्गवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कितने हैं और प्रत्येक वर्ग में उनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों केलिए रक्षित कोटा भर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो शेष कोटे को भरने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ङ) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करती है जो जानबूझ कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को तब भी नियुक्त नहीं करते जबकि उन में ऐसे अहर्ता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं ; और

(च) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गई है और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

छोटी सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बिहार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि

3625. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में छोटी सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गत पांच वर्षों के दौरान बिहार द्वारा कितनी धनराशि मांगी गई है ; और

(ख) इस प्रयोजन हेतु उन्हें वास्तव में कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) : बिहार सरकार ने निजी लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिए, जिनमें उथले नलकूपों, खुदाई कुओं का निर्माण तथा पम्पसेटों का वितरण शामिल है, आर्थिक सहायता देने हेतु, आवश्यक अतिरिक्त धनराशि को पूरा करने के लिए केवल 1981-82 के दौरान 18 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता दिए जाने का अनुरोध किया था ।

(ख) वित्तीय संसाधनों की तंगी के कारण, राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं दी जा सकी थी ।

किसानों को उर्वरकों के छोटे किटों का निःशुल्क वितरण

3626. **श्री अन्नत रामलु मल्लू** :

श्री के० प्रधानी : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमांत किसानों को उर्वरकों के छोटे किट वितरण करने की हाल ही में एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार किन स्थानों पर केन्द्र खोले जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां । भारतीय उर्वरक संघ के माध्यम से सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गय था कि उर्वरक उद्योग अपने सम्बन्धित विपणन क्षेत्रों में सूखे/बाढ़ों से प्रभावित छोटे तथा सीमान्त कृषकों को नि.शुल्क देने के लिए 20 कि० ग्रा० के पैकों में प्रत्येक प्रमुख विनिर्माण एकक को 75 मीटरी टन उर्वरक सामग्री का वितरण करें । अभी तक दस विनिर्माण एकक इस योजना में भाग लेने के लिए सहमत हो गए हैं । इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान,

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, के राज्य शामिल हैं। उर्वरक विनिर्माताओं का कहा गया है कि वे सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से मिनिकिटों का वितरण करने के लिए क्षेत्रों का चयन करें।

उर्वरकों के मूल्य

3627. **श्री तारिक अनवर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों के मूल्य बढ़ाने की वित्त मन्त्रालय की पहले से उर्वरक उद्योग को, जिसके पास उर्वरकों की भारी भंडार जमा है, जबरदस्त आघात पहुंचा है ;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई है कि कृषि मन्त्रालय और उर्वरक उद्योग के उर्वरकों की आवश्यकता और उनकी खपत के रूख के मूल्यांकन में भारी अंतर है और क्या उर्वरक उद्योग के दृष्टिकोण से उर्वरकों का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) इस मत्रालय को उर्वरकों के विक्रय मूल्यों में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) : सिंचित क्षेत्र, अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र आदि के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से मौसम-वार आवश्यकताएं तैयार की जाती हैं। इसी प्रकार, उर्वरकों की खपत राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित की जाती है। इस बात की जानकारी नहीं है कि उर्वरक उद्योग किस आधार पर उर्वरकों की मांग तथा खपत तैयार करते हैं।

जहां तक उर्वरकों के आयात का सम्बन्ध है पोटाशयुक्त उर्वरक का हर हालत में आयात करना पड़ेगा कि क्योंकि इसके देशी सप्लाई का स्रोत ज्ञात नहीं है। नाइट्रोजन तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों का आयात किया जाता है ताकि मांग तथा देशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को कम किया जा सके।

उर्वरक की खपत का मूल्यांकन

3628. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की योजित खपत में वृद्धि का कुछ अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो खपत में कितनी वृद्धि हुई है और आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्यात की आवश्यकता अधिकतर इसलिए पड़ती है कि उपभोक्ताओं द्वारा मांग बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत की जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्षों की वास्तविक खपत के आधार पर विभिन्न राज्यों द्वारा आकलित की गई वास्तविकता मांग का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) 1983-84 में उर्वरकों की खपत में परिलक्षित वृद्धि 1982-83 के अनुमानित खपत की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत है ।

देशी उर्वरकों की क्षमता में सारी विस्तार की योजना बनाई जा रही है ताकि मांग तथा देशी उपलब्धि के अन्तर को कम किया जा सके । तथापि, उर्वरकों के देशी उत्पादन का विद्यमान स्तर मांग से कम होने के कारण उर्वरकों का आयात करना पड़ता है ताकि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके । पोटाशयुक्त उर्वरकों का हर हालात में आयात करना होगा क्यों कि देशी उपलब्धि का इसका कोई स्रोत ज्ञात नहीं है ।

(ग) जी, नहीं । उर्वरकों की कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा । इसका निर्णय वर्ष में देश की वास्तविक आवश्यकता का निकालने के पश्चात् तथा देश में होने वाले संभावित उत्पादन एवं उपलब्ध स्टाक को दृष्टि में रख कर किया जाता है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूमि सम्बन्धी सुधारों को क्रियान्वित किया जाना

3629. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री रेणुपद दास : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भूमि की अधिकतम सीमा की पट्टेदारी, ऋण रद्द किए जाने, बन्धुआ मजदूरों को मुक्त करने के सम्बन्ध में विभिन्न भूमि सम्बन्धी सुधारों के उपायों के क्रियान्वयन में जल्दीबाजी न करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) कृषि मजदूरों, सीमांत किसानों, छोटे किसानों, मध्यम तथा सम्पन्न किसानों की राज्य वार नवीनतम संख्या क्या है । तथा इनमें से प्रत्येक वर्ग के स्वामित्व में कितनी भूमि है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) जी नहीं। नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों से सभी कानूनों तथा प्रशासनिक अड़चनों को दूर करके मार्च, 1985 तक अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को वितरित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

जहां तक कृषि सुधारों के अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, बिचौलिया अधिकारों का उन्मूलन पूरा हो गया है और अनुमानतः 20 मिलियन काश्तकारों को राज्य के प्रत्यक्ष सम्पर्क में लाया गया है। अधिकांश राज्यों के काश्तकारी कानूनों में काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिलाने अथवा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से राज्यों के अधीन लाने की व्यवस्था है। इन उपायों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 7.7 मिलियन से अधिक काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिलाए गए हैं। ऐसे राज्यों जहां बट्टाईदारी तथा अल्प काश्तकारी को कभी भी मान्यता दी जाती है, में कानून के अन्तर्गत अधिकारों के अभिलेख में इस दर्जे को रिकार्ड करने के लिए व्यवस्था है। यह सतत और आवर्ती प्रक्रिया है। यह सभी राज्यों में चल रही है। जहां तक, बन्धुआ मजदूरी को समाप्त करने का सम्बन्ध है, बन्धुआ मजदूरों का पता लाने, उन्हें छुटकारा दिलाने तथा उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें छुटकारा दिलाने तथा मुक्त हुए बन्धुआ मजदूरों का कार्य चल रहा है। राज्य सरकारों से समय-समय पर तुरन्त तथा प्रभावी कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है जिसमें सम्भाव्य क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण करना भी शामिल है ताकि बन्धुआ मजदूरों को शीघ्र मुक्त तथा पुनर्वासित कराया जा सके। समयबद्ध कार्यक्रम के के रूप में बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास का कार्य पूरा करने के उद्देश्य से बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्यवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

जहां तक ऋण समाप्त किए जाने का सम्बन्ध है, साहूकार तथा साहूकारी का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में है। अतः साहूकारी अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। भारत सरकार ने अगस्त, 1975 में सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को पात्र कर्जदारों को राहत देने हेतु उपयुक्त कानून बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे। ग्रामीण ऋणग्रस्तता से राहत दिलाना 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विशिष्ट कार्यक्रम है। राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर उपयुक्त विधान बना लिए हैं और वे उन्हें कार्यान्वित कर रही हैं। 9 राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2.66 लाख लाभभोगियों को राहत प्राप्त हुई थी और इसके लिए 14.11 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल की गई थी। नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों से ऋण राहत उपायों का कार्यान्वयन पुनरीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि इन अधिनियमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके और आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(घ) 1981 की जनगणन के अन्तर्गत राज्यवार परिकलित कृषि मजदूरों की संख्या **अनुबंध-**

1 दी गई है । प्रचालनात्म जोतों यथा बड़ी श्रेणियों द्वारा प्रचालित क्षेत्र का ब्यौरा 1976-77 की कृषि गणना के अन्तर्गत परिकलित किया गया है और अनुबन्ध में दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल टी-6162/83]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दुकानों/कियोस्को का आबंटन

3630 **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति ने समुदायों को निर्माण और आवास मन्त्रालय के सम्पदा निदेशालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर निगम के द्वारा दुकानों/कियोस्कों/व्यापारिक संस्थापनाओं के आवंटन के लिए विशेष कानून/कार्यकारी आदेश अधि-नियमित किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी, हां ।

(ख) सम्पदा निदेशालय के नियन्त्रणाधीन मार्किटों की खाली दुकानों का 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित है जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका की मार्किटों में इन समुदायों के लिए आरक्षण 12.8 प्रतिशत है ।

बैलगाड़ी के डिजाइन में सुधार

3631. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बैलगाड़ी के पहिए के सम्बन्ध में किए गए गहन अनुसंधान जिसके बारे में 5 नवम्बर, 1982 को सभा में घोषित की गई थी क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या हाल की ही एक प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार बैलगाड़ी के डिजाइन में सुधार करने का कार्य जब भारतीय प्रबन्धक संस्थान तथा केन्द्रीय सड़क अनुसंधान दिल्ली को सौंप दिया गया है क्योंकि भारतीय अनुसंधान परिषद् को उस विषय पर पिछले दो दशकों में कार्य कर रही थी इसमें असफल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल ने एक स्थानीय बैलगाड़ी की जांच की है तथा इसकी विभिन्न मैदानों की स्थितियों के अन्तर्गत घूमने से सम्बन्धित सहिष्णुता, प्रारूप, गति तथा ढलान पर शक्ति नियन्त्रण से संम्बन्धित वायवीय पहिया वाली गाड़ी (महाराष्ट्र कृषि उद्योग) से तुलना की है। स्थानीय बैलगाड़ी धुरी के मामले में यांत्रिक तौर पर असफल रही जो कि 8.5 क्विंटल भार सहने वाली लकड़ी की बनी थी। इस प्रकार इसकी अधिकतम भार ले जाने की क्षमता 8 क्विंटल की गई थी। वायवीय पहिया वाली गाड़ी की धुरी 12 क्विंटल से अधिक बोझ पर मुड़ जाती है, इसलिए इसकी भार क्षमता 12 क्विंटन रखी गई। इन बैलगाड़ियों का तुलानात्मक कार्य निम्नलिखित रूप में पाया गया है।

	परम्परागत बैलगाड़ी (लागत रु० 100)		वायवीय (टायर वाली) गाड़ी (लागत रु० 5250)	
	तार सरफेश	ऊंचे नीचे मैदानी क्षेत्र	तार सरफेश	ऊंचे नीचे मैदानी क्षेत्र
बिना भार का प्रारूप कि० ग्रा०	10	32	6	25
अधिकतम भार का प्रारूप कि० ग्रा०	52	140	34	105
बिना भार की गति कि० मी० प्रति घण्टा	5.5	5.1	5.7	5.3
अधिकतम भार पर गति प्रति कि० मी० प्रति घण्टा	4.7	3.8	5.2	4.5
अधिकतम भार पर शक्ति, प्रति घण्टा	0.65	1.97	0.65	1.74
भार ले जाने की क्षमता क्विंटल				
— मध्यम बैल-जोड़ी	8.0	3.5	12.0	5.0
— छोटे बैलों की जोड़ी	6.0	2.0	12.0	3.0

परम्परागत बैलगाड़ी की धुरी में काफी रगड़ होती है। शुरू में चलने तथा रुकने में बैलों की गर्दनों के तथा गाड़ी के जुए के बीच घिसाई होती है तथा दबाव पड़ता है, लकड़ी का जुआ भार

वहन करने की क्षमता को कम करता है जिसकी जगह दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाना चाहिए। बढ़िया सन्तुलन के लिए भी गाड़ी की बनावट में सुधार की आवश्यकता है।

लोहे की धुरी वाली और सुधरी हुई डिजाइन वाली 1800 रु० की आदिप्ररूप लागत से परीक्षण परिणामों पर आधारित एक सुधरी हुई बैलगाड़ी का विकास किया गया है।

यह 1.2 टन तक के वजन को ढो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के फार्म औजारों तथा मशीनरी से सम्बन्धित समन्वित योजना केन्द्र पुणे ने बेलन धारूक तथा टिल्टलिंग (झुकी हुई) बनावट वाली सख्त पहिए वाली ज्योति बैलगाड़ी का विकास किया है जिसका आदिप्ररूप तैयार किया जाना और खेत में मूल्यांकन किया जाना है।

आस्ट्रेलिया के श्री फेन गेनान्ड ने टायर के पहिए वाली गाड़ी के प्रयोग के लिए वकालत की है। डिजाइन पर आधारित जिसके बारे में विवरण नवम्बर, 1982 में एन आर डी सी से मंगाया गया, और गाड़ी के दो पहिए तैयार किए गए हैं। इन पहियों के आदिप्ररूप के परीक्षण में प्रगति जारी है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिपद का किसी भारतीय प्रबन्ध संस्थान या केन्द्रीय मार्ग अनुसंधान संस्थान पर नियन्त्रण नहीं है। अतः इन संस्थानों को बैलगाड़ी के सुधार का कार्य सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारतीय प्रबन्ध संस्थानों को फार्म उपकरण डिजाइन तथा विकास के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त करने की जानकारी नहीं है। फिर भी, प्रबन्ध पहलुओं पर अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उनके परिणामों का स्वागत करेगा तथा उनको प्रमाणित करेगा और यदि वे उपयोगी पाए गए तो इसकी लोकप्रियता के लिए सिफारिश करेगा। मार्ग तथा गाड़ी के पहिए का पारस्परिक प्रभाव और सुधरी हुई बैलगाड़ी के देरी से विकास से सम्बन्धित केन्द्रीय मार्ग अनुसंधान, संस्थान अनुसंधान तथा विकास पहलुओं पर कार्य कर रहा है। तथापि, उनके द्वारा किसी भी ऐसी बैलगाड़ी का विकास नहीं किया गया है जोकि किसी क्षेत्र में अभी तक लोकप्रिय हुई हो। यह बतलाया जाता है कि उन्होंने अक्तूबर 1982 में 5 डिजाइन तैयार करके तथा हाल ही में एक डिजाइन तैयार करके अपने मन्त्रालय को भेजा है। तथापि, अनुसंधान परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने किसी दूसरी जगह विकसित किए गए डिजाइन का भी मूल्यांकन नहीं किया है।

भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान ने विभिन्न संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के बैलगाड़ी के तैयार किए गए डिजाइनों के मूल्यांकन करने से सम्बन्धित कार्य पर पहल आरम्भ कर दी है। बंगलौर स्थित आई आई एम द्वारा तैयार की गई तीन बुनियादी बैलगाड़ी के डिजाइन जांच और मूल्यांकन के लिए प्राप्त हो चुके हैं। महा-निदेशक (मार्ग विकास) जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय से पहले ही यह अनुरोध किया जा चुका है कि केन्द्रीय मार्ग-

अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की कई बैलगाड़ियों को प्राप्त करने में सी आई ए ई, भोपाल को मदद करें ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके। उनके अनुसंधान आदेश के अनुसार, बैलागाड़ियों पर अनुसंधान तथा विकास को हाथ में लेने के लिए सी आई ए ई, भोपाल सर्वाधिक उपयुक्त संगठन है। तथापि अन्य स्रोतों से इस विषय पर प्राप्त होने वाली नवीनता तथा सृजनता का हमेशा स्वागत किया जाएगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहना सही नहीं है कि जारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने आदेश पत्र को पूरा करने में असफल रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक नगरों के मूलभूत सुविधाओं की कमी

3632. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल तथा विद्युत जैस मूलभूत और नागरिक सुविधाओं की कमी और आयोजना की कमी के कारण औद्योगिक नगरों में रुकावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक नगरों के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले अन्य कारण क्या हैं ;

(ग) देश में औद्योगिक नगरों के विकास के लिए योजना को क्रियान्वित करने हेतु केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या देश में औद्योगिक नगर के निकास की योजना पर 1982-83 के दौरान जोर-शोर से काम किया जाएगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी उपलब्धि के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) नगर विकास राज्य का विषय है। सार्वजनिक क्षेत्र के 7 नगरों में आमतौर से जलपूर्ति एवं बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं और यह बृहत योजना के अनुरूप होती हैं। अन्य औद्योगिकी नगरों के बारे में, यह सत्य है कि जलपूर्ति एवं अन्य सेवाएं अपर्याप्त हैं जिसने नगरों के औद्योगिक विकास को कुछ हदतक प्रभावित किया है।

(ख) तथा (ग) निधियों, सामग्रियों की कमी, ठेकेदारी समस्या, परिवहन की अड़चनें और विपणन कठिनाइयां जैसी अन्य कारणों में से कुछ कारण हैं। 231 नगरों के विकासार्थ राज्यों को

सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना चला रही है। इस प्रकार के नगरों में उद्योगों, वाणिज्यिक एवं अन्य एककों की स्थापना के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर औद्योगिक नीति में विचार किया गया है। छोटे-छोटे शहरों में बिजली, टेलीफोन तथा टेलैक्स क्लैक्शनों में सुधार किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय निकायों की संगठनात्मक तथा वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ बनाएं।

(घ) तथा (ङ) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

कमजोर वर्गों को फालतू भूमि का आवंटन

3633. **श्री कुंवर राम** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समाज के कमजोर वर्गों को फालतू तथा ग्रामीण भूमि आवंटित करने के संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या उक्त परिणाम इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों के अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू भूमिहीन कृषि श्रमिकों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 3.31 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई गई है। कुछ और अधिक भूमि जिसे पहले ही फालतू घोषित किया जा चुका है अथवा कब्जे में लिया जा चुका है, को अभी कुछ कठिनाईयों के कारण जिसमें से मुख्य कठिनाई अदालतों में लंबित पड़े मामले हैं, वितरित की जाती रहती है। इनका वितरण इन कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात ही किया जा सकता है।

एन० डी० एम० सी० में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त स्थानों को भरा जाना

3634. **श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन० डी० एम० सी० ने विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और सामान्य रूप से अनुसूचित जाति के रिक्त स्थानों को भरने हेतु क्या प्रयास किए हैं ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के आवेदन हेतु पर्याप्त समय देकर बड़े पैमाने पर प्रचार करते हुए कोई द्रुत कार्यक्रम चलाया गया है ; यदि हां, तो कब यदि नहीं तो एन० डी० एम० सी० जिन स्थानों पर बहुत अधिक आदिवासी केन्द्रित हैं वहां पर अपने भर्ती दलों को भेजकर मौके पर भर्ती क्यों नहीं कर रहा है ;

(ग) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों (क, ख, ग, घ, ङ) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है पिछले पांच वर्षों में वर्षवार प्रत्येक श्रेणी के सामान्य रिक्त स्थानों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार आरक्षित रिक्त स्थानों में आयी कमी और पिछले बकाया रिक्त स्थानों को भरने का है यदि हां, तो कब तक ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में राजस्थान के भवन

3635. **श्री भंखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में स्थित राजस्थान के कुछ भवनों को ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से किसी भी भवन का किराया नियमित रूप से दिया जा रहा है या इसके मूल्य की अदायगी कर दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि किराया की बकाया धनराशि इकट्ठी हो गई है यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) सरकार बीकानेर हाउस को खाली करने के लिए क्यों दबाव डाल रही हैं जैसाकि पहले आश्वासन दिया गया था ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जालौर में नेहरू युवक केन्द्र खोलना

3636. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजस्थान में जिला मुख्यालय, जालौर में एक नेहरू युवक केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जालौर में अभी तक नेहरू युवक केन्द्र नहीं खोला गया है ; और

(ग) यदि हां, तो, वहां उक्त केन्द्र कब तक खोला जाएगा ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राजस्थान सरकार की सिफारिश पर, जालौर के लिए एक नेहरू युवक केन्द्र संस्वीकृत किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्र द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू करने की सम्भावना है।

एशियाड के लिए किया गया आयात

3637. **श्री रोतलाल प्रसांद वर्मा** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड के लिए वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान वर्ष-वार कितने मूल्य के समान का आयात किया गया ;

(ख) उन मदों के नाम और उन पर खर्च हुई धनराशि क्या है जिनका तीन वर्षों में एक लाख से अधिक मूल्य का आयात किया गया है ; और

(ग) उस प्रत्येक होटल में कितने आयात लाइसेंस जारी किए गए थे जिनका एशियाड के समय निर्माण किया जाना था ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संबंधित्त एजेन्सियों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वन रोपण हेतु केरल को आबंटित धनराशि

3638. **प्रो० पो० जे० कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केरल राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान वनरोपण योजना के लिए आबंटित की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है, कितनी राशि खर्च की गई और क्या लक्ष्य प्राप्त हुए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : गत तीन वर्षों के दौरान वनरोपण योजनाओं, अर्थात ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्ष रोपण सहित सामाजिक वानिकी और कुन्दा नदी घाटी परियोजना के स्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण, के लिए केरल को आवंटित की गई धनराशि खर्च की गई धनराशि तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

आवंटित धनराशि (केन्द्रीय सहायता), खर्च की गई धनराशि और केरल में चल रही दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त किए गए लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्ष रोपण सहित सामाजिक वानिकी

वर्ष	आवंटित धनराशि (केन्द्रीय सहायता)	खर्च की धनराशि राज्य के हिस्से सहित) कुल व्यय)	प्राप्त किए गए लक्ष्य	
1980	14.22	112.25	1. अग्रिम मुद्रा कार्य	2535 हैक्टार
1981			2. लगाए गए वृक्ष	1222 हैक्टार
1981 1982	7.01		3. सप्लाई किए गए पौध	47.47 लाख
1982	56.00	36.00	1. लगाये गए पौध	1964 हैक्टार
1983		(31-12-82 को वास्तविक)	2. सप्लाई की गई पौधे	3825 हैक्टार

कुन्दा नदी घाटी परियोजना के स्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण

1980-81	8.47	0.37	1. लगाये गए पौधे	10 हैक्टार
1981-1982	2.00	1.47	2. लगाए गए पौधे	29 हैक्टार
1982-83 (सम्भावित)	2.00	2.00	3. वृक्ष रोपण	50 हैक्टार

कृषि उत्पादों का आयात

3639. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 मार्च, 1983 तक कितने गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों का आयात किया गया है ;

(ख) विभिन्न समझौतों के अन्तर्गत आयातित विभिन्न मदों की कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य कितना है ; और

(ग) इन कृषि उत्पादों के मूल देशों और ठेकों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) वर्ष 1982-83 के दौरान, 2159.82 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर संयुक्त राज्य अमेरिका से 39.50 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने का ठेका किया गया है। वर्ष 1982-83 (फरवरी, 1983 तक) के दौरान पिछले तथा वर्तमान ठेकों के प्रति 297.90 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर आस्ट्रेलिया से 1.88 लाख मीटरी टन गेहूं और संयुक्त राज्य अमेरिका से 13.70 लाख मीटरी टन गेहूं पहुंच चुकी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन अधूरे निर्माण कार्य

3640. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन अधिकतर निर्माण कार्य इमारती सामान की कीमत में वृद्धि के कारण अभी तक अधूरे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) उन दोषों को दूर करने के लिए सरकार का क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बरना सिंचाई योजना

3641. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश में बरना सिंचाई परियोजना की देखरेख करने के लिए गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कमान क्षेत्र की सभी विकास योजनाएं क्रियान्विति हेतु तैयार हैं ; और

(घ) आगामी वर्षों में इस योजना को किस तरह वित्त पोषित करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बरना और हलाली सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की देखभाल करने के लिए जुलाई, 1979 में बरना-पलाली कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया था।

(ग) प्राधिकरण ने जलमार्गों, खेत चैनलों तथा खेत नालियों के निर्माण, फसल उगाने की उपयुक्त पद्धति, कृषि विस्तार सेवाओं तथा निवेशों और सम्पर्क सड़कों जैसे कार्य की मदों के संबंध में विकास योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन 1980-81 में आरंभ कर दिया गया है। मुख्य नालों, मध्यवर्ती नालों, भूमिगत जल विकास और विपणन संबंधी सुविधाओं के लिए अभी तक योजनाए तैयार नहीं की गई हैं।

(घ) इसके लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं के माध्यम से की जाएगी। कमान क्षेत्र विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत स्वीकार्य मदों के लिए केन्द्र से भी बराबर के अनुदान/ऋण उपलब्ध होंगे।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अधीन राज्यों को दी गई धनराशि

3642. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अधीन परियोजनाओं के लिए छः राज्यों को 3,137.18 लाख रुपये दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) क्या सरकार को संबंधित राज्यों से कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय के उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हां। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 राज्यों को 11-12-1982 को 3,137.18 लाख रुपयों का कुल अनुदान दिया गया। ब्यौरे विवरण में दिये गए हैं।

(ग) तथा (घ) ये अनुदान वर्ष 1982-83 के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जलपूर्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिए दिए गए। इस वर्ष की प्रगति रिपोर्ट वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर उपलब्ध होगी।

विवरण

11-12-1982 को दिए गए अनुदान

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्य	प्रबोधन तथा जांच एकक
1.	कर्नाटक	511.50	—
2.	मध्य प्रदेश	797.50	—
3.	महाराष्ट्र	466.50	6.00
4.	मणिपुर	—	4.00
5.	नागालैंड	84.18	6.00
6.	राजस्थान	1259.50	2.00
	योग	3119.18	18.00

राज्य खेल परिषदों को सहायता

3643. **श्री मोहम्मद अस्रार अहमद** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980 81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान वार्षिक कोचिंग कैम्पों के आयोजन खेल के मैदानों के विकास, खेल को नान एक्सपेंडेबल किस्म के उपकरणों की खरीद, स्टेडियमों, स्वीमिंग पूलों आदि के निर्माण के लिए राज्य खेल परिषदों को (वस्तुवार और राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार) दी गई सहायता की राशि क्या हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष (राज्यवार) खेल के कितने मैदानों का विकास किया गया और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष (रायज्वार) कितने स्टेडियमों और स्वीमिंग पूलों का निर्माण किया गया और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न अनुबन्ध I, II और III में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए संख्या एल० टी० 6163/83**]

(ख) और (ग) यद्यपि संदर्भगत अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा संस्वीकृत अनुदानों से वास्तविक रूप से विकसित किए गए खेल के मैदानों और वास्तविक रूप से निर्मित स्टेडियमों व तरण-तालों से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी प्रस्तावित खेल के मैदानों, स्टेडियमों और तरण-तालों की संख्या उपरोक्त अनुबन्धों में दी गई है ।

कालेजो तथा विश्वविद्यालयों में खेलकूद के संवर्द्धन के लिए सहायता

3644. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में खेल मैदानों जिमनास्टिकों के निर्माण तथा कोचिंग एवं प्रतियोगी कैम्प (मदवार एवं राज्यवार) आयोजित करने हेतु कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलकूद के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्व-विद्यालयों के संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय खेलकूद संगठन की कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त किए गए ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

3645. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय स्तर और निम्न स्तर

(राज्य-वार) पर कितनी खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : ग्रामीण खेल टूर्नामेंट योजना इस विभाग की ओर से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए इस विभाग द्वारा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान को संदर्भाधीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदान निम्नलिखित हैं—

1980-81	—	6,00,000 रु०
1981-82	—	10,00,000 रु०
1982-83	—	10,00,000 रु०

राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण खेल टूर्नामेंट प्रति वर्ष विभिन्न स्थानों पर चार वर्गों में आयोजित किए जाते हैं। संदर्भाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 10 ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित किए गए—1980-81 और 1981-82 में चार-चार और 1982-83 में दो। निचले राज्य स्तरीय टूर्नामेंट सामान्यतः प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश द्वारा बाढ़ राहत के लिए मांगी गई धनराशि

3646. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ से हुई क्षति के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा राहत कार्य के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि की माँग की गई थी ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि के उपयोग का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए)

राज्य	मांगी गई सहायता		
	79-80	80-81	81-82
उत्तर प्रदेश	—	413.79	224.17
बिहार	—	89.75	78.65

(ख) जानकारी नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए)

राज्य	स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा			राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया प्रत्याशित व्यय		
	79-80	80-81	81-82	79-80	80-81	81-82
बिहार	—	26.47	20.74	—	26.47	19.01
उत्तर प्रदेश	—	79.05	45.45	—	79.05	45.45

प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ना

3647. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी गांवों को स्थानीय पक्की सड़कों से जोड़ने तथा इन पक्की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार यह लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का है ;

(ग) 1980-81 और 1981-82 के दौरान देश में प्रत्येक राज्य के कितने गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया ; और

(घ) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान किया गया कार्य 1977-78 और 1978-79 के दौरान किए गए कार्य की तुलना में कम था ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रलेख में यह परिकल्पना की गई है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में 1990 तक 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों द्वारा जोड़ा जाएगा तथा इस कार्यक्रम के 50 प्रतिशत लक्ष्य को 1975 तक पूरा कर लिया जाएगा ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) पूर्ण आंकड़ों के अभाव में इन वर्षों के दौरान किए गए कार्य निष्पादन की तुलना करना संभव नहीं है ।

विवरण

1980-81 तथा 1981-82 के दौरान सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवों की संख्या (अनन्तिम)

	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-81	1981-82
1.	आन्ध्र प्रदेश	30	35
2.	असम	393	404
3.	बिहार	1060	449
4.	गुजरात	1279	1100
5.	हरियाणा	450	—
6.	हिमाचल प्रदेश	201	209
7.	जम्मू और कश्मीर	51	48
8.	कर्नाटक	68	273
9.	केरल	—	—
10.	मध्य प्रदेश	832	663
11.	महाराष्ट्र	154	1139
12.	मणिपुर	—	8
12.	मेघालय	217	105
14.	नागालैंड	6	4
15.	उड़ीसा	205	205
16	पंजाब	177	11
17.	राजस्थान	240	238
18.	सिक्किम	3	15
19.	तमिलनाड	392	322

1	2	3	4
20.	त्रिपुरा	265	220
21.	उत्तर प्रदेश	98	245
22.	पश्चिम बंगाल	90	130
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
25.	चंडीगढ़	—	—
26.	दादरा और नागर हवेली	—	
27.	दिल्ली	2	2
28.	गोवा, दमन और दीव	—	1
29.	लक्ष्यद्वीप	—	—
30.	मिजोरम	3	7
31.	पांडिचेरी	13	12
	योग	6729	5845

सूत्र-राज्य सरकारें/केन्द्र शासित क्षेत्र

उत्तर प्रदेश द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धन राशि की मांग

3648. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तम प्रदेश द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान इस राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं की क्रियान्वित के लिए कितनी अतिरिक्त राशि की मांग की गई और इसके लिए उनको वास्तव में कितनी राशि आबंटित की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि धन कमी कारण उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का काम ठप्प हो गया है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश की सरकार उन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता दी गई है और किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, राज्य में 1100 अतिरिक्त नलकूपों का बेधन करने के लिए, केवल 1981-82 के दौरान 40.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि देने का अनुरोध किया था। वित्तीय संसाधनों की तंगी होने के कारण, राज्य को कोई वित्तीत सहायता नहीं दी जा सकी थी।

(ख) राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) 1977-78 के दौरान, राज्य को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 1.03 करोड़ रुपए की अग्रिम योजनागत सहायता स्वीकृत की गई थी।

		करोड़ रुपयों में
1.	सोन पम्प नहर	0.75
2.	हिन्डन बराज	0.28
	जोड	1.03

फालतू भूमि का कुल क्षेत्रफल

3650. **श्री जायनल आबेदिन** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक कितनी भूमि वितरण के लिए उपलब्ध होने वाली थी ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए वास्तव में कितनी भूमि उपलब्ध हुई ;

(ग) क्या सारी उपलब्ध भूमि को फालतू घोषित कर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि मूलतः अनुमानित फालतू भूमि का अनुसूचित बेनामी अंतरण है।

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भूमि के उक्त अन्तरण की वैधता को चुनौती देने वाला कोई कठोर कदम उठाने का है ;

(च) क्या पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार वितरण के लिए उपलब्ध भूमि का कोई अंग अभी भी फालतू घोषित किया जाना जाना है ;

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (छ) संशोधित भूमि सीमा सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत फालतू होने वाली प्रत्यक्ष रूप से आंकी गई भूमि लगभग 52 लाख एकड़ थी। भूमि धारकों द्वारा तथा उनकी ओर से प्रस्तुत की गई 14 लाख 10 हजार विवरणियों की जांच के आधार पर अभी तक 41.91 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है। केवल 26000 से कुछ अधिक विवरणियां निपटान करने के लिए रहती हैं। ये दाखिल की गई कुल विवरणियों की संख्या का लगभग 2 प्रतिशत बनती हैं।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी सभी कानूनों में अधिकतम सीमा से बचने की नीयत से किए गए जाली हस्तांतरणों को रद्द करने की न्यूनाधिक रूप में व्यवस्था है। भूमि हस्तान्तरों की जांच उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इन कानूनों को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है और विवरणी का निपटान करने से पहले आवश्यक निर्णय लिया जाता है।

1982-83 के दौरान भूमि का वितरण

3651. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान फालतू भूमि वितरण का क्या लक्ष्य है ;

(ख) क्या यह है कि लक्ष्य के प्राप्त होने की संभावना नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ; और

(घ) सरकार ने वर्ष 1982-83 के दौरान इसकी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) योजना में यह परिकल्पना की गई है कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को कब्जे में लेने तथा उसे वितरित करने का कार्यक्रम 1982-83 के के दौरान 1.29 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है और अधितम सीमा से फालतू भूमि के वितरण का कार्य पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। तथापि, भूमि को फालतू घोषित करने और भूमि पर कब्जा लिए जाने के पश्चात भी प्रभावित लोग किसी न किसी रूप में मध्यमस्थता हेतु अदालत में चले जाते हैं। यही मुख्य कारण है कि फालतू घोषित की गई तथा कब्जे में ली गई पूरी भूमि वितरित नहीं की जा सकी। भारत सरकार फालतू भूमि के वितरण में हुई प्रगति की लगातार निगरानी रख रही है। राज्यों को कार्यान्वयन की

प्रक्रिया में पाई गई कमियां बताई जाती हैं। और उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं। राज्यों से अदालतों में लम्बित पड़े मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु कारगर कदम उठाने के लिए विशेष रूप से आग्रह किया गया है।

नगरीय विकास पर उच्च स्तरीय अध्ययन दल

3652. **श्री चित्त बसु : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय विकास हेतु नीति बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय अध्ययन नल ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो दल सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) इस दल ने उचित रूप से सार्वजनिक पूंजीनिवेश शहरी क्षेत्रों में विद्यमान असन्तुलनों का पता लगाने, विकास केन्द्रों के स्थान निर्धारण, औद्योगिक गतिविधि का स्थान निर्धारण, क्षेत्रीय सन्दर्भ में नगर विकास की योजना बनाने छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास ले सम्बन्धित वर्तमान योजना में संशोधन, रोजगारोत्पति के लिए योजनायं, अमेत्माक्ष करों के लिए स्थानीय निकायों की देय क्षमता सम्पत्ति करों का मूल्यान, एकत्र करने तथा उगाने में सुधार, स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं एवं संसाधनों की आवधिक जांच करने, पूंजी बाजार में स्थानीय निकायों तथा नगर विकास प्राधिकरणों की पहुंच राष्ट्रीय नगर वित्त प्राधिकरण का गठन, करने, नगर विकास तथा प्रबन्ध को विशेष विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए चुनने तथा शहरी सूचना पद्धति को स्थापित करने के बारे में सिफारिशें की हैं।

(ग) 17 और 18 जनवरी, 1983 को नई दिल्ली में हुई स्थानीय शासन तथा नगर विकास की केन्द्रीय परिषद की 80वीं बैठक में इस रिपर्ट पर विचार किया गया था। बैठक में यह संकल्प पारित किया गया था केन्द्रीय सरकार, राज्यों सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अध्ययन दल की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर यथा शीघ्र विचार करना चाहिए और एक वर्ष के भीतर इस पर निणंय लेना चाहिए तथा इस तन्त्रालय को सूचित करना चाहिए।

तमिलनाडु में खाद्यान्न संकट

3653. **श्री चित्त बसु** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में हाल में खाद्यान्न की स्थिति संकटपूर्ण हो गई है ;

(ख) क्या मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय पूल से शीघ्र पर्याप्त खाद्यान्न जारी करने हेतु अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने सूचित किया था कि मानसून के असफल रहने के फलस्वरूप, राज्य में चावल की पैदावार पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जिससे खुले बाजार में चावल की उपलब्धता कम हो गयी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ गया था और 85,000 मीटरी टन चावल और 40,000 मीटरी टन गेहूं का मासिक आबंटर करने के लिए अनुरोध किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 4000 मीटरी टन गेहूं के पिछले मासिक आबंटन के अलावा, अप्रैल, 1983 के लिए राज्य सरकार को 10,000 मीटरी टन खाद्यान्नों—5000 मीटरी टन गेहूं – की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की गई है। राज्य सरकार को पंजाब और हरियाणा के अधिशेष राज्यों से खुले बाजार में लेवी युक्त 20,000 मीटरी टन चावल खरीदने की भी अनुमति दी गई है।

दिल्ली में अफ्रीकी—एशियाई खेल

3654. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :**
श्री हरिहर सोरन : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में अफ्रीकी—एशियाई खेलों के आयोजन के लिए सदस्य—देशों के साथ कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से देश भाग लेंगे, कौन-कौन सी खेल प्रतियोगितायें आयोजित की जाएंगी तथा इसका कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार क्या सहायता प्रदान करेगी ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकार ने ऐसी कोई बातचीत नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में हरिजनों को अधिशेष भूमि का आबंटन

3655. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री दिल्ली में हरिजनों को अधिशेष भूमि के आबंटन के बारे में दिनांक 29 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5604 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिशेष भूमि का पता लगाने के लिए दिल्ली के गांवों का प्रस्तावित सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्य कब कब पूरा हो जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि फरवरी-मार्च, 1983 महीनों के दौरान विभिन्न देहाती गांवों में एक सर्वेक्षण किया गया । सर्वेक्षण से पता चला कि गांवों में लगभग 10122 एकड़ भूमि उपलब्ध है ।

(ग) प्रश्न हा नहीं उठता ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नए पदों का बनाया जाना

3656. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री मोती भाई आर० चौधरी :

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 7000 नए पद बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में अनुमति कब मांगी थी ; और

(घ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन-कौन से अतिरिक्त पद बनाये जाने का विचार है और उन पर कितना व्यय किए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां । 9741 पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव था—खंड स्तर पर 9,605 पद, राज्य स्तर पर 76 पद और संभाग स्तर पर 60 पद ।

(ख) खण्ड स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए 2,609 पद तथा राज्य स्तर पर निगरानी (मानिटरिंग) के लिए 9 पद अनुमोदित किए गए थे । संभाग स्तर के लिए कोई पद अनुमोदित नहीं किए गए हैं ।

(ग) खण्ड स्तर के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्ताव 18-4-1981 को प्राप्त हुआ था, राज्य मुख्यालयों में मानीटरिंग के लिए पदों का प्रस्ताव 25-2-82 को और संभाग स्तर पर स्टाफ के लिए प्रस्ताव 5-11-1981 को प्राप्त हुआ था।

(घ) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पदों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त पदों तथा प्रतिवर्ष इसकी वित्तीय आवश्यकताओं को दर्शाने वाला विवरण

1. खंड स्तरीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाना :—

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वित्तीय आवश्यकता
			(लाख रुपये में)
1.	ग्राम सेवक (169-3000 रु०)	2293	165.22
2.	महिला एस० ई० ओ० (245-460 रु०)	314	28.26
	योग	2609	193.48

2. राज्य स्तर पर मानीटरिंग सेल :—

1.	संयुक्त आयुक्त (विधेयक आर्थिक कार्यक्रम)	1	0.26
2.	उपायुक्त (विशेष आर्थिक कार्यक्रम)	1	0.24
3.	उपायुक्त (अनुसंधान, मूल्यांकन तथा प्रलेखन)	1	0.24
4.	आशुलिपिक	3	0.30
5.	चपरासी	3	0.18
	योग	9	1.22

देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या

3657. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में कितनी सहकारी समितियां चल रही हैं और उनके द्वारा कितने लोगों को आवश्यक वस्तुएं सप्लाई की जा रही हैं ; और

(ख) क्या इन सहकारी समितियों पर किया जाने वाला अन्य व्यय सरकार द्वारा उठाया जाता है या इसे उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर पूरा किया जाता है या इसे सरकार तथा उपभोक्ताओं द्वारा बार-बार बांटा जाता है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या दी गई है । तथापि, सभी उपभोक्ता भंडार गैर-सदस्यों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए (क) अंशपूंजी अंशदान - और (ख) फर्नीचर तथा जुड़नार के लिए ऋण/राज सहायता ; और (ग) सीमान्त राजसहायता के रूप में नियत प्रतिमान के आधार पर वित्तीय सहायता देती है । उसके बाद भंडारों से वाणिज्यक आधार पर चलने की उम्मीद की जाती है ।

विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3657, जिसका उत्तर 21-3-1983 को दिया जाना है, के (क) भाग के उत्तर से सम्बन्धित विवरण, जिसमें उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या और उनकी सदस्य संख्या दी गई है (30-6-1981 को)

		थोक भण्डार		प्राथमिक भण्डार	
		संख्या	व्यक्ति सदस्य	संख्या	सदस्यता
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	106392	950	408600
2.	असम	21	25584	214 *	67947 *
3.	बिहार	84	31630	1625	182431
4.	गुजरात	29	104887	1002	318590

1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	32	72791	65	17893
6.	हिमाचल प्रदेश	1	4517	76	11571
7.	जम्मू और कश्मीर	6	4862	60 **	12360 **
8.	कर्नाटक	33	24790	1520	586375
9.	केरल	11	20346	251 **	98558 **
10.	मध्य प्रदेश	41	57660	655	218505
11.	महाराष्ट्र	76	200340	1750	550000
12.	मणिपुर***	5	655	130	6512
13.	मेघालय	1	103	45	9964
14.	नागालैण्ड***	5	375	74	3628
15.	उड़ीसा*	36	26410	615	186952
16.	पंजाब	16	121563	188	211690
17.	राजस्थान	25	74115	685	148244
18.	सिक्कम	1	332	10	520
19.	तमिलनाडु	29	727148	845	583045
20.	त्रिपुरा	1	892	78	7532
21.	उत्तर प्रदेश	55	176017	1740	467395
22.	पश्चिम बंगाल	28	18212	2320	533811
23.	अण्डमान तथा निकोबार	2 *	5361 *	35 ***	11000 ***
24.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	51	6328
25.	चंडीगढ़	1	7902	9	6809

26.	दादर तथा नगर हवेली	—	—	1	417
27.	दिल्ली	3	778504	438	137176
28.	गोवा , दमन व दीव	2	10754	65	19998
29.	लक्षद्वीप	1	69	15	2044
30.	मिजोरम	1	x	—	×
31.	पाण्डिचेरी	2	12812	46	53501
	योग :—	576	2619053	15558	4696864

टिप्पणी :— *ये आंकड़े 1979-80 के हैं।
**ये आंकड़े 1978-79 के हैं।
***ये आंकड़े 1077-78 के हैं।
xकेवल प्राथमिक भंडार ही सदस्य हैं।
× गोहाटी सब डिवीजन को छोड़कर।

राज्यों में भूमि अधिकतम सीमा

3658. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि को अधिकतम सीमा अधिनियम किन-किन तिथियों को देश के भिन्न-भिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त किया गया ;

(ख) इसे व्यवहारिक रूप कब से दिया गया ;

(ग) भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का अभिग्रहण किए जाने के उपरान्त प्रत्येक राज्य तथा संघ राज क्षेत्र में कितने लोगों को भूमि का वितरण कर दिया गया है और प्रत्येक को कितनी भूमि दी गई है ;

(घ) विभिन्न में राज्यों अभी कितनी भूमि का अभिग्रहण किया जाना है और अभी तक उसका अभिग्रहण न किने जाने के क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या राज कृष्ण समिति ने सिफारिश की है कि भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नवम् अनुसूची में सम्मिलित किया जाये : और

(च) यदि हां, तो क्या सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और यदि नहीं, तो भूमि विवादों से संबंधित कितने मामले इस समय न्यायालयों में लम्बित है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) **विवरण-1** संलग्न है । इससे देश के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा 1972 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि जोतों से संबंधित अधिकतम सीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बनाए गए अधिनियमों को लागू करने की तारीखों का पता चलेगा ।

फरवरी, 1983 तक पात्र परिवारों को भूमि का वितरण दर्शाने वाला **विवरण-2** संलग्न हैं ।

(घ) विभिन्न राज्यों में फालतू घोषित क्षेत्र तथा कब्जे में लिए गए क्षेत्र को अनुबन्ध-1 में दर्शाया गया है । विभिन्न तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में फालतू घोषित क्षेत्र तथा कब्जे में लिए गए क्षेत्र का अन्तर लगभग 14 लाख एकड़ है । इसमें से लगभग 12 लाख एकड़ भूमि का क्षेत्र विभिन्न अदालतों तथा न्यायाधिकरणों में हितबद्ध पक्षों द्वारा दायर की गई अपीलों तथा पुनरावेदनों के कारण हैं ।

(ङ) व (च) भूमि को अधिकतम सीमा सम्बन्धी सभी प्रमुख कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में पहले ही शामिल कर दिया गया है । ऐसे कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की वांछनीयता की समय-समय पर जांच की जाती है और तदनुसार समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं ।

विवरण-1

विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के नामों और अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियमों को लागू करने की तारीखों को दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य का नाम	लागू होने की तारीख
आन्ध्र प्रदेश	1-1-1975
असम	10-10-1972
बिहार	19-5-1983
गुजरात	1-4-1976

1	2
हरियाणा	23-12-1972
हिमाचल प्रदेश	28-7-1973
जम्मू और कश्मीर	13-7-1978
कर्नाटक	1-3-1974
केरल	1-1-1970
मणिपुर	1-8-1976
महाराष्ट्र	2-10-1975
मध्य प्रदेश	7-3-1974
उड़ीसा	2-10-1973
पंजाब	2-4-1973
राजस्थान	1-1-1973
सिक्किम	3-6-1978
तमिलनाडु	15-2-1970
त्रिपुरा	30-4-1974
उत्तर प्रदेश	8-6-1973
पश्चिम बंगाल	15-2-1971
दादर तथा नगर हवेली	1-5-1974
दिल्ली	9-2-1976
पाण्डिचेरी	22-9-1974

विवरण-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3658 जिसका उत्तर 21-3-83 को दिया जाएगा, के भाग (ग) व (घ) के उत्तर में फालतू घोषित क्षेत्र, कब्जे में लिए गए क्षेत्र, वितरित क्षेत्र तथा अदालतों में लम्बित पड़े मामलों को दर्शाने वाला विवरण

(एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	अदालतों में लम्बित पड़े मामलों के अन्तर्गत क्षेत्र
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	10,09,323	4,32,766	3,17,583	4,20,000
असम	5,68,873	4,89,675	3,22,015	76,000
बिहार	2,48,192	1,52,249	1,49,360	90,000
गुजरात	1,63,572	69,486	12,045	46,000
हरियाणा	29,228	20,437	20,173	6,973
हिमाचल प्रदेश	1,13,971	1,12,635	3,344	—
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
कर्नाटक	2,95,720	1 48,039	1,04,920	87,000
केरल	1,24,604	81,782	54,422	40,885
मध्य प्रदेश	2,56,484	1,45,788	87,884	1.13,000
महाराष्ट्र	3,70,193	2,81,586	2,81,586	58,000
मणिपुर	1,029	159	37	—
उड़ीसा	1,47,775	1,23,798	1,06,992	4,959
पंजाब	46,682	17,014	13,353	78,484

1	2	3	4	5
राजस्थान	2,60,533	2,32,517	1,32,185	33,000
तमिलनाडु	87,951	81,267	63,654	7,036
त्रिपुरा	1,690	1,558	1,113	—
उत्तर प्रदेश	2,88,081	2,64,167	2,36,675	22,230
पश्चिम बंगाल	1,64,767	1,13,818	62,460	1,00,000
दादर व नगर हवेली	8,958	6,7676	3,616	3,000
दिल्ली	722	374	374	—
पांडिचेरी	2,560	1,132	927	—
योग :—	41,90,908	27,86,383	19,74,718	11,86,667

शहरी सामुदायिक विकास योजना

3659. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 में शहरी सामुदायिक विकास योजना के अधीन शहर-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई है और किए गए विकास का ब्यौर, क्या है तथा किन-किन शहरों का विकास गया है ; और

(ख) 1982-83 में इस योजना के अधीन राज्य-वार कितनी राशि दी गई उसकी शर्तें क्या थीं और उससे क्या परिणाम निकले ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) नगरीय सामुदाय विकास राज्य का विषय है। तथापि, कतिपय नगर सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए सीमित पैमाने पर यूनिसेफ सहायता भी दी जा रही है। फिलहाल, यूनिसेफ सहायता वाली ऐसी प्रयोजनाएं हैदराबाद तथा विशाखापतनम (आन्ध्र प्रदेश) बड़ौदा तथा अहमदाबाद (गुजरात) तथा कानपुर (उत्तर प्रदेश) के शहरों में चालू है। युनिसेफ की सहायता से नगरीय सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य नगरीय, गरीबों विशेषत: मलिन बस्तियों में रह रही स्त्रियों तथा बच्चों को मूलभूत सेवाएं मुहैया करना है। लगभग 22.69 लाख रुपए, 12.08 लाख

रुपए, 5.51 लाख रुपए, 6.98 लाख रुपए तथा 0.68 लाख रुपए तक की अनुदान के रूप में यूनिसेफ की सहायता क्रमशः हैदराबाद, विशाखापतनम, बड़ौदा, अहमदाबाद तथा कानपुर की परियोजनाओं के लिए कैलेण्डर वर्ष 1982 के दौरान दी गई। ऐसी ही एक परियोजना दिसम्बर, 1983 तक यूनिसेफ की सहायता से प्रत्येक राज्य में आरम्भ करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हो।

भारतीय खाद्य निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम

3660. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम देश में तथा विदेशों के विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को भेजता है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रशिक्षण हेतु कुल कितने अधिकारी भेजे गए और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों की संख्या कितनी रही ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम देश और विदेशों की विभिन्न संस्थाओं द्वारा जनशक्ति योजना और विकास के एक अंग के रूप में गठित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों को प्रयोजित/नामित करता है। देश और विदेशों की विभिन्न संस्थाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजे गए अधिकारियों की संख्या और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	प्रशिक्षण के लिए भेजे गए अधिकारियों की संख्या					
	देश के अन्दर			विदेशों में		
	सामान्य	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	योग	सामान्य	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	योग
1980-81	39	3	42	33	3	36
1981-82	43	3	46	9	2	11
1982-83 (फरवरी 1983 तक)	45	4	49	15	—	15

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बकाया आरक्षित पद

3661. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों की वर्गवार और पदवार अद्यतन स्थिति क्या है तथा प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बकाया आरक्षित पदों का वर्गवार और संवर्गवार ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन आरक्षित बकाया पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम में आरक्षण कोटा

3662. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के सम्बन्ध में सरकार के निदेशों का पालन कर रहा है ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम छूट दी गई योग्यताओं और अनुभव के अंतर्गत कार्मिकों की भरती कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को छूट दी गई योग्यताओं और अनुभव के अन्तर्गत भर्ती किए गए ; और

(घ) यदि नहीं, तो गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार कितने पद अनारक्षित किए गए हैं और अनारक्षित किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां योग्यताओं और अनुभव में छूट देकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय के कार्मिकों की भर्ती कर रहा है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान श्रेणी—1 के पदों पर छूट दी गई योग्यताओं और अनुभव के अन्तर्गत भर्ती किए किए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वर्षवार संख्या दी जाती है :—

वर्ष	उम्मीदवारों की संख्या	कैफियत
1978	3 अनुसूचित जाति 1 अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति के 2 उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था।
1979	1 अनुसूचित जाति 2 अनुसूचित जनजाति	—
1980	शून्य	—
1981	3 अनुसूचित जनजाति	—
1982	शून्य	—

(घ) श्रेणी-1 के पदों पर सीधी भर्ती में पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई पद अनारक्षित नहीं किया गया था।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आबंटन पूल

3663. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सम्पदा कार्यालय में विभिन्न कार्यालयों/विभागों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न टाइप के सरकारी आवास के लिए कितने आबंटन पूल हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकारी कर्मचारियों में भेद की भाव को दूर करने के लिए कर्मचारियों की पृथक श्रेणी के लिए पृथक पूल प्रणाली न्यूनतम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) राजधानी में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी हेतु कार्य में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सामान्य पूल वास में निम्नलिखित पुल शामिल हैं :—

(1) महिला अधिकारियों का पुल-विवाहित महिला अधिकारियों के लिए तथा अविवाहित महिला अधिकारियों के लिए अलग अलग ।

(2) सांवधिक अधिकारी पूल-केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन में सांवधिक आधार पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए । इन पूलों में अधिकारियों को उनके पात्र टाइप जिसके लिए वे अन्यथा नियमानुसार पात्र हैं, के नीचे के टाइप में आबंटन किया जाता है ।

(ख) से (ग) : सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने सामान्य पूल में क्वार्टरों के निर्माण का एक त्वरित कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किया हुआ है ?

डी० डी० ए० द्वारा निर्मित मकान

3664. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1980, 1981 और 1982 में कितने मकान बनाए गए और कितने मकान उनके स्वामियों को कब्जा करने हेतु दिए गए आंकडे उनके वर्षवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) इन मकानों पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च होती है और खरीदारों से प्रतिवर्ष कितनी धनराशि एकत्र की जाती है अथवा एकत्र की जानी है ;

(ग) डी० डी० ए० को 1980, 1981 और 1982 में आवासीय और औद्योगिक प्लाटों मकानों और दुकानों तथा फ्लैटों की बिक्री से कितना लाभ हुआ है ; और

(घ) डी० डी० ए० द्वारा आवासीय गतिविधि में मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जारी है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

किंग्सवे कैम्प के निवासियों का पुन: बसाया जाना

3665. **श्री रीसलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किंग्सवे कैम्प, दिल्ली के निवासियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में सरकार द्वारा 1977, 1978 और 1979 के दौरान लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए कितनी राशि और कितनी भूमि आबंटित की गई ;

(ग) उन निर्णयों में किए किए परिवर्तन का ब्यौरा क्या है और परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) शरणार्थियों से, उन्हें आबंटित की गई वकल्पित भूमि के लिए सरकार का विचार कितने वसूल करने का है ; और

(ङ) किंग्सवे कैम्प, दिल्ली की पुनर्वास योजना कब पूरी हो जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सरकार ने 1978 में किंग्सवे कैम्प के निवासियों के पुनर्वास की योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को पुन: अन्तरित करने का निर्णय लिया ।

(ख) औट्म तथा हडसन लाइन की भूमि जो पहले ही सरकार के पास है, के अलावा डा० मुखर्जी नगर में लगभग 173 एकड़ भूमि अर्जन करने तथा विकास करने का निर्णय लिया गया जिसके लिए पुनर्वास मन्त्रालय ने दिल्ली नगर निगम को 190.29 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया था ।

(ग) चूंकि यह महसूस किया गया था कि योजना को उपयुक्त रूप से केवल तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब सभी सम्पत्तियां तथा उत्तरदायित्व एक अभिकरण जिसने किंग्सवे कैंप के पुनर्विकास की योजना को निपणदित करना था, को सौंपे जाएं । इसलिए 1982 में योजना को दिल्ली बिकास प्राधिकरण को अन्तरित करने का निर्णय लिया गया था ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार दिल्ली नगर निगम ने 8,100 रु० का प्रीमियन निर्धारित किया था । जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब विकसित किए गए प्लाटों का सम्बन्ध है, प्रीमियन के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, योजना के पूर्ण होने की तारीख बताना संभव नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता

3666. **श्री गुलशेर अहमद :**

श्री के० लक्कप्पा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की कुल भंडारण क्षमता उसकी आवश्यकता से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों में खुले में खाद्यान्न के भण्डार, चोरी, अधिक समयतक भण्डारण के कारण खाद्यान्न को हुए नुकसान, मात्रा तथा मूल्य में कमी के कारण मद-वार कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) नुकसान को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण स्थान पर दवाब कम करने के लिए उन परिवारों को एक वर्ष की आवश्यकता का खाद्यान्न जमा करने की अनुमति देने का है जो अपना राशन कार्ड जमा करवा देते हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां । अन्य एजेंसियों से किराए पर ली गई ढकी हुई क्षमता सहित भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता उनकी आवश्यकता से लगभग 90 लाख मीटरी टन कम बैठती है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों में खाद्यान्नों का खुले में भण्डारण करने चोरी, लम्बी अवधि तक भण्डारण करने के फलस्वरूप क्षति आदि सहित विभिन्न कारणों से हुई कुल भण्डारण हानियों और उनसे मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	मात्रा	मूल्य
	लाख मी० टन	रु०/करोड़
1979-80	2.02	36.13
1980-81	2.82	49.64
1981-82	2.72	48.61

(ग) खाद्यान्नों की हानि को कम से कम करने की दृष्टि से उपयुक्त तौल करने, लदान उतरान केन्द्रों पर प्रभावकारी पयपेक्षण करने, डिपुओं पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने, ढकी हुई

भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने, स्टाक का उपयुक्त परिरक्षण करने, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेष रक्वाडों द्वारा अचानक छापे मारने, डिपुओं पर स्टाक की लेखा-परीक्षा और प्रत्यक्ष जांच करने आदि जैस आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के ऊपरी खर्च

3667. **श्री गुलशेर अहमद :**

श्री के० लक्प्पा : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय खाद्य निगम के ऊपरी खर्च क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1981-82 के लिए ऊपरी खर्चे (प्रशासनिक ऊपरी खर्चे) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन बिक्री का 2.49 रुपए प्रति क्विंटल और औसत वफर का 1.87 रुपए प्रति क्विंटल बैठते हैं।

गेहूं तथा चावल का वसूली मूल्य

3668. **श्री गुलशेर अहमद :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं तथा चावल जैसी प्रमुख मदों का पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बसूली मूल्य और वितरण मूल्य क्या-क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : सरकार धान और गेहूं के समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। केन्द्रीय सरकार गेहूं और चावल के निर्गम मूल्य भी निर्धारित करती है और राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए इसमें अपने प्रासंगिक खर्चे जोड़ती हैं। दो विवरण संलग्न हैं जिनमें धान और गेहूं के समर्थन मूल्य चावल और गेहूं के निर्गम मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

विपणन मौसम 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए धान और गेहूं के अखिल भारत समर्थन मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

1.	धान	1979-80	1980-81	1981-82	1982-82
	साधारण	95.00	105.00	115.00	122.00

1	2	3	4	5	6
	बढ़िया	99.00	109.00	119.00	126.00
	बहुत बढ़िया	103.00	113.00	123 00	130.00
2.	गेहूं (सभी किस्में)	115.00	117.00	130.00	142.00

विवरण-2

चावल और गेहूं का निर्गम मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

		1979	1980	1981	198से
		25-10-79 से कच्चा	1-1-81 से कच्चा और सेला	1-10-81 से कच्चा और सेला	1-10-820 कच्चा और सेल
1.	चावल	150.00	165.00	175.00	188.0
	साधारण	162.00	177.00	187.00	200.00
	बढ़िया	172.00	192.00	202.00	215.00
	बहुत बढ़िया				
2.	गेहूं				

	1978 (1-12-78) से	1981 (1-4-81) से	198 (1-8-82) से
(सभी किस्में)			
	130.00	145.00 (सा० वि० प्र० के लिए)	160.00 (सा० वि० प्र० के लिए)
		155.00	185.00
	(सा० वि० प्र० और रोलर फ्लोर मिलों के लिए)	रोलर फ्लोर मिलों के लिए)	रोलर फ्लोर मिलों के लिए)

सा० वि० प्र०—सार्वजनिक प्रणाली

सेला चावल के लिए 2/-रु० प्रति क्विंटल अतिरिक्त मूल्य ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अभिग्रहण और निपटान

3669. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भूमि का अभिग्रहण और निपटान दिल्ली विकास प्राधिकरण के हाथों में केन्द्रित है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त एजेंसी द्वारा 1980, 1981 तथा 1982 में प्रति वर्ग मीटर के लिए कितनी औसत भूमि ग्रहण लागत अदा की गई ;

(ग) उपरोक्त तीन वर्षों में वाणिज्यिक रिहायशी प्लाटों के लिए प्रति वर्ग मीटर औसतन विक्रय मूल्य क्या था ; और

(घ) मूल्यों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी नहीं । भूमि दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित की जाती है न कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) वर्ष 1980-81 और 1982 के लिए रिहायशी प्लाटों और वाणिज्यिक प्लाटों का वर्ग मीटरों में औसतन नीलामी मूल्य का एक विवरण संलग्न है । वाणिज्यिक प्लाट फर्शी क्षेत्र के आधार पर बेचे जाते हैं और तदनुसार, दरें बताई गई हैं ।

(घ) अब अधिक से अधिक और प्लाट आबंटन नीलामी के लिए दिए जा रहे हैं और भूमि के विकास की गति भी बढ़ाई जा रही है ।

विवरण

रिहायशी क्षेत्र का वर्ग मीटरों में औसतन विक्रय मूल्य का विवरण ।

	1980	1981	1982 (6182 तथा 7182)
1. सफदरजंग	1645.00	3128.00	3363.00
2. मस्जिद मोठ	1683.00 (एक्ल)	—	—
3. मालवीय नगर	—	—	2034.00 (एक्ल)

1	2	3	4
4. इस्टा आफ कैलाश	1750.00	—	—
5. शालीमार बाग	739.00	1235.00	1722.00
6. पीतमपुरा	504.00	877.00	998.00
7. हैदरपुरी	428.00	986.00	877.00
8. पश्चिमपुरी	439.00	1005.00	997.00
9. नारायणा	1316.00 (एक्स)	—	—
10. विकासपुरी	395.00	656.00	837.00
11. पंखा रोड	732.00	1195.00	—
12. घौन्डा	—	447.00	583.00
13. झिलमिल	408.00	703.00	759.00

100 फर्शी क्षेत्र अनुपात के वाणिज्यिक प्लाटों के लिए वर्ग मीटरों में औसतन विक्रय मूल्य का विवरण ।

	1980	1981	1982
1. जिला विपणन केन्द्र			
नेहरू प्लेस (कालकाजी)	3113.00	—	9931.00
2. जिला विपणन केन्द्र झण्डेवालान	5040.00	—	—
3. जिला विपणन केन्द्र भीकाजी कामा प्लेस			
(होटल प्लाट)	—	1453.00	—
वाणिज्यिक प्लाट	—	5545.00	6040.00
4. जिला विपणन केन्द्र जनक पुरी	—	—	1178.00

1	2	3	4
5. जिला विपणन केन्द्र लक्ष्मी नगर (सिनेमा प्लाट)	—	—	5003.00
6. वाणिज्यिक प्लाट वसन्त विहार	2600.00	6388.00	4960.00
7. वजीरपुर	—	—	2072.00
8. जनकपुरी	459.00	—	—
9. फ्रेंड्स कालोनी	2162.00	5578.00	—
10. जमदपुर	—	4136.00	—
11. मालवीय नगर	1295.00	2084.00	—
12. मस्जिद मोठ	—	2386.00	—
13. नारायणा औद्योगिक क्षेत्र	—	1493.00	2246.00
14. युसुफ सराय	—		6046.90
15. बोडेला	1848.30	—	—

दिल्ली में सहकारी आवास निर्माण सोसायटियां

3670. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में आवास और निर्माण सोसायटियों का पंजीकरण बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार का दिल्ली में आवास की कमी को पूरा करने का विचार है ;

(घ) क्या इस कमी को पूरा करने के लिए सामूहिक आवास योजनाओं को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि की कमी के कारण।

(ग) से (ङ) व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों द्वारा आवास गतिविधियों को प्रोत्साहन निम्नलिखित उपायों द्वारा प्राप्त किया जाना है जोकि पहले ही चलन में है ;

(1) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम अन्य वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित दरों पर रिहायशी प्लाटों का आबंटन करना ; और

(2) सहकारी ग्रुप आवास समितियों को पूर्व निर्धारित दरों पर भूमि का आबंटन, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक 404 सहकारी ग्रुप आवास समितियों को उनके सदस्यों के लिए मकान बनाने हेतु लगभग 956 एकड़ भूमि आबंटित की है।

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने सार्वजनिक आवास कार्यक्रम के अंग के रूप में उसके कार्यालय में पंजीकृत आवेदकों को आबंटन के लिए ग्रुप आवास आधार पर मकानों का निर्माण करता है। इसने आम जनता के लिए मकानों के निर्माण का एक त्वरित कार्यक्रम भी बनाया है।

देहंग सुबनसिरि और तिपाईमुख नदियों पर बांधों का निर्माण

3671. **श्री पी० एम० सईद** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र घाटी की विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को देहंग, सुबनसिरि और तिपाईमुख नदियों पर 15,000 से 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाले तीन बांध बनाए जायेंगे ;

(ख) क्या इन तीन नदियों पर बांध बनाने के बाद नियन्त्रण में सहायता मिलेगी, तथा 100 लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए देहांग, सुबनश्री और बांरक नदियों पर तीन बृहद बहु-प्रयोजनी परियोजनाएं अन्वेषणों और व्यवहार्यता रिपोर्टों को तैयार करने की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में है। 20,000 मेगावाट (प्रतिष्ठापित क्षमता) से अधिक जल-विद्युत के एक बड़ी मात्रा में उत्पादन होने की संभा-

वना के अतिरिक्त, इन परियोजनाओं से ब्रह्मपुत्र और बारक घाटियों में बाढ़ से राहत की व्यवस्था होगी। इन परियोजनाओं से बड़े क्षेत्रों को सिंचाई लाभ भी होगा। इन परियोजनाओं की वर्तमान मूल्य स्तर पर बिल्कुल मोटे तौर पर मूल्यांकित की गई कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए तक होगी।

ग्रामीण गोदामों को केन्द्रीय सहायता

3672. **श्री पी० एम० सईद :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क

(क) क्या अनेक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने तथा उनका समुचित विपणन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण गोदामों और भाण्डागारों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके प्रति रुझान की कमी को देखते हुए सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किया है ;

(ग) गोदामों के निर्माण के लिए कितने राज्यों को ऋण का उपयोग किया है और कितने गोदाम अभी भी निर्माणाधीन हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) ग्रामीण गोदामों की राष्ट्रीय ग्रिड योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों ने केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाया है। इन राज्यों को अभी तक 2426 गोदामों के निर्माण हेतु सहायता दी गई है। ये गोदाम निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा कार्य की प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है।

राज्यों को खाद्यान्न की पूर्ति में कटौती

3673. **श्री नरसिंह राव मकवाना :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि। राज्यों को की जाने वाली खाद्यान्नों की पूर्ति में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी कटौती की गई है तथा अगले वर्ष क्या स्थिति होगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : केन्द्रीय पूल से वर्ष 1982 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेनों को खाद्यान्नों की दी गई मात्रा वास्तव में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक थी जैसा कि नीचे दिए गए ब्यौरे से विदित होता है :—

1981	115.4 लाख मीट्री टन
1982	126.9 लाख मीटरी टन

केन्द्रीय पूल विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों के आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता,

विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, उनके पास पहले से पड़े स्टाक, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हानि के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति

3674. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हानि के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार गरीब किसानों के लाभ के लिए ऐसी योजना पर विचार करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति करने की किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है। तथापि 1979 से सामान्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से परीक्षण के तौर पर एक मार्गदर्शी फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में बीमित फसल मौसम के दौरान होने वाले सभी जोखिमों को क्षेत्रीय आधार पर कवर करने की व्यवस्था है। इसमें युद्ध तथा इससे सम्बन्धित अन्य जोखिम और अणु जोखिम शामिल नहीं हैं।

छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा देय प्रिमियम पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर के आधार पर 50 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है।

इस योजना को अभी तक 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश द्वारा अपनाया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कर्नाटक के खण्डों को शामिल करना

3675. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के प्रत्येक जिले के कुछ खण्डों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को खाण्ड-वार और जिला-वार सबसे निर्धन चुना गया है तथा कार्यक्रम में इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ;

(ग) इस कार्यक्रम में केवल इसके पात्र परिवारों के चयन के लिए सरकार क्या सावधानियां बरत रही है ;

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक परिवार को दी जाने वाली अस्थाई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सहालता दिए जाने और उनके इसमें भाग लेने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 2-10-1980 से कर्नाटक के सभी जिलों के सभी विकास खण्डों में लागू कर दिया गया है ।

(ख) कर्नाटक में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहाय्यित परिवारों की संख्या नीचे दी गई है :—

1980-81	—	63906
1981-82	—	87460
1982-83 (फरवरी, 83 तक)	—	1,40,213

खण्डवार तथा जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) परिवारों का चयन विस्तृत पारिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है । खण्ड विकास अधिकारियों तथा परियोजना अधिकारियों के द्वारा नमूना जांच किए जाने का भी प्रावधान है । यह भी प्रावधान किया गया है कि लाभभोगियों की अन्तिम सूची को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने परिवारों को सक्षम गतिविधियां सुलभ की जाती हैं जिससे उनकी स्थायी आधार पर आय में वृद्धि होगी । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थायी सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं है । लघु किसानों को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, गैर कृषि श्रमिको तथा ग्रामीण कारीगरों को 33 1/2 प्रतिशत की दर से उपदान सुलभ किया जाता है । आदिवासी भागीदारों के लिए 50 प्रतिशत की दर

से उपदान सुलभ किया जाता है। उपदान की भी एक अधिकतम सीमा है जो सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों के परिवारों के मामलों में 4,000 रुपए, गैर-सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों के परिवारों के मामले में 3,000 रुपए, अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध रखने वाले भागीदारों के मामले में 5,000 रुपए है। आर्थिक गतिविधि के लिए अपेक्षित धनराशि का शेष भाग बैंकिंग संस्थान से ऋण के रूप में सुलभ किया जाता है।

(ङ) स्वैच्छिक संगठनों को प्रशिक्षण तथा अध्ययन और मूल्यांकन करने में मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन राज्यों को सहायता देने का मानदण्ड

3676. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन राज्यों को सहायता देने के सम्बन्ध में कोई मापदण्ड बनाया है ;

(ख) क्या हाल ही में इस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो संशोधित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को संसाधनों का आबंटन एक फार्मूला के आधार पर किया जाता है जिसमें 75 प्रतिशत बल मजदूरों तथा सीमान्त कृषकों की संख्या तथा 25 प्रतिशत बल गरीबी के प्रभाव को देखते हुए दिया जाता है। कार्यक्रम की मूल-भूत बातों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

उड़ीसा के आदिवास क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनओं का सर्वेक्षण

3677. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच हेतु राज्य सरकार को उन क्षेत्रों में सिंचाई विकास के लिए एक बृहद योजना तैयार करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए मन्त्रालय द्वारा क्या नीति निर्देश जारी किए गए हैं ; उड़ीसा सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) अब तक कितनी सिंचाई परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं तथा क्रियान्विति के विभिन्न चरण में है और उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन जिलों में हैं ;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय ने आदिवासी उपयोजना धारणा के अन्तर्गत उस राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी राशि नियति की है और छठी योजना की वार्षिक योजनाओं के लिए जारी की है ; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष-वार कितनी राशि दी गई ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) गृह मन्त्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों के लाभ के वास्ते सिंचाई के विकास हेतु महायोजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। जारी किए गए मार्गदर्शी-सिद्धान्त विवरण-I में संलग्न हैं।

(ग) विवरण-2 संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-1

सिंचाई के विकास हेतु महायोजनाएं तैयार करने के लिए मार्गदर्शी-सिद्धान्त।

अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों के लाभ के लिए सिंचाई के विकास हेतु महायोजनाएं तैयार की जाएं, जिसमें अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित पहलू विस्तृत रूप में शामिल किए गए जाएं :—

(क) प्रवाह सिंचाई (बृहद, माध्यम तथा लघु), उठाऊ (लिफ्ट) सिंचाई और भूमिगत जल विकास सहित, जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में विकास के लिए उपयोज्य जल संसाधन ;

(ख) क्षेत्रों में वर्तमान सिंचाई की स्थिति और भविष्य के लिए जल संसाधन का उपयोग ;

(ग) वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी पद्धति और जनजातीय उप-योजना में भूमि का अपेक्षित उपयोग ;

(घ) फसल उगाने की वर्तमान पद्धति, फसल उगाने की प्रस्तावित पद्धति और जनजातीय परिवारों को होने वाला संभावित लाभ ;

(ङ) कमान क्षेत्र विकास पहलू और मशीनरी तथा कर्मचारियों की आवश्यक ;

(च) यदि जनजातीय लोगों के विस्थापित होने की संभावना है, तो पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजना के कमांड के क्षेत्र में वैकल्पित भूमि का पता लगाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए ;

(छ) भूमि का विकास और खेत नालियों का निर्माण, प्रत्येक सिंचाई परियोजना का एक अंग होना चाहिए और इन मदों पर किया जाने वाला निवेश, परियोजना की कुल लागत होनी चाहिए ;

(ज) सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-अनुसूचित और वित्तीय आवश्यकता का एक कार्यक्रम स्पष्ट रूप में सूचित किया जाए ।

महायोजनाओं की प्रतियां सिंचाई निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, सिंचाई मंत्रालय तथा गृह मन्त्रालय को भेजी जाएं ।

विवरण

पूर्ण हो गई तथा निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अन्तत. सृजनीय क्षमता हजार हेक्टेयर	जिला	स्थापना लागत (लाखों में)	पूर्ण किए जाने का वर्ष
1	2	3	4	5	6
एक	**पूर्ण परियोजनाएं**				
	मध्यम				
1.	नेस्सा	1.90	मयूरभंज	132.94	1980-81
2.	खड़कई	13.01	-तदेव-	581.52	1981-82
3.	बलादिया (आधुनिकीकरण)		-तदेव-	25.00	1981-82

	बृहद		पूरा होने की संभावित तारीख
दो	**निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में निर्माणाधीन परियोजनाएं**		
1. अपर कोलाब	93.93 कोरापुट	9669.85	सातवी योजना
2. अपर इंद्रावती —बांध भाग	185.83 कालाहांडी	7355	सातवीं योजना
3. पोट्टेरू	109.88 कोरापुट	5841.61	केन्द्रीय मन्त्रालय पुनर्वास विभाग सातवीं योजना
4. सुवर्ण रेखा	156.61 मयूरभंज	35969	उपलब्ध नहीं
5. कानूपुर	40.48 क्योंझर	3800.00	-तदेव-
मध्यम			
1. कालो	6.51 मयूरभंज	630.17	छठी योजना
2. सुनेई	11·16	1280.00	छठी योजना
3. सरपगड़	3.38 सुन्दरगढ़	455.00	छठी योजना
4. तलसारा	4.17 -तदेव-	535.00	छठी योजना
5. कंसभाल	7.04 -तदेव-	996.90	सातवीं योजना
6. रेमल	5.83 क्योंझर	1016.66	छठी योजना
7. कंझारी	16.50 -तदेव-	1551.00	सातवीं योजना
8. पीलासल्ली	3.47 फूलवती	669.44	छठी योजना
9. वोंडापिपली	3.80 -तदेव-	470.45	छठी योजना
10. बरभंगी	14.48 गंजाम	1878.00	सातवीं योजना
11. बंकाबल	7.31 मयूरभंज	1512.65	सातवीं योजना
12, बरसुआन	4.35 सुन्दरगढ़	461.20	सातवीं योजना
13. बड़ानाला	12.25 कोरापुट	1336.00	सातवीं योजना

ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए वृहद योजना

3678. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को यह पता है कि विभिन्न राज्यों में सड़क विकास के क्षेत्र में बहुत विषमताए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने विकास के क्षेत्र में असंतुलन को घटाने के लिए, ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए एक वृहद योजना तैयार की है औप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उसी तरह बृहद योजना तैयार करने के लिए कहा है ;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में उनके मंत्रालय ने क्या मार्गलर्शी सिद्धांत जारी किए है और उन राज्यों के नाम क्या है जो ग्रामीण सड़कों के लिए बृहद योजना बनाने को तैयार हैं ;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रामीण सड़कों के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू करने के प्रश्न पर सोचा है क्योंकि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यथेष्ट धनराशि नहीं है ; और

(च) यदि हां, तो राज्यवार अभी तक कितनी रकम का प्रावधान किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां, ।

(ख) 31-3-1982 तक कुल गांवों की संख्या में से सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवों के राज्यवार प्रतिशत को दर्शाने वाला एक विवरण संलगन है ।

(ग) इस मंत्रालय ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कोई बृहद योजना तैयार नहीं की है । तथापि राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को बृहद योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गयी है ।

(घ) इस सम्बन्ध में राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धातों में इन पहलुओं को शामिल किया गया है जैसे-गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए वास्तविक दूरी तथा शामिल वित्तीय लागतों को ध्यान में रखते हुए कुल आवश्यकताओं का मूल्यांकन तथा किफायती तौर पर आयोजित सेरेखानों के आधार पर विभिन्न जनसंख्या वर्गों वाले गांवों को जोड़ने वाली

ग्रामीण सड़कों को दर्शाते हुए जिलावार नक्से तैयार करना। इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर और कर्नाटक ने ऐसी बृहद योजनाएं तैयार कर ली हैं।

(ङ) ब (च) जी हां,। तथापि, वित्तीय आड़चनों के कारण केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अनुमोदित नहीं की जा सकी है।

विवरण

31-3-82 तक कुल गांवों की संख्या में से सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवों का राज्यवार प्रतिशत*

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	अनन्तिम प्रतिशत
1. आंध्र प्रदेश	39.1
2. असम	51.9
3. बिहार	28.9
4. गुजरात	53.6
5. हरियाणा	97.4
6. हिमचाल प्रदेश	39.0
7. जम्मू और कश्मीर	56.5
8. कर्नाटक	28.7
9. केरल	100.0
10. मध्य प्रदेश	20.8
11. महाराष्ट्र	29.7
12. मणिपुर	20 6
13. मेघालय	49.9
14. नागालैंड	65.4
15. उड़ीसा	1.7
16. पंजाब	98.6

1	2
17. राजस्थान	16.6
18. सिक्किम	40.6
19. तमिलनाडु	51.4
20. त्रिपुरा	31.1
21. उत्तर प्रदेश	8.3
22. पश्चिम बंगाल	44.6
23. अरुणाचल प्रदेश	58.8
24. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	अप्राप्य
25. चंडीगढ़	100.0
26. दादर और नगर हवेली	76.4
27. दिल्ली	100.0
28. गोवा, दमन और दीव	92.6
29. लक्षद्वीप	अप्राप्य
30. मिजोरम	701
31. पांडिचेरी	89.5
योग :	27.9

*राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना अथवा राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की योजना प्रलेखों में उपलब्ध सूचना पर आधारित ।

आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में बाढ़ से हुई क्षति का मूल्यांकन

3679. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का उड़ीसा सरकार और आंध्र सरकार का उनके मंत्रालय को प्रस्तुत मूल्यांकन क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय दल की रिपोर्ट क्या है ;

(ख) भारत सरकार द्वारा बाढ़ से हुई हानि की क्षतिपूर्ति और उससे सुरक्षा तथा अन्य

संबंधित मामलों के लिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकारों को कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) क्या दोनों राज्यों में धनराशि का परा उपयोग कर लिया है ;

(घ) यदि हां तो किन कार्यों पर उन्होंने यह धनराशि खर्च की है ;

(ङ) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कुछ प्रमुख बाढ़ क्षति कार्य पूरे किए जाने हैं और उनकी मरम्मत की जानी है परन्तु आज की तारीख तक सारी धनराशि खर्च हो चुकी है ; और

(च) यदि हां, तो कौन से प्रमुख कार्य लंबित है जिन्हें पुरा किया जाना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बाढ़ों के कारण वर्ष 1980 में हुई क्षति का विवरण निम्नलिखित है:—

राज्य	मरने वाले व्यक्तियों की संख्या	मरने वाले मवेशियों की संख्या	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टार)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	सार्वजनिक उपयोगिताओं को पहुंची क्षति (लाख रुपए)
आंध्र प्रदेश	88	26300	0.35	34,000	821.0
उड़ीसा	73	8280	3.6	60,000	6032.9

(ख) बाढ़ों से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास और क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए क्रमश: 8.40 करोड़ रुपए और 42.89 करोड़ रुपए अधिकतम व्यय की सीमा मन्जूर की गई थी।

(ग) आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने क्रमश: 8.94 करोड़ रुपए और 42.89 करोड़ रुपए की अनुमानित खर्च की सूचना दी थी।

(घ) (1) राहत और पुनर्वास सम्बन्धी उपाय और (2) क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत और जीर्णोद्धार।

(छ) और (च) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पानिगनगर, गुडारी (उड़ीसा) के समीप जल का उपयोग करने हेतु परियोजना रिपोर्ट

3680. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उड़ीसा में पानिगनगर गुडारी के समीप जल का उपयोग करने के लिए एक सिंचाई परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी और प्रारंभिक कार्य शुरु किया था ;

(ख) यदि हां तो इस परियोजना का कार्यान्वयन न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकारों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया था और इस परियोजना को रोकने के लिए सहमत हो गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी समझौते का क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा में पानिनगर, गुडारी के निकट जल का उपयोग करने के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई परियोजना रिपोर्ट/प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) दोनों राज्यों द्वारा किए गए ऐसे किसी निर्णय की सूचना दोनों में से किसी एक ने भी केन्द्र को नहीं दी है ।

ग्रामीण विकास संस्थाओं का कार्यकरण

3681. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने कि करेंगे कि क्या ग्रामीण विकास संस्थाओं के कार्यकरण को सरल और कारगार बनाने तथा इसमें सुधार करने का विचार है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां ग्रामीण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली मुख्य ग्रामीण विकास संस्थाएं हैं । इस एजेंसी को एक बहु-क्षेत्रीय दल सहित स्वायतशासी निकाय के रूप में गठित किया गया है जो इस देश के विभिन्न खण्डों में चल रहे विशेष कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य देखेगा । यह सुनिश्चित करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं कि जिला ग्रामीण एजेंसियों को सुदृढ़ बनाया जाए और उनकी गतिविधियों को सरल एवं कारगार बनाया जाए ताकि कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित किया जा सके ।

गेहूं और चावल का बफर स्टाक

3682. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान चावल और गेहूं की कितनी मात्रा में बफर स्टाक था ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त स्टाक की मात्रा वर्ष प्रतिवर्ष घट रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) बफर स्टाक को बढ़ाने के प्रयोजन से देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) सरकारी एजेंसियों के पास 1980 से 1982 के वर्षों के दौरान चावल और गेहूं का निम्नलिखित स्टाक था :—

(मिलियन मी० टन में)

को स्थिति	चावल	गेहूं	कुल खाद्यान्न (मोटे अनाजों सहित)
1 जनवरी, 1980	9.05	8.36	17.52
1 जनवरी, 1981	6.63	4.99	11.74
1 जनवरी, 1982	6.21	5.17	11.50
1 जनवरी, 1983 (अ०)	5.34	7.19	12.68

(अ०)—अनन्तिम

(ख) और (ग) सरकारी एजेंसियों के पास पहली जनवरी, 1980 को 17.5 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का कुल स्टाक था जबकि उनके पास पहली जनवरी, 1981, पहली जनवरी 1982 और पहली जनवरी, 1983 को क्रमश: 11·7 मिलियन मीटरी टन, 11.5 मिलियन मीटरी टन और 12.7 मिलियन मीटरी टन का स्टाक था। स्टाक की मात्रा की कमी होने के प्रमुख कारण 1979-80 के सूखे के वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करना था।

(घ) देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र में बृद्धि करना, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, उर्वरकों का पर्याप्त और संतुलित इस्तेमाल करता, बेहरत किस्म के बीजों का वितरण करना और पर्याप्त पौध संरक्षण उपाय करना आदि शामिल हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना को हानि

3683. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना दूध टोकन व्यवस्था पुनः लागू कर रही है जिसे लगभग एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था और यदि हां, तो ऐसे परिवर्तनों का औचित्य क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना अधिकतर आई० डी० सी० द्वारा सस्ता दुग्ध चूर्ण और बटर आयल न दिये जाने के कारण घाटे में चल रही है जबकि इन उत्पादों को एन० डी० डी० पी०/आई० डी० सी० के दिल्ली, कलकत्ता और पटना आदि स्थित डेरी संयंत्रों को सप्लाई किया जा रहा है ;

(ग) 1970 से ओ० एफ० एक और दो के अन्तर्गत कुल कितना माल दिया गया और इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि एन० डी० डी० पी०/आई० डी० सी० अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात डेरीज को दुग्ध उत्पाद दे रहा है जैसाकि ओ० एफ० एक और दो के अन्तर्गत 1970 से रिलीज किये गये माल से पता लगता है और यदि हां, तो ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के उपभोक्ताओं के लिए चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर दूध के टोकन फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है, ताकि उन्हें दूध की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ;

केन्द्रीय फार्मों और श्रेष्ठ फलोद्यानों की स्थापना

3684. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य और केन्द्रीय सरकार के अधीन विद्यमान समान फार्मों के नमूने पर केन्द्रीय फार्मों और फलोद्यानों की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) ऐसे कितने फार्म (मुर्गीपालन) पशुवालन, कृषि आदि (राज्य और केन्द्रीय सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि विश्वविद्यालयों आदि सहित) के अधीन चल रहे हैं और उनकी स्थापना से प्रत्येक की औसत आय और व्यय का ब्यौरा क्या है यथा उनके द्वारा उत्पादित और जनता को वितरित की गई बीजों, फार्म उत्पादों की कुल मात्रा कितनी हैं ;

(ग) क्या अब नए फार्म आरम्भ करने के लिए सरकार उनके कार्य निष्पादन को संतोषजनक समझती है ; और

(घ) क्या वर्तमान एककों की गहराई से कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले हैं ;

कृषि मन्त्रायल में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आबादी की तुलना में खाद्य उत्पादन

3686. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो एर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन और आबादी के क्षेत्र में हुई वृद्धि का अनुमान क्या है ;

(ख) उपर्युक्त मामले में राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आआदी में वृद्धि के कारण हुई खाद्यान्नों की मांग में हुई वृद्धि को देखते हुए खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1979-80 की तुलना में 1980-82 में खाद्यान्नों के उत्पादन तथा जनसंख्या में हुई तदनरूपी वृद्धि की प्रतिशतता का अनुपात विवरण में दिया गया है ।

(ग) सरकार खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता से पूरी तरह अवगत है, अतः वह खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है । ये उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा बीजों की अन्य उन्नत किस्मों, उर्वरकों, सिंचाई के लिए बिजली और डीजल जैसे आयातों की समय पर और पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करना ;

(2) कृषि अनुसंधान और विस्तार सांबंधी प्रयासों को तेज करना ;

(3) सिंचाई सुबिधाओं का विस्तार करना ;

(4) बीच की फसल और अन्तरवर्ती फसल पद्धति के माध्यम से फसल की अल्पावधि किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना ;

(5) बारानी खेती की प्रौद्योगिकी का अपनाना ;

(6) संस्थागत ऋण की सप्लाई में वृद्धि करना ; और

(7) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य ।

विवरण

प्रति वर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन तथा जनसंख्या में हुई वृद्धि की प्रतिशतता का अनुपात

राज्य	1979-80 की तुलता में 1980-81 का अनुपात	1979-80 की तुलना में 1981-82 का अनुपात
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	2.33	4.29
2. असम	10.74	3.01
3. बिहार	18.20	4.61
4. गुजरात	4.76	5.16
5. हरियाणा	7·92	3.76
6. हिमाचल प्रदेश	15.86	4.42
7. जम्मू तथा कश्मीर	6.82	2.75

1		2
8. कर्नाटक	—8.45	—2.30
9. केरल	—0.56	—0.85
10. मध्य प्रदेश	28.50	13.17
11. महाराष्ट्र	—2.62	0,05
12. मणिपुर	7.56	1.70
13. मेघालय	3.60	1.11
14. नागालैण्ड	15.28	8.02
15. उड़ीसा	29.41	14.65
16. पंजाब	—0.09	2.64
17. राजस्थान	8.33	5.82
18. तमिलनाडु	—17.42	—1.72
19. त्रिपुरा	10.39	2.65
20. उत्तर प्रदेश	22.66	9.34
21. पश्चिम बंगाल	7.90	—1.96
अखिल भारत	8.04	4.49

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण एकत्रित करने में सहकारी संस्थाओं का अंश

3687. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण एकत्रित करने में सहकारी संस्थाओं का अंश बहुत घट गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ;

(ग) सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण एकत्रित करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) उनका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) चूंकि राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से अभी तक 1982-83 के पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए सहकारी ऋण का अंश बहुत घट गया है ; अभी तक प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि 1981-82 की तुलना में 1982-83 के दौरान सहकारी ऋण में कमी हो गई हो । इसके कुछ निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं :—

(1) सहकारी सोसायटियां अधिकांशतः अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करने के लिए हैं जबकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अधिकांशतः आवधिक ऋण (मध्यम तथा दीर्घकालीन) का प्रावधान करने की परिकल्पना की गई है ।

(2) कुछ राज्यों में सहकारी क्षेत्र में अत्यधिक अतिदेयों का होना ।

(3) समन्बित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित उधार तथा ऋण पर्यवेक्षण का कार्य करने के लिए सहकारी सोसायटियों में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी होना ।

(4) सहचारी सोसावटिवों को अधिकांशत. कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों को वितपोषित करने के लिए कारगर बनाया जाता है । उनमें से बहुत सी सोसायटियों को इस समय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों में गतिविधिओं को बड़े पैमाने पर वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से सज्जिव नहीं किया गया है । जबकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में सक्षम योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त सहायता देने की परिकल्पना की गई है ।

(ग) व (घ) इस सम्बन्ध में उठाए गए कुछेक कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) मत्रालय द्वारा बुलाई गई अन्तर मंत्रालयीय समन्वय बैठकों में इस स्थिति को राष्ट्रीय स्तरीय सहकारी संस्थाओं और अन्य सम्बन्धित संगठनों के ध्यान में लाया जाता है ताकि वे स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यवाही कर सकें ।

(2) सयन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए मंत्रालय द्वारा आयोजित गोष्ठियों, कार्य शालाओं आदि में भाग लेने के लिए सह-कारी बैंकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है ।

(3) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक पुनर्वित का लाभ उठाने की पद्धद्धि को सरल बना रहा है ताकि सहकारी सोसायटियों को अधिक पुनर्वित सहायता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

दालों का उत्पादन

3688. **श्री मती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 1981-82 और 1982-83 में दालों का उत्पादन स्थिर रहा ;

(ख) यदि हां, तो उसके जिम्मेदार मुख्य कारण क्या है ;

(ग) क्या उसके सम्बन्ध में समुचित पुनरीक्षा कर ली गई है ; और

(घ) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ट981-82 में 114 लाख मीटरी टन दलहन का उत्पादन हुआ जो 1980-81 के उत्पादन स्तर से 6.8 प्रतिशत अधिक था। 1982-83 के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्त ही नहीं होता।

(घ) भारत सरकार ने दलहन उत्पादन में और अधिक बृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) सिंचित खेती पद्धतियों में दलहन फसल शुरू करना ;

(2) निम्नलिखित के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना ;

(क) रबी मौसम में अवशेष नमी का उपयोग करके चावल की परती भूमि में उर्द, मूंग आदि की अल्पावधि किस्मों ; और

(ख) तिलहन, गन्ना, आलू और गेहूं के बाद सिंचाई करके ग्रीस्म मौसम मूंग की अल्पावधि किस्मों की खेती।

(3) उन्नत दलहनों बीजों में वृद्धि यथा प्रयोग करना और बीज मिनीकिटों का वितरण करना।

(4) वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना तथा फास्फेटयुक्त उर्वरक तथा रिजोबियम कल्चर आदि का प्रयोग करना ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा खाद्यान्नों में मिलावट किया जाना

3689. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के फील्ड स्टाफ के विरुद्ध खाद्यान्नों की वसूली करने में विलम्ब करने, ज्यादा तोलने और कम तोलने तथा भूसा मिलाने और विजातीय टुकड़ों की मिलावट करने जैसे कदाचारों के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में कदाचार को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) ऐसे मामलों के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें भारतीय खाद्य निगम के फिल्ड स्टाफ पर कदाचार करने का आरोप लगाया गया है। इन शिकायतों की जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वह सम्बन्धित स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। भारतीय खाद्य निगम ने नाजुक स्थानों पर अचानक छापे मारने के लिए रक्वाड भी नियुक्त किए हुए हैं।

1980-81 में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आयातित खाद्य तेल की बिक्री

3690. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980-81 में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्य तेल की बिक्री करके राज्य व्यापार निगम ने बहुत अधिक लाभ कमाया है ;

(ख) यदि हां, तो लाभ राशि से संबंधित ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पहले खुले बाजार में खाद्य तेल और वनस्पति का मूल्य घटाने के लिए "न लाभ न हानि" के आधार पर बिक्री करने का इरादा था ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम सरकार की ओर से खाद्य तेलों का आयात करता है और उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किए गए मूल्यों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए तथा वनस्पति उद्योग का वनस्पति के उत्पादन के लिए देता है। इस कार्य में होने वाली कोई भी बचत या घाटा सरकार के खाते में, जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार, जमा कर दिया जाता है या खर्चे में डाल दिया जाता है। 1980-81 के दौरान लगभग 81 करोड़ रु० की बचत हुई थी और इस राशि को सरकार के खाते में जमा कर दिया गया था।

आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य देशी खाद्य तेलों के खुले बाजार के मूल्यों की तुलना में हमेशा कम रहे हैं। देशी खाद्य तेलों के खुले बाजार के मूल्यों और आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्यों के बीच भारी अन्तर होने से इस बात को बढ़ावा मिलने की संभावना है कि आयातित तेलों का इस्तेमाल अन्य अनधिकृत प्रयोगों के लिए किया जाए। इससे पकाने का एक आवश्यक साधन आम उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर मुहैया कराने की सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो जाएगा।

नस्ल परीक्षण कार्यक्रम

3691. **श्री सी० नरसिंह रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैज्ञानिक पद्धति पर प्रारम्भ किए गए नस्ल परीक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसे किन स्थानों पर प्रारम्भ किया गया है तथा इसे प्रारम्भ करने वाली सरकारें कौन सी हैं ;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में सरकारी सहायता के लिए आवेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा सरकार का इस कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नस्ल परीक्षण कार्यक्रम, प्रजनन फार्मों तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों दोनों के अन्तर्गत शुरू किए जा गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षण करने पर प्रत्येक सांड का प्रजनन मूल्य फार्म परिस्थितियों में 10 मादा पशुओं तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के अन्तर्गत 40-50 मादा पशुओं की संतति उत्पादन क्षमता के आधार पर आंका जाता है।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता से गोपशु तथा भैंस फार्मों में नस्ल परीक्षण कार्यक्रम हैसर घट्टा (कर्नाटक) जूनागढ़ (गुजरात), होसुर (तमिलनाडु), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), भरतपुर (राजस्थान), बनवासी (आन्ध्र प्रदेश), अन्जोरे (मध्य प्रदेश), गौरियाकरमा (बिहार), तथा बारपेट्टा (असम) में शुरू किया गया था। तथापि, अब यह कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

खानपाड़ा (असम) मातुपट्टी (केरल) तथा लुधियाना (पंजाब) में क्षेत्रीय परिस्थितियों के अन्तर्गत संकर प्रजनित सांडों के नस्ल परीश्रण कार्यक्रम के लिए इस समय केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सहायता से क्षेत्रीय परिस्थितियों के अन्तर्गत नस्ल परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए योजना आयोग के माध्यम से जनवरी, 1983 में आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत छठी योजना का परिव्यय 3 राज्यों में चल रहे कार्यक्रमों के लिए ही पर्याप्त है, अत: कार्यक्रम को अन्य राज्यों में शुरू करना संभव नहीं होगा।

खाद्य और पौष्टिक आहार बोर्ड

3692. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक खाद्य और पौष्टिक आहार बोर्ड की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की स्थापना कब की गई ;

(ग) ऐसे बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है ; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में अब तक बोर्ड द्वारा क्या कार्य शुरू किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सरकार को मुख्यतया पोषाहार और उससे संबंधित कार्यक्रमों के बारे में परामर्श देने के उद्देश्य से खाद्य और पोषाहार बोर्ड की अप्रैल, 1964 में स्थापना की गई थी।

(घ) बोर्ड के तत्वावधान में शुरू किए गए कार्यक्रमों में मिल्टोन—50 प्रतिशत मूंगफली की प्रोटीन और 50 प्रतिशत पशु-दूध पर आधारित प्रोटीन से समृद्ध उत्पाद और विटामिनों तथा खनिजों से समृद्ध अनाजों और दालों/तिलहनों पर आधारित एनर्जि फूड जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का विकास और उत्पादन करना शामिल है। नामक को आयरत से पौष्ठिक बनाने तथा प्रोटीन

सांद्रण, विटामिनों तथा खनिजों से सागो को पौष्टिक बनाने के लिए एक टेक्नोलाजी विकसित की गई है।

31 चलते-फिरते विस्तार यूनिटों के पीछे जाल के माध्यम से पोषाहार संबंधी शिक्षा दी जाती है और उससे संबंधित विस्तार कार्य किया जाता है तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित 33 सामुदायिक डिब्बाबंदी और परिरक्षण केन्द्रों के माध्यम से फलों तथा सब्जियों का परिरक्षण करने की विधियों को लोकप्रिय बनाया जाता है।

विभिन्न आयु-ग्रुपों और श्रेत्रों के लिए स्थानीय सामग्री पर आधारित संतुलित आहार का विकास करने के लिए आहार सम्बन्धी सर्वेक्षण किए जाते हैं।

एशियाई खेल ग्राम की कथित बिक्री

3693. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशियाई खेल ग्राम काम्पलैक्स की प्रस्तावित बिक्री के बारे में दिनांक 17 फरवरी, 1983 के 'इवनिंग-न्यूज' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बिक्री के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों की ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को इस बिक्री में प्राथमिकता दी जाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एशियाई खेल गांव में बनाए गए रिहायशी एककों की बिक्री के तरीके के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सहकारिताओं द्वारा ऋणों की अदायगी

3694. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सहकारिताओं द्वारा ऋणों की अदायगी में होने वाली चूकों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यवार उसकी सीमा में सीमा निर्धारित की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्यों में एक समान कानून बनाने या इस कमी को रोकने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने पर विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) कुछ राज्यों में 1980-81 के दौरान सहकारी समितियों के अतिदेय में कमी हुई है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इनमें वृद्धि हुई है, जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाना अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है क्योंकि "सहकारिता" राज्य का विषय है । तथापि, विद्यमान कानूनी प्रावधान परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

विवरण

सहकारी समितियों के अति देय ऋणों की प्रतिशतता

क० सं०	राज्यों के नाम	केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर		केन्द्रीय भूमि विकास बैंक स्तर पर	
		1979-80	1980-81	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	45.4	35.2	18.1	37.6
2.	असम	88.9	67.9	64.4	63.1
3.	बिहार	78.8	70.2	23.3	55.1 48.0**
4.	गुजरात	40.6	47.0	79.1	76.1
5.	हरियाणा	29.8	22.4	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	44.6	37.2	62.2	48.9
7.	जम्मू तथा कश्मीर	48.0	42.7	53.7	47.8
8.	कर्नाटक	47.8	50.0	47.4	54.8* 49.8**

1	2	3	4	5	6
9.	केरल	19.9	15.6	4.6	3.1
10.	मध्य प्रदेश	44.0	37.8	61.0	4·.0
11.	महाराष्ट्र	49.2	43.5	46.0	65.2* 52.6**
12.	मणिपुर	71.2	67.7	—	—
13.	मेघालय	73.4	76.5	—	—
14.	नागालैण्ड	72.7	71.5	—	—
15.	उड़ीसा	29.1	26.1	54.9	34.8
16.	राजस्थान	40.5	39.4	32.3	26.3
17.	पंजाब	23.0	21.9	2.7	1.0
18.	तमिलनाडु	61.9	26.9	88.0	80.5* 54.6**
19.	त्रिपुरा	85.0	73.9	43.2	51.0
20.	उत्तर प्रदेश	34.7	37.8	24.8	30.8* 29.8**
21.	पश्चिम बंगाल	49.2	31.2	35.8	52.0
22.	पांडिचेरी	57.5	52.8	79.4	76.5
		42.2	36.1	48.9	50.6* 41.7**

1. स्रोत—भारतीय रिजर्व बैंक स्रोत—राज्य भूमि विकास बैंकों के निदेशक
*रिफ़जमेन्ट/व्लोकिंग के पूर्व **स्थान/व्लोकिंग के बाद जमा राज्य सहकारी बैंक स्तर

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकान गिरवी रखने के करारनामे

3695. **श्री बी० वी० देसाई** : निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने ऐसा विधान लाने का आग्रह किया है जिससे कि वे देश के किसी भी महानगर में मनान गिरवी रखने के करारनामे पंजीकृत करा सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे से एक ज्ञापन, 1 फरवरी, 1983 को बंगलौर में पेश किया था ;

(ग) क्या देश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मद्रास, बम्बई, दिल्ली तथा कलकत्ता महानगरों में अपने गिरवी-करारनामें, एक रुपए का नाम मात्र का स्टाम्प शुल्क देकर पंजीकृत करा सकते हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं ;

(ङ) क्या ऐसे पंजीकरण कर्नाटक तथा जम्मू व काश्मीर को छोड़कर सभी जगह वैध हैं ;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि वह कर्नाटक में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने नियम में छूट दें ; और

(छ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार से किए गए उक्त अनुरोध का क्या फल निकाला ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पुन-पुन-नदी बाढ़ नियन्त्रण व सिंचाई परियोजना

3696. **श्री रामावात शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाढ़ को रोकने तथा सिंचाई सुविधा प्रदान करने के विचार से पुन-पुन नदी बाढ़ व सिंचाई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है ;

(ग) इस योजना से किन-किन जिलों के किसानों को लाभ होगा ; और

(घ) सरकार का विचार इसे कब तक कार्यान्वित करने का है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) 20.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली पुन-पुन नदी पर, पुन-पुन दर्धा सिंचाई परियोजना, जिससे बिहार

के गया और पटना जिलों में 57.000 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जानी परिकल्पित है, राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है। इस परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई है और इस सम्बन्ध में दी गई टिप्पणियों के स्पष्टीकरण राज्य सरकार से अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, बाढ़ नियन्त्रण स्कीम, जिसमें फतवा-मोकामेह-बडाहैया ताल क्षेत्रों में बाढ़-जल की किनारों से ऊपर बहने से रोकने के लिए 165.46 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली पुन-पुन नदी के दाएं किनारे पर और दर्धा नदी के साथ-साथ एक तटबन्ध का निर्माण परिकल्पित है, योजना आयोग द्वारा मार्च, 1981 में स्वीकृत कर दी यई थी और उस पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 1982-83 की वार्षिक योजना के दस्तावेज में, इस स्कीम की अद्यतन अनुमानित लागत 288.91 लाख रुपए और 1982-83 के लिए 75 लाख रुपए का प्रत्याशित व्यय तथा 1983-84 के लिए 100 रुपए का प्रस्तावित परिव्यय बताया गया है।

हिमाचल प्रदेश में वन विद्या और उद्यान-विज्ञान विश्व विद्यालय खोलना

3697. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से वन विद्या और उद्यान विभाग विश्वविद्यालय खोलने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) इस बारे में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा है ;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने भी इसके लिए मांग की है ; और

(घ) उन्होंने यह मांग कब की है ?

कृषि मंत्री ((**राव वीरेन्द्र सिंह**) : (क) जी हां, श्रीमान्। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में वानिकी और बागवानी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।

(ख) हिमाचल प्रदेश में पहले से ही एक कृषि विश्वविद्यालय है जो नम्बर, 1978 में स्थापित किया था। इस विश्वविद्यालय में बागवानी महाविद्यालय तथा वानिकी महाविद्यालय खोलने का प्रावधान है। इस तरह नए विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित उद्देश्यों को वर्तमान कृषि विश्वविद्यालय से पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है। अतः सरकार राज्य में अलग से बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय खोलने के पक्ष में नहीं है। भारत सरकार के विचारों से हिमाचल प्रदेश सरकार को पहले से ही अवगत करा दिया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) इसकी पहली मांग जुलाई, 1981 में चार संसद सदस्यों द्वारा की गई थी तथा उसके बाद दूसरी मांग अगस्त, 1982 में 61 संसद सदस्यों द्वारा की गई थी।

अधिक संख्या में कृषि विश्वविद्यालयों का खोला जाना

3698. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1983-84 में कुछ और कृषि विश्वविद्यालय खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन राज्य हैं जहां ऐसे नए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा में एक और कृषि विश्वविद्यालय खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव पर क्रियान्वयन के लिए क्या प्रयत्न किए गए थे ;

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । वर्ष 1983-84 में कुछ और कृषि विश्वविद्यालयों को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । उड़ीसा में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रामकृष्ण पुरम तथा अन्य सहकारी कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दर्ज शिकायत

3699. **श्री भोखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्ण पुरम तथा अन्य सरकारी कालोनियों में निवासियों द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दर्ज की गई शिकायतों पर बिलम्ब से कार्यवाही की जाती है जिससे निवासियों को अत्यधिक असुविधा होती है ;

(ख) क्या उक्त सहकारी कालोनियों में सहकारी क्वार्टरों का रख-रखाव सही अर्थों में ठेका दिये जाने के अनुसार ही किया जाता है ; और

(ग) 1980, 1981, 1982 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निवासियों द्वारा शिकायत दर्ज करने के तीन दिन के पश्चात कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया कि निवासियों द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में दर्ज कराई गई शिकायतों को तुरन्त ही निपटाया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि शिकायतें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्यतः उसी दिन निपटाई जाती है, इसलिये, ऐसे मामलों की संख्या जिनमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में शिकायत दर्ज करने के तीन दिन पश्चात् शिकायत दूर की गई हो, अधिक होने की संभावना नहीं है केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी पूछताछ कार्यालयों के पिछले तीन वर्षों के रिकार्ड है की जांच करने में लगने वाली मेहनत प्रयोजन के समतुल्य नहीं होगी। तथापि,- यदि शिकायत निपटाने में हुए विलम्ब का कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में लाया जाय तो उसकी जांच की जाएगी और उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को धनराशि का आबंटन

3700. **श्री भोखाभाई :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में 31 जनवरी, 1983 तक विभिन्न राज्यों को राज्यवार, ग्रामीण विकास के लिए कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा, राज्यवार अब तक कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) यदि किसी राज्य में कमी है तो कितनी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रत, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के बारे में छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को दिए गए केन्द्रीय बंटनों तथा उनके द्वारा किए गए कुल व्यय को दर्शाने वाले **विवरण** संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** i संख्या एल० टी०—6164/83]

राज्यों से इन कार्यक्रमों के लिए अपने बजटों में इतनी ही धनराशि सुलभ करने की आशा की जाती है।

विशाखापटनम में शीतागार तथा अन्य आधार भूत ढांचे का निर्माण

3701. **श्री के० ए० स्वामी** : : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम के समुद्री मत्स्य निर्यात केन्द्र के रूप में बढ़ते हुए महत्व को दृष्टि में रखते हुए सरकार को वहां शीतागार तथा मछुओं के गांवों तक सड़कें विछाने जैसे अन्य आधार भूत ढांचे के निर्माण की कोई योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त समेकित समुद्रीय हात्स्यिकी परियोजना में परिसंस्करण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार किया गया है । तथापि, गांवों तक पहुंचने के लिए आठ सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है ।

(ग) गैर-सरकारी पार्टियों तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य मात्स्यिकी निगम द्वारा स्थापित की गई शीत-भण्डारण सम्बन्धी सुविधाएं मौजूदा मांग को पूरा करने के लिग पर्याप्त बतायी जाती है ।

शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

3702. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी स्थानीय प्राधिकरणों के संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1981 में गठित अध्ययन दल ने नगर पालिकाओं और निगमों को शासित करने वाले कानूनों में बड़े पैमाने पर संशोधनों की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने अपनी रिपोर्ट में दो प्रकार के नगर प्रशासनों, एक तो दस लाख की जनसंख्या वाली और दूसरे दस लाख से अधिक की जनसंख्या वालों के लिए की सिफारिश की है ।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी सिफारिशों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने स्वीकार रम और क्रियान्वित किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) नई दिल्ली में 17 तथा 18 जनवरी 1983 को हुई स्थानीय शासन तथा नगर विकास की केन्द्रीय परिषद की 20वीं बैठक में अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ और परिषद ने यह संकल्प पारित किया कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र अध्ययन दल की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों की यथा शीघ्र जांच करे और उन पर एक वर्ष के भीतर निर्णय लेकर निर्माण और आवास मन्त्रालय को अवगत कराए । रिपोर्ट पर कार्यवाही मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा की जानी है ।

चीनी/गन्ने का उत्पादन

3703. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 में चीनी का कितना उत्पादन होने की संभावना है और 1981-82 की तुलना में ये आंकड़े कितने हैं ;

(ख) गन्ने की नई फसल की क्या संभावनाएं हैं और इसमें से चीनी उत्पादन के लिए कितन गन्ने का उपयोग होने की सम्भावना है ;

(ग) गन्ना उत्पादकों की सहायता हेतु गन्ने का क्या न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(घ) क्या चीनी सम्बन्धी नीति घोषित कर दी गई है, यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) कितना रक्षित भण्डार बनाया जाएगा और निर्यात की क्या संभावनाएं हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) प्रारम्भिक अनुमानों क अनुसार, चीनी 1982-83 के दौरान 80 लाख मीटरी टन के आस पास चीनी का कुल उत्पादन होने का अनुमान है जबकि 1981-82 में 84.38 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था ।

(ख) 1981-82 के दौरान 1836.5 लाख मीटरी टन की कुल पैदावार होने का अनुमान था । वर्तमान मौसम 1982-83 के लिए ग ने की पैदावार के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है । तथापि, आशा है कि वर्तमान चीनी वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन करने के लिए लगभग 820 लाख मीटरी टन गन्ने का इस्तेमाल किया जाएगा ।

(ग) वर्तमान मौसम 1982-83 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य अधिक रिकवरी आनुपातिक प्रीमियम देने की व्यवस्था के साथ 8.5 प्रतिशत या इससे कम की रिकवरी पर 13 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है ।

(घ) वर्तमान चीनी वर्ष, 1982-83 के लिए दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली के साथ चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति को जारी रखा गया है और फिलहाल लेवी तथा मुक्त बिक्री की चीनी के अनुपात को 65.35 के स्तर पर बरकरार रखा गया है। लेवी चीनी के विकासी मूल्य पिछले वर्ष अपनाई गई विधि के अनुसार ही निर्धारित किए गए हैं, जिसके अधीन कमजोर मिलों को 26 रुपए प्रति क्विंटल के अधिक मूल्य दिए जा रहे हैं ; मिलों द्वारा मुक्त बिक्री की चीनी की बिक्री को मासिक निर्मुक्तियों के माध्यम से विनियमित करने की नीति को बराबर जारी रखा जाना है। वर्तमान पचांग वर्ष के दौरान चीनी का निर्यात करने का भी निर्णय किया गया है।

(ङ) 1981-82 मौसम के उत्पादन से 5 लाख मीटरी टन चीनी का एक बफर स्टाक तैयार किया गया है। भारत को वर्तमान वर्ष 1983 के लिए 6.5 लाख मीटरी टन सफेद क्रिस्टल चीनी के बराबर वास्तविक 7 लाख मीटरी टन रा-वेल्यू का निर्यात कोटा आवंटित किया गया है।

हिमालय पर्वत का पानी सऊदी अरब को सप्लाई करने का प्रस्ताव

3704. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय पर्वत का पानी पाईप-लाइन के माध्यम से सऊदी अरब को सप्लाई करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर सिविल, इलैक्ट्रकल और मैकेनिकल इन्जीनियर के एक दल द्वारा अध्ययन किया जाता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक किये गए अध्ययन का परिणाम क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सऊदी अरब सरकार से कोई बातचीत हुई है ; यदि हां, तो किस स्तर पर और उसके क्या परिणाम रहे ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं :

छठी योजना के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए योजना परिव्ययों में वृद्धि

3705. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए योजना परिव्ययों में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना परिव्ययों में कुल अनुमानित वृद्धि क्या है ; और

(ग) सरकार को तीस वर्षों से अधिक के संचित अनुभव के बावजूद सिंचाई परियोजनाओं के लिए वास्तविक प्राक्कलन न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्माण सामग्रियों और मजदूरी आदि की लागत में वृद्धि होने के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया था कि योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी ।

(ग) योजनागत अनुमानों में मूल्य वृद्धि को निर्धारित करना संभव नही है । मूल्यों की प्रवृत्ति तथा लागतों में वृद्धि के संबंध में ऐसे अतिरिक्त प्राक्कलन करना अवांछनीय होगा, क्योंकि इससे स्फीतिकारी दबाव पड़ सकता है ।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान

3706. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी चार वर्ष की सेवा अवधि पूर करने के पश्चात वरिष्ठ वेतनमान पाने के हकदार हो जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चार वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात् इन अधिकारियों को मंडल कार्य भार भी दिया जाता है ;

(ग) क्या भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों को भारतवर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद भी वरिष्ठ वेतनमान और मंडली का स्वतन्त्र रूप से कार्यभार नही दिया गया हैं ; जबकि राज्य सेवा के पदोन्नत अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान और मंडल का स्वतन्त्र रूप से कार्य भार सौंपा गया है ; और

(घ) यदि हो, तो इस विषमता के क्या कारण हैं और इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) व (ख) भारतीय वन सेवा के कनिष्ठ वेतन मान के सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की प्रभागीय वन अधिकारी/उप वनपाल आदि के वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर नियुक्ति भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1976 के द्वारा विनियमित की जाती है, जिसमें इस प्रकार की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों में यह निर्धारित किया गया

है कि भारतीय वन सेवा के सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों को वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के मामले में 4 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे इसके लिए उपयुक्त हों तथा रिक्तियां उपलब्ध हों।

(ग) व (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि आबंटन वर्ष 1978 के सीधी भती वाले व्यक्तियों को 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्वतन्त्र प्रभागीय सेवा भार सौंपा गया है तथा उनकी वरिष्ठ वेतनामन में नियुक्ति बहुत ही शीघ्र की जा रही है। आबंटन वर्ष 1979 के सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों ने 4 वर्ष की सेवा केवल 7 मार्च 1983 को पूरी की है। राज्य सरकार प्रभागों में उनकी तैनाती तथा वरिष्ठ वेतनमान में उनकी नियुक्ति पर विचार कर रही है। राज्य वन अधिकारी, भारतीय वन सेवा में भारतीय वन सेवा (प्रौन्नति द्वारा नियुक्ति विनियमन, 1960 के नियम 8) के अन्तर्गत नियुक्ति किए जाते हैं। इस प्रकार की नियुक्तियां केवल संवर्ग पदों पर जो वरिष्ठ सामयिक वेतनमान में है, की जाती हैं।

चूंकि भारतीय वन सेवा के सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और राज्य वन सेवा के अधिकारी, जिनकी प्रौन्नति भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के पदो पर की जाती हैं, की भर्ती के स्रोत का आधार दो विभिन्न श्रेणीयों में विभक्त है, अतः दोनों में तुलना करने का प्रश्न ही नहीं होता।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

3707. **श्री चित्त महाटा :**
श्री के० मलन्ना :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री पी० नामग्याल क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय जय विवाद के मामलों का निपटारा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के पास कोन-कौन से विवादाग्रस्त मामले लम्बित हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनिक, 1956 के उपबंधों के अनुसार, यदि कोई राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को सूचित करती है कि उनके विचार में किसी अन्तर्राज्यिक नदी अथवा नदी घाटी के जल के बारे में कोई जल-विवाद उत्पन्न हो गया है अथवा उसके उत्पन्न होने की सभावना है और यदि केन्द्रीय सरकार का मत है कि उस विवाद को बातचीत द्वारा हल नहीं किया जा सकता, तो उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए, अधिनियम के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण गठित कर सकती है।

(ख) कावेरी के जल का बेसिन वाले राज्यों, केरल, कर्णाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बीच और दिल्ली में ओखला बराज तक यमुना के जल का बेसिन वाले राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के बीच बटवारा तथा उपयोग करने से संबंधित विवादों पर अधिकारी तथा मुख्य मन्त्रियों के स्तरों की बातचीत की जा रही है ।

गेहूं और दालों का उत्पादन

1708. **श्री चितमहाटा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1982-83 में खाद्यान्नों का उत्पादन कितना रहा ;

(ख) प्रत्येक वर्ष का मूल उत्पादन लक्ष्य क्या था ;

(ग) इन वर्षों में गेहूं और दालों का उत्पादन कितना था ;

(ग) गेहूं और दालों के उत्पादन का मूल लक्ष्य क्या था ; और

(ङ) उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) वर्ष 1981-82 के लिए गेहूं, दालों और खाद्यानों का उत्पादन स्तर और प्रारम्भिक लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

	1981-82	
फसल	लक्ष्य	उपलब्धि
गेहूं	380	376
दाल	125	114
खाद्यान्न	1385	1331

वर्ष 1982-83 के लिए गेहूं, दलहन तथा खाद्यान्नों के उत्पादन के आरम्भिक लक्ष्य क्रमशः 385 से 390 लाख मीटरी टन, 130 से 135 लाख मीटरी टन तथा 1390 से 1435 लाख मीटरी टन तक रखे गए थे। वर्ष 1982-193 के लिए खाद्यान्नों के उत्पदान के अनुमान राज्य सरकारों से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ङ) वर्ष 1981-82 में लक्ष्यों की तुलना में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होने का कारण कुछ राज्यों में मौसम की प्रतिकूल स्थितियों तथा उत्तर राज्यों में गेहूं और चने की कटाई के समय असामयिक वर्षा का होना था ।

प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन

3709. **श्री चित्त महाटा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन कितना रहा है ; और

(ख) इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्नों का कुल तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन इस प्रकार था :—

वर्ष	खाद्यान्नों का कुल उत्पादन (लाख मीटरी टनों में)	खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उत्पाद (किलो ग्राम)
1977-78	1264.1	196.00
1978-79	1319.0	200.03
1979-80	1097.0	162.74
1980-81	1295.9	188.08
1981-82	1330.6	188.93

(ख) सरकार खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता से भली-भांति परिचित है तथा खाद्यान्नों के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है । इसमें ये शमिल हैं :—

(1) बीजों की अधिक पैदावार देने वाली तथा अन्य सुधरी किस्मों, उर्वरकों, तथा सिंचाई के लिए बिजली और डीजल जैसे आदानों की समय से पर्याप्त आपूर्ति करने के प्रबंध सुनिश्चित करना ।

(2) कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रयासों में गति लाना ।

(3) सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ।

(4) बीच की फसल तथा अन्तवर्ती फसलों के माध्यम से अल्पावधि किस्मों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाना ।

(5) बारानी खेती की प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।

(6) संस्थागत ऋणों की अधिक आपूर्ति ; तथा

(7) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य ।

किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन की मिली-जुली वृद्धि दर 2.66 प्रतिशत रही, जबकि पिछले 15 वर्षों में इसका दीर्घावधि विकास कर 2.48 प्रतिशत रहा । 1981-82 में कृषि उत्पादन की विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में 5.5 प्रतिशत थी ।

राज्यों को खाद्यान्नों को आबंटन करने सम्बन्धी नीति

3710. **श्री चित्त महाटा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र से राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन करने सम्बन्धी नीति क्या है ; और

(ख) उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष जरूरतों, उनके पास पहले से उपलब्ध स्टाक, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाता है ।

यद्यपि ये आबंटन जोकि खुले बाजार में उपलब्धता के अनुपूरक हैं, कुछ राज्यों द्वारा अपर्याप्त समझे जाते हैं लेकिन इसमें वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और खाद्यान्नों के मूल्यों को नियन्त्रण में रखने में समर्थ हुए हैं ।

कृषि उत्पादकों के लिए नियमित मंडियों की स्थापना

3711. **श्री के० मालन्ना** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन के विपणन के लिए नियमित मंडियों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही उदार सहायता के बावजूद इस संबन्ध में बहुत कम प्रगति हुई है तथा स्थिति सन्तोषजनक नहीं है ।

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाणिज्यिक फसलों के मामले में स्थिति और भी खराब है तथा इस सम्बन्ध में ऐसे छोटे और सीमांत किसान सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हैं जिनके पास बेचने के लिए बहुत थोड़ा उत्पादन होता है तथा उसे वहां से कुछ दूरी पर स्थित मुख्य मंडी में ले जाना उनको असंभव सा लगता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि प्रवर्त्तन सबधी कमी एक अन्य कारण है, जिसकी वजह से किसान को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता तथा "ग्रेडिंग" न किया जाना भी किसानों के खिलाफ पड़ता है और किसानों को मानक तोल और खरीददारों की प्रति स्पर्धा से वंचित रखा जाता है क्योंकि खरीददारों की क्योंकि खरीदार की प्रवृति गुट बनाने और विपणन के लिए अधिक बसूली करने की होती है ।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) कृषि बाजारों को राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा अपने अधिनियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है। उन राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों, जिन्होंने बाजारों को नियमित करने के लिए विधान पारित किए हैं, में उपलब्ध सूचना के अनुसार 5186 कृषि उत्पाद बाजार थे जिनमें से 5147 को विनियमन के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

(ख) विपणन व्यवस्था को किसानों की आसान पहुंच के भीर लाने की दृष्टि से भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत प्राथमिक ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सहायता देती है। कुछेक राज्यों में उनके निजी संसाधनों में से भी इन बाजारों के विकास के लिए सहायत दी जा रही हैं।

(ग) कृषि विपणन राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार, राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को यह सलाह देती रही है कि वे बाजारों के विनियनों को उचित रूप से लागू करने के लिए अलग से कृषि विपणन निदेशालयों का गठन करें और उत्पादनों के स्तर पर श्रेणीकरण की भी व्यवस्था करें। अभी तक 10 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने अलग से कृषि विपणन निदेशालयों की स्थापना कर ली है। केन्द्रीय क्षेत्र की प्रायोगिक योजना के अन्तर्गत अभी तक 13.84 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता उत्पादकों के स्तर पर 22 श्रेणीकरण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सुलभ की जा चुकी है ।

पक्की सड़कों से गांवों को जोड़ने के लिए आबंटित धनराशि

3712. **श्री कुंवर राम** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पक्की सड़कों से गांवों को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने चालू वर्ष तक कितनी धनराशि आबंटित की है ; और

(ख) जिलेवार कितने गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है तथा इन निर्मित सड़कों की लम्बाई क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण सड़क कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है जिसके लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में निधियां सुलभ की जाती हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्रामीथ सड़कों के लिए

छठी योजना (1980-85) में 1164.90 करोड़ रुपए की धनराशि सुलभ की गई है। 1980-81 तथा 1981-82 में कार्य-क्रम के परिव्यय क्रमशः 201.96 करोड़ रुपए तथा 195.56 करोड़ रुपए था। 1982-83 के लिए 195.19 करोड़ रुपए का परिव्यय है।

(ख) इस प्रकार की जिलावार सूचना इस मन्त्रालय में नहीं रखी जाती है।

बिहार में भूमिहीन ग्रामीणों को आबंटित प्लाटों की संख्या

3713. **श्री कुंवर राम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मकानों के निर्माण के लिए कितने भूमिहीन ग्रामीणों को रिहायशी प्लाट आबंटित किए गए ; और

(ख) इस बारे में बिहार के नवादा और गया जिलों की क्या स्थिति है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 31-12-82 तक 42,566.

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी० डी० ए० द्वारा जनता श्रेणी के अन्तर्गत फ्लैट जारी करना

3714. **श्री कुंवर राम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनता वर्ग के लोगों के लिए बने फ्लैटों के दिए जाने की तारीख क्या है और वास्तविक आबंटन आदेश की तारीख क्या है ;

(ख) इन दोनों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ;

(ग) डी० डी० ए० को अनुमानतः कितने धन की हानि हुई है ; और

(घ) विलम्ब दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1976 तक की सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत जनता श्रेणी के फ्लैटों को पिछली बार 7-7-82 से 31-8-1982 तक की अवधि के दौरान रिलीज किया गया था, फरवरी 1983 में सफल पंजीकृत व्यक्तियों को नियतन किया गया परन्तु विशिष्ट फ्लैटों के आबंटन में कुछ समय लग जाने की आशा है क्योंकि ये पूर्णतः प्रक्रियाधीन हैं। इसके अतिरिक्त इसने यह भी सूचित किया है कि नवीन पद्धति योजना, 1979 (हुडको) के अन्तर्गत

जनता श्रेणी के फ्लैटों को पिछली बार 30-12-82 को रिलीज किया गया तथा 1-2-83 को आबंटन हेतु लाटरी निकाली गई तथा विशिष्ट फ्लैटों का अभी तक आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि ये पूर्णता की प्रक्रियाधीन है ।

(ग) तथा (घ) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकार घरानों द्वारा मैक्सीको से आयातित मत्स्य नौकाओं की बिक्री

3716. **श्री डी० डी० ए० जदेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एकाधिकार घरानों द्वारा कुछ वर्ष पूर्व मैक्सीको की मत्स्य नौकाओं का आयात किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कुछ घराने अपनी कुछ आयातित मत्स्य नौकाएं बेच रहे हैं ;

(ग) अब तक की जा रही बिक्रियों के ब्यौरे क्या हैं ;

(घ) एकाधिकार तथा बड़े घरानों द्वारा मैक्सीको से आयके की गई मत्स्य नौकाओं की बिक्री की अनुमति के लिए लम्बित आवेदन-पत्रों के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ङ) बड़े घरानों को इस प्रकार की बिक्री करने की अनुमति दी जाने के क्या करण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) केवल एकाधिकार घराने, अर्थात मैसर्स ई० आई० डी० पैरी (इण्डिया) लि० मद्रास ने अपने आयातित ट्रालरों की बिक्री की है ।

(ग) ई० आई० डी० पैरी (इण्डिया) लि० ने मैसर्स नव भारत फैरीं अलाय लि० हैदराबाद को दो मैक्सिकन मत्स्य ट्रालर 80 लाख रुपए की लागत पर बेचे थे ।

(घ) किसी एकाधिकार घराने से अन्य कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने मैक्सिको से आयातित अपने ट्रालरों को बेचने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है ।

(ङ) मैसर्स ई० आई० डी० पैरी लि० को अपने जलयानों की बिक्री के लिए अनुमति दिए जाने के कारण निम्न प्रकार हैं :—

चीनी के कारोबार में भारी घाटा तथा समुद्री परियोजना में और निवेश करने की असमर्थता और विभिन्न अन्य परियोजनाओं में किए गए व्यापक वायदे ।

गांवों का आर्थिक विकास

3717. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में गांवों के आर्थिक विकास में सुस्ती तथा इसकी असन्तोषजनक स्थिति से अवगत है ;

(ख) ग्राम विकास के लिए जिम्मेदार विभिन्न ऐजेंसियों के नाम क्या हैं तथा उनके कार्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किए गए कार्य तथा उपलब्ध परिणामों का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(घ) जो स्वयंसेवी संगठन तथा युवा कार्यकर्ता ग्राम विकास कार्य करना जाहते हो उनको क्या प्रोत्साहन उपलब्ध हैं ; और

(ङ) क्या यह समयबद्ध तथा चरणवार कार्यक्रम द्वारा गांवों में आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाने के लिए सरकार द्वारा कोई सशक्त कदम उठाए जाएंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) यद्यपि ग्रामीणों क्षेत्रों में लोगो के हालातों में धीमा लेकिन प्रत्यक्ष सुधार हुआ है फिर भी छठी पंचवर्षीय योजना में और विकास की आवश्यकता समझी गई है ।

(ख) ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतें, जिला परिषदें, सरकारी सोसायटियां तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां जैसी कुछेक संस्थाएं हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां समन्वित ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं।

(ग) इन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य के समय-समय पर मूल्यांकन किए जा रहे हैं । योजदा आयोग ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का मूल्यांकन पहले ही शुरू कर दिया है । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने भी कुछेक राज्यों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अध्ययन किया है ।

(घ) स्वैच्छिक संगठनों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और विशेष रूप से "ग्रामीण युवाओं के स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण" नामक कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, के कार्यान्वयन में सहयोजित किया जा रहा है ।

(ङ) राज्य सरकारें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक तथा सामाजिक हालातों में सुधार करने हेतु कुछेक योजना स्कीमें तथा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं जिनमें

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा रोजगार के सृजन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे निर्धनता निवारक कार्यक्रम शामिल हैं।

बिहार राज्य भंडागार निगम में भ्रष्टाचार

3718. **प्रो० अजीत कुमार मेहता :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1 अप्रैल 1969 तक यथासंशोधित, भांडागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 20 की उपधारा (क) के उपबन्धों के अधीन, केन्द्रीय भांडागार निगम ने बिहार राज्य भांडागार निगम के निदेशक मंडल में कार्य करने के लिए मई, 1982 में पांच प्रतिनिधियों को नामित किया था, लेकिन बिहार राज्य सरकार ने अभी तक उनके नामों को अधिसूचित नहीं किया है और न ही मंडल का गठन किया है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि मंडल के न होने के कारण इस निगम को आबंटित विधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस निगम को आबंटित निधियों के उचित उपयोग के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 के धारा 20 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय भान्डागार निगम ने अगस्त, 1982 में बिहार राज्य भांडागार निगम के निदेशक बोर्ड में पांच निदेशकों को नामित किया था। राज्य सरकार ने बिहार राज्य भांडागार निगम के निदेशक बोर्ड में केन्द्रीय भांडागार निगम के नामितों के नाम बताने वाली एक अधिसूचना अभी जारी करनी है। बोर्ड में राज्य सरकार के नामितों के कार्यालय का कार्यकाल दिसम्बर, 1983 में समाप्त होगा।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के पास इस आशय का कोई समाचार नहीं है कि बोर्ड में केन्द्रीय भांडागार के नामितों की अनुपस्थिति में राज्य भाण्डागार निगम को दी गई धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।

"एस० डी० एफ० सी० टू० इम्पलीमेंट सब्सिडी स्कीम" शीर्षक समाचार

3719. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 3 फरवरी, 1983 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित "एस० डी० एफ० सी० टू० इम्पलीमेंट सब्सिडी स्कीम" शीर्षक समाचार की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो राज सहायता योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय मन्त्रालय के पास विदेशी मत्स्य नौकाओं के आयात के लिए वित पोषण हेतु विचाराधीन आवेदनों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है और कम्पनियों के नाम क्या हैं, एस० डी० एफ० सी० द्वारा वित्त पोषण के माध्यम से आयातित मत्स्य नौकाओं का संख्या क्या है और कितनी धनराशि के ऋण के लिए आवेदन किया गया है ;

(घ) आवेदन पत्रों की जांच में विलम्ब के कारण क्या हैं जिनके कारण आयात में विलम्ब हो रहा है और समुद्री निर्यात में बाधाएं आ रही हैं जैसा कि उक्त समाचार में बताया गया है ; और

(ङ) मछली पकड़ने वाले बेड़े को बढ़ाने के लिए मत्स्य नौकाओं की खरीदने और आयात करने के लिए वित्त पोषण हेतु आवेदनों की शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना का विस्तृत विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल टी-6165/83]

(ग) अनुबंध-2 संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल टी—6165/83]

(घ) ट्रालरों के आयात के लिए वित्तीय सहायता के आवेदन पर विचार करने से पूर्व, सरकार द्वारा मत्स्य जलयान अधिग्रहण समिति, जो कि आवेदनों की पूरी तरह से जांच करती है की सिफारिशों के आधार पर आयात को प्राधिकृत किया जाना होता है ।

कुछ मुख्य घटक, जिनके कारण मत्स्यन जलयानों के लिए ऋण-आवेदनों पर कार्रवाही करने पर समय लगता है, नीचे दिए गए हैं :—

(1) आवेदन से सम्बन्धित अपूर्ण सूचना/दस्तावेज ।

(2) कम्पनियों द्वारा ट्रालरों के आयात के स्रोतों में तब्दीली किए जाने के कारण बार-बार आवेदनों का भेजा जाना तथा उन पर आयात को प्राधिकृत करने की स्वीकृति में संशोधन किए जाने की आवश्यकता ।

(3) कम्पनी द्वारा मांगा गया मूल्य अथवा मूल्य वृद्धि तथा मूल्य के औचित्य का निर्धारण किया जाना ।

(4) प्राधिकृत/निर्गमित पूंजी तथा मांगी गई धन राशि के बीच निर्धारित अनुपात का पालन न किया जाना ।

(5) कम्पनियों द्वारा ट्रालरों के आयात के लिए जारी किए गए अधिकार-पत्र में निर्धारित समय-सीमा का पालन न किया जाना ।

(ङ) आयात अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में तेजी से उपाय करने के लिए एक अन्तः मन्त्रालय जलयान अधिग्रहण समिति का गठन किया गया है ।

ऋण के आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए भी एक अन्तः मन्त्रालय जांच समिति गठित की गई है ।

कोलार सिंचाई परियोजना

3720. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना की देख-रेख करने के लिए गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कमान क्षेत्र की सभी विकास योजनाएं क्रियान्वित हेतु तैयार हैं ; और

(घ) आगामी वर्षों में इस योजना को किस तरह वित्त-पोषित करने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोलार सिंचाई परियोजना को मई 1981 में वर्तमान बर्ना-हलाली कमान क्षेत्र प्राधिकरण, जिनका गठन जुलाई, 1979 में किया गया था, के कार्यभार के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया है।

(ग) प्राधिकरण द्वारा विकास सम्बन्धी योजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

(घ) यह परियोजना, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में सम्मिलित नहीं है और इस प्रकार, इसके लिए कोई केन्द्रीय अनुदान/ऋण स्वीकार्य नहीं है । तथापि, राज्य सरकार राज्य की वार्षिक योजनाओं के जरिए धनराशि की व्यवस्था कर सकती है ।

भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पाकिस्तान का दौरा

3721. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान में खेले गए क्रिकेट टैस्ट मैचों में भारत-पाक सम्बन्धों में कटुता पैदा हो गई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस पूरे दौरे में पाकिस्तानी एम्पायरों द्वारा दिए गए निर्णय विवादास्पद थे ;

(ग) क्या भारतीय क्रिकेट टीम के तत्कालीन कप्तान ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे दौरों को समाप्त करने का है ।

संसदीय, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (भा० क्रि० नि० बो०) जो इस मामले से संबंधित है, ने सूचित किया है कि यह ऐसा नहीं था ।

(ग) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने आगे यह भी सूचित किया है कि बोर्ड के नियमों और विनयमों के अनुसार कप्तान के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह बोर्ड को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

(घ) जी, नहीं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संयुक्त कर्मचारी परिषदों की बैठकें

3722. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय की संयुक्त कर्मचारी परिषद की नियमावली में यह व्यवस्था है कि संयुक्त परिषद की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार होगी ।

(ख) क्या संयुक्त परिषद की नवम्बर 1982 और जनवरी 1983 की इस निर्धारित अवधि के बीच बैठक हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो बैठक किस तारीख को हुई थी ;

(घ) 5 अक्तूबर, 1982 को हुई पिछली बैठक की कार्यवाही कब परिचालित की गई थी, और क्या बैठक की तिथि और कार्यवाही परिचालित करने की तिथि के बीच तीन महीनों से अधिक का अन्तराल था ;

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण थे ;

(च) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(छ) सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है कि ऐसी संयुक्त कर्मचारी सलाहकार निकायों के नियमों का इस प्रकार भविष्य में उल्लंघन न हो ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) नई गठित की गई संयुक्त कर्मचारी परिषद की पहली बैठक 5 अक्तूबर, 1982 को हुई थी और दूसरी बैठक जो जनवरी, 1983 के प्रथम सप्ताह में होने वाली थी, वह 17 फरवरी, 1983 को हो सकी ।

(घ) से (च) 5 अक्तूबर, 1982 को हुई बैठक की कार्यवाही को 28 जनवरी, 1983 को परिचालित किया गया था । कुछ अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों की वजह से कार्यवृत को परिचालन करने में देरी हुई थी । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नही उठता ।

(छ) संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठकें नियमित रूप से हो सकें और उसकी कार्यवाही को ठीक समय पर परिचालित किया जा सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ।

यूरोपियन आर्थिक समुदाय के उपहारों तथा विश्व बैंक के ऋणों से परियोजनाएं

3723. **श्री ए० नोलालोहिथादसन नाडार** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिना राज्यवार या मद-वार आबंटन किए 600 करोड़ रुपए की लागत वाली आपरेशन फ्लड एक तथा दो परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है तथा इन निर्णयों को राष्ट्रीय डैरी डेवलपमेंट बार्ड भारतीय डैरी निगम के अन्तर्गत एक गैर-सरकारी अध्यक्ष को सौंप दिया गया है जो कि ऐसे कम्पनी का कर्मचारी है जिसे इस धन का मुख्य भाग अंश प्राप्त होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह यूरोपियन आर्थिक समुदाय के उपहारों तथा विश्व बैंक के सहायता से चलने वाली परियोजनाओं को शासित करने वाले सरकारी नियमों के अनुसार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने आपरेशन फ्लड-2 के लिए धनराशि के मदवार आबंटन की मंजूरी दे दी है । राज्यों द्वारा तैयार की गई और भारतीय डेरी निगम को भेजी गई संदर्श डेरी विकास योजना के आधार पर आपरेशन फ्लड-2 के अंत-

र्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन किया जाता है । ऐसा आलंटन योजना में निहित डेरी विकास परियोजना सम्बन्धी मानदन्डों के अनुसार किया जाता है । इन आबंटनों को भारतीय डेरी निगम के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति दी जाती है जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं ।

(ख) सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त जिन्सों और विश्व बैंक के ऋणों से क्रियान्वित की जाने वाली परितोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को धनराशि के आबंटन के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्जीनिया तम्बाकू की खेती को बढ़ावा देना

3724. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्जीनियन तम्बाकू की खेती को बढ़ावा देने के लिए चालू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के क्या परिणाम निकले ;

(ख) इस योजना पर 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान अलग-अलग सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया जब कि वे इसे चला रहे थे अभी इस समय अब कितना व्यय किया जा रहा है जब कि यह योजना राज्यों द्वारा चलाई जा रही है ;

(ग) तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत कितना अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया है और 1977-78 से 1982-83 तक तम्बाकू के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों तथा गुजरात ने इस योजना को त्याग दिया है ;

(ङ) क्या भारतीय तम्बाकू परिषद ने 28 जनवरी, 1983 को हुई अपनी बैठक में एक संकल्प पास किया था और केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की थी कि केन्द द्वारा प्रायोजित इस विशेष योजना को पुनः लागू करें ; और

(च) यदि हां, तो इस सिफारिश को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यबाही की जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तम्बाकू की निर्यात की जाने वाली किस्मों संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के परिणामस्वरूप इस फसल के तहत हल्की मिट्टी वाला क्षेत्र 1966-67 के 300 हैक्टार से बढ़कर 1977-78 में 79,400 हैक्टार और तम्बाकू का उत्पादन 2 लाख किलोग्रम से बढ़कर 533 लाख किलोग्राम हो गया ।

(ख) जानकारी नीचे दी गई है : —

वर्ष	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त की गई धनराशि	राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय
		(लाख रुपए में)
1977-78	115.58	—
1978-79	89.97	—
1979-80	—	44.9
1980-81	—	20.4
1981-82	—	23.4

(ग) 1977-78 से 1981-82 तक हल्की मिट्टी में वर्जीनिया तम्बाकू क्षेत्र और उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	क्षेत्र हजार हैक्टार में	उत्पादन लाख किलो-ग्राम में
1977-78	79.4	53.3
1978-79	77.79	46.0
1979-80	73.0	43.4
1980-81	73.3	49.0
1981-82	80.9	61.2

1982-83 के लिए वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) जी, हां। परिषद की इस सिफारिश की जांच की जा रही है।

तम्बाकू उत्पादकों की सहायता की पेशकश करने के लिए पृथक तम्बाकू बोर्ड

3725. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्जीनिया तम्बाकू को छोड़कर अन्य प्रकार के स्वदेशी तम्बाकू तथा बीड़ी

तम्बाकू के उत्पादकों को सहायता देने के लिए पृथक तम्बाकू बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और इसे अभी तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बावजूद विलम्ब के क्या कारण हैं जिससे ऐसे उत्पादकों को भारी हानियां हो रही हैं जिन्हें समय पर पूरे मूल्य नहीं मिल रहे हैं और जिन्हें वजन और माप के माध्यम से भी लूटा जाता है ;

(घ) क्या ऊपर बताये गए सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त बोर्ड शीघ्र गठित किया जाएगा ; और

(ङ) क्या स्वदेशी तम्बाकू के उत्पादकों को वे सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी जो कर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों को दी जा रही है तथा वर्तमान तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से भी विशेष प्रावधान किए जाने तक दी जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) से (घ) तम्बाकू से सम्बन्धित विशेषज्ञ दल ने गैर-वर्जीनिया तम्बाकू के लिए पृथक तम्बाकू बोर्ड गठित करने की सिफारिश नहीं की थी । तथापि, इसने सभी प्रकार के तम्बाकू को शामिल करने के लिए विद्यमान तम्बाकू बोर्ड अधिनियम को संशोधित करने की सिफारिश की थी । इस पर विचार किया गया और अब गैर-वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक सहकारी समितियों के राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ को गठित करने का प्रस्ताव है ।

(ङ) विद्यमान तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से गैर-वर्जीनिया तम्बकू के उत्पादकों को सहायता देने का प्रश्न ही नहीं होता ।

दिनांक 8 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2419 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 2419 के उत्तर को संशोधित करने वाले विवरण को सदन के सभा-पटल पर पहले नहीं रखा जा सका था क्योंकि वह गलती लोक लेखा समिति के सम्मुख साक्ष्य देते समय मंत्रालय के ध्यान में अभी हाल में आई है ।

विवरण
यथा संशोधित

क्र० सं०	राज्य	1975-79 के दौरान सिंचाई क्षमता की उपलब्धि
1	2	3
		(हजार हैक्टार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	254
2.	असम	54
3.	बिहार	425
4.	गुजरात	286
5.	हरियाणा	188
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू और कश्मीर	16
8.	कर्नाटक	137
9.	केरल	61
10.	मध्य प्रदेश	322
11.	महाराष्ट्र	307
12.	मणिपुर	4
13.	मेघालय	—
14.	नागालैण्ड	—
15.	उड़ीसा	215
16.	पंजाब	114
17.	राजस्थान	291
18.	सिक्कम	—
19.	तमिलनाडु	22

1	2	3
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	1377
22.	पश्चिम बंगाल	283
23.	कुल राज्य	4356
	संघ शासित क्षेत्र	—
	कुल जोड़	4354
	अर्थात	4350

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैंने, अध्यक्ष जी, आपके पास काम रोको प्रस्ताव दिया है कि आसाम के अन्दर हजारों आदमी मरे हैं । ...(**व्यवधान**) आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सब कुछ सुन लिया है । मैंने आपका एडजार्नमेंट मोशन रिजेक्ट कर दिया है । इसको पहले ही मैं दो बार डिस्कस करवा चुका हूं । होम मिनिस्ट्री की डमान्ड्स आ रही हैं, उस समय आप डिस्कस कर सकते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : कल चर्चा हो चुकी हो और आज हालात और भी ज्यादा खराब हो जाए तो इसका मतलब है कुछ नही होगा ।

अध्यक्ष महोदय : एक ही सबजैक्ट को सारा दिन डिस्कस नहीं करवा सकता । इसको बार-बार आप ही करवा रहे हैं ।

...(**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है...(**व्यवधान**) सरकार फेल हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए । वहां जो वायलेंस है, उसको कैसे बंद किया जाए यह हमें सोचना चाहिए । किसी को जबर्दस्ती बदल बाना चाहें, यह जंचती नहीं है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह नरसंहार कब तक चलता रहेगा ?

(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : वहां जो सरकार है, वह जनता का विश्वास सम्पादन नहीं करती। वहां सरकार थोप दी गई है। ...(**व्यवधान**) आप मेरा एडजार्नमेंट मोशन देखिए। आसाम में शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। आसार में केन्द्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक है, केन्द्र बैठा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मेरा एक सुझाव है। यह मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा की रचनात्मक बनाने के लिए गृह मन्त्री श्वेत-पत्र प्रस्तुत करें कि कितने लोग मारे गए हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, वार्ता में क्या प्रगति हुई है ; उस श्वेत पत्र से हम चर्चा में अच्छी तरह भाग ले सकेंगे। (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : यूनाईटेड नेशन्स का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : एक्सटरनल अफेयर्स के ऊपर परसों डिवेट शुरू हो रही है, उसमें सब्र आ जाएगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं विरोधी दल वालों से कह रहा हूं कि जब मुझे बोलने की अनुमति मिली है तो फिर आप लोग क्यों बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से हों तो मैं मान सकता हूं लेकिन समझ में नहीं आता, आप क्यों बोल रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : परसों हम विदेश मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या श्वेत-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ? उन्हें श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने को कहें।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने हाल ही में समाप्त हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में चर्चा करने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ; ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह ध्यानाकर्षपण प्रस्ताव नहीं मैंने पूर्ण चर्चा की मांग की है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम बैठक कर रहे हैं ; कार्यवाही सलाहकार समिति बैठक कर रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संभवतया, मैं आपको कल अथवा परसों बताऊंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आप हमेशा यह बात कह देते हैं कि चैम्बर में आ जाओ और चैम्बर में आकर आपकी बात ठीक से सुनी जाएगी । आप यहां कायदे की बात को सुनिए और समझिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या ख्याल है, मैं बगैर समझे बात कर रहा हूं । मैंने कानून सीखा है और आप लोगों ने सिखाया है । मुझे लगता है आप लोगों की कही सुनी बात पर विश्वास करते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : नहीं, लिखी-पढ़ी बात पर विश्वास करता हूं । मैं जब बात कहता हूं तो मैं सबका चेहरा साफ देखना चाहता हूं । अब इनका चेहरा बिगड़ रहा है, मैं उसको सुधारना चाहता हूं । आप यह कहना छोड़ दीजिए कि चैम्बर में आ जाओ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात क्लीअर कर देता हूं । जो बात चैम्बर में की जा सकती है, उसी बात के लिए मैं कहता हूं कि आप चैम्बर में आ जाओ और जो डिस्कशन होता है वह तो हाऊस में ही होगा । यह सार्वजनिक मामला है । लेकिन जैसे आप कहते हैं कि मेरे काल अटेंशन का क्या हुआ, मेरे 377 का क्या हुआ, अब मेरे पास 100 काल अटेंशन हैं सब अगर मुझसे यहां पूछेंगे कि क्या हुआ तो मैं कैसे बता सकता हूं । न आपका काम होगा, न मेरा काम होगा और न सदन का काम होगा । इनके लिए ही मैं कहता हूं कि अगर कोई बात पूछनी है या नहीं हुई तो मुझसे आकर बात कर लो ।

नियम 377 की बात आती है वह तो ढेर सारे हैं । सबको बताने लग जाऊं तो कैसे सभव है। मेरे भाई मुझसे नाराज हो रहे थे, अगर मैंने हाऊस में करना शुरू कर दिया तो दफ्तर की कोई जरूरत नहीं है । इसलिए मैं बोलता हूं।

बाकी जो पब्लिक का काम है और पब्लिक इम्पोर्टस की चीज है डिस्कशन तो यहीं होगा, वहां मैं डिस्कशन करने के लिए तो बुलाता नहीं हूं, वहां तो आप से सलाह करने के लिए बुलाता हूं कि आपकी क्या राय है, और हमारी क्या राय है । कहीं रूल्स में कोई गड़बड़ ही सीधी कर

दूं । अगर कोई साहब नहीं पढ़ कर लिखते हैं, या आधी ट्रथ में लिख देते हैं, कोई अखबार भी लिख देता है तो अखवार वाले भी मेरे और आपके भाई हैं । वह भी तो गलती कर सकते हैं । मेरे से भी पूछ सकते हैं ।

श्री मनोराम बागड़ी : मैं कभी नही गलती कर सकता हूं, आप कर सकते हैं । मुझे निकाल कर के आपने गलती की, कोई अच्छा काम नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद है उसमें लिखा है :

स्वर्तं सुगन्धं फलमिक्षृदण्डे
न कारि पुक्षं खलु चन्दनस्य ।
विद्वान् न धनी भूपति दीर्घजीवी
धातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽभूत् ।

वह कहने लगा हे प्रभू, अगर तुम में ही कुछ अक्ल की कमी थी और जरूरत थी सलाह की तो मुझे क्यों नहीं बुला लिया । स्वर्ण में सुगन्धी नहीं डाली, सोने में सुगन्ध नहीं डाली, यह ईख का डंडा बनाया इसमें कोई मीठा फल नहीं लगाया, यह चन्दर का वृक्ष खुशबूदार है इसमें फूल नहीं लगाया, मैंने ऐसा कोई विद्वान नहीं देखा जो कोई धनी हो, या ऐसा राजा नहीं देखा जिसकी बहुत ज्यादा लम्बी उम्र हो । इन बातों की सलाह करते हुए मेरे से सलाह क्यों न कर ली । वैसा मैं तो करता नहीं ।

श्री मनोराम बागड़ी : यह वाक्य सत्य है सौ फीस दी और इस कमी को पूर्ण करना चाहिए लेकिन मेरी बात तो पूरी सुन लो, फिर फैसला करना । गोली और बोली में फर्क है । डंडा राज में गोली चलती है, जनता राज में बोली चलती है । अगर लोक सभा में गोली चलेगी तो असम की...

अध्यक्ष महोदय : मैंने दो दफा करा दिया ।

श्री मनोराम बागड़ी : आप फिर बहस करवाइये । हम सरकार की निन्दा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दो दफा करा दी, आज फिर विजनेस ऐडवाइजरी कमेंटी की मीटिंग है ।

श्री मनोराम बागड़ी : मेरे एडजर्नमेंट मोशन का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐडजर्नमेंठ अलाऊ नहीं किया । अब डिमान्ड्स आ रही हैं, रोज करते रहिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : तो स्टेटमेंट दिला दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : नोट अलाउड ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री जी, यह स्टेटमेंट के लिए कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वक्तव्य देंगे ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : आज नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कल ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जी हां, कल ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, रायबरेली में टेलीफोन की इण्डस्ट्रीज है, आई० टी० आई० वहां पर पुलिस ने जाकर फायरिंग की है, 2 लोग मारे गए हैं, 6 लोग लापता हैं । अब तक कुछ मालूम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : नोट अलाउड ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आई० टी० आई० इलाहाबाद में आग लग गई, आप क्या करवा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं । यह स्टेट सबजेक्ट है, वहां पर चुनी हुई सरकार है ।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : आई० टी० आई०, रायबरेली का मामला है...

अध्यक्ष महोदय : नोट अलाउड । स्टेट सबजेक्ट है ।

श्री आर० एन० राकेश : **

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं ; कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : असम के सम्बन्ध में राष्ट्र संघ मेंउठाए गए मामले पर विदेश मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : परसों डिवेट आ रही है, आप उसमें उठा लीजिएगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : ऐक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कुछ कहें । असम में इस तरह हत्याएं हो रही हैं, यूनाइटेड नेशन्स में यह मामला उठ रहा है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सब जगह किरोसिन तेल का भाव बढ़ रहा...

आपने कहा था पिछले सप्ताह कालिंग अटेंशन देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जब वह बात बन गई, अगर इसके बाद भी दिक्कत है तो करेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : दाम घटाया है तो भी तेल मिल नहीं रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : कर देंगे । मैं इस पर चर्चा की अनुमति देने वाला हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए । मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने गृह मन्त्री और कानून मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रस्ताव दिया था ;

अध्यक्ष महोदय : कल या परसों लेटेस्ट, आपको मैं रूलिंग दूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप रूलिंग देने से पहले इस मामले में हमको सुन तो लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी-: कहां सुन लिया सारा आपने ?

श्री हरिकेश बहादुर : आपने नहीं सुना ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मामले की जांच करा सकते हैं । आप हमारी मदद लीजिए, हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से प्रिविलेज का प्राइमाफेरी केस बनता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं । मैं आपके बताये हुए नियमों के अनुसार चल रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं बदलूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, यह नियमों के बारे में आप जो मुद्दा उठा रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं । मैं श्री यादव को बोलने के लिए कह रहा हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने किस बात के लिए अनुमति नहीं दी है ? मैंने तो नहीं पूछा है । आप किस बात को अस्वीकृत कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री यादव को बोलने के लिए कह रहा हूं । मैंने श्री यादव को पहले ही अनुमति दे दी है । आप आग्रह क्यों कर रहे हैं ?

मैं आपकी बात वैसे ही आदर से सुन लेता हूं, आप ऐसा क्यों करते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने समझा आपने स्वभाविक रूप से 'नहीं' कहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, इस वक्त बजट पर बहस होगी अनुदानों पर आप कहेंगे बहुत-सी बातों टर कि उस वक्त बहस करेंगे । फूड एण्ड सप्लाई की बहस देर से आयेगी । उत्तर प्रदेश में कहीं भी गेहूं और मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : तेल की बात तो हो गई ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह कर लेंगे ।

आपको तो मैंने बुलाया था कि बात करेंगे लेकिन टाइम नहीं मिला ।

मैं इसे ले रहा हूं । मैंने आश्वासन दिया है कि मैं प्राथमिकता के अनुसार इसे लूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं ताकि उसका इस सभा में हमेशा के लिए एक बार फैसला हो जाए । हम विशेषाधिकार की सूचनाएं देते हैं । महोदय, आप नम्रता से सुनिए । हम सभा के पटल पर कुछेक दस्तावेज रखने के लिए सूचनाएं देते हैं । आप किसी प्रकार का निवेदन करने की अनुमति नहीं दे, आप शीघ्र ही अपना निर्णय भी नहीं देते । मैं 26 फरवरी, 1965 की एक घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जब श्री एच० वी० कामथ इसी सभा में उठे थे और छह सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दी गई भी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर चर्चा कर ली है और मेरे पास नियम हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : छह सदस्यों को बोलने की अनुमति दी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे पढ़ लिया है और 1965 के बाद हम उसी नीति पर चल रहे हैं जिस पर मैं आज चल रहा हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इस मामले को कब ले रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको तथा श्री वाजपेयी को कहा है ; कल अथवा परसों में अपना निर्णय दे रहा हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह उन दोनों सूचनाओं के सम्बन्ध में है जिन्हें आप कल ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप आहिस्ता बोलें तो मैं वैसे ही सुन लूंगा । आप मुझे आकर समझा दें ।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, भारतीय टेलीफोन उद्योग केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ, यह एक इधर से एक उधर से फायरिंग कर रहे हैं । मुझे रोज यह देखकर हैरानी होती है ।

इसे परसों लिया जा रहा है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिणी) : महोदय, आपने समाचार पत्रों में देखा है कि असम के इस प्रश्न को राष्ट्र संघ में उठाया गया है । जैसाकि आप बता रहे हैं, गृह मन्त्री कल वक्तव्य दे रहे हैं, यह हमारी विदेश मन्त्रालय सम्बन्धी चर्चा में शामिल नहीं है क्योंकि यह हमारा आन्तरिक मामला है । यह एक गंभीर मामला है क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

भण्डागारण निगम अधिनियम के अधीन अधिसूचना, भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का प्रतिवेदन तथा समीक्षा, आदि ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1982 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, केन्द्रीय भण्डागारण निगम (संशोधन) निगम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण), जो 5 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सां० का० नि० 463 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि-पत्र जो 14 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 78 (अ) और 79 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना की सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6137/83]

(3) (एक) भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय रमें खे गए। देखिए संख्या एल० टी 6138/83]

तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास, का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन तथा समीक्षा आदि।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेख परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल हर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथाअंग्रे संस्करथ)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6139/83]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं ; न आप सुनते हैं ; न ध्यान देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इनसे मेहरबानी करवा दीजिए, मैं आपकी बात सुन लूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उधर आकर बैठूं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई फायदा नहीं है । इन्हीं से फायदा नहीं होता, आप क्या करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं कल से आपके नजदीक ही आकर बैठूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप यहीं आ जाइए मेरे पास कल से ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात का कोई इलाज है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे लोगों के लिए में क्या कर सकता हूं ?

श्री इन्द्र जीत गुप्ता : मैं तो आपसे केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं । आप श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अपना विनिर्णय दे रहे हैं । यह ठीक है । यह पूरी तरह आपके अधिकार में हैं । परन्तु मैं उस बारे में कुछ जानना चाहता हूं जो आपने अभी कहा है । क्या हम इसका यह मतलब समझें कि भविष्य में अब विशेषाधिकार प्रस्ताव को सूचना दी जायगी तो आप सम्बन्ध सदस्य को सदन में अपनी बात कहने का अवसर नहीं देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उस मामले पर निर्भर करता है । हमारे निश्चित नियम हैं । मेरे पास पूर्वोदाहरण हैं । सन 1965 से लेकर मेरे पास परम्पराएं हैं ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मेरा 1965 से कोई मतलब नहीं है । आपकी जानकारी में जब से इस अध्यक्ष पीठ पर आसीन हैं ।...

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : 1971 में ऐसा हुआ था । मैंने श्री गोखले के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था उन्होंने सदन के सन्मुख आकर काफी मांग ली । मुझे अपनी पूरी बात कहने का अवसर दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो हम इस पर विचार कर सकते हैं । मेरे पास निश्चित नियम हैं और मैं उनका पालन करूंगा ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : क्या इस नियम में यह कहा गया है कि कुछ नहीं कहा जा सकता?

अध्यक्ष महोदय : श्री राम निवास मिर्धा।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र—जारी

बेतवा नदी बोर्ड, झांसी का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बेतवा नदी बोर्ड, झांसी, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) (क) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 6140/83]

ऊर्जा सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड के गठन और कृत्यों के बारे सरकारी संकल्प

विज्ञान और प्रोद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं ऊर्जा संबंधी सलाहकार बोर्ड के गठन और कृत्यों के बारे में सरकारी संकल्प की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी **देखिये** संख्या एल० टी० 6141 /63]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आप किसी की बात सुनते नहीं देते हैं। आप रोजाना ऐसा करते हैं - क्या यह आपको शोभा देता है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बड़ा अजीब लगता है कि आप जैसे लोग इस प्रकार से चिल्लाते हैं। यह आपके लिए प्रतिष्ठा की बात नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैयदपुर) : यह लेबर प्राब्लम है। हम आपको समझा भी नहीं पा रहे हैं आराम से।

अध्यक्ष महोदय : अगर यही आराम है तो अशांति क्या होगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मै सुझाव सुन सकता हूं। परन्तु मैं अभी फिर से अपना विनिर्णय नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझे समझा सकते हैं, मैं अपनी गलती मान जाऊंगा। आप आकर मुझ से बात कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : दो आदमी जान से मार दिए गए हैं, दो लापता हैं। 13 आदमी सस्पेन्ड किए गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में बोंगिया एक्सप्लोजिव फैक्टरी 23 फरवरी से बन्द है। वर्कर्स एवार्ड नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह भी कोई तरीका है ? नाट एलाउड।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जिद मत कीजिए। मैंने आपकी बात सुन ली कह भी दिया मैंने रूलिंग दे दी है। मैं आपसे दोबारा बात कर लूंगा। आप मुझे समझा दीजिएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वह कहेंगे कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम बाक आउट करते हैं।

(श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री आर० एन० राकेश और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)**

(इस समय, श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और श्री आर० एन० राकेश सभा भवन से उठकर बाहर चले गये)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ज्ञात अपराधियों आदि को पवित्र पूजा स्थलों में शरण देकर धार्मिक स्थलों की पवित्रता को भ्रष्ट करने की कथित प्रवृत्ति

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुर) : मैं गृह मन्त्री का ध्यान अविम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"निहित स्वार्थ वालों द्वारा, बिना लाइसेंस वाले आग्नेयास्त्रों से लैस ज्ञात अपराधियों और अवांछनीय तत्वों को पवित्र पूजा-स्थलों में लगातार प्रश्रय और शरण देकर धार्मिक स्थानों की पवित्रता को भ्रष्ट और भंग किए जाने की बढ़ती हुई कथित प्रवृत्ति तथा धार्मिक स्वतन्त्रता की इस प्रकार के दुरुपयोग से रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, माननीय सदस्यों ने समय समय पर धार्मिक स्थानों को पवित्रता के बारे में की गई कार्यवाई पर अपना दुख व्यक्त किया है इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति पर समाचारों में भी लेख प्रकाशित हुये हैं सरकार को समय समय पर सूचना प्राप्त होती रही कि दल खालसा के उग्रवादियों सहित कुछ वांछित अपराधियों ने धार्मिक स्थानों में शरण ले रखी है । बतायाजाता है कि राज्य प्राधिकारी शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक समिति से इन व्यक्तियों को उन्हें सौंपने का अनुरोध करते रहे हैं । शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक समिति चाहती है कि इन व्यक्तियों को पकड़ने के लिए गुरुद्वारा प्राधिकारियों को अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए और किसी गुरद्वारे में पुलिस कर्मचारी केवल सादे कपड़ों में बिना हथियारों के प्रवेश कर सकते हैं । माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा प्रबंध व्यवहार्य नहीं है यह भी स्मरणीय होगा कि जुलाई, 1982 में सादे कपड़ों में कुछ पुलिसकार्मिकों को गुरु रामदास सराय अमृतसर और गुरु नानक निवास अमृतसर में खीच कर अन्दर ले जाया गया था, उन्हें पीटा गया था और गलत तरीके से बन्दी रखा गया था ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

शिरोमणी अकाली दल के नेताओं के साथ हुई बैठक में उनसे यह अनुरोध किया गया था कि हिंसा की स्पष्ट रूप से निन्दा की जानी चाहिए और किन्हीं परिस्थितियों में गुरद्वारों को अपराधियों के लिए शरण गृह नहीं बनाया या प्रयोग किया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं कि शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक समिति और शिरोमणी अकाली दल के नेताओं ने इस प्रकार की कार्रवाईयों की निन्दा या गुरद्वारों को अपराधियों के शरण गृह के रूप में प्रयोग करने को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम नहीं उठाए हैं।

हाल की घटना ने, जो 16 मार्च, 1983 की प्रातः को अमृतसर के नजदीक घटी, से पता चलता है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद, जीप में बैठे एक व्यक्ति का शव गुरु नानक निवास में पाया गया और जो जख्मी हुए थे उन्होंने भी गुरु नानक निवास में शरण ली। बाद में शव को शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक समिति के प्राधिकारियों द्वारा पुलिस को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि संत भिंडरावाला ने यह कहा है कि जो व्यक्ति मुठभेड़ में अन्तर्गत थे वे उनके आदमी थे।

गुरद्वारे केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं अपितु दूसरे समुदायों के लिए भी समान रूप से पवित्र स्थान है। वे व्यापक रूप से भाई चारे, प्रेम और धार्मिक सौहार्दता के प्रतीक हैं। उनकी पवित्र प्रथा है। सिख समुदाय के विभिन्न वर्ग पूजा के इन धार्मिक स्थानों की पवित्रता और पुनीतता को बनाए रखने के लिए सरकार से कहते रहे हैं। माननीय सदस्यों ने भी इस संबंध में अपनी तीव्र भावनाएं व्यक्त की हैं। माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि पूजा के स्थानों में पुलिस के प्रवेश पर कोई कानूनी रोक नहीं है, बल्कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने संयम बरता है। इससे धार्मिक स्थानों के प्रबंधकों पर विशेष जिम्मेवारी आ जाती है।

सरकार को आश ही नहीं बल्कि विश्वास है कि शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक समिति और शिरोमणी अकाली दल यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठायेंगे कि पंजाब में गुरद्वारों की पवित्रता भंग न हो।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस सदन का प्रत्येक सदस्य और इससे बाहर के लाखों लोग पंजाब में उत्पन्न स्थिति से चिंतित हैं। अब जिस विशेष घटना की चर्चा की जा रही है और गुरुद्वारों की पवित्रता बनाए रखने का प्रश्न भी पंजाब की समस्यों पर चर्चा के अंग हैं। परन्तु उसकी ओर जाने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहती हूं कि गुरुद्वारों की पवित्रता के प्रश्न को संकीर्णता से न देखा जाकर इसे व्यापक रूप से देखें। सिख भाइयों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि कल कुल हिंदु अथवा मुसलमान किसी सिख की हत्या कर दें और गुरुद्वारे अथवा मस्जिद में शरण ले ले और वहां से यह दावा दिया जाए कि वे कानून से परे हैं तो सिख भाइयों की भावनाएं क्या होंगी। स्वर्ण मंदिर ही नहीं किसी भी धार्मिक पूजा स्थान का प्रश्न सभी लोगों, सभी धर्मों के लोगों, सभी राजनीतिक दलों तथा सभी समुदायों की चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे स्थानों के निकट साम्प्रदायिक भावनाओं को नहीं उभाड़ा जाना चाहिए। इस बात को व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए।

मैं माननीय गृह मन्त्री से यह पूछना चाहती हूं कि वे इस प्रश्न को किस प्रकार हल करना चाहते हैं। क्या वे सभी पार्टियों को विश्वास में लेंगे और इस पर यहां विस्तार से विचार करने के स्थान पर इन बातों पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करेंगे और देखेंगे कि सभी धार्मिक स्थानों को छिपने के स्थान बनने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। इनकी पवित्रता को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। मै इस बारे में कहना चाहती हूं कि ये बातें एक दिन में ही पैदा नहीं हुई हैं।

संत भिंडरवाले द्वारा कल ही यह सब आरम्भ नहीं किया गया। मैं निरंकारी बाबा की हत्या की घटना को याद दिलाना चाहती हूं। निरंकारी नेता बार-बार यह शिकायत कर रहे हैं कि हत्यारे स्वर्ण मंदिर में अथवा किसी अन्य स्थान पर छिप गए हैं। उग्रवादी गतिविधियां काफी समय से जारी है।

इसके अतिरिक्त इस बारे में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि संत भिंडरवाला ने स्वयं अपने गुरुद्वारे को अर्थात अमृतसर के गुरुद्वारा प्रकाश को छोड़ कर स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता का लाभ उठाने के लिए स्वयं अपने आपको स्वर्ण मन्दिर में ले गए हैं। उस समय भी ये सब बातें हुई थीं। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने उस समय क्या कदम उठाए थे जब सभी पार्टियों ने संत भिंडरवाला की गतिविधियों की शिकायत की थी। उस समय स्वयं पंजाब के मुख्य मन्त्री भी इस बारे में बात करने से हिचकिचाते थे।

मैं बहुत दुख के साथ यह बातें याद दिलवा रही हूं। आपके माध्यम से मैं गृह मन्त्री को याद दिलाना चाहती हूं कि उनके पूर्वाधिकारी वास्तव में जब संत भिंडरवाला यहां पर आए तो उस समय उनको मिलने के लिए गए और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि उन्होंने उनके पैर भी छुए और इस प्रकार इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया। ये बातें काफी समय से चल रही है और शासक दल द्वारा इनके उत्तरदायित्व से बचा नहीं जा सकता।

इतना ही नहीं। मैं मन्त्री महोदय को यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि उसे संत भिंडरवाला ने तथा कथित खालीस्तान के अपने आप बने अध्यक्ष डा० चौहान को पत्र लिखा था और अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए प्रोत्सहित किया। यह सरकार की भी जानकारी में था।

मैं नहीं जानती कि सरकार उस समय इस बारे में क्या सोच रही थी। यह भी विदित है कि उसी व्यक्ति अर्थात डा० चौहान को संयुक्त राज्य की सीनेट की उप समिति ने कृषि मामलों पर बातचीत करने के लिए निमन्त्रित किया है।

यह भी सर्वाविदित है कि विमान के अपहरण करने वाले पाकिस्तान को भाग गए थे। जहां तक मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा अभी तक उनको भारत को नहीं सौंपा है और उनको विशेष शास्त्रों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस प्रकार की भी शिकायतें हैं कि पंजाब पुलिस

के एक भाग का विभिन्न छद्म नामों पर इन उग्रवादी समूहों को लाइसेंस देने में हाथ है। निरंकारियों तथा सिखों ने सरकार को पंजाब पुलिस के उन विशेष अधिकारियों के बारे में विशिष्ट शिकायतें की थीं जिन्होंने शास्त्र प्राप्त करने में इन लोगों की सक्रिय सहायता की।

यह स्थिति धीरे-धीरे पैदा हुई है। उग्रवादी लोग यदा-कदा लोगों की हत्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अमृतसर के एक व्यापारी श्री सतपाल की हत्या हुई। इंस्पेक्टर बुअर दास की हत्या हुई और 'ट्रिब्यून' के संवाददाता, श्री जीतेन्द्र शर्मा पर आक्रमण हुआ। यह सब घटनाएं बहुत समय पूर्व नहीं हुई।

लाला जगत नारायण की हत्या का बड़ा मामला हुआ जिस पर यहां चर्चा हुई थी। जब यह सब उग्रवादी आक्रमण हो रहे हैं हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

मैं पूरी तरह से इस विचार से सहमत हूं कि अकाली नेताओं को उग्रवादियों के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए और मैं वास्तव में अकाली नेताओं से अपील करती हूं कि वे अपने आपको इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकालें।

इस समस्या के हल के बारे में ठोस रुख अपनाएं। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है और इस बात की आलोचना भी करते हैं कि इन सभी घटनाओं के बावजूद अकाली नेताओं ने अभी तक हिंसा की निंदा नहीं की है और वास्तव में संत भिंडरवाला द्वारा इन उग्रवादियों को अपना आदमी कहने के बाद भी वे फिर से भिंडरवाला से मिल रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है और इससे न तो पंजाब के सिखों का और न देश का हित होगा और न पंजाब का हित होगा।

गुरुद्वारों का उपयोग उग्रवादियों द्वारा किए जाने के रोके जाने के उपायों के बारे में व्यक्त विचारों से मैं सहमत हूं। अकाली नेताओं को भी उस बारे में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और स्थिति का सामना अन्य लोगों के साथ विचार करके करना चाहिए। यह मेरी उनसे आर्थिक अपील है। मुझे इसका दुख है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और स्थिति और बिगड़ी है।

मेरा विचार है कि स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता अथवा किसी अन्य धार्मिक स्थल की पवित्रता की रक्षा के इस प्रश्न पर पंजाब में इस समय उत्पन्न स्थिति में विचार नहीं किया जा सकता अथवा उसे पंजाब के व्यापक प्रश्न से अलग हल नहीं किया जा सकता, जो कि इस समय सभी को आन्दोलित कर रहा है। अतः मैं चाहती हूं कि उस प्रश्न पर विचार किया जाए क्योंकि वर्तमान स्थिति के मूल में वही है।

मेरा विचार है कि उस प्रश्न पर हमारे प्रधानमन्त्री कम से कम उन मामलों पर जो पहले हुई बातचीत में तय हो गए थे, तत्काल पहल करके अपना विचार तय करना चाहिए और अकालियों से अपील करनी चाहिए कि सहयोग के लिए आगे आएं और यदि वे आगे नहीं भी आ रहे तो

इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि जिन बातों पर सहमति हो गई थी उनकी घाषणा की जाए । मेरे विचार से समय रहते ऐसा कर दिया जाना चाहिए ताकि एक अन्य आसाम न बन जाए यह बहुत आवश्यक है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए ।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि पंजाब की स्थिति पर पिछली चर्चा के पश्चात से जब कुछ अन्य सदस्यों सहित मैंने प्रधानमन्त्री से अपील की थी कि बातचीत के लिए आगे कदम उठाए जाएं । इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ।

इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय दलों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए । उनको अपनी स्थिति पर विचार करना होगा । यह कैसी स्थिति है कि चंडीगढ़ के प्रश्न पर श्री दरबारा सिंह एक बात कह रहे हैं और हरियाणा में श्री भजनलाल उससे वस्तुतः विपरीत बात कह रहे हैं ? दोनों स्थानों पर इस प्रकार से भावनाओं को उछाला जा रहा है ।

भाजपा जैसे अन्य राजनैतिक दलों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्या वे भी वहां पर वही बात कर रहे हैं । जब तक सभी राजनैतिक दल इन दोनों राज्यों में अपने अपने यूनिटों के माध्यम से एक ही भाषा में बात नहीं करते और अवसर वादिता का त्याग करके एक ही तथा न्यायोचित रुख नहीं अपनाते तब तक चंडीगढ़ अथा अन्य क्षेत्रों के बारे में अथवा जल विवाद के बारे में पंजाब समस्या हल नहीं हो सकती पंजाब में सौहार्द पूर्ण वातावरण पैदा करना बहुत ही मुश्किल होगा जो कि उग्रवादियों को रोकने में सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है । शासक दल सहित सभी राजनैतिक दलों द्वारा इस बारे में बहुत कुछ किया जाना बाकी है ।

पंजाब में उत्पन्न स्थिति के बारे में हम सभी बहुत चिंतित हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि पंजाब एक अन्य आसाम बने । मुझे विश्वास है कि पंजाबी, हरियाणवी, सिख अथवा हिंदु शहीदे-आजम भगतसिंह के सम्बन्ध में, जो एक सिख था और लाला लाजपत राय के सम्बन्ध में, जो हिसार के थे, समान रूप से गर्व करते हैं । मैं नहीं समझती कि पंजाबियों और हरियाणवियों में चाहे वे हिन्दु हैं अथवा सिख, साम्प्रदायिक भावनाएं हैं और दंगा करते हैं । निश्चित रूप से एक सम्मान महान परम्पराएं उनको प्रभावित करती हैं । इसमें सिख धार्मिक परम्पराओं का प्रश्न भी है । परंतु सिख धर्म अलगावादी नहीं हैं । इस सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया, कुछ दिन श्री स्पैरो ने भी इस पहलू का उल्लेख किया था ।

इस स्थिति में यदि हम वास्तव में इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो प्रधान मन्त्री द्वारा उन मामलों पर, जिनके सम्बन्ध में द्विपक्षीय बातचीत में मतैक्य हो गया था, तत्काल पहल किए जाने की आवश्यकता है । उस मैतक्य के बारे में तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यह मेरा विचार है ।

इस दृष्टिकोण के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी पार्टी उग्रवादी गतिविधियों की

घोर निंदा करती है । धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाए रखना चाहिए । मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को उस आधार पर हल किया जाए जिसके मैंने संकेत दिए हैं ।

मैं चाहती हूं कि प्रधानमन्त्री इस प्रश्न पर शीघ्र पहल करें ।

मैं माननीय मन्त्री से कुछ प्रश्न करना चाहती हूं ।

मैं जानना चाहती हूं कि निरंकारी बाबा की मृत्यु और उस सम्बन्ध में लगाए गए आरोपों के बारे में क्या कार्यवाही की गई ? इस हत्या के अपराधियों का क्या हुआ ? मैं जानना चाहती हूं कि इस बारे में क्या किया गया है ।

क्या सरकार इस तथ्य से आवगत है कि पंजाब पुलिस का एक वर्ग उग्रवादियों को गैर-लाइसेंस हथियार दे रहा है और, वह अलग-अलग नामों से दिए जा रहे हैं । यह सिलसिला अभी भी जारी है । हालांकि यह कहा गया है कि हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं लेकिन हथियार उन्हीं के पास रह जाते हैं सभी हथियार सीधे उनके नाम पर नहीं हैं उन्हें अन्यों के नामों पर रखा जा रहा है । सरकार की सूचना क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि सरकार को मालूम है कि पंजाब पुलिस का एक वर्ग इसमें शामिल है । मैं जानना चाहूंगी कि उन अपहरणकर्त्ताओं के विरुद्ध जिन्होंने पाकिस्तान में शरण ले ली है क्या कार्यवाही की गई है ? मेरे उन सुझावों पर सरकार के क्या विचार हैं कि सभी दलों को स्वर्ण मन्दिर सहित सभी धार्मिक स्थानों की पवित्रता के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाए और एक ऐसा समाधान खोजा जाए जो सिक्खों सहित सभी धार्मिक सम्प्रदायों को स्वीकार्य हो ? ध्यानाकर्षण विवरण में दी गई ठोस घटनाओं के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है, और क्या प्रधानमन्त्री पंजाब समस्या को हल करने के लिए इस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या विचार किया जा रहा है ।

श्री जी० एस० निहालसिंह वाला (संगरूर) : मेरे ध्यानाकर्षण के बारे में क्या हुआ ? मैंने ध्यानाकर्षण प्रताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अभी आप बैठ जाइए ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : जहां तक सोलहवीं घटना का सम्बन्ध है, हमें पंजाब सरकार से एक और सूचना प्राप्त हुई है कि अपराधी ने संत जरनैलसिंह भिंडरवाले के एक अनुयायी जत्थेदार जरनैल सिंह के फार्म में शरण ली है । यह फार्म मुठभेड़ के स्थान से चार किलोमीटर की दूरी पर है । जत्थेदार जरनैल सिंह को हिरासत में लिया गया था...

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : एक व्यवस्था का प्रश्न है, जरनैल फौज के हैं या किसी चीज के हैं।...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : यह तो नाम है।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : जत्थेदार जरनैलसिंह को 20-3-1983 में हिरासत में ले लिया गया था और उसके विरुद्ध पुलिस स्टेशन जियान्दियाला, अमृतसर में कल भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : किससे पूछताछ की जा रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जत्थेदार जरनैलसिंह से, जिसे इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, न कि भिंडरवाले।

अध्यक्ष महोदय : उनके एक ही नाम हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमती गीता मुखर्जी ने कई मामले उठाए हैं। जहां तक, निरंकारी बाबा की हत्या का सम्बन्ध है, भोलासिंह एक मुठभेड़ में मारा गया था और एक मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेजरसिंह, जो कि इस मामले में घोषित अपराधी हैं और बताया जाता है कि वह अब न्यूयार्क में है। जहां तक...

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : वह न्यूयाक कैसे चला गया ? वह यहां से कैसे भाग गया ? सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य की यह जानकारी कि पंजाब पुलिस इन उग्रवादियों को गैर-लाइसेंसी हथियार दे रही है, सही नहीं है और तथ्यों पर आधारित नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। परन्तु इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हाल ही में पंजाब सरकार ने नोटिस जारी किए हैं और लाइसेंस रद्द करने के लिए कार्यवाही की जा रही है, और उन्होंने भिंडरवाले के अनुयायियों को अपने हथियार जमा करने को कहा है और महोदय क्षमा करें, वह न्यूयार्क नहीं है, गुरु नानक निवास है...

(**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कम से कम आपको मेरे प्रश्न की सराहना करनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : गुरु नानक निवास न्यूयार्क के बराबर दूर हो गया ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह क्या है ? न्यूयार्क से प्रारम्भ होकर गुरु नानक निवास

में समाप्त हो गया ? न्यूयार्क से क्या सम्बन्ध है ? शायद कोई वैचारिक सम्बन्ध है ? इन्हें हमें बताना चाहिए । यदि गृहमन्त्री इस तरह बोलते हैं तो यह खतरनाक है। किसी ने अमृतसर में शरण ली है और आप कहते हैं न्यूयार्क में...?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं जिनके प्रयत्न से मैंने अपने कटे को सही किया ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं और हथियार वापस लिए जा रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आपको विपक्ष के सदस्यों की सदन में रचनात्मक भूमिका की प्रशंसा करनी चाहिए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमने जहां तक इस समस्या के हल का सम्बन्ध है हमेशा विपक्ष के सदस्यों की प्रशंसा की है...

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्दूर) : सुनिए, सुनिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : केवल हथियारों को रद्द करने से समस्या हल नहीं होगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, पिछली बार आपको याद होगा सरकार ने यह स्पष्टीकरण किया था कि लाइसेंस निलम्बित किए गए थे और इस प्रकार हथियारों को जब्त करने का कोई प्रश्न नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय वह ऐसा करेंगे ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस बार पंजाब सरकार ने दो कार्यवाहियां की हैं—एक यह कि उनसे निलम्बित लायसेंसों के अतर्गत हथियार जमा करने को कहा जाएगा और दूसरा, जो हथियार दिए गए थे उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लाइसेंस रद्द किए जाएंगे लेकिन हथियार उन्हीं के पास रहेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : स्वाभाविक रूप से जब लाइसेंस रद्द किए जाएंगें तो हथियार जमा करने होंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए । यदि लाइसेंस रद्द किए जाते हैं और हथियार जमा नहीं कराए जाते हैं, तो यह व्यर्थ है । इससे सरकार की कमजोरी का पता चलता है। जब उन्हें रद्द किया गया था क्या उन्होंने हथियार जमा कराए भी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : हथियार उनके कब्जे में होने चाहिए ।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें रद्द किया जा रहा है। कितने रद्द किए गए हैं और जिनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं क्या उन्होंने हथियार जमा कराए हैं या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : केवल 64 लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। जैसे ही उन्हें रद्द किया जाएगा, उनसे हथियार जमा करने को कहा जाएगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यह कहने का क्या अर्थ है कि उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया जारी है या तो इन्हें रद्द कर दिया जाए अथवा न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इनका कहना है कि वे रद्द करने की प्रक्रिया में हैं।...इसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, मैं नहीं जानता।

श्री जी० एस० निहालसिंह वाला : प्रक्रिया काफी लम्बी नहीं है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमें कल ही पंजाब सरकार से यह जानकारी मिली है और, इसलिए कल और आज के बीच इससे किसी लम्बी प्रक्रिया का पता नहीं चलता है।

जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का सम्बन्ध है कि गुरुद्वारों की पवित्रता की समस्या को हल करने में, क्या हम सभी दलों और विपक्षी दलों से सलाह करेंगे, हम वास्तव में इसका स्वागत करेंगे और हम नेताओं से यह सलाह आवश्य लेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाए...

प्रो० एन० जी० रंगा : सुनिए, सुनिए।

श्री प्रकाश चंद्र सेठी , हम अवश्य ही उनकी सलाह लेंगे।

जहां तक लम्बित मामलों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि मामला सरकार के विचाराधीन हैं और हम इसकी जांच कर रहे हैं और यदि वह बातचीत के लिए आ सकें तो हम इसे बातचीत से हल करने का प्रयत्न करेंगे ; अथवा उनके और राज्य सरकारों द्वारा भी व्यक्त किए गए विचारों में हम स्वयं ही हम शीघ्र कोई निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।

श्री जी० एस० निहालसिंह वाला : मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी करवा लेते है, मैं पहले इनसे कर लूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, वह यहां नहीं है, क्या आप मुझे अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रतनसिंह राजदा ।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की बैठक बहुत कम समय में पुनः इस मामले पर पंजाब की समस्या पर चर्चा के लिए बुलाई गई है । पंजाब आज तक एक ज्वालामुखी के भुंहाने पर है । प्रत्येक भारतीय इससे चिंतित है । भारत के किसी भी भाग में, यदि कोई विवाद है तो उसका प्रभाव समस्त देश पर पड़ता है । जब हमने पिछले अवसर पर चर्चा की थी तो मैंने व्यक्त किया था कि ऐसे मामलों पर हमें दलगत सिद्धान्तों से ऊपर उठना होगा और एक राष्ट्रीय राय उत्पन्न कर हल ढूंढ़ना होगा । मेरी शिकायत यह थी कि यदि सरकार ने पहले ही पंजाब समस्या के बारे में राष्ट्र की राय जानने का प्रयत्न किया होता तो मेरा विचार है कि स्थिति इस सीमा तक न बिगड़ती ।

अब महोदय, जो कुछ भी हुआ हो लेकिन यह बात बहुत दुर्भाग्यशाली है और अत्यधिक निराशाजनक है कि समस्त पंजाबी संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक भाग—जो पंजाब के बाहर इतनी प्रभावशाली है लेकिन स्वयं अपने आप में विघटनकारी हो गई है । महोदय, हिन्दू कहते हैं हम पंजाबी भाषा को मान्यता नहीं देते हैं।... **(व्यवधान)**

साम्प्रदायिक दुर्घटनाओं को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए । सिख कहते हैं कि यह नहीं हो सकता है। यदि कुछ हिन्दू यह कहते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सारे हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यहां तक कि कुछ सिख भी यह कहते हैं कि हम हिंदु विरासत को नहीं मानते हैं । यह भी गलत है ।

महोदय, हाल में हुई घटनायें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं । विश्वास की कमी या जो कुछ हुआ है उसे कोई भी देशभक्त स्वीकृति नहीं देगा । हमें कुछ हल ढूंढना है, जहां तक समस्याओं का प्रश्न है, लगभग सभी धार्मिक मांगें मान ली गई हैं और मैं समझता हूं कि कुछ हद तक स्थिति सुधर जानी चाहिए थी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्र और जल के प्रश्न के भी समाधान है, क्षेत्र संबंधी मांग आयोग को सौंप देना चाहिए और जल के बटवारे संबंधी प्रश्न को एक न्यायाधिकरण को सौंप देना चाहिए जोकि नदी जल विवाद न्यायाधिकरण अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करेगा ।

महोदय, प्रत्येक समस्या का समाधान है । और यदि हम सभी मिलकर निर्णय करें तो राष्ट्रीय सहमति बनाई जा सकती है । सौभाग्यवश, वहां अच्छा बातावरण था, सरकार ने विरोधी दलों को भी बुलाया था । त्रिपक्षीय बातचीत हुई थी । उससे सौहाद्रता और पंजाब की समस्या के समाधान के लिए लिए अच्छा बातावरण बना था । कुछ हद तक सामाधान हो चुका था । हमें यह मानना पड़ेगा कि—गृह मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि विरोधी दल की भूमिका रचनात्मक थी विरोधी दलों की भूमिका उत्प्रेरक थी और सारी समस्या समाप्त हो गई थी और पूर्ण मतैक्य

था। हाल ही में जो कुछ हुआ है वह बहुत ही चिंताजनक है। हिंसात्मक घटनाओं की सभी ने निंदा की है। विभाजन का कोई प्रश्न नहीं है परन्तु सभी अकाली हिंसक नहीं है। वे हिंसा में विश्वास नहीं करते परन्तु कुछ उग्रवादी सारी स्थिति को बिगाड़ रहे हैं और धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है कि पंजाब में आज यह सबसे बड़ी समस्या बन गई है। क्या इन समस्याओं के समाधान के लिए हम हम साहस करेंगे ? समस्या का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं ? सबसे पहले पंजाब के सभी दलों और सभी लोगों के सहयोग से वातावरण तैयार करना पड़ेगा। वे खुद निर्णय करें। वे स्वयं यह घोषणा करें कि हम किसी भी परिस्थिति में हिंसा के समक्ष नहीं झुकेंगे और न इसका समर्थन करेंगे।

हिंसात्मक कार्य लोगों के एक छोटे से वर्ग ने किए हैं। यह वर्ग अपराधियों को धार्मिक स्थानों में पनाह दे रहा है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मन्दिर, मस्जिद गुरुद्वारे गुंडों के आश्रयस्थल बन गए हैं और ये असामजिक तत्वों और उन अपराधियों के मिलन स्थल बन गए हैं।

हमें मामले की जांच करके यह निर्णय करना चाहिए कि किसी भी धार्मिक स्थान में अपराधियों, असामाजिक तत्वों और जिनके विरुद्ध अपराध के मामले चल रहे हैं और जिनके विरुद्ध न्यायालय के वारंट जारी है, पनाह देने की अनुमति नहीं होगी। और यदि सभी धार्मिक स्थान पर लागू होता है तो इन लोगों को यहां पनाह लेने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा। इस दृष्टि से मैं हिंसा की निंदा करता हूं। हमें हर कीमत पर धार्मिक स्थानों की पवित्रता और शान्ति को बनाए रखना है अतः हमें इस हिंसा की निंदा करनी चाहिए।

इसके साथ ही हमें एक बात पर और विचार करना पड़ेगा। हमारे सदन जोकि सर्वोच्च विधायी निकाय है, को सभी धार्मिक स्थानों के प्रमुखों को यह कहना होगा कि वे इस बात का ध्यान रखें कि धार्मिक स्थानों में इन अपराधियों को ऐसे व्यक्तियों को जिनके विरुद्ध वारंट जारी हैं या असामाजिक तत्वों को पनाह न मिले और गुरुद्वारों, मंदिरों या मस्जिदों में इनकी बैठकें न हों यदि ऐसा कर दिया जाता है तो यह समान रूप से सभी धार्मिक स्थानों पर लागू होगा, और इनकी पवित्रता, शान्ति और धार्मिक वातावरण बना रखेगा।

अब इसके बारे में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आज पंजाब में कोई कानून और व्यवस्था है ? मुझे बताया गया है कि वहां लोगों के पास बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के हथियार हैं। सरकार क्या कर रही थी ? सरकार सो रही थी। क्योंकि सरकार सो रही थी इसलिए वहां हिंसा फैली। इससे आग में भी डल गया। पंजाब की समस्या तथा इन घटनाओं के अतिरिक्त यह मुख्य प्रश्न है। सरकार कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही है। इस सम्बन्ध में सरकार क्या करती रही ? जब भाषण दिए जा रहे थे, हिंसा भड़काई जा रही थी तो सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी, उन्होंने उस समय कोई कार्यवाही नहीं की। उस समय उनके कानों में जूं तक नही रेंगी। लोगों को और बढ़ावा मिला उन्होंने हिंसा भड़काने और

बढ़ावा मिला महोदय, मुझे इस बात का नहीं पता कि गृह मन्त्री को यह जानकारी है कि पंजाब की पूरी सीमा पर तस्करी होती है । समाज के कुछ नेता भी इस तस्करी में शामिल हैं। उनकी कुछ जीपें पकड़ी गई हैं । यदि सरकार सावधान होती है तो वे इस बात का पता लगा सकते हैं कि लोग पंजाब की सीमा पर किस प्रकार नियमित रूप से तस्करी कर रहे हैं । सरकारी इसको रोकने में पूरी तरह असफल रही है । तस्करी इसका एक पहलू है। परन्तु कुछ अन्य बातें भी हुई है। आज ऐसी स्थिति है, यह उचित समय है और सरकार को चाहिए कि वह स्थिति से निबटने के लिए कुशलता पूर्वक ठोस कदम उठाए । आप पूछेंगे कि कुशलतापूर्वक का आशय क्या है ? मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि ऐसी पेचीदा तथा नाजुक समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय जनमत तैयार करना होगा । अब सरकार ने बातचीत की है । यह अच्छी बात है । गृह मन्त्री ने बताया है कि शीघ्र ही त्रिपक्षीय बैठक होगी जिसमें विरोधी दलों को बुलाया जाएगा और फिर पंजाब की समस्या के समाधान के लिए वे मिलकर प्रयास करेंगे ।

क्या सरकार धार्मिक पवित्रता का जहां तक सम्बन्ध है, धार्मिक स्थानों को अपवित्र करने और धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग के इस विशेष मामले पर चर्चा चलायेगी ? सभी धार्मिक मतावलम्बियों के साथ आराधना स्थलों के दुरुपयोग किए जाने के बारे में एक चर्चा आयोजित की जानी चाहिए'''सभी धर्मों के लोगों से इस बारे में सहयोग मांगा जाना चाहिए कि कम से कम इन धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाये और उनकी पवित्रता कायम रखी जाये । यदि पंजाब और सारे भारत की चेतना को जाग्रत किया जाए । तो इस समस्या का हल निकालने में दूरगामी परिणाम निकलेंगे,

अब क्या सरकार सामान्य विचार विमर्श से एक आचरण संहिता तैयार करेगी और इस बारे में विभिन्न राजनैनिक दलों से सुझाव आमंत्रित करेगी ? मेरा पहला प्रश्न सभी धन विलम्बिमों को आमंत्रित करने और एक आचरण संहिता तैयार करने के बारे में है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सभी राजनैतिक पार्टियों को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी जो इस चर्चा में भाग ले सकते हैं, और जो अपने रचनात्मक सुझाव पेशकर कर सकते हैं उनको एक मत हो जाना चाहिए ताकि अब आगे से पूजा के स्थलों का दुरुपयोग करना रोका जा सके? इसके अतिरिक्त जहां तक राजनैतिक पहलू और अन्य समस्याओं का सम्बन्ध है एक त्रिपक्षीय बार्ता आयोजित की जानी चाहिए और सरकार को यह देखना चाहिए कि प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री यथा शीघ्र कार्यवाही करें तथा उन्हें बिना और समय बर्बाद किए तुरन्त चर्चा शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि पंजाब में किसी समय भी कुछ हो सकता है । यदि हम एसा नहीं कर पाए तो मेरा विचार है इतिहास हमें क्षांफ नहीं करेगा । इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार सभी धर्मों के प्रमुखों से बातचीत शुरू करेगी और एक आचरण संहिता तैयार करेगी ताकि धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग न हो तथा पूजा स्थलों का भी दुरुप्रयोग न हो । क्या सरकार उनके साथ त्रि-पक्षीय बार्ता का आयोजन शुरू होगी ताकि वहां पर अन्य और भी जो गमस्यायें हैं वे शीघ्र और भाई चारे से सुलझाई जा सके ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देताहूं जिन्होंने हिंसा की भर्त्सना करने के अतिरिक्त धार्मिक और पूजा के स्थानों पर शांति बनाए रखने और राष्ट्रीय चेतना के निर्माण के लिए सुझाव दिए हैं इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं गुरुद्वारों की धार्मिक पवित्रता कायम रखने और उनमें कोई अपराधी न घुसने देने तथा वहां पर अवैध हथियार न रहने देने के लिए केवल वह ही नहीं, अपितु सारा सदन इस मामले में एक मत है। इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम विरोधी दलों के सदस्यों और नेताओं से अवश्य सलाह मशविरा करेंगे जहां तक सभी धर्मों के प्रमुखों के सुझावों का सम्मन्ध है मैं बता चुका हूं कि हमने ये प्रश्न पहले ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सामने रख दिए हैं। जहां तक शिरोमणि अकाली दल और अन्य धार्मिक स्थानों का सम्बन्ध है मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी मस्जिद अथवा मन्दिर में किसी अपराधी को शरण दी गई हो, यहां तक कि पंजाब से बाहर के गुरुद्वारों के बारे में भी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। केवल पंजाब के कुछ गुरुद्वारों के बारे में ही ऐसी शिकायतें मिली हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि सभी धर्मों के प्रमुख एक स्थान पर इकट्ठा होकर कोई निकाले तो मुझे आशा है मनोवैज्ञानिक रूप से यह बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर रहा हो अथवा नहीं यदि पूजा स्थलों के बारे में हमारा मतैव्य हो, तो मेरा विचार से यह बहुत उपयुक्त है।

श्री रतन सिंह राजदा : यह वस्तु स्थिति को और ऊंचे स्तर पर ले जाने की बात होगी और उस स्तर पर पहुंचने के बाद हम मतैव्य करके समस्या को हल कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका सजेशन क्या है ?

श्री एस० निहालसिंह वाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बकाफियत रखता हूं मैं इस बारे में कुछ बात करना चाहता हूं मैं एक मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : क्या मैं उनको उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जैसा सजेशन इनका है वैसा उनका भी है।

श्री जी० एस० निहालसिंह वाला (संगरूर) : स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। शायद आपने भी उस जगह को देखा होगा। आज गुरुद्वारे की पवित्रता की बात आई है—गुरुद्वारा दरबार साहिब के दो एनरेंसेज हैं, उनके अन्दर जो दाखिल हो जाता है, वह गुरुद्वारे में दाखिल समझा जाता है। उसके बाद मंजी साहब है जहां ओपन-कांफरेंसें होती हैं। सब लोग जूते पहन कर या उतार कर आते हैं, उनके पास क्या होता है, क्या नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद मार्किट आती है, जिसमें हर चीज की दुकानें हैं। फिर एक सड़क आती है। उसके उस पार

तेजासिंह समुद्री हाल है जहां इन्होंने एक फाइव स्टर होटल की तरह का गुरु नानक निवास बना लिया है। हालांकि वह इसमें नहीं आता है, लेकिन रौब-दाब से कहते हैं कि वह गुरुद्वारे में है उसमें दाखिल नहीं होने देंगे। अननैसेरिली उसको गुरुद्वारे का हिस्सा बना लिया है। इसके मुताल्लिक साफ होना चाहिए—वह गुरुद्वारे का हिस्सा नहीं है।

अकाली एजीटेशन से पहले यह जो भिंडरवाले की गड़बड़ चलती थी, 9 सितम्बर, 1981 को लाला जगतनारायण का कत्ल हुआ। 1981 के बाद बहुत-सी वारदातें हुई और आहिस्ता-आहिस्ता भिंडरवाला और अकालियों का प्रोग्राम इकट्ठा हो गया और इन्होंने आकर गुरु नानक निवास, यानी उसी बिल्डिंग में जिसको मैं गुरुद्वारा नहीं मानता, उसमें पनाह ले ली। वहां से बैठकर इनका आपरेशन चलता है, लड़ाई लड़ी जाती है। मगर मैं गवर्नमेंट से एक बात पूछना चाहता हूं—इस भिंडरवाले को हीरो किसने बनाया, यह बिलकुल हमारी तरह का आदमी था। यह मेरे जिले का रहने वाला है, मेरे हल्के का रहने वाला है, इसको दूसरे गांव का भी आदमी नहीं जानता था। 30 साल मुझे पोलिटिक्स में हो गए हैं, मैं भी नहीं जानता था। इस गांव का रोड्डा मेरी कांस्टीचुएन्सी में है। मैं पूछना चाहता हूं—इसको हीरो किसने बनाया? जब गवर्नमेंट ने, जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया, चौक मेहता में बम चले, वहां कैजुलिटीज हुई, मौतें हुई, डी० आई० जी० को अन्दर दाखिल नहीं होने दिया, डैड-बाडीज नहीं दी गई, गुरुद्वारे में ही उनकी दफना दिया गया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई बात नहीं। भिंडरवाला लाला जी के केस में एरेस्ट किया गया, एरेस्ट करने के बाद अजीब किस्म की बातें हुई, जो किसी जम्हूरियत में या किसी राज में नहीं हो सकतीं, उसको एक एरेस्ट हाउस में ले जाया गया। इतना ही नहीं कोर्ट उसके पास जाए, जेल में वह जो मांगे उसको दिया जाए, उसके बाद उसको केस से रिहा कर दिया जाए, कोर्ट की कोई कार्यवाही न हो।

जब किसी को इतनी रियायत दी जाय, सरकार उससे डर जाय, जो कुछ उसकी मर्जी हो वह कर सके, तो फिर उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं. आप समझ सकते हैं। आज वह वहां अपनी पैरलल स्टेट बनाए बैठा है। उसके पास जो आर्म्ड-आदमी हैं, वे आर्म्ज कहां से आए? किस अफसर ने दिए, कहां से उसके लाइसेन्स रिकमेंड हुए। 100 लाइसेन्स एक एस० एस० पी० ने कारबाइन्ज के दिलवाए। आज पंजाब उस जगह पहुंच गया है कि शायद बड़ी मुश्किल से पंजाब को बचाया जा सके, क्योंकि उनके हौसले इतने बुलन्द हो गए हैं, शायद सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी सरकार इस काम को कर लेगी उतना ही देश के हक में है।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं 1981 से यह गड़बड़ चलती है, लोगों का कत्ल करके गुरु नानक निवास में चले जाते हैं। चीफ मिनिस्टर का रोज बयान निकलता है—चौथे फलोर पर असलाह बनता है, बम बनता है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं—असलाह बनता है, बम बनता है, तो फिर क्या और लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, उनको पकड़ने के लिए? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? यदि नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए और उनको नोटिस देना चाहिए।

यदि सरकार कोई और हल महसूस करती है तो वह हल निकाले। खाली यह बयान दे देना कि वहां बम बनते हैं, कारतूस बनते हैं,कातिल रहते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, दखल नहीं दे सकते, इससे लोगों को और डराना है। कल को वे एक और बिल्डिंग भी खड़ी कर लेंगे। उसमें दस हजार आदमी रख लेंगे और उसको फौज का नाम दे देंगे। उस जगह को भी वे गुरु गोविन्द सिंह गुरुद्वारा या निवास नाम दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये लोग गुरुद्वारों का नाम बदनाम करते हैं। सरकार ने अब तक इसके बारे में अपना साइण्ड अप्लाई नहीं किया है। यह वह ठीक कहती है कि वे लोग गुरुद्वारों के नाम का नाजायज फायदा उठाते हैं।

अभी जो वाकया हुआ मानावाल ड्रेन ब्रिज पर, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि भिंडरवाला का क्या करेक्टर है। उस वाकये में एक हरदेव सिंह का मर्डर हुआ। वह 29-30 साल का नौजवान था और वह एक रिटायर्ड सूबेदार का लडका था। जिस गांव का वह लड़का था उस गांव से उसे निकाला हुआ था। उसके घर वालों ने उसे निकाला हुआ था। उसके वाल्दान उसके साथ नहीं थे। जिसके वाल्दान अपने लड़के को बुरा लड़का समझते हों और जिसको घर से निकाला हुआ हो, उसको सन्त भिंडरवाला बहुत पवित्र समझता है। एस० जी० पी० सी० का प्रधान उसका जुलूस निकालते हैं उसको दफनाने के लिए, जिसमें कि उसके वाल्दान शामिल नहीं होते हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इसमें किसका हाथ है और इन सब बातों का क्या हश्र होगा ?

आप यह भी अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस पार्टी का क्या हाल है।

सरकार को अब तक जितना ध्यान देना चाहिए था, उसने उतना ध्यान नहीं दिया है। मैं एक छोटी-सी मिसाल आपको देता हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट ग्रिवांसिज कमेटी में नहीं जाता हूं। लेकिन स्पीकर साहब मैंने यह महसूस किया कि मैं कुछ सवाल भेजूं। मैंने डी० सी० को एक चिट्ठी लिखी कि आप यह पता करें कि डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशनों में कितने बदमाश रिकार्ड पर हैं और उनमें से कितनों के पास लाइसेन्स हैं। मैंने उनको यह भी कहा कि अगर उनके पास लिस्ट न हो तो अगली मीटिंग तक मैं उनको लिस्ट भेज दूंगा। मुझे डी० सी० साहब कहते हैं कि उन्होंने दस केस पकड़ लिए हैं और उनके लाइसेन्स कैंसिल कर दिए हैं।

मेरे कहने की मुराद यह है कि क्या यह पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वह पुलिस कप्तान, डिप्टी कमिश्नर या पुलिस ब्टेशन वालों से बदमाशों की लिस्ट मांगकर उनके लाइसेंस कैंसिल करे ? सही लोगों को लाइसेन्स मिलते नहीं हैं।

मैं एक ही बात कहता हूं कि अब तक सरकार ने बड़ी ढील दिखाई है। खुदा के वास्ते अब इस बात में ढील न दिखाओ। आपको जो कुछ करना हो वह करो, नहीं तो मैं समझता हूं कि इसकी आपको और हमको बहुत कीमत अदा करनी पड़ेगी।

मैं अर्ज करता हूं कि आप कोशिश करके, पंजाब का फैसला करा दो ; अगर फैसला नहीं

होता है तो यूनीलेटरल फैसला सुना दो। आपको यह गलतफहमी है कि लोग पंजाब में अकालियों के साथ हैं। पंजाब में 12 हजार 8 सौ गांव हैं। कोई ऐसा गांव वहां नहीं होगा जहां कि पांच-सात आदमी बेरोजगार या फिजूल नहीं होंगे। वे भी इन्तजार में रहते हैं कि उन्हें मौका मिले और वे जेल जाएं। क्योंकि वहां उन्हें खाना भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी, शराब भी मिलेगी। इस तरह लोग ऐसे मौके के लिए तैयार रहते हैं। हर गांव में आपको 8-10 आदमी ऐसे मिल जाएंगे। अगर उनकी शेजोरिटी होती तो सरदार बूटा सिंह, मैं या स्पेरो साहब 12 लोग यहां नहीं होते।

एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। एक आदमी को मैंने पूछा, जिसकी कि मूंछ कटी हुई थीं, कि मुझको वोट दोगे, मैं भी सिख हूं ? उसने कहा कि मैं तो पंथ को दूंगा। मैंने कहा कि तुम्हारी तो मूंछ कटी हुई है। उसने कहा कि मेरी तो कटी हुई हैं लेकिन मैं पंथ की कैसे कटा दूं ? इस किस्म के लोग भी वहां हैं।

मैंने वाजपेयी जी से उस दिन भी अर्ज किया था कि वे मुगालते में न रहें कि अगर उन्होंने अकालिकों के साथ बिगाड़ ली तो उनका नुकसान हो जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हम दाढ़ी वालों के बीच में कहां से आ गए ?

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : तो मैं यह अर्ज करूंगा कि होम मिनिस्टर साहब जल्दी से जल्दी पंजाब का फैसला कर दीजिए और इन लोगों का भी कुछ न कुछ फैसला करिए ताकि ये जो रोजमर्रा की पंजाब में गड़बड़ी होती है यह समाप्त हो। पंजाब बहुत प्रास्परस स्टेट है, बहुत अनाज पैदा होता है। इसको खराब न होने दें। यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : अब बताइए कि उस एस० पी० का क्या बना जिसने 100 लाइसेन्स दिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, श्री निहाल सिंह वाला ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। (**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिणी) : सबसे पहले वे बात को स्वीकार करें। पापों को स्वीकार किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : उनके कथन से सत्तापक्ष की ओर से दिया गया उत्तर समझा जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : श्री भिंडरवाला का निर्माण इन्होंने किया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि पिछले कुछ समय से कुछ उदारता बरती गई थी जिसके कारण भिंडरवाला "हीरो" बन गया। भूतकाल में जो भी गलती हो

गई हो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिला देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा इस सदन में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए हम पंजाब सरकार से यह कहने की कोशिश करेंगे कि वे इस मामले को सख्ती से निबटायें ।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) आप केवल उनसे अनुरोध करने का प्रयास करेंगे ।

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : हम उनसे कहेंगे ।

श्री रतन सिंह राजदा : यह ठीक है ।

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : महोदय, जहां तक सुझाव··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : और आपको उनका समर्थन भी करना चाहिए ।

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : जी, हां । अच्छा सुझाव है ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें मजबूत भी बनाया जाना चाहिए ।

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : जहां तक प्रो० मधुदण्डवते के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि धार्मिक प्रमुखों को बुलाया जाय मेरे लिए यह निश्चय कर पाना कठिन होगा कि वास्तव में किस मस्जिद और किस मन्दिर का व्यक्ति धार्मिक प्रमुख है या मैं किस शंकराचार्य को आमंत्रित करूं और···

(व्यवधान)

श्री चंद्र जीत यादव : (आजमगढ़) यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे और अधिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी । **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप सीधे भगवान से सलाह ले सकते कि वास्तव में उसका प्रतिनिधि कौन है । **(व्यवधान)**

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : हम इस प्रश्न को यहीं तक सीमित करें कि···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आपके पास आना पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : जब लोग गुस्से में होते हैं, वे भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं ।

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : जहां तक विरोध पक्ष के सदस्यों का सम्बन्ध है मैं उन्हें अवश्य सूचित करूंगा । मैं उन्हें आमन्त्रित करूंगा, उनके साथ सलाह मशविरा करूंगा और कुछ निर्णय लूंगा जिसकी यहां घोषणा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात है ।

श्री सत्य नारायण सिंह—अनुपस्थित

श्री बापू साहिब पारुलेकर—अनुपस्थित

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : उसके स्थान पर दूसरे सदस्यों ने बोल लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, धन्यवाद, अब श्री बूटासिंह ।

कार्य मंत्रणा समिति

बयालिसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटासिंह) मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा 19 मार्च 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के बयालिसवें प्रतिवेदन से सहमत है"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है

"कि यह सभा 10 मार्च 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे ।

श्री दलबीर सिंह

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सोन नदी के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता

श्री दलबीर सिंह (शडोलह) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में ओरियन्ट पेपर मिल्स अमलाई से बहाए गए विषाक्त पानी के कारण सोन नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है । इसमें क्षारीय पदार्थ फैंका जाता है जैसे कास्टिक सोडा, कार्बन डायसल्फाईड, सोडियम सल्फेट आदि पदार्थ होते हैं ।

1319. (श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

विषाक्त पानी नदी में छोड़ा जाता है जिसमें कास्टिक लाइम स्लज आदि भी हो जाता है इससे आसपास के रहने वाले लोगों को पीने व सार्वजनिक उद्योग के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा , इतना ही नहीं बल्कि इस पानी को पीने से हजारों मवेशी मर चुके हैं व साथ ही विभिन्न प्रकार की गैसें तैयार होकर वायु मण्डल को दूषित करती हैं जिससे आसपास में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य में दिनोंदिन बुरा असर पड़ रहा है। इससे क्षेत्रीय जनता में बड़ा रोष व्याप्त है। 24 मार्च 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 453 में माननीय विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी राज्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में इसे सही माना है। सम्बन्धित मन्त्रालय यह निर्देश दे कि वे उन पर पाबन्दी लगावें कि वे सोन नदी में विषाक्त जल न छोड़ें।

(दो) हिमाचल प्रदेश में गिरिबाटा पन बिजली परियोजना के पास दूसरे बांध का निर्माण

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : हिमाचल प्रदेश में गिरिबाटा जब विद्युत योजना पूरी हुई काफी समय हो गया है परन्तु इसके साथ जो दूसरा बांध लगाना था उसकी रूपरेखा पूर्ण होने के उपरान्त भी अभी तक इस पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह स्थान जिला सिरमौर के रेनका तहसील के जटावन स्थान पर स्थित है। जहां से गिरिबाटा योजना शुरू हुई थी।

हिमाचल राज्य की अपनी धनराशि से बनी हुई जल विद्युत योजना में सबसे बड़ी योजना है। इसका विधिवत शिलान्यास देश की प्रधान मन्त्री जी ने किया था और यहां पर जो लोगों को विश्वास हिमाचल राज्य की ओर दिलाया गया था।

इस योजना के पूर्ण होने पर जठावन में ही दूसरा एक बड़ा बांध लगाया जाएगा जिससे बिजली की क्षमता बढ़ेगी और लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। लेकिन अभी तक इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और न ही इसके लिए धन का प्रावधान किया गया है। लोगों में इस बात के लिए बहुत अत्यधिक निराशा है, इस योजना को जिसे कि पूरा करने का आश्वासन दिया गया था अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

मैं इस सम्बन्ध में भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय से निवेदन करूंगा कि जिला सिरमौर में यह जल विद्युत योजना क्रियान्वित कराने हेतु भारत सरकार की ओर से अधिक से अधिक धन-राशि देकर इस योजना को सुचारू बनाने हेतु धन का प्रावधान करें।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी मांग करूंगा कि विद्युत योजना हेतु जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का बंटवारा हुआ है। इसमें राज्य सरकार को 2.7% रायल्टी मिलती है जबकि उसके हिस्से में 7.19% होती है।

मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि बकाया धनराशि का भुगतान राज्य सरकार को

कराया जाए और भविष्य में 7.19 प्रतिशत रायल्टी की दर से प्रावधान कराया जाए ताकि हिमाचल सरकार की आर्थिक दशा सुदृढ़ हो सके ।

(तीन) **दक्षिण में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए एक वृक्षारोपण-कार्यक्रम**

श्री के० अर्जुन (धर्मपुरी) : दक्षिण में वर्तमान समय में सूखा पड़ने का एक मुख्य कारण उस क्षेत्र में समन्वित वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए योजना की कमी है, एक प्रमुख पर्यावरण विशेषज्ञ ने हाल में चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण भारत में बड़ी मात्रा में किए जा रहे हैं वनों के कटान को शीघ्र नहीं रोका गया तो वहां पर थार-किस्म का रेगिस्तान बन जाने की संभावना है । अगर राज्यों ने यथाशीघ्र वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू नहीं किया तो दक्षिणी राज्यों विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में प्रतिवर्ष सूखे का प्रकोप बढ़ता जाएगा । खेती योग्य भूमि और औद्योगिक एककों के लिए जमीन की तलाश में सघन उष्ण कटिबन्धी वन धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं । इस बात का भी उल्लेख दिया जा सकता है कि अमेजन के उष्ण कटिबन्धी जंगलों में वनों के कटान के कारण ब्राजील के सामने भी ऐसी ही समस्या आई थी । यदि वर्तमान डर पर वनों का कटान और पानी का अन्धाधुन्ध प्रयोग जारी रहा तो दक्षिणी भारत शीघ्र थार-क्षेत्र की तरह बन जायेगा । यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि राज्य स्तर पर कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति राजनैतिक प्रभाव और वनों के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करने तात्कालिक व्यक्तिगत लाभ के लिए वन सम्पदा के स्रोतों का दोहन कर रहे हैं ।

हाल के वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों के कटान से मौसम में असन्तुलन और बारिस होने में कमी आई है, इसी कारण आज कावेरी नदी सूख गयी है ।

इसलिए स्थिति की यह मांग है कि सुनियोजित वृक्षारोपण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केन्द्र को सम्भावित राज्यों के साथ समन्वित कार्यक्रम शुरू करना चाहिए ।

(चार) **अमरेली शहर के समुचित विकास के लिए माइक्रोवेव प्रणाली को पूरा करने की आवश्यकता**

श्री नवीन रावणी (अमरेली) : एक विकास केन्द्र के रूप में अमरेली का विकास बड़ी तेजी से हुआ है । यह गुजरात में मूंगफली के तेल के उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र है । यहां पर अनेक छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग लग रहे हैं । भौगोलिक रूप से यह सौराष्ट्र के केन्द्र में बसा हुआ है । यह शहर सभी किस्म के व्यावहारिक कामों के लिए गुजरात राज्य का एक अभिन्न अंग बन गया है ।

इस शहर में माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित होने का काम 2-3 वर्ष पूर्व शुरू किया था लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है और इसकी गति बहुत असन्तोषजनक है । तत्कालीन संचार मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि माइक्रोव प्रणाली स्थापित करने का काम 1982 से पहले पूरा हो

जाएगा। इस प्रकार यहां पर माइक्रोवेव प्रणाली के बिना इस शहर में टेलीवीजन और दूर संचार के काम का विकास नहीं किया जा सकता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि जैसे महत्वपूर्ण शहरों से इस शहर को केवल माइक्रोवेव प्रणाली ही जोड़ सकती है। जब तक यह सम्पर्क नहीं जोड़ा जाता है। अमरेली शहर का विकास अवरुद्ध रहेगा। माइक्रोवेव प्राणाली के अभाव में इस शहर के उद्योग, व्यापार, शिक्षा और संचार को नुकसान होता रहेगा।

इसलिए मैं माननीय संचार मन्त्री से इस महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान देने और अमरेली शहर में माइक्रोवेव प्रणाली के काम को पूरा करने का अनुरोध करता हूं ताकि यह शहर अपने समुचित विकास के लिए राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके।

(पांच) दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व परिसर को स्थापना करने और यमुना पार के क्षेत्र में दो और कालेज खोलने की आवश्यकता

श्री रतन सिंह राजदा (दक्षिणी बम्बई) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व का निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

पूर्वी दिल्ली यमुना पार के क्षेत्रों की जनसंख्या 15 लाख है जो दिल्ली की कुल जनसंख्या का चौथा भाग है। उसमें से अधिकांश व्यक्ति निम्न मध्य वर्ग की आमदनी की श्रेणी के हैं। लेकिन इस क्षेत्र में केवल दो कालेज हैं इससे बहुत अधिक संख्य में छात्र और छात्राओं दोनों को बहुत अधिक कठिनाइयां हो रही हैं। क्योंकि उन्हें प्रतिदिन दूर-दूर के कालेजों में जाना पड़ता है।

उस क्षेत्र के लोगों की बहुत समय से यह मांग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्वी परिसर स्थापित किया जाए और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अधिकांश कालेज यमुना-पार के क्षेत्र में खोले जायें।

अब नया शिक्षासत्र शुरू होने वाला है इस मामले में शिक्षा मंत्रालय को कार्यवाही करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर आगामी शिक्षा सत्र में दो और कालेज, एक छात्रों और एक छात्राओं के लिए खोले जायें।

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : आपको अपने वक्तव्य से जो आपने अध्यक्ष महोदय को दिया था, बाहर नहीं जाना चाहिए।

(छः) देश के विभिन्न भागों में पड़ा सूखा और उन क्षेत्रों में राहत कार्य

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, देश में सूखे के कारण व सरकारी इमदाद व किसान को खेती के लिए जरूरी चीज में लापरवाही के कारण बिजली व पानी का न मिलना देश में घोर अकाल आया। आज देश के 50 प्रतिशत लोग मौत और जिन्दगी के बीच लटक रहे

है । कुछ मामूली गेहूं तथा सरसों की फसल जो थी, नहर के पानी न मिलने के कारण और ट्यूबैला को बिजली न मिलने के कारण हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्त र प्रदेश और राजस्थान का इलाक भी जहां पैदावार ज्यादा होती थी बहुत कम पैदा होने की संभावना है । कल और परसों की दो दिन की तेज हवा ने किसानों की खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है और बिजली की चमक से चने की फसल बिल्कुल खत्म हो गयी है । इस आपति से भयंकर फसलों को क्षति पहुंची और महा-अकाल की हालत हो गयी है । अब भी सरकार अगर फसलों को बचाना चाहती है तो बिजली ट्यू-वबैलों को 24 घंटे दे और नहरे चलें जो फसलें बिजली और हवा से खराब हुई हैं उनकी जांच करायी जाय और किसानों को मुआवजा दिया जाय । देश के सूखाग्रस्त इलाके में इमदादी काम शुरू किए जाए और किसानों की वसूली हर किस्म की बंद की जाये ।

यह चित्र यहां रख जाऊं क्या ?

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : नहीं, नहीं, हमने तो देख लिया ।

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री गंगवार जल उनका नाम पुकारा गया था वे यहां पर नहीं थे। माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब उनका नाम पुकारा जाय वे उस समय यहां पर उपस्थिति रहें ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मैं कानपुर से आ रहा हूं ।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : कभी-कभी गाड़ी लेट हो जाती है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : रेल मन्त्री जिम्मेदार हैं ।

(सात) संबंधित पक्षों के अनुरोध पर और न्यायालय के स्वविवेक पर सम्मानों का समाचार पत्रों में प्रकाशन करने के लिए उपबन्ध करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1976 में संशोधन करने करने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, सन् 1976 में तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने व्यवहार प्रक्रिया में संशोधन करते हुए उसकी व्यवस्था (आर्डर) 5 में एक नए नियम का 20 (1-क) के रूप में समावेश कर साप्ताहिक समाचार-पत्रों को अदालती सम्मानों के प्रकाशन से वंचित कर दिया कि अदालती सम्मन केवल दैनिक समाचार-पत्रों में ही प्रकाशित किए जायेंगे ।

उक्त संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि अदालती सम्मानों को संबंधित पक्षकार दैनिक या साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशन के लिए अनुरोध करता था और न्यायालय निर्णय करता था कि वाद विषय को देखते हुए सम्मन का प्रशान दैनिक या साप्ताहिक पत्र किस में उचित है, उसी के अनुसार सम्मन प्रकाशित होते थे । यह व्यवस्था व्यावहारिक एवं न्याय संगत थी और किसी को कोई आपत्ति होने का कारण नहीं था ।

उक्त 1976 के संशोधन से निम्न आय वाले वादकारों विशेष रूप से लघु कृषकों व साप्ताहिक समाचार-पत्रों की विशेष हानि हुई है। साप्ताहिक समाचार-पत्रों की आय का छोटा सा यह स्रोत भी सूख गया है तथा गरीब काश्तकारों व वादकारों को जिनको अपनी भूमि अथवा अन्य सम्बन्धित राजस्व वाद करने होते हैं, उन्हें अधिक धन व्यय कर के साप्ताहिक समाचार-पत्रों के स्थान पर दैनिक समाचार पत्रों में सम्मन छपवाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। संशोधन से पूर्व साप्ताहिक समाचार-पत्रों में जो सम्मन 30 से 60 रुपए तक में छप जाते थे उन्ही के दैनिकों में अब 150 से 250 रुपए अथवा इससे भी अधिक देने होते हैं। इस भारी व्यय के कारण अधिकतर लोग कलक्टरी दावे करने में घबराने लगे हैं। न्याय हित में छोटे कृषकों व निम्न आय के वादकारों व साप्ताहिक समाचार-पत्रों की रक्षा करना आवश्यक है।

अतः मैं जन हित में विधि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उक्त नियम में निम्न प्रकार संशोधन करने की कार्यवाही करें :—

"संबंधित पक्षकार की प्रार्थना पर न्यायालय के निर्णयानुसार साप्ताहिक अथवा दैनिक समाचार-पत्रों में, जैसी परिस्थिति हो, प्रकाशित किए जायें।"

रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प, अनुदानों की मांगें (रेल), 1983-84, अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1982-83 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1980-81—जारी

सभापति महोदय (श्री एफ० एन० मोहसिन) : अब हम श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी द्वारा रखे गए संकल्प पर चर्चा करेंगे, श्री जैनुल बशर, अपना वक्तव्य जारी रखेंगे।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, कल मैं पूर्वोत्तर की रेल गाड़ियों के विलम्ब से चलने के बारे में बता रहा था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक महत्व पूर्व एक्सप्रेस और मेल गाड़ियां बिलम्ब से चल रही हैं वे एक या दो घंटा ही नहीं, 8 से 10 घंटे तक विलम्ब से चल रही हैं।

श्री राम अवतार शास्त्री : इससे भी ज्यादा विलम्ब से चल रही है

श्री जैनुल बशर : हां, इसके भी ज्यादा विलम्ब से चल रही है ; इस बीच माननीय मन्त्री रेल गाड़ियों के समय पर चलने पर ध्यान दे रहे हैं इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेलगाड़ियों की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाय।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि छपरा-वाराणसी मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज में बदला जाय, एक बहुत विशाल जनसंख्या और सम्वाददाता सम्मेलन में तत्कालीन रेल मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने इस बात की घोषणा की गई थी। सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। मुझे बताया गया है कि इसे मंजूरी के लिए योजना आयोग के पास भेजा जायेगा। मुझे विश्वास है कि रेल अधिकारियों अथवा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को योजना आयोग के पास भेज दिया होगा।

मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि इस काम को। यदि इस वर्ष शुरू किए जाने वाले कामों में शामिल नहीं किया जा सकता है तो कम से कम अगले वर्ष शुरू किए जाने वाले कामो में शामिल कर लिया जाय।

इसके बाद में पूर्वी क्षेत्र की रेलों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जिसका एक भाग मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में दिलदार नगर एक बहुत बड़ा स्टेशन है। मैं पिछले तीन वर्षों से रेल मन्त्री से अनुरोध कर रहा हूं कि पूर्वी रेलवे के छानापुर डिवीजन के बक्सर स्टेशन को मिलाकर इसे जिला स्टेशन का दर्जा दे दिया जाय। दिलदार नगर को जिला मुख्यालय से एक शाखा लाइन जोड़ती है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार से बहुत बड़ी संख्या में यात्री जौनपुर से रेलगाड़ी पकड़ते हैं।

महोदय, मैं रेल मन्त्री से जो लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं के प्रति बहुत संचेत हैं, से अनुरोध करता हूं कि दिलदार नगर स्टेशन को बक्सर स्टेशन के बराबर का दर्जा दिया जाय और सभी 'फास्ट' और 'सुपर फास्ट' रेल गाड़ियां उस स्टेशन में रोकने की व्यवस्था की जाय।

महोदय, 5 या 6 वर्ष पूर्व पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन के मादापुर रेलवे स्टेशन का 'फ्रेंज स्टेशन' के रूप में दर्जा बढ़ाया गया था। लेकिन अभी तक प्लेट फार्म को नहीं बढ़ाया गया है और न उस स्टेशन में यात्रियों के लिए सुविधा का विस्तार किया गया है, मैंने भूतपूर्व रेल मन्त्री से भी इस बारे में चर्चा की थी उन्होंने बताया था कि इस काम को 1982-83 के वित्तीय वर्ष में शामिल कर लिया गया है।

लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। उसी डिवीजन के बाराकलान रेलवे स्टेशन के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इस स्टेशन का भी फ्रेंज स्टेशन के रूप में दर्जा बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसका काम भी शुरू नहीं हुआ है। मेरे चुनाव क्षेत्र के ये छोटे-छोटे काम है जिनके बारे में मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय उदारता पूर्वक विचार करेंगे।

महोदय, मैं एक समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके बारे में एक माननीय सदस्य ने अपनी राय व्यक्त की है। यह यात्री डिब्बों का कारखाना स्थापित करने के बारे में हैं। किन्हीं

माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है कि इस यात्री डिब्बों की फेक्ट्री को गोरखपुर में स्थापित किया जाय और कुछ अन्य सदस्य अनुरोध कर रहे हैं कि इस फेक्ट्री को इलाहाबाद में लगाया जाय।

महोदय, अब मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं। मैं रेल मन्त्री से अनुरोध कर रहा हूं कि फेक्ट्री को वाराणसी में स्थापित करना चाहिए। दूसरे दिन डी० एल० डब्लु के नजदीक वाराणसी में भूमि अधिग्रहण के बारे में प्रश्न उठाया गया था।

वाराणसी में डी० एल० डब्लु के समीह डिजिल उपकरण संयंत्र स्थापित किया जाना था। लेकिन कुछ ऐसे कारणों से, जिनकी मुझे जानकारी नहीं है, फेक्ट्री को वाराणसी से पटियाला ले जाया गया और मेरे माननीय दोस्त श्री जाफर शरीफ ने मुझे बताया कि यह निर्माणाधीन थी। आपने पहले ही भूमि का अधिग्रहण किया हुआ है, जमीन की वहां पर कोई दिक्कत नहीं है और दूसरे दिन 'विचाराधीन' और 'निर्माणाधीन' के बारे में चर्चा हुई थी। मैं दोनों रेल मन्त्रियों से अनुरोध करता हूं कि इस यात्री डिब्बे की फेक्ट्री को डी० एल० डब्लु के नजदीक किसी स्थान पर स्थापित किया जाय जिसके लिए वहां जमीन उपलब्ध है और यह इलाहाबाद तथा गोरखपुर के बीच में भी है। मेरे विचार से मेरे इलाहाबाद और गोरखपुर के मित्र इस बात का बुरा नहीं मानेंगे यदि इस फेक्ट्री को वाराणसी में खोला जाय।

इन शब्दों के साथ मैं रेल मन्त्री का, रेलवे की कार्य कुशलतायें में सुधार लाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, पूरा समर्थन करता हूं और मेरे विचार से सारा सदन उनका समर्थन करने में मेरा साथ देगा। धन्यवाद

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मेरा पहला निवेदन यह होगा कि रेल मन्त्री तथा उनके जवाबदेह अधिकारी जितने भी यहां कट-मोशन्स, कटौती के प्रस्ताव पेश किए गए हैं, उनको वे ठीक से अध्ययन करें। उनमें जो उनके बस की बात है करने की, उसको पूरा करें। बाकी के बारे में सदस्यों को जानकारी दें कि क्या स्थिति है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कटौती के प्रस्ताव 300 है, कोई एक या दो नहीं है।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : पिछले साल वाले हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : कुछ पालिसी की बात है। हम लोग कटौती प्रस्ताव तैयार करने में मेहनत करते हैं, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आप सभापति की ओर देखिए।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं आपकी तरफ भी देखता हूं।

दूसरी बात रेल हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। यह हम सभी मानते हैं। इसका विकास होगा तो देश का भी बिकास होगा। रेल के जरिए हम उद्योगों को खड़ा करने के सामान ले जाते हैं व्यापार करते हैं, लोगों को इधर से उधर ले जाते हैं। इसका महत्व अपनी जगह पर बहुत बड़ा है, इसीलिए रेलवे के अन्दर साढ़े सात हजार करोड़ रुपए की पूंजी है। इसके महत्व को समझकर ही इसके लिए पूंजी की व्यवस्था की गई है। 17 लाख रेल मजदूर काम करते हैं और वे कोशिश करते हैं कि रेलों के जरिए देश की सेवा करें।

जब देश के लिए 17 लाख मजदूर सेवा करते हैं, तो जाहिर बात यह है कि इस व्यवस्था को ठीक से चलाना चाहिए और इसकी आमदनी को बढ़ाना चाहिए। आमदनी बढ़ाने में यह नहीं होना चाहिए कि गरीबों पर आप किराया बढ़ा दीजिए। अगर आपको मुनाफा हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुनाफे के नाम पर गरीबों पर आप चोट मत कीजिए। धमनियों पर आप चोट कीजिए, लेकिन धनी लोगों को आप छोड़ देते हैं। बराबर इस सदन में हम बात कर चुके हैं कि जिनकी जेब में पैसा है, उस पर आप टैक्स लगाइए, लेकिन गरीबों पर मत लगाइए।

दूसरी श्रेणी में चलने वाले ज्यादातर आम लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, गरीब मजदूर हैं—आपने इन पर किराया बढ़ा दिया। भाड़ा 4 अरब 88 करोड़ 90 लाख का बढ़ाया और 57 करोड़ की छूट दी है। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि दूसरे दर्जे में किराया बढ़ाना ही खत्म कर दीजिए। उसको समाप्त कर दीजिए। जो आपने प्रस्ताव रखा है, उसी में शामिल है, सीजन टिकट वाले...

आचार्य भगवान देव : फ्री-टिकट।

श्री रामावतार शास्त्री : फ्री-टिकट आप कहिए, मैं नहीं कहता हूं।

इसके साथ ही जो आपने 11 हजार करोड़ रुपए की मांग योजना आयोग से की है, वह आपको मिलना चाहिए। पूरी पार्लियामेंट को जोर लगाना चाहिए कि वह रुपया योजना आयोग आपको दे क्योंकि यह मन्त्रालय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो कोई कारखाना नहीं चलेगा, कोई व्यापार नहीं चलेगा, कोई तरक्की नहीं होगी, सब पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे—उनका उद्धार नहीं हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा यह भी निवेदन होगा कि सरकार आपसे लेती क्यों है लाभांश के नाम पर, डिवीडेंड के नाम पर, बल्कि सरकार को स्वयं आपको देना चाहिए। आप के द्वारा सरकार को पैसा दिया जाए, इसको मैं उचित नहीं मानता हूं। वह पैसा आपको अपने पास रखना चाहिए, रेलवे की तरक्की के लिए। बल्कि आपको जरूरत हो तो सरकार को अपने रिवेन्यू से आपको देना चाहिए।

मैंने अभी आपके सामने यह निवेदन किया कि रेलवे की हालत क्या है, इसकी पूंजी कितनी है और कितने लोग रेलवे में काम करते हैं।

अब मैं रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में कहना चाहता हूं। वे लगातार हो रही हैं। 16-3-1983 को कलकत्ते में हुई। आप कहते हैं कि 15 आदमी मरे, उधर के लोग कहते हैं, 200 मरे इसका लेखा-जोखा लीजिए। आप ने सुन लिया है—आपकी सिक्योरिटी, सेफटी लौर पंक्चुएलिटी तीनों में से कोई नहीं चल रही है। गाड़ियां 16-16 घंटे लेट चल रही हैं। सेफटी भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। तीनों को सख्ती के साथ अमल में लाइए और जो अधिकारी आपके साथ इस काम में सहयोग न करें उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। रेलवे बोर्ड को हम लोग बराबर सफेद हाथी कहते हैं, इसको ठीक हैं कीजिए, पुनर्गठित कीजिए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें। वे पार्लियामेंट के मेम्बरों की बात न सुनें, क्या यह आपको पसन्द है, लेकिन वास्तव में हो ऐसा ही रहा है।

डकैतियों का जहां तक सम्बन्ध है, आपने देखा एक महिला के बारे में जिक्र किया गया है, 17-3-1983 को एक महिला का शीलहरण किया गया, साथ ही उसको मार भी दिया गया। डकैतियों और चोरियां रेलों में बढ़ती जा रही हैं। इसे विशेष रूप से देखना चाहिए तथा इस के रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आपकी 37 हजार यात्री कोच ठीक अवस्था में नहीं हैं। खुद रेल मन्त्री जी कहते हैं कि रेल व्यवस्था घोर संकट में है। आज 40 हजार वैगन्ज ऐसी हैं जिनके रिप्लेस करने की जरूरत है। 14 हजार किलोमीटर रेलवे लाइन का नवीकरण होना है तथा छठी योजना के अन्त तक 20 प्रतिशत के और ज्यादा बीमार हो जाने का खतरा है। यह बात आपके रेल सुधार आयोग ने कही है। इस की तरफ ध्यान जाना चाहिए। ऐसा न हो कि काम बीच में ही रुक जाए।

भ्रष्टाचार को रेलवे से मिटाइये। आज रेलवे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अगर इस को ही आप ठीक कर लें तो आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा।

समय बहुत कम है, हमारा ध्यान कैजुअल मजदूरों की तरफ जाना चाहिए। अभी भी 2 लाख मजदूर ओपन-लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन के हैं जो कैजुअल हैं, इसकी तरफ ध्यान दीजिए रेल मजदूर मांग कर रहे हैं कि "पैरिटी-इन-वेजज" होना चाहिए। जब तक यह न हो 150 रु० इन्टेरिम रिलीफ दीजिए। डी० ए० रूल का 14(2) को समाप्त कीजिये। इसको आप कब तक ढोना चाहते हैं? उनको डी० ए० दीजिए। रनिंग स्टाफ के हजारों लोग अभी भी आपकी दी हुई सजा भुगत रहे हैं, उनको माफ कीजिए तथा ट्रांसफर में सही पालिसी अमल में लाइये।

पटना में गंगा नदी पर पुल बनाने का मामला 1975 से स्टडी हो रहा है। यदि कछुए की चाल से चलता तो भी पूना से लौट कर आ जाता, लेकिन मुझे दुख है कि उस दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा है। पटना गया लाइन को दोहरी लाइन बनाइये।

सोनभदा गाडी को प्रतिदिन चलाइये । उसमें केटरिंग की व्यवस्था कीजिए । आपने कहा है कि रात भर की गाड़ी है । यदि ऐसा है तो आज एक्सप्रैस में यह कैसे सम्भव है ? इसलिए उस गाड़ी में पेन्ट्री कार दीजिए । तिनसुखिया को दानापुर में रोकिए, क्योंकि वह मिलिट्री का हैडक्वार्टर है ।

पटना से हावड़ा के लिए नई गाड़ी दें । मैंने सुना था कि आप करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है । आरा-सरसराम लाइन को बडी लाईन में बदलिये । इसका सर्वे होकर पड़ा हुआ है । फतुहा-इस्लामपुर छोटी लाईन को सरकार ले और इसके कर्मचारियों को रेलवे में शामिल करे । ट्रांशिपमेंट मजदूरों को बड़ी परेशानियां और दिक्कतें हैं । उनकी परेशानियों और दिक्कतों को आप दूर कीजिये । फेरी मजदूरों की ओर ध्यान दीजिये तभी वे महसूस करेंगे कि जो नये मन्त्री जी आए हैं, गनी खां चौधरी साहब आये हैं, वे कुछ करना चाहते हैं ।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि मैंने जो मांगें रखी हैं, उन पर आप ध्यान दें । हम आपको हिन्दी में पत्र लिखते हैं लेकिन आप हमें अंग्रेजी में जवाब देते हैं । आफिशियल लेंगुएज एक्ट के मुताबिक आपको हमें हिन्दी में जवाब देना चाहिए । वैसे आफिशियल लेंगुएज एक्ट का काम रेलवे में अच्छा हो रहा है, यह मैं जानता हूं । वहां और भी अच्छा काम होना चाहिए।

श्री बी० आर० नहाटा (मंदसौर) : मैं रेलवे की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं माननीय रेल मन्त्री ने कहा है कि यह बजट पुनर्वास का बजट है । श्री केदार पांडे और अन्य भूतपूर्व माननीय मन्त्रियों ने भी रेलवे के पुनर्वास के बारे में बात की । किन्तु यदि हम बजट में सारणी दो को देखें तो हम देखते हैं कि चल स्टाक पर व्यय कम हो गया है ।

इसी तरह पैसेन्जर ट्रैफिक में संख्या इस प्रकार है :

1980-81	27,290
1981-82	27,434
1982-83	27,251

अन्य वाहनों में इसकी संख्या इस प्रकार है :—

1980-81	8,289
1981-82	8,230
1982-83	8,060

वैगनों में यह संख्या है :—

1980-81	4,05,185
1981-92	4,00,185
1982-82	3,92,349

इससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि यात्री डिब्बों अथवा वैगनों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे पास विकसित 4 पपियों के वैगनों के बावजूद 210 मिलियन टन माल का यातायात था।

इसलिए रेलवे की कार्य क्षमता बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक माननीय मन्त्री का वकतव्य क्रियान्वित नहीं हो सकेगा तब तक लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है और रेलवे को पुनर्वासित किया जाता है। रेलवे को और अधिक निगरानी, क्षमता और कठिन कार्य करने की आवश्यकता है।

श्री पांडे ने कहा है कि पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे पास 50,000 वैगन होंगे। किन्तु इन तीन वर्षों की अवधि में हमने केवल 14,000 वैगन प्राप्त किए हैं और वैगनों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। आप अपने आश्वासन को कैसे पूरा कर रहे हैं? माननीय मन्त्री को कठिन परिश्रम करना होगा। उनकी जिम्मेदारी रेलवे में सुधार करने की है। यह काम बहुत जरूरी है, यह देखा जाएगा कि चल स्टाक पर 83-84 के लिए रखा गया प्रावधान 82-83 के अपेक्षित प्राक्कल से कम है जैसे कि सारिणी तीन में दिखाए अनुसार रेल लाइनों को बदलने पर विद्युतीकरण पर 546.16 करोड़ रुपए से 496.16 करोड़ रुपए, 108 करोड़ रुपए से 90 करोड़ रुपए और 51 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए है। हम इसे कैसे पूरा करेंगे, यह विचारणीय मामला है।

छठी पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना में प्रधानमन्त्री ने कहा है कि सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के लोगों में असंतुलन नहीं रहेगा और सबका एक समान विकास होगा।

मध्य प्रदेश देश के हृदय में बसा हुआ है। यह एक बहुत बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 4,42,000 वर्ग कि० मी० है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 13.7 प्रतिशत है। इस राज्य को रेलवे के लिए अनुदान 13 प्रतिशत की अपेक्षा 7 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश को विकास के लिए गुजरात तथा राजस्थान तथा कई अन्य राज्यों से कम अनुदान मिल रहा है। इसके बावजूद वहां कृषि संसाधन, जल संसाधन और ताप बिजली उत्पादन तथा खनिजों की सबसे अधिक सम्भावना है। देश में विशालतम वन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। किन्तु उनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

रेलवे का मूलभूत ढांचों के बारे में क्या लक्ष्य है ? रेलवे के इन्फ्रा-स्ट्रक्चर का लक्ष्य इसे देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहिए । मध्य प्रदेश एक राज्य है । वहां दो वर्ष पहले गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी 57.73 प्रतिशत थी और आज 58.73 प्रतिशत है। हम पिछड़ गये हैं, इन वर्षों के दौरान आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 10 से 12 कि० मी० के अतिरिक्त एक भी रेलवे लाइन नहीं बनाई गई है । यहां तब कि सर्वेक्षण के सम्बन्ध में हमारे राज्य में कोई काम नहीं हुआ है । वहां कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि जब हम रेलवे के विस्तार की बात सोच रहे हैं, रेलवे को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा है कि हम रेल लाइनों को बदलने का कार्य नहीं कर रहे हैं, और यह काम नहीं होगा । मैं माननीय मन्त्री की इस बात पर पूर्णत: सहमत हूं कि रेल लाइने नहीं बदली जानी चाहिए । लेकिन इसे प्रयोग के रूप में अपनाना चाहिए । देश में 44 प्रतिशत छोटी लाइनें हैं । यदि आप 44 प्रतिशत छोटी लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलते हैं तो इसमें कई वर्ष लगेंगे और इससे बहुत कम लाभ मिलेगा । इस कार्य में हमारी कई समस्याएं होंगी । इसलिए छोटी रेल लाइनों में सुधार करना अधिक महत्वपूर्ण है और इस पर उचित ध्यान देने की जरूरत है ।

हम फिर यह कहते हैं कि हम निरन्तर चलने वाली परियोजनाओं को आरम्भ करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे । किन्तु हम नई परियोजनाएं भी शुरू कर रहे हैं । हमें रेलवे के विकास के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने चाहिए और हम उसके एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाहिए जैसे कि समय समय पर हो रहा है । मैं श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री पांडे जी और श्री सेठी जी द्वारा दिए गए रेलवे के सफल बजट भाषणों का संदर्भ दे सकता हूं । यह चौथा रेलवे बजट है जो श्री गनी खां चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आप देखेंगे प्रतिवर्ष उनमें परिवर्तन होते हैं और हम निरन्तर चलने वाली परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश राज्य के पास एक रेलगाड़ी जो जबलपुर से दिल्ली जाती है और जो भारत की राजधानी तथा मध्य प्रदेश की राजधानी को जोड़ती है, के अतिरिक्त एक भी पैसेन्जर रेलगाड़ी नहीं है । वहां अन्य राजधानियों और अन्य राज्यों को जोड़ने वाली रेलगाड़ी नहीं हैं । मैं नहीं जानता कि इसकी क्या वजह है । मध्य प्रदेश, जो एक पिछड़े राज्य है, की उपेक्षा क्यों की जा रही है ? यदि आप मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आप मेरी बात मानिए कि इससे सम्पूर्ण राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुधरेगी क्योंकि आप देखते हैं कि अधिकांशत: सभी रेलगाड़ियां मध्य प्रदेश से गुजरती हैं ।

मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली तीन रेलवे हैं, दक्षिण-पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे । इन सभी रेलवे की मध्य प्रदेश में कोई नई रेलगाड़ियां आरम्भ नहीं की गई हैं ।

कई नई रेलवे लाइनें बिछाने का आश्वासन दिया गया है । मध्य प्रदेश में न तो नई पैसेन्जर रेलगाड़ियाँ और न माल गाड़ियां चलाई गई हैं और न ही वहां कोई सर्वेक्षण किया गया है । हमारी समझ में नहीं आता वे ऐसा क्यों नहीं करते हैं ? हम देश को अरबों रुपए की खनिज सम्पत्ति, वन सम्पत्ति और विद्युत सम्पत्ति दे रहे हैं । यदि आप मध्य प्रदेश की खनिज सम्पत्ति का विकास करते हैं तो सम्पूर्ण राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का विकास होगा और राष्ट्र मजबूत बनेगा ।

मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली और इन्दौर के बीच और भोपाल तथा दिल्ली के बीच रेल गाड़ियां चलाई जाएं और अन्य महत्वपूर्ण शहरों जैसे बम्बई तथा विभिन्न राज्यों की राजधानियों को इन्दौर, भोपाल और रामपुर आदि जैसे शहरों के साथ रेल से जोड़ा जाना चाहिए ।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आता हूं। मैं केवल अपने ही राज्य के बारे में नहीं कह रहा हूं । एक तरफ हम राजस्थान की सीमा पर हैं और दूसरी तरफ गुजरात की सीमा पर हैं पचास वर्षों में अजमेर खंडवा ओर काछीगुडा के बीच पाक्षिक रूप से मीनाक्षी रेलगाड़ी के अलावा एक भी रेलगाड़ी आरम्भ नहीं की गई है । यह कोयले की कमी के कारण 30 प्रतिशत समय नष्ट करती है । यहां तक कि वहां खंडवा और अजमेर के बीच चल रही रेलगाड़ी में जो एक सुविधा थी वह भी समाप्त कर दी गई । अब यह चित्तौड़गढ़ में रुकती है । मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको आंशिक रूप से पुनः चालू किया है । उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि असन्तुलन दूर किए जाने हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिमी रेलवे में अजमेर और खंडवा के बीच छोटी रेललाइन में 2 करोड़ लोगों को एक भी सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है । मैं अपने सभी साथियों, यहां तक कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथियों सहित जो इसका समर्थन करेंगे, यह कहूंगा कि मीनाक्षी रेलगाड़ी को तत्काल बिना किसी विलम्ब के नियमित रेलगाड़ी बनाया जाना चाहिए ।

अन्त में मैं एक और बात कहूंगा । मैंने श्री कमलापति त्रिपाठी के समय माननीय मन्त्री को एक प्रस्ताव दिया है कि मध्य प्रदेश जैसे मन्द्रम जिले में हमारे पास काफी औद्योगिक संभावनाएं हैं । उन्होंने हमें बोटा से नीमच बड़ी रेललाइन दी है, जो मध्य प्रदेश में मुश्किल से 15 कि० मी० है और वहां सीमेंट उद्योग के विकास की बहुत गुंजाइश है । किन्तु राजस्थान में नीमच बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच कोई रेल लाइन नहीं है । यदि वे उस लाइन को नीमच से वाया मंसूर और गोधरा तक बढ़ाते हैं तो इससे बम्बई तथा दिल्ली के बीच 86 कि० मी० की दूर कम हो जाएगी और इससे पश्चिमी रेलवे बड़ी रेल लाइन को तीसरा विकल्प मिलेगा जोकि अधिकतम

क्षमता के साथ काम कर रही है। उस क्षेत्र का विकास औद्योगिक विकास से होगा राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र का भी विकास होगा। अतः मेरा अनुरोध है कि हमें इन सभी पिछड़े क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए इस पर अवश्य विचार करना चाहिए जिन क्षेत्रों में विकास की संभावना है। इसके साथ मैं रेलवे की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति जी, मैं मन्त्री जी का ध्यान एन० इ० रेलवे की तरफ आकर्षित करना चाहता हुं उसके साथ इनका सौतेला व्यवहार रहा है अभी फिगर्स मैं आपके सामने रखूंगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा।

	(लाखों में)
वैस्टर्न रेलवे	007
एन० इ० रेलवे	1521
एन० एफ० आर०	1343
एन० रेलवे	3144

इससे यह जाहिर होता हैं कि एन० इ० रेलवे की तरफ इनकी तवज्जह नहीं है, न तो इम्प्रूव करना चाहते हैं और न ही उसको बढ़ाना चाहते हैं। एक और दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। "रेस्टोरेशन आफ एम० जी० लाईन विटविन बाघा एण्ड छितौनी"। 1982-83 तक 417 लाख रुपए खर्च हुए जबकि 578 लाख रुपए इस पर खर्च होने चाहिए थे और इस साल आपने सिर्फ पांच लाख रुपए का प्राविजन किया है मैं नहीं जानता कि यह कैसे पूरा होगा ?

"रेस्टोरेशन आफ इलैक्ट्रिफिकेशन एण्ड अदर वर्क्स फार—1982-83"

एन० आर०	423 लाख
डब्लयू० आर०	1026 लाख
एन० इ० आर०	7 लाख

आप खुद सोच सकते हैं कि बाघा और छितौनी के बीच कैसे पुल बनेगा, कैसे रेस्टोरेशन होगा ? मैं आपसे मांग करता हूं कि अधिक से अधिक धन एन० इ० रेलवे के लिए दिया जाना चाहिए।

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

दूसरी बात मैं एक्सीडेंट्स के बारे में कहना चाहता हूं। एक किताब है जिसका नाम है "रिव्यू आफ एक्सीडेंट्स ओन इन्डियन गवर्मेन्ट रेलवेज"। इससे यह जाहिर होता है। कि 1978-

1979 में 900, 1980-81 में 1013 और 1981-82 में 1130 एक्सीडेंट्स हो गए। ये एक्सीडेंट्स अभी भी होते हैं जिनके लिए आपने खुद एडमिट किया है। इसी किताब के पेज-9 पर दिया हुआ है कि 87 में से 86 कोलीजन ह्यूमन फेल्योर की वजह से हुए। मैं चाहता हूं कि आप अपने कर्मचारियों के ऊपर अनुशासन रखिए और उनको सतर्क कीजिए।

मुझे लगता है कि आपका कन्ट्रोल रेलवे कर्मचारियों पर नहीं रहा है और दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। एक्सीडेंट्स से कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं।

1979-80 में चल स्टाक और इंजनों की क्षति की लागत (रुपए लाखों में) इस प्रकार है—

रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के कारण—4150 लाख रु०, अन्य कारणों से 6 लाख रु०। 1979-80 में स्थायी क्षति की लागत रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के कारण 155.2 लाख रुपए और अन्य कारणों से 238.7 लाख रु०। 1980-81 में चल स्टाक और इंजनो की क्षति थी। लागत-रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के कारण 687.6 लाख रुपए और अन्य कारणों से 17.4 लाख रु०, 1981-82 में रेल गाड़ियों की दुर्घटनाओं के कारण 806.5 लाख रु० और अन्य कारणों से 17.8 लाख रुपए।

ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं इनसे रेलवे प्रापर्टी का और देश का नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान आपके इन तीन सालों में हुआ। आप कहेंगे कि हमारे पास साइन्टिफिक टेक्नोलाजी हैं तथा ब्रेन हमारे पास है जिससे हम इन एक्सीडेंट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। आपकी किताब पेज-13 के अनुसार 1979-80 में एक्सीडेंट 29 हुए जिसमें 174 जान से मारे गए।

ज्यादा घायल 194 तथा कम घायल 2831 हुए टोटल 4771 1980-81 में 34 गम्भीर ऐक्सीडेंट्स हुए, 172 लोग मारे गये, 216 गम्भीर रूप से घायल हुए और 399 साधारण रूप से घायल हुए। 1981-82 में 37 गम्भीर ऐक्सीडेंट्स हुए जिनमें 579 लोग मारे गये, 315 सीरियस और 517 सामान्य रूप से घायल हुए। इससे आप समझ सकते हैं रेलवे के ऐक्सीडेंट्स का क्या हाल है। बराबर मृतक और घायलों की संख्या बढ़ रही है, इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

आपने कहा है कि 22 लाख 80 हजार आदमी बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें रेलवे कर्मचारी कितने पकड़े गए? मैं अभी कानपुर गया पिछली 4 तारीख को, जिसमें मुझे रिजर्वेशन दिया गया, उसमें सब रेलवे कर्मचारी बैठे हुए थे। जब अटेन्डेंट आया तो हास देख कर ऐसे ही बैठे रहने दिया, पास पर कुछ नहीं लिखा और बाद में मुझे दूसरी

जगह सीट प्रोवाइड कर दी । उनकी औरतें, बच्चे बैठे हुए थे । वहां पर कोई रेलवे का अधिकारी बैठा हुआ था । मैंने पूछा क्या हमारी तरह इनको भी पास मिला हुआ है ? तो उसने कहा साल में पद के अनुसार इनको भी 1, 2 या 3 बार पास मिलता है । टी० टी० ई० और कंडक्टर उनके पास पर कोई ऐन्ट्री नहीं करते कि कितनी बार यात्रा की है । नतीजा यह है कि वह एक ही पास से पूरे साल भर यात्रा करते रहते हैं । हम लोगों का टिकट चेक होता है, लेकिन उनका नहीं होता और बगैर डेट डाले हुए वह साल भर उसी से यात्रा करते रहते हैं ।

मेरा ख्याल है कि सब पास होल्डर्स ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने एक बार भी अब तक यात्रा नहीं की होगी, जब कि बराबर यात्रा करते रहे होंगे, क्योंकि उनके पास पर कुछ नहीं लिखा होता है । इसलिए रेलवे कर्मचारियों को भी चेक करके उनके पास पर लिखा जाय अगर उन्होंने यात्रा की है । खाली जनरल पब्लिक को ही पकड़ने से काम नहीं चलेगा । कितने रेलवे कर्मचारियों को आपने बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा यह भी बतायें ?

एक बात मैं कई बार कह चुका हूं, एक टी० टी० ई० श्री मोहन वार्ष्णेय हमारे यहां बरेली में है जो पिछले 10 साल में एक ही ट्रेन पर चल रहा है । वह बरेली से दिल्ली वाया चंदौसी जाता है । और 3,3 बोगियां यात्रियों की भर कर ले जाता है जब कि हमारे यहां काउन्टर के एक भी टिकट इशू नहीं होता है । वह 2 रु० की स्लिपम पर यात्रियों को ले जाता है । उसने अपनी इस कमाई से आलीशान मकान बना रखा है जिसके बनाने में सारी रेलवे की प्रोपर्टी लगी है चाहे वह, गर्डर्स हों या और कोई इमारती सामान हो । विजिलेंस द्वारा जांच भी हुई । उस आदमी के ट्रांसफर के लिए कहा गया कि उसको दिल्ली जोन में ट्रांसफर कर दो । उसने फौरन अपने को यूनियन का सेक्रेटरी घोषित कर के ट्रांसफर नहीं होने दिया । उसने सबको मिला रखा है, हजार दो हजार रु० देकर लोगों को खुश कर रखा है । सिविल कोर्ट से स्टे ले लिया । जनरल मैनेजर 5 महीने के बाद भी उस स्टे को वैकेट नहीं करा पाए । कारण यह है कि सरकारी वकील श्री राम अवतार उससे मिला हुआ है, वह बहस ही नहीं करता । वह बरेली से दिल्ली जोन आ जाय वह उस आदेश को केरी आउट नहीं करा पा रहे हैं । जब यूनियन के पदाधिकारी का ट्रांसफर जनरल मैनेजर कर सकता है तो जी० एम० क्यों नहीं इस आदमी का ट्रांसफर कर पा रहा है ? मैं जब बरेली जाता हूं तो पाता हूं कि वह उसी ट्रेन पर चलता है, उसको बदला नहीं गया । जितने शहर हैं, जो म्युनिसिपल बोर्डज हैं, उनसे अगर आपकी रेलवे लाइन पास होती है तो उन सब जगह फलाई-ओवर ब्रिज बनाने का काम आप कर दीजिए । बगैर किसी के कहे ही कर दीजिए । पीछे मैंने कहा था कि पीलीभीत का रेलवे क्रासिंग ऐसा ही है । उसका सर्वे भी आपने कराया है । वहां शाहजहांपुर, बरेली, पूरनपुर, लखीमपुर खीरी, नैनीताल, पिथोरागढ़ सब तरफ से ट्रैफिक आता है । पीलीभीत के रेलवे क्रासिंग पर अगर आप ओवर-ब्रिज बनवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

वहां लोगों को आधे-आधे घंटे और डेढ़-डेढ़ घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। यह मेरा अपना अनुभव है। मैंने 3 बार इसकी कम्पलेंट की है।

खासतौर से क्या होता है, सिगनल डाउन होता है, फाटक बन्द हो जाता है। गाड़ी चलती नहीं है, ड्राइवर वैसे ही खड़ा रहता है।

आपने बरेली से बम्बई के लिए एक डिब्बा लगा दिया है, लेकिन मद्रास के लिए नहीं लगाया है। मेरा निवेदन है कि मद्रास के लिए भी एक डिब्बा लगा दें। हिमगिरी एक्सप्रेस को भी बरेली में रुकवायें।

147-अप जो बरेली से सवेरे 4 बजे चलती है, उसको 5 बजे चलाया जाये जिससे सब पैसेन्जर आसानी से बैठ सकें और गाड़ी फुल होकर जाये। बरेली से मुरादाबाद की लाइन को डबल लाइन कराइए जिससे गाड़ियों का लेट होना बन्द हो।

मेरा सुझाव है कि बरेली से हल्दानी और बरेली से पीलीभीत दोनों जगह बड़ी लाइन करनी चाहिए। यह डिफैन्स परपजेज से भी बहुत आवश्यक है क्योंकि पीलीभीत का बार्डर नेपाल से मिलता है और नेपाल के जरिए चीन का आर्डर मिलता है।

1962 में चीन के लोग यहां आ गए थे पीलीभीत जिले में और यहां से सर्वे करके ले गए थे। पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर पाई थी। जब तक पुलिस पहुंची वह सर्वे कर के जा चुके थे। मेरा सुझाव है कि बड़ी लाइन कीजिए उससे आपकी डिफैन्स अच्छी हो जाएगी।

शारदा नदी पर घनाराघाट पर कोई पुल नहीं है इसकी वजह से आवागमन में बड़ी तकलीफ होती है। इसको बनाना चाहिए।

मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने अखबारों में देखा कि पुरानी रेलवे लाइनें जो अन-इकनामिक पड़ी हुई हैं उन पर भी गाड़ी डाल रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से मांग करता आ रहा हूं। शाहजहांपुर से पुवाया होकर मैलानी तक अंग्रेजों के जमाने में लाइन पड़ी थी। उस इलाके में 50,50 और 100-100 किलोमीटर तक कोई लाइन नहीं हैं। इस लाइन की 2,3 बार रेलवे मन्त्रालय ने छानबीन की और अन-इकनामिक कह दिया इसीलिए इसे नहीं डाला गया। जब अंग्रेजी के जमाने में कंपनी की रेल थी तब फायदा होता था और अब तो वहां आबादी हो गई है, बहुत से उद्योग-धन्धे हो गये हैं अगर अब लाइन डाली जायें तो फायदा क्यों नहीं होगा ?

मेरी प्रार्थना यह है कि बहुत साल हो गए, हम क्या लोगों को मुंह दिखायेंगे और क्या रेल मन्त्री को धन्यावाद देंगे, बूसरी जगह नई-नई रेल लाइनें डाली जा रही हैं, दक्षिण भारत में डाली

जा रही हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन कम-से-कम शाहजहांपुर से पुवांया होकर मैलानी तक जरूर लाइन डाली जाए, यही मेरी प्रार्थना है ।

आप 70,7 परसेंट पैसा सैकिंड क्लास के यात्रियों से लेते हैं । उनके लिए आप क्या कर रहें हैं ? आज भी लोग ट्रेनों की छत पर बैठकर जाते हैं । आप किसी स्टेशन पर देख लीजिए; लोग बकरी और भूसे की तरह उसमें भरे जाते हैं । क्या हमारे मन्त्री महोदय को यह देखकर दया नहीं आती कि आदमी जानवरों की तरह जा रहे हैं और जानवरों से भी बुरी हालत है, उसमें ठूंसे जा रहे हैं ।

उनके लिए पीने के पानी की सही व्यवस्था नहीं है । उनको धमकाने वाले बहुत हैं, लेकिन सुविधा देने का काम अगर आप कर दें तो बहुत अच्छा हो ।

मैं अभी कानपुर से लौटा हूं । स्टेशन पर उतरा तो एक देहाती को टिकट चैकर पकड़ने लिया । जो कपड़ा ठीक नहीं पहने हैं ? उनको तो टिकट चैकर ने पकड़े लिया लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं, वह आराम से निकल आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता । जब देखो हर जगह साधारण जनता को ही तकलीफ होती है । सब उन्हीं को चैक करते हैं और बुरा-भला कहते हैं । उनकी गालियां देते हैं । उनके लिए सुविधाएं नाममात्र की हैं ।

मेरा कहना यह है कि आप सैकिंड क्लास की गाडियों को बढ़ाइए, जिससे आम जनता, जिससे 75 प्रतिशत रैवेन्सु आता है, उसको आराम मिले और उन्हें आसाइस हो । मैं फर्स्ट क्लास के डिबेबे में आया हूं. डिब्बे में पंखा नहीं, लाइट खराब, पानी नहीं सब गन्दगी और शीशा भी गायब । न जाने हम लोगों के भाग्य में ऐसा लिखा है कि एम० पी० को ऐसा डिब्बा दो, तब यह कुछ न कुछ कहेगा । सीटें कटी हुई हैं । सैकण्ड क्लास वालों की हालत आप जानते हैं । कृपा कर इन बातों की तरफ ध्यान दीजिए ।

सभापति जी, मैं आप का आभारी हूं, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री एफ० एच० मोहसिन (मारवाड़ दक्षिण) : मैं रेल मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और श्री अब्दुल गनी खां चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं । महोदय, वे एक नए मन्त्री हैं और उन्होंने रक्षा सुरक्षा, और समयनिष्ठा का नारा दिया है जिसे सम्भवतः क्रियान्वित रने की जरूरत है ।

जब नया मन्त्री बनता है तो नए नारे भी आते हैं और हम उन्हें क्रियान्वित करना चाहते हैं । आज ये तीनों नारे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रेलगाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं, रेलगाड़ियां सुरक्षित नहीं हैं और रेलगाड़ियों में सुरक्षा नहीं हैं । ये तीनों बातें जरूरी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया है । मुझे विश्वास है कि वे इन तीनों बातों को क्रियान्वित करेंगे ।

सबसे पहले और सबसे अधिक जरूरी बात यह है कि हर जगह पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जब श्री मधु दण्डवते जनता पार्टी सरकार में रेल मन्त्री बने तो उन्होंने पेयजल के लिए मिट्टी के बरतन उपलब्ध कराने आरम्भ किए और उन्होंने इस संबंध में काफी कुछ किया। पेयजल की सुविधा हर जगह प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के सभी यात्रियों को उपलब्ध कराई गई है। किन्तु जब वे कार्यालय में होते थे, ये सब बरतन रेलगाड़ियों के अगले स्टेशन पर पहुंचने तक गायब हो जाते थे। वे सभी टूटे हुए होते थे। इसलिए पेयजल के बारे में अभी भी कठिनाई है पेयजल की सुविधा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भी नहीं है।

यद्यपि कुछ डिब्बों में पानी का टैंक रखने का प्रावधान है किन्तु कोई पानी का टैंक नहीं रखा जाता है। यहां तक कि कई स्टेशनों में पेयजल उपलब्ध नहीं है।

मैं इस मामले को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि गर्मी का मौसम शीघ्र आने वाला है और हमें इस पहली और जरूरी बात को देखना है कि सभी स्टेशनों और सभी रेलगाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था हो।

महोदय, सम्भवतः मेरे पास बोलने का अधिक समय नहीं है और मैं नहीं चाहता कि सभापति महोदय घंटी बजायें, इसलिए मैं केवल मुद्दों पर ही बोल रहा हूं।

अब मैं अत्यधिक भीड़भाड़ पर बोल रहा हूं, क्योंकि इस मुद्दे पर प्रत्येक सदस्य ने कहा है। आप जनसंख्या विस्फोट देख रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है इसलिए रेलगाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। हां, रेलगाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है किन्तु जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई है उस दर से रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। यह स्पष्ट है कि लोग रेलगाड़ियों की छतों पर यात्रा कर रहे हैं और अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं।

मैंने कई बार देखा है और कुछ लोग यात्रा करते समय गिरे भी हैं तथा अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं।

रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़भाड़ न हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

महोदय, दूसरी बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों-केन्द्र और राज्य सरकारों—को छुट्टी यात्रा रियासत सुविधा मिलती है और उनमें से कई, हजारों-हजारों लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। जिसके कारण न तो सामान्य यात्री आरक्षण प्राप्त करते हैं और न ही सरकारी कर्मचारी।

इसलिए जब तक आप और अधिक रेलगाड़ियां नहीं लगाते, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी और यह कठिनाई निरन्तर बनी रहेगी ;

आप कह सकते हैं कि रेलगाड़ियों में पहले ही अत्यधिक भीड़भाड़ है। महोदय बम्बई और कलकत्ता में, उपनरीय रेल लाइनों में मैं समझता हूं प्रतिदिन 600 रेलगाड़ियां चलती हैं। संभवत: इसमें आधुनिकीकरण करने और सिगनल प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है किन्तु ट्रंक लाइनों में मुश्किल से एक दिन में 60 रेलगाड़ियां चलती हैं। अत: यदि आप रेलगाड़ियों की संख्या भी बढ़ाते हैं, तो वे चलेंगी तो सही किन्तु इस शर्त पर कि आपके पास अत्याधुनिक उपकरण, सिगनल प्रणाली और सक्षम प्रबन्ध हो। इस तरह अत्यधिक भीड़भाड़ की समस्या का हल होगा।

अब मैं छोटी रेल लाइनों को बडी रेल लाइनों में बदलने की बात की ओर आता हूं। कई रेल मन्त्री कर्नाटक से आए हैं; इस समय भी श्री जाफर शरीफ, रेल मन्त्री, कर्नाटक से हैं। किन्तु वे कर्नाटक क्षेत्र के लिए कुछ कर सकने में असमर्थ हैं।

यह बड़ी रेल लाइन केवल महाराष्ट्र की सीमा तक पूना से मिराज तक लाई गई और वहां इसे छोड़ दिया गया; इसे कोल्हापुर शहर तक बढ़ाया गया—यह भी महाराष्ट्र में ही है। कर्नाटक के लोगों द्वारा कई प्रयास किए गए, कई लोग विरोध कर रहे हैं किन्तु छोटी रेल लाइन को बडी रेल लाईन में बदलने हेतु इसे हुबली तक नहीं बनाया गया है।

आन्ध्र प्रदेश से लौह अयस्क और मैंगीज अयस्क ले जाने के लिए गुन्टाकल से होस्पेट तक बड़ी रेल लाइन बनाई गई किन्तु इसे हुबली तक नहीं बढ़ाया गया, यद्यपि उसकी दूरी मुश्किल से 60 या 70 मील होगी। कर्नाटक क्षेत्र की पूर्णत: उपेक्षा की गई है। मन्त्री जी यह अवश्य कहेंगे कि गुन्टाकिल बंगलौर लाइन को बडी रेल लाइन में बदला गया है किन्तु पूरी लाइन आन्ध्र क्षेत्र में है न कि कर्नाटक में। बंगलौर शहर को छोड़कर सारा क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश में है। विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक की उपेक्षा की गई है। बड़ी रेल लाइन के मामले में कर्नाटक क्षेत्र की पूर्णत: उपेक्षा की गई है।

वे कहते हैं जो काम आज हाथ में है, उसे पूरा कर दें। उस स्थिति में मिराज-हुगली लाइन के परिवर्तन का कार्य कम से कम मेरे जीवन के समय तक पूरा नहीं होगा। जाहिर है, मन्त्री जी कम उम्र के हैं लेकिन फिर भी मिराज से हुबली और हुबली से हास्पेट तक इस बड़ी रेल लाइन का कार्य उनके जीवन काल तक पूरा नहीं होगा।

किराज-बंगलौर रेलवे मात्र एक ट्रंक रेलवे हैं। मुख्य लाइन, मिराज-बंगलौर लाइन, जो कर्नाटक में है, को शीघ्र बड़ी रेल लाइन में बदला जाना है। आपको रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप इसे बड़ी रेल लाइन बना देते हैं। अन्यथा आपको रेल-गाड़ियों की संख्या बढ़ानी होगी।

अब मैं नई रेल लाइन, हुबली-करवार लाइन की ओर आता हूं। हम हमेशा तटवर्ती क्षेत्र

को बात करते हैं जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। करवार महत्वपूर्ण पत्तनों में एक-एक पत्तन होने जा रहा है। यह कभी भी महत्वपूर्ण पत्तन है। किन्तु वहां कोई रेल सम्पर्क नहीं है।

इस नई रेल लाइन, हुबली-करवार के लिए कर्नाटक के लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं। उन्होंने कई बार इसके लिए आभ्यावेदन दिए हैं, कम से कम अब तो इसे शुरू कर दीजिए, चाहे वह पूरा हो या नहीं। सारा का सारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, कुछ क्षेत्र समतल भी है। अब इस कार्य को आरम्भ कर दें।

तटवर्ती लाइन स्वीकृत की जा चुकी है, किन्तु यह केवल महाराष्ट्र में चल रही है। इसे मंगलौर की तरफ से शुरू नहीं किया गया है। इसे बम्बई से दिवा अथवा इसके निकट किसी अन्य स्टेशन तक शुरू किया गया है, यह महाराष्ट्र में नहीं है, इसे कर्नाटक की ओर नहीं लिया गया है, यद्यपि कर्नाटक में व्यापक तटवर्ती क्षेत्र है।

इसके बाद हुबली-हरिदर सेक्शन की ओर आता हूं। यह मैसूर डिवीजन में है। यह हुबली से शुरू होता है। यह सारा हुबली-हरिहर सेक्शन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यद्यपि मैं हुबली का निवासी हूं, मुझे प्रत्येक छोटी-मोटी चीज के लिए मैसूर जाना पड़ता है।

क्या आश्चर्य की बात है। एक बार मैंने इसके बारे में कहा था तो मुझे कहा गया कि इस हुबली डिवीजन से यह काफी मील पड़ता है इसलिए इसे हुबली डिवीजन तक नहीं लाया जा सकता है। मेरा मतलब यह है कि उनमें से कुछ अवश्य ही कुछ अन्य डिवीजनों को स्थानान्तरित किए जाने चाहिए किन्तु हुबली-हरिहर सेक्शन को हुबली डिवीजन में शामिल किया जाना चाहिए। यह दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत आना चाहिए।

एक बार यह कहा गया था कि हरिहर स्टेशन यार्ड इतना बड़ा यार्ड नहीं है कि वह ढलाई आदि के लिए स्थान नहीं है। वहां काफी स्थान है। यदि मंत्री जी आएं और क्षेत्र का दौरा करें तो उन्हें वस्तुस्थिति का पता चलेगा। यह दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिणी रेलवे की बीच की लाइन हो सकती है;

इस मिराज और बंगलौर के बीच केवल एक रेलगाड़ी चलती है। मिराज से बंगलौर के लिए महालक्ष्मी एक्सप्रेस के अलावा कोई तेज रेलगाड़ी नहीं है।

रात को 9 बजे जब मिराज एक्सप्रेस वहां से छूटती है, तो 16 घंटे तक वहां से तेज चलने वाली कोई रेलगाड़ी नहीं होती है। पहले हरिहर से सुबह एक एक्सप्रेस गाड़ी चलती थी। किन्तु अब हुबली से बंगलौर जाने के लिए सुबह कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस एक्सप्रेस गाड़ी को फिर से चलाया जाए।

आपने कुछ गाड़ियों में डबल हेडेड इंजन आरम्भ किए हैं। मैं नहीं जनता कि आर्थिक रूप से ये कितने लाभकारी होंगे। मैं समझता हूं डबल देडेड इंजन वाली रेलगाड़ियां 21 माल डिब्बे ले जा सकती है और एक इजन वाली रेलगाड़ियां 16 माल डिब्बे ले जा सकती है।

मैं समझता हूं कि दो इंजनों वाली रेलगाडियों, जो 21 माल डिब्बे ले जाती है और जो अधिक खर्चीली है, अथवा जिन पर डीजल अधिक खर्च होता है, के बनाए इनके स्थान पर दो अलग-अलग रैलगाड़ियाँ चलाई जाएं, क्या यह उचित नहीं होगा? मैं समझता हूं दोनो रेलगाड़ियों के लिए क्षमता भी उपलब्ध है।

यदि आप सिगनल प्रणाली में सुधार करते हैं तो इस लाइन में दो पृथक गाड़ियां चलाना कठिन नहीं है। दो गाड़ियां चलाने से केवल कम कम खर्च ही नहीं होगा बल्कि यह और भी सुविधाजनक होगा और इससे अधिक यात्री भी यात्रा कर सकेंगे।

महोदय, हुबली-हरिहर सेक्शन में फाटक हैं, एका सेवानूर स्टेशन के निकट है. जिस पर आदमी तैनात है। इस सेक्शन में कुछ और फाटक भी हैं परन्तु उन पर आदमी नहीं हैं यदि उन पर आदमी रखे जाएं तो हम न केवल दुर्घटनाएं बचाएंगे बल्कि वहां हरिहर के निकट और हुबली (अशोक नगर) पर सुचारू यातायात भी रहेगा। रेलवे को वहां अपरि-पुलों का निर्माण करने पर विचार करना चाहिए अथवा भूमिगत पुल सुविधा देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन (एलप्पी) : सभापति महोदय, मेरे पास इस सदन में रखने हेतु रेलवे से सम्बन्धित अनेक मुद्दे हैं। किन्तु मैं केवल अपने राज्य की समस्याओं को ही रख रही हूं। वर्तमान रेल बजट का अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे पर अधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हम औद्योगिक और अन्य महत्वपूर्ण तथा प्रमुख केन्द्रों से काफी दूर हैं।

हमारा राज्य देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। हमारे राज्य से लाखों लोग देश के विभिन्न भागों में चले गए हैं और वे अपने राज्य में वर्ष में दो बार जात हैं। भाड़े और किराए की दरों में वृद्धि और कुछ रेलगाड़ियों को रद्द करने के कारण उन्हें अपने राज्य केरल की यात्रा चार वर्ष में अथवा इससे भी अधिक समय में करनी पड़ेगी। इससे उनके लिए अत्यन्त असुविधाजनक परिस्थिति पैदा होगी।

महोदय, हमारा राज्य घाटे का राज्य है और हमें खाद्यान्न अन्य राज्यों से लेना पडता है। अब भारत सरकार ने हमें पंजाब से चावल खरीदने का सुझाव दिया है। उसका मतलब है चावल-का लागत मूल्य अधिक पड़ेगा क्योंकि भाड़े की दरों में वृद्धि हुई है। अब आपने योजनागत परि-

व्यय में स्वतन्त्रता के बाद अब तक कितना आबंटन रखा है जहां तक हमारे राज्य में रेलवे प्राप्ति का सम्बन्ध है ? हमारे राज्य में बहुत कम रेल लाइनों का निर्माण हुआ है, जो रेल पथ अभी निर्माणाधीन हैं, उन्हें बहुत कम धनराशि आबंटित की जा रही है । उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एर्नाकुलम और एलप्पी के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य जनता सरकार के काल के दौरान आरम्भ किया गया था । पिछले वर्ष, आपने इस परियोजना के लिए दो करोड़ रुपए का आबंटन किया था और इस वर्ष आपने केवल 1.76 करोड़ रुपए का आबंटन किया है । पहले यह आशा थी कि यह परियोजना 1983 तक पूरी हो जाएगी । पिछले वर्ष, यह घोषणा की गई थी कि यह 1985 में पूरी होगी ।

अब आप कहते हैं कि इस रेल लाइन का निर्माण 1986 में पूरा होगा । मुझे आश्चर्य है कि इस दर पर यह कार्य पूरा नहीं होगा । यदि आप थोड़ी-थोडी धनराशि देंगे तो यह कार्य 1990 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा यह हालत है ।

महोदय, गत विधान सभा चुनावों के दौरान संसद में अचानक उन्होंने घोषणा की कि कयानकुलम स्टेशन से रेल लाइन के विस्तार के लिए तीन करोड़ रुपए रखे गए हैं । यह घोषणा विधानसभा चुनावों के पीछे की गई थी । किन्तु चुनावों के बाद क्या हुआ ?

मैं देखती हूं कि पिछले वर्ष 1.45 लाख रुपए खर्च किए गए और इस वर्ष उस रेल लाइन के निर्माण पर एक लाख रुपए खर्च किए गए हैं । आप चुनावों के दौरान कई आश्वासन देते हैं किन्तु उन्हें पूरा नहीं करते हैं । तीन करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई है और इसकी घोषणा सदन में भी की गई है, और अब आप कहते हैं कि उसके लिए केवल एक लाख रु० की धनराशि है । क्या यह अन्याय नही है ? वोट पाने के लिए आप कई आश्वासन देंगे, किन्तु जब आश्वासनों को क्रियान्वित करने की बारी आती है, आप कुछ भी नहीं करेंगे । यह हालत है । इस तरह की और भी कई बातें हैं ।

पिछले कई वर्षों से गुरूवपूर-कुट्टीपुरम रेल लाइन बनाने का वायदा कई बार किया गया है । जब कभी प्रधानमंत्री मंत्रियों को केरल की यात्रा हेतु कहती हैं, गुरूवयूर मंदिर की यात्रा करते हैं । किन्तु रेलवे विभाग ने गुरूवयूर मंदिर के भक्तों को यह रेल लाइन उपलब्ध कराकर उनके साथ न्याय नहीं किया है । यह काफी अधिक व्यवहार्य यूनिट है और कई बार यह वचन दिया गया है, किन्तु अब इस पर विचार भी नहीं करते । केरल में मालाबार भाग बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । आपने उस क्षेत्र के लिए कोई धनराशि नहीं रखी है । यह गुरूवयूर-कुट्टीपुरम रेल लाइन मालाबर क्षेत्र में पड़ती है और उस क्षेत्र के लिए बजट आबंटन बहुत कम है । आप इस क्षेत्र की निरन्तर उपेक्षा करते आ रहे हैं । हाल के वर्षों में भी हमने कई बार अधिकारियों को लिखा किन्तु हमारी उचित मांगों को स्थगित करने हेतु कोई न कोई बहाना किया जाता रहा है । इस क्षेत्र के लोगों के साथ जो बर्ताव किया गया है वह अन्य क्षेत्र के लोगों से भिन्न है ।

हमने कई बार अनुरोध किया है कि लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों को कुछ मिनट के लिए कुछ स्टेशनों पर रोका जाए परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला । केरल की दूसरी के० के० एक्सप्रैस और अन्य लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों को प्रत्येक 15 मील के बाद रोकते है परन्तु राज्य के इस ओर आप 30 मील की दूरी के बाद भी रेलगाड़ी नहीं रोकते । उस क्षेत्र के कुछ मंत्रियों और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण ऐसा हो रहा है ।

जैसाकि मैंने कहा कि इस बार आपने केरल राज्य को बहुत ही कम धनराशि आबंटित की है । ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में क्षेत्रवाद पनप रहा हैं । स्वतंत्रता के बाद आपने हमें हमारा देय शेयर भी नहीं दिया है । रेल बजट में हमारे लिए बहुत कम धनराशि के आबंटन से हम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं ।

समय-समय पर बहुत से अनुरोध किए गए हैं, विशेषकर मलयाली लोगों की तरफ से, कि कलकत्ता से केरल तक सीधी रेलगाड़ी चलाई जाए, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने वाले रक्षा कार्मिकों के लिए । वर्तमान रेलगाड़ियों में भी पर्याप्त डिब्बे नहीं है । हम अहमदाबाद से केरल तक एक रेलगाड़ी की मांग करते आ रहे हैं परन्तु आपने अर्कोनम से केरल तक केवल 40 बर्थ दिए हैं । आपके समक्ष बहुत से प्रस्ताव हैं परन्तु आपने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है । कम से कम क्षेत्रों के लिए कुछ डिब्बे ही दे दें । हमारे राज्य के हजारों, रक्षा कार्मिक वहां काम कर रहे हैं और अपने राज्य में आने के लिए उन्हें बड़ी कठिनाई होती है । अतः कलकत्ता से केरल तक एक रेलगाड़ी होनी चाहिए और जब तक ऐसा किया जाता है तब तक केरल आने के लिए और डिब्बे उपलब्ध कराये जाए ।

केरल के साथ किए गए सभी अन्याय को दूर किया जाए आप जोर-जोर से कहते हैं कि क्षेत्रीय असन्तुलन दूर किया जायेगा और आप सभी के साथ न्याय करेंगे परन्तु आपके कार्यों से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है ।

इसके अतिरिक्त, आप हमेशा कर्मचारियों से उम्मीद रखते हैं कि आपके नाथ सहयोग करें परन्तु आप उनके लिए क्या करते हैं ? के० के० एक्सप्रेस में खान-पान कर्मचारियों के लिए उपलब्ध स्लीपिंग बर्थ को आपने रद्द कर दिया है । कर्मचारियों के साथ आपके द्वारा किया गया यह नवीनतम कार्य है । इससे आपको सहायता नहीं मिलेगी । ऐसी चीजों को दूर किया जाना चाहिए ।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति जी, रेल मंत्रालय की इस मांग में समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । समर्थन के साथ-साथ कुछ सुझाव भी देना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है ।

सभापति जी, जब हम इस बात को देखते हैं कि कोयले की ढुलाई, खाद, सीमेंट, लोहे की

ढुलाई बहुत सराहनीय हुई है इसके लिए मन्त्री महोदय और राज्य मन्त्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर हम कोयले, लोहे की ढुलाई सुरक्षित ढंग से कर सकते हैं तो पैसेंजर्स को सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के लिए बार-बार क्यों कहना पड़ता है। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि कहीं न कहीं कोई गैप रह गया है जिससे माल की ढुलाई में एफिसिएंसी नहीं है। इसमें भी एफिसिएंसी आनी चाहिए यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपने जो नारा दिया है उसके लिए भी हम आपको धन्यबाद देते हैं।

एक चीज और आप जान लीजिए कि पिछले साल पैसेंजर्स की ढुलाई में सवा 6 परसेंट की कमी हुई है। इतने बड़े संस्थान में भय के कारण या किसी अन्य कारण से यात्री यात्रा न करे यह एक शोचनीय बात है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरा नीति विषयक प्रश्न यह है कि हम इस बात की चिंता करते रहते हैं कि बड़े शहर से बड़े शहर की ज्यादा सुविधा कैसे मिले। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कलकत्ता 16 घंटे में पहुंचेगी लेकिन पटना से सहरसा पहुंचना हो जो मुश्किल के 300 किलोमीटर का रास्ता है वहां पहुंचने में 24 से 36 घंटे लगेंगे। यह एक नीति विषयक प्रश्न है। इसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार का पूर्वांचल इलाका है। वहां ऐसा मालूम पड़ता है कि भेड़ बकरियों की तरह आदमी रेलों में लाद दिए गए हों। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आपका बजट मैंने देखा। देखने पर यह मालूम हुआ कि इसमें नई कोच फैक्ट्री के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। यह आज की डायर नेसेसिटी है। नई कोच फैक्ट्री की बहुत आवश्यकता है।

हम यह अनुभव कर रहे हैं कि रेलवे की एफिसिएंसी घटी है। लेकिन इसके कारण क्या हैं। इन कारणों में जाना होगा। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि सदियों से जो एक सिस्टम वहां आ रहा था वह था बाउंड अप्रेंटिशिप का 4 साल की अप्रेंटेशिप में प्रत्येक साल 3 महीने की थ्योरी और 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी। 1961-67 तक यह तीनों केटेगरी में व्यवस्था थी, ट्रेड अप्रेंटेशिप, आर्टीजन तथा स्पेशल क्लास अप्रेंटेशिप की। अप्रेंटेशिप एक्ट बनाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बाहर से लड़के आने लगे जिनको काम से लगाव नहीं था। इससे सारा सिस्टम बिगड़ गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि दुबारा इस व्यवस्था को कायम किया जाए और बाउंड अप्रेंटेशिप आर्टीजन अप्रेंटेशिप और स्पेशल क्लास अप्रेंटेशिप के लिए एक बिल सदन में लाया जाए और उसको पास किया जाए।

एक सुझाव और दूंगा। मेरे क्षेत्र में भी एक बड़ा भारी रेल कारखाना है। किसान का बेटा उसकी निवृत्ति के बाद उसकी संपत्ति का हकदार होता है और जीवनयापन करता है। बिजनेस

मैन का बेटा भी पिता के निवृत्त होने के बाद उसकी संपत्ति का हकदार होता है। परन्तु लोगों ने खून-पसीना एक करके अपने जीवन के 35-36 साल रेल की व्यवस्था में लगा दिए हों, उसके बेटे को अगर हम नौकरी नहीं दे सकते तो उसके जीवन में हमेशा उदासी ही रहेगी, वह स्थिर नहीं रहेगा इससे रेल की एफिशियेन्सी घटेगी। मैं चाहता हूं कि आप रेल कर्मचारियों के बच्चों को तरजीह दें जिससे उनकी बहाली हो सके। मेरा इतना ही कहना है कि रेल कर्मचारी के बेटे को नौकरी अवश्य दें।

अब मैं अपने देश के विशाल कारखानों में से एक जमालपुर के कारखानाने के बारे में बताना चाहता हूं जो कि एशिया का पहला रेल कारखाना है।

मैं नहीं जानता कि किन कारणों से यह बनाया गया था, लेकिन कुछ न कुछ भौगोलिक कारण उसके अवश्य होंगे। 1948 में जितने कर्मचारी उसमें थे, आज तक उतने ही हैं। इसी से आप अन्दाज लगा लीजिए कि उस कारखाने के साथ किस प्रकार सौतेला व्यवहार किया गया है।

मैं चाहता हूं कि जमालपुर रेल कारखाने के मजदूरों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो। वहां की कन-कन में, धमनियों में और लोगों के दिलों-दिमाग में रेल विकास का एक सरकार आ गया है कि रेल कैसे बढ़े और रेल की क्या उपलब्धि होनी चाहिए? आप हमेशा से यह कहते आए हैं कि जमालपुर के कर्मचारियों की संख्या घटने नहीं देंगे, लेकिन आप इसे बढ़ाने का प्रयत्न कहां कर रहे हैं। खड़गपुर, कचरापारा और लखनऊ में कर्मचारियों की संख्या में बढोत्तरी हो गई लेकिन जमालपुर के कारखाने में आज तक बढ़ोत्तरी नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि आप इसको गौर से देखिए क्योंकि वह ट्रेडीशनली बहुत ही अच्छी जगह है। वहां बहुत ही अच्छे और कुशल लोग है। कभी भी स्ट्राईक या हंगामा वहां नहीं होता है।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान "आनन्द बाजार पत्रिका" के एक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि बंगला में है। इसमें मंत्री जी ने कहा है कि जमालपुर कारखाने में कटौती होगी। यह समाचार की कटिंग मैं मंत्री जी को सुपुर्द कर रहा हूं जिससे वह बता दें कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। मेरा निवेदन है कि आप पटना से एक फास्ट ट्रेन चलाइए जो जमालपुर, भागलपुर और साहबगंज होते हुए कलकत्ता तक जाए। धरहरा स्टेशन के बारे में भी मैंने कई बार लिखा है इसलिए फिर निवेदन करता हूं कि धरहरा स्टेशन पर अपर इन्डिया एक्सप्रेस को दो मिनट के लिए रोक दीजिए। इन शब्दों के साथ मैं आपकी रेल मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, ऐसा लगता है कि रेलवे प्रशासन शनैः-शनैः दिशा और गति दोनों ही भूलता जा रहा है। भारत सरकार की यह मान्यता है कि पिछड़े इलाकों की तरक्की के लिए विशेष सुविधा दी जाए। आप यह अवश्य मानेंगे कि किसी

भी जगह की तरक्की का माध्यम रेल ही है। पर जब भी पिछड़े इलाके में रेल लाइन देने की बात आती है तो कह देते हैं कि सरटेन परसेन्टज तक रिटर्न हमारा नहीं आता इसलिए वहां लाईन नहीं दे सकते।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो भारत सरकार की मान्यता है, इसे आप मानते हैं या नहीं ? यदि मानते हैं तो यह आवश्यक है कि आप मूल-भूत नीति में परिवर्तन करें ताकि पिछड़े इलाके में आपको घाटा भी उठाना पड़े तो आप उठा कर रेल लाईन दे सकें तभी तरक्की हो सकती है। नहीं तो एक विशियस सर्कल बन जायेगा, न कभी लाईन देंगे और न कभी तरक्की होगी ? इसलिए, मैं आग्रह करूंगा कि आप इस ओर अवश्य ध्यान दें। इसी सन्दर्भ में मैं आग्रह करूंगा कि 1971 में जब मैं संसद में चुनकर आया तो एक 9 किलोमीटर लाईन दोरममधेपुरा-सिहेश्वर बनाने की मांग उस समय से मैंने यह बात उठाई। सन् 74 में तब के रेल मंत्री स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने कहा कि जनवरी, 76 में यह लाइन चलेगी। आज तक बारबार सर्वे हुए, पैसा खर्च हुआ, लेकिन वह लाइन नहीं बनी।

वह जगह क्या है, यह मैं बताना चाहता हूं। वहां शृंगी ऋषि द्वारा स्थापित बाबा सिहेश्वर नाथ आदि का मंदिर है। वहां की प्रशस्ति यही है कि शिवरात्रि पर एक महीने तक मेला लगता है। देश का सबसे बड़ा एलीफैंट मार्किट वह है। अगर हम बात उठाते हैं तो कहा जाता है कि रिटर्न नहीं है, घाटे की लाइन हो जायेगी। वहां की प्रशस्ति को देखते हुए वहां आपको लाइन बनानी चाहिए।

जब भी पंक्चुएलिटी और एफीशियेंट रनिंग की बात आती है तो बड़ी-बड़ी जगहों की बात कही जाती है। मैं देश के उस भाग से आता हूं जहां एन० ई० रेलवे चलती है। इस रेलवे में समय की कोई पाबन्दी नहीं है। 7, 8 और 10 घंटे तक लेट गाड़ियां चलती हैं। मैं उस क्षेत्र से इस सदन में आता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वहा पर भी एफीशियेन्सी का कोई माप-दंड रखा है या नहीं ? बड़े-बड़े शहरों में ही 80,90 परसैंट गाड़ियां टाइम पर चलेंगी या उस क्षेत्र में भी चलेंगी ?

वहां पर एक ही एक्सप्रेस गाड़ी है, जानकी एक्सप्रैस। यह कभी भी समय पर नहीं चलती है। पटना से जो कि उस प्रदेश का मुख्यालय है, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया जाने के लिए यह एक ही गाड़ी है। पटना से दानापुर, समस्तीपुर एक्सप्रेस से बरौनी जाते हैं। यह 8-20 पर बरौनी पहुंचती हैं। 5 घंटे में देश के एक भाग से दूसरे भूभाग तक जा सकते हैं। मेरा आग्रह है कि पटना से जो हमारी तरफ जायें, उनके लिये या तो आप कनेक्टिंग बरौनी से दें या उसमें कोई बोगी लगायें ताकि लोग उस फर्स्ट क्लास की बोगी में इन्तजार कर सकें, फिर गाड़ी आने पर उस बोगी को जानकी एक्सप्रेस से जोड़ दिया जाये।

एक आपने पशुपति एक्सप्रेस चलाई है जो सहरसा, नरकटियागंज तक चलती है। इस गाड़ी से मधेपुरा, पूर्णिया और वनवंखी के लोगों को कोई सुविधा नहीं है। इसे आप सहरसा से चलाने के बजाये 2 स्टेशन और बढ़ाकर तो बनवंखी से चलाए तो हमारे लोगों को भी सुविधा मिल सकती है और वहां के लोग भी समय पर पहुंच सकते हैं।

यहां कनर्वशन की बात बहुत कही गई है। आपको शायद जानकारी नहीं है, हमारे यहां एजीटेशन चल रहा है। लोग हजारों की संख्या में जेल जाते हैं। समस्तीपुर से दरभंगा लाइन को कन्वर्ट किया जाना था। उसका काम शुरू हो जाने और टेंडर होने के बाद उसे वापिस कर लिया गया। मेरा निवेदन है कि आप इसे अवश्य देखें और इस कन्वर्शन को तुरन्त स्टार्ट करने के लिए इसी समय यहां पर घोषणा करें। यही बीच का हिस्सा बच जाता है जिससे असम दिल्ली से नहीं मिल पाता। मेरा आग्रह है कि जो पहले मंजूर है, बरौनी से कटिहार का कंवर्शन, इसको पहले लें।

बिहार में सोनभद्रा के बारे में हमारे दोस्तों ने बहुत कहा है। इस गाड़ी में पैंटरी कार नहीं है। इसके बगैर सारे यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है।

थेफ्ट और पिलफेज का जहां तक सवाल है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। इसके लिए जो पैनल आफ लाईयर्स होता है, मैं समझता हूं वे लोग व्यापारियों से मिलकर रेलवे को यह एडवाइस देते हैं कि केस को लड़ना वाजिब नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि एक पैनल तीन वर्ष के लिए बनाया जाए और उसके बाद उन लाईयर्स की चेंज करके दूसरे लाईयर्स रखे जायें ताकि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स क्रिएट न हों तथा रेलवे को नुकसान न होने पाए।

अन्त में मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर आप जिन्दगी में लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो मरने के बाद ही बराबरी का दर्जा दे दीजिए। किसी हवाई दुर्घटना में मरने वाले को एक लाख और रेल दुर्घटना में मरने वाले को 60 हजार दिया जाता है। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आपने एक लाख किया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको आप तुरन्त लागू कर दीजिए ताकि अभी हाल में हुई दुर्घटनाओं में मरने वालों पर उसको लागू किया जा सके। धन्यवाद।

श्री के० एस० नारायण (हैदराबाद) : सभापति महोदय, रेलवे मिनिस्टर साहब ने इस हाउस के सामने जो डिमांड्स रखी है, उनकी ताईद करते हुए मैं आपके सामने दो-चार बातें रखना चाहूंगा।

पहली बात तो यह है कि पिछले 5-7 सालों से साउथ सेन्ट्रल रेलवे हैदराबाद में सवरवन रेलवे के एलेक्ट्रिफिकेशन का प्रपोजल यहां दिल्ली में रेलवे मिनिस्ट्री के पास भेजती आ रही है।

लेकिन न मालूम क्यों यहां उसको टर्न-डाउन कर दिया जाता है। मैं समझता हूं निजाम के जमाने में वहां पर जो रेलवे बनी थी—50, 60 या 70 साल पहले—उस वक्त जो स्टेशन्स वगैरह हैदराबाद और सिकन्दराबाद में थे, उनमें आज तक कोई इम्प्रूकमेंट नहीं किया गया है। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो सबरबन रेलवे के एलक्ट्रिफिकेशन की स्कीम हर साल साउथ सेन्ट्रल रेलवे की तरफ से भेजी जा रही है, उसको प्रापर्टी देकर मंजूर दी जाए।

हमें देखने में कुछ ऐसा लगता है कि यहां पर दिल्ली में जो रेल मन्त्रालय में बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ चार मेट्रोपोलिटन सिटीज—बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास—ही नजर आते हैं। इन चार शहरों के अलावा उनको कहीं कुछ और नहीं दीखता हैं। हमारा हैदराबाद शहर एक बड़ा शहर है, जहां की पापुलेशन 30 लाख हो चुकी है। (व्यवधान) बंगलौर भी ऐसा ही शहर है। यह शहर भी स्पेशल कंसिड्रेशन डिजर्व करते हैं। हैदराबाद में काफी प्राइवेट इण्डस्ट्रीज खुल चुकी हैं और शहर काफी एक्सपैण्ड कर चुका है इन सब बातों को मद्दे-नजर रखते हुए वहां पर एलेक्ट्रिफिकेशन होना निहायत जरूरी है। सर्कुलर रेलवे के बारे में भी एक प्रपोजल है, उसका सर्वे भी काण्डक्ट किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, ऐसा मालूम होता है कि आन्ध्र प्रदेश के अण्डर जो एरिया आता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। मौलाली से सनतनगर जो बाई-पास है वह बहुत इम्पोर्टेन्ट लाइन है।

मौलाली से सनत नगर एक बाई-पास लाइन है, जो कि 8.5 करोड़ रुपए का प्रौजैक्ट है। जिसमें आपने 92-83 में 50 लाख रुपया दिया है और 83-84 में 37 लाख रुपए का प्रावधान है, यह काम भी आपका अधूरा पड़ा है। कोई कान्ट्रैक्टर वहां पर काम नहीं कर रहा है। रेलवे लाइन का काम रुका हुआ है। लैंड एक्वीजीशन में भी काम दो करोड़ रुपए का है। एक करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और आगे के लिए 2.7 लाख रुपया दिया है। इस हिसाब से काम होगा तो आप यह काक डिकेड्स में भी पूरा नहीं कर पायेंगे। सनत नगर में न्यू गुड्स काम्पलैक्स के लिए भी 82-83 में एक हजार रुपया दिया है और 83-84 में एक लाख रुपए का प्रावधान है, जबकि कुल एमाउन्ट का प्रोजैक्ट एक करोड़ 15 लाख का है। आप समझिए इतना कम पैसा देंगे तो कितने वरस में जाकर काम पूरा होगा।

इलैक्ट्रिफिकेशन के बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं विजयबाड़ा से बलहारशाह के लिए भी उचित पैसा नहीं दिया जा रहा है। 82-83 में 18 करोड़ रुपया दिया गया था 83-84 के लिए 7.5 लाख रुपए का प्रावधान है। पैसा बढ़ाने के बजाय आप पैसा घटाते जा रहे हैं। आपको साल-ब-साल पैसा बढ़ाना चाहिए। जिससे काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। काजीपेट से सनतनगर का काम भी टेक-अष किया गया है। जो कि 28 से 30 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट है। अब तक इस पर दस लाख रुपए खर्च किए गए हैं और 83-84 के लिए 50 लाख

रुपए दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि इस काम को भी करने में आपको डिकेड्स लग जायेंगे। इसी प्रकार लालकड़ा का काम भी रुका हुआ है। इस काम के लिए पैसा भी कम दिया गया है। वेलापट्टी से बलहारशाह की लाइन डब्ल करने का काम भी रुका है। इसी प्रकार कालीपेट से सिकन्दराबाद के बीच का डब्लिंग का काम रुका हुआ है। हैदराबाद से तेतापुर के बीच भी डब्लिंग का काम रुका हुआ है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गन्तूर से माचरला कन्वर्शन का काम भी रुका हुआ है। यह 30 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट था, 82-83 में 15 लाख रुपए दिए गए और 83-84 के लिए 51 लाख रुपए का प्रावधान है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लिए दिल से प्रयास नहीं किया गया। मैं तथ्य मन्त्री जी के व्यक्तव्य से मेल नहीं खाते।

माननीय मन्त्री महोदय ने अपनी स्पीच में कहा है कि उन जगहों को प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन वे काम अभी तक भी कम्पलीट नहीं हुए हैं। गन्तूर नई रेलवे बिल्डिंग का काम भी रुका हुआ है। 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, कुछ 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं और एक हजार रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत ही कम है। 'हर जगह आप एमाउन्ट कम करते जा रहे हैं, जबकि आपको पैसा बढ़ाना चाहिए, ताकि काम समय पर पूरा हो सके। यही हालत आपकी नीजाम बाद की है. पट्नचेरु, से संगार रेड्डी और पैदापल्ली यह बैकवर्ड एरिया है, यहां का सर्वे भी किया गया है, प्रधानमन्त्री जी की कान्स्टीचूयेंसी भी है। परन्तु महोदय ऐसा लगता है कि आन्ध्र-प्रदेश के साथ पक्षपात किया जा रहा है। राज्य की प्रगति और विकास के लिए यह नई लाइन दी जानी चाहिए - परन्तु अब मुझे बताया गया है कि यह परियोजना रद्द कर दी गई है यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यह अन्याय है। अतः मन्त्री जी से मेरा अनुरोध हैं कि इस पर विशेष रूप से बिचार करें।

मैं एक बात एस एंड टी वर्कशाप जो कि मैथुडा पर है, के बारे में कहना चाहता हूं। यहां पर बहुत आदमी काम कर रहे हैं।

मैथागुडा सिग्नल वर्कशाप को सेन्ट्रल वर्कशाप बनाने का प्रपोजल था लेकिन हर साल उसका वर्क-लोड रेड्यूस होता जा रहा है और मजदूर भी कम होते जा रहे हैं। मालूम होता है उस वर्कशाप को क्लोजडाउन कर दिया जायेगा। इस लोगों तथा श्रमिकों में चिंता व्याप्त है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वे कार्य को किसी अन्य वर्कशाप में ले जा रहे हैं जहां वे कार्य नहीं कर सकते. वे गैर सरकारी व्यापारियों से काम करवाना चाहते हैं।

इस सिग्नल वर्कशाप को काफी काम दिया जाना चाहिए। उसने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। वहां पर टैलेन्ट भी है और टेक्निकल नो-हाऊ भी है लेकिन फिर भी उसको काम

नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं, क्यों ? एक बात और है। मैं रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जाफर शरीफ को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वे हमारे पर बड़े मेहरबान हैं। विकराबाद में एक ओवर ब्रिज के लिए मैं रेलमन्त्रालय से उस समय से लड़ रहा हूं जब से मैं इस सदन का सदस्य बना हूं। अब इसे इस वर्ष के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। उन्हें अभी इसके कार्य को शुरू तथा पूरा करना है। मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं।

सभापति महोदय (एन० के० शजवलकर) : कृपया अब अपनी बात को समाप्त करें।

श्री के० एस० नारायण : रेल मंत्रालय को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यह सुझाव मंत्रियों को सुविधाएं देने के बारे में है। इस कार्य के लिए केवल 45 लाख रुपये आबंटित किए गए है। मेरा सुजाब है कि इसके लिए अधिक धन आबंटित किया जाय। दक्षिण मध्य रेलवे में कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां न तो प्लेट फार्म बनाए गए हैं न वहां शौड हैं, कोई प्रतिक्षालय भी नहीं हैं और कुछ स्टेशनों पर बिजली तथा पानी भी उपलज्ध नहीं है। ये सब चीजें आप कब उपलब्ध करेंगे ? इसके लिए आप सैकड़ों वर्ष लगा देंगे। 100 वर्ष के बाद भी आप ये सुविधाएं नहीं दे पाएंगें। इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता है ? मेरा सुझाव है कि आप प्रत्येक टिकट पर अधिभार वसूल करें तथा इस धनराशि को अलग रखें और इसे केवल यात्री सुविधाओं पर ही खर्च करें। इस मामले की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा।

रेलवे स्टाफ कवार्टर्स के लिए भी अपर्याप्त फंड्स दिया जा रहा है। जहां तक हैदराबाद में हम देख रहे हैं, 40-50 सालों से ही पुराने कवार्टर्स चले आ रहे हैं।

इस सारे मामले में बिलम्ब अपर्याप्त धन राशि के कारण हुआ है। यह बात मैं पिछले 15 वर्षों में से कह रहा हूं।

मैं सिकन्दराबाद के निकट लाल गुडा में स्टाफ क्वार्टर्स का उल्लेख करना चाहता हूं। इन क्वार्टर्स में पानी के नल नहीं हैं, न ही इनमें शौचालय बने हैं, वहां फ्लश के शौचालय बनाए जाने चाहिए। मैं अपनी अन्तिम बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय (एन० के० शेजवलकर) : पिछली बात कौनसी थी ? आपने कहा था कि यह मेरी अन्तिम बात है।

श्री के० एस० नारायण : यह छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में है। मेरा विश्वास है कि सारे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश हैं जिसमें इतने किस्म की रेल लाइनें हैं, जैसे कि ब्राड गेज, मीटर गेज और नैरोगैज है या रेल लाईनों का इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है। यूरोप अफ्रीका के अधिकांश देशों में तथा पश्चिम एशिया के कुछ देशों में और यहां तक कि इंगलैंड

में भी केवल एक ही स्टैंडर्ड गेज है। हम छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में क्यों बदल रहे है। क्या यह बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है। इसके बजाय, वर्तमान मीटर जांच को सुदृढ़ बनाया जाए और इस धनराशि से आधुनिकीकरण किया जाए। इस धनराशि का उपयोग पूर्वी राज्यों या तेलंगाना में और कुछ अन्य पिछड़े क्षेत्रों में लाइनें बिछाने में किया जा सकता है।

दोस्तो, श्री सत्यनारायण राव ने भूख हड़ताल की धमकी दी है और मैं समझता हूं कि उनके समर्थन में हमें भी भूख हड़ताल करनी चाहिए। रेल मंत्री से मैं हैदराबाद से सिकन्दराबाद तक उपनगरीय सैक्शन में रेल लाइन के विद्युतीकरण की कह रहा हूं। प्रशासन में तेजी लाने के लिए मैं रेल मंत्री को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इसका अच्छा असर पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना वकतव्य समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय (एन० के शेजवलकर) : अब श्री एस० टी० के जक्कायन बोलेंगे।

श्री एस० टी० के० जक्कायन(पेरियाकुलम) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी ए० आई० एडी० एम० के० की ओर से रेल मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदान मांगों पर कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

महोदय, जब रेल मंत्री यह कहते हैं कि धनराशि के अभाव रेलवे की विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू न करने, शीघ्र रेल मार्गों के नवीकरण कार्यक्रम और रौलिंग स्टाक के ओवर-हालिंग का कार्य शुरू न करने का प्रमुख कारण तो फिर सामान्य राजस्व में रेलवे द्वारा वार्षिक लाभांश का अंशदान क्यों किया जाता है।

रेल मंत्री योजना आयोग के सदस्य नहीं हैं और इसलिए योजना आयोग रेल मंत्रालय की आवश्यकताओं के बारे में नहीं जान सकता। परन्तु वित्त, जो कि देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विश्वास में रेलवे के योगदान के बारे में जानता है, योजना आयोग का सदस्य है। वित्त मंत्री को स्वयं ही चाहिए कि वे योजना आयोग की बैठक में रेलवे की वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान इस बात की घोषणा कर दे कि रेलवे को सामान्य राजस्व में कोई धनराशि देने की जरूरत नहीं है ? ऐसा करने पर ही रेलवे अपनी विकास और पुनर्वास की अपरिहार्य परियोजनाओं को शुरू कर सकता है। यात्री किराए तथा माल भाड़े में वृद्धि से 600 करोड़ रुपये इकट्ठा करके सामान्य राजस्व में 350 करोड़ रुपए देने का क्या मतलब है ? रेलवे के इस अकारणीय प्रस्ताव को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए। रेल मंत्री को चाहिए कि वे धनराशि को विकासात्मक परियोजनाओं पर खर्च करें और सामान्य राजस्व में धनराशि देना बंद कर दें।

देश में 31 मार्च 1982 को कुल रेल मार्ग 61230 कि० मी० था जिसमें से 3895 कि०

मी० तमिलनाडु में है जो कि अधिकांश छोटी लाइन है । स्वतन्त्रता के बाद पहली बार करूर-डिंडिगल-ट्यूटी यार्न—तिरुनेलवली बड़ी लाइन मंजूर की गई और वर्ष 1983-84 के बजट इसके लिए 1.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि इस परियोजना की कुल लागत 46 करोड़ रुपए है । इस गति से रेल मंत्रालय इस परियोजना को पूरा करने में 40 वर्ष लगेंगे । उस समय तक तमिलनाडु के दक्षिणी जिले जीवित रहने के लिए कड़ा संघर्ष करते रहेंगे । रेल मन्त्री को इस परियोजना के लिए अधिक धनराशि आबंटित करनी चाहिए ।

सत्तारुढ़ दल के श्री के० टी० कोसलराम ने चर्चा में भाग लेते हुए इस बात का रोना धोना किया था कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में तमिलानाडु सरकार रेल विभाग का सहयोग नहीं कर रही है तिरुचेंडूर के विधान सभा के उप चुनाव में ए० आई० ए० डी० एम० के० सरकार को भारी मतों से विजय मिली है जबकि कांग्रेस (आई) की बुरी तरह हार हुई है यहां तक जमानत मुश्किल से बची है यह सब कुछ श्री कोसलराम के क्षेत्र में हुआ है अथवा उसके अपने क्षेत्र में इसलिये उन्होने ए० आई० ए० डी० एम० के सरकार पर आरोप लगाया है और हमारी पुरातत्रीथलेवर सरकार के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं । जब रेल विभाग मद्रास सेंट्रल स्टेशन का विस्तार करना चाहता था तो हमारी पुरातची थलेवर सरकार ने इस कार्य के लिए भूमि का तुरन्त अधिग्रहण करके रेल विभाग को सौंप दिया । करूर डिन्डिगल बड़ी लाइन के लिए भी भूमि अधिग्रहण की सभी कार्यबाही पूरी हो चुकी है और इसे शीघ्र ही रेल विभाग को सौंप दिया जाएगा । मैं आशा करता हूं कि श्री कोसलराम जैसे कांग्रेस (आई) के वरिष्ठ नेता को अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए ।

अन्डीपट्टी, थेणी, कम्बुम, कुमुली से गुजरने वाली मदुरै-कोट्टायम लाइन का इंजीनिरी सर्वेक्षण 1952 में पूरा हो गया था । आज तक यह लाइन नहीं बनी है । इस अवधि में अन्य भागों में बहुत से इंजीनियरी सर्वेक्षण हुए और वहां लाइनें भी बिछा दी गई है । परन्तु मदुरै-कोट्टायम को इंजीनियरी सर्वेक्षण अभी भी रेल विभाग के पास पड़ा हुआ है । महोदय, इस दोय में मिर्च, इलायची लौंग, काफी और चाय का उत्पादन होता है जिससे देश को लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । इन चीजों की बाजारों तथा बन्दरगाहों तक ढुलाई की समस्या है विशेषकर उस हालत में जबकि रेल लाइन भी न हो । दूसरी बात यह है कि इन क्षेत्रों में के कड़ी गेम, पक्षी बिहार, सरूली अल प्रयात, बगाईबांध आदि पर्यटन केन्द्र है । यदि इस क्षेत्र में रेल यातायात उपलब्ध कर दिए जाए तो केन्द्र सरकार को लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी । इसी प्रकार अन्डीपट्टी, सेड़ापट्टी आदि जैसे पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।

मेरी मांग है कि सरकार मदुरै-कोट्टायम लाइन के पुनः सर्वेक्षण के आदेश तुरन्त जारी करे । क्योंकि देश में "क्वीन आफ हिल्स स्टेशन" के नाम से प्रसिद्ध उद्यागामंडल क लिए एक रेल

लाइन है, तमिलनाडु में एक अन्य हिल स्टेशन कोडाईकनाल को भी मदुरें से रेल मार्ग द्वारा जोडा जाना है। मेरा सुझाव है कि कोडाई कनाल रेल मार्ग के इंजीनियरी सर्वेक्षण के तुरन्त आदेश जारी किए जाएं और सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोडाईकनाल को मदुरै से जोड़ते हुए रेल लाइन बनाई जाए।

मदुरै से तिरुनेलवेली, बरास्ता तिरुपारंकुन्द्रम और तिरुमंगलम, कोई रेल मार्ग नहीं है। सेडापट्टी और कालपट्टी पिछड़े क्षेत्र इसके निकट है और मार्ग में थोड़ा-सा मोड़ देने से उन्हें भी इस लाइन से जोड़ा जा सकता है। मेरा सुझाव है कि इस मामले में रेल बोर्ड को आवश्यकता पूर्ति कर देनी चाहिए।

मदुरै जिले में बोडीन्यायकनौर इलायची, लौंग, काफी, मिर्च आदि का व्यापार केन्द्र है। यदि पांडयान एक्सप्रेस और त्रेगाई एक्सप्रेस को मद्रास से बोडीनयाकनौर तक बढ़ा दिया जाए और बोडीनयाकनौर को टर्मिनल बना दिया जाए तो व्यापारियों को बहुत सुविधा हो जाएगी।

वक्तव्य समाप्त करने से पहले मेरी यह मांग है कि तमिलनाडु के महान कार्य-देश भक्त श्री सुब्रह्मण्यम भारती के सम्मान में नई दिल्ली से मद्रास के बीच चलने वाली जी० टी० एक्सप्रेस का नाम भारती एक्सप्रेस कर दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, रेल मन्त्री जी ने जो मांग उपस्थापित की है उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर रेलवे का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 17 लाख आदमी रेल विभाग में काम करते हैं और 11 हजार गाड़ियां प्रतिदिन लोगों को लाने-ले-जाने का काम करती हैं। फिर भी ये पर्याप्त नहीं है खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र में तो ये विशेष रूप से अपर्याप्त हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में बरौनी को छोड़कर और जगह नहीं है जहां हम पटना से अपने संसदीय क्षेत्र में दो दिन से पहले पहुंच सकते हों। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक और बड़ी गम्भीर आने वाली समस्या की ओर मैं माननीय मन्त्री जी को ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया है तब से पटना के अन्दर ऐसा लगता है कि सारा उत्तर बिहार आकर बस गया है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, चंपारण आदि सभी जगह से लोग राजधानी पटना में ही आ गए हैं। इस पुल निर्माण के समय से ही रेल विभाग को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए था। उनको योजना बनानी चाहिए थी कि 10 वर्ष के बाद जब पुल का निर्माण हो जाएगा उस वक्त शहर में कितनी यातायात की वृद्धि होगी। अभी दो पंक्तियों में सड़क है और चार का प्रस्ताव है। जब यह कार्य भी

पूर्ण हो जाएगा तो पटना शहर में आबादी का विस्फोट होगा और तब बड़ी समस्या होगी। इस आबादी का प्रभाव रेल यातायात पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि अभी से इस समस्या की ओर ध्यान दें नहीं तो स्थिति बहुत भयानक होने वाली है।

एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब से मैंने होश संभाला है तब से पटना-गया सिंगल लाइन ही देखी है। एक ही लाइन है और 4-5 घण्टे का समय पटना से गया तक लग जाता है। पटना गया लाइन रांची तक आगे जाती है। सभी सभी गाड़ियां 2-3 घंटे विलंब से पटना स्टेशन पर पहुंचती हैं गाड़ियां आउटर सिगनल पर खड़ी रहती हैं। यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए पटना गया लाइन के लिए एक साउथ स्टेशन बनाने की बहुत आवश्यकता है। गुड्स ट्रेन्स के लिए भी एक स्टेशन की बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में सुपर फास्टट्रेन्स और एक्सप्रेस ट्रेन्स भी आउटर सिगनल पर खड़ी रहती हैं। कभी-कभी तो ये द्रुतगामी गाड़ियां 8-8 घण्टे विलम्ब पहुंचती है। इस ओर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है।

एक और मुख्य बात है जो पटना में ओवर ब्रिजेज से संबंधित है। तीन ओवर ब्रिज स्वीकृत हो चुके हैं राजेन्द्र नगर, यारपुर और चितकोरा। सात वर्ष पहले ये स्वीकृत हो चुके हैं। इसके प्राक्कलन, नक्शे और तकनीकी आवश्यकताओं का काम होना आवश्यक है और प्रांतीय सरकार से समन्वय करके इसका शीघ्र निवारण किया जाना आवश्यक है। इनके अभाव में हजारों रिक्शा और बैलगाड़ियों जैसी सवारियों को घंटों रेलवे क्रांसिंग पर इन्तजार करना होता है। कई मरीज अस्पताल जाने की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कभी-कभी तो स्टेशन पहुंचने वाले लोगों की रेल गाड़ी छूट जाती है।

यह सिलसिला घन्टे डेढ़ घंटे तक होता है क्योंकि हर 15-20 मिनट में गाड़ी आती रहती है। पूरे दानापुर डिवीजन में 110 गाड़ियां चलती हैं और वहां के स्टेशन की कैपेसिटी 10 हजार लोगों की है। लेकिन देखने में आता है कि प्रतिदिन वहां 30 हजार लोग आते हैं और गाड़ियों के लिए इन्तजार करते हैं।

पटना जंकशन के अलावा महात्मा गांधी सेतु होने से उत्तर और दक्षिण बिहार का मिलन होने के बाद इसलिए अतिरिक्त प्लेटफार्म की बहुत आवश्यकता है एनक्रोंचमेंट के बारे में मैंने सभी भूतपूर्व रेल मंत्रियों को लिखा है कि इस समस्या को अवश्य दूर किया जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एनकोचमेंट की वजह से न तो रिक्शा और न गाड़ी ही स्टेशन कम्पाउड तक जा सकती है। कुछ लोगों ने एनक्रोचमेंट की वजह से आमदनी का जरिया बना लिया है। इसकी बन्दोबस्ती में स्थानीय कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ रहता है इसके लिए न कोई नियम है

और न ही कोई कानून है । मैंने खुद मोकामा स्टेशन पर देखा है और यही हालत लखीसराय में भी देखने को मिलती है । इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कहती हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान दे और स्टेशन रेलवे की जमीन के अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई नीति अपनाएं ।

दूसरी बात मैं चैन पुलिंग के लिए एरियाज आइडेन्टीफाई किए हुए हैं । जैसे-मुगलसराय से पटना तक जब गाड़ी चलती है, अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, सुबह हो जाती हैं । जब स्कूल और कालेज के छात्र गाड़ियों में आते-जाते हैं तो चैन पुलिंग के कारण काफी विलम्ब हो जाता है । जब रेल विभाग ने भी इन एरियाज को विलम्ब के लिए आइडेन्टिफायड मान लिया है तो समझ में नहीं आता कि इसके निवारण में क्या परेशानी है । 29-4-82 को यहां पूर्व रेलवे के लिए संसद सदस्यों की एक अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी यह बात उठाई गई थी ।

क्यूल और लखीसराय, जो मेरे संसदीय क्षेत्र है, वहां 6 किलोमीठर सड़क का रास्ता है और वहां एक ओवर ब्रिज है । वहां रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी डकैतियां हो जाती हैं और लोगों को लूट लिया जाता है ।

मैंने इस राम्बन्ध में मंत्री महोदय से अनूरोध किया था कि वहां सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । महा।बन्धक ने भी बैठक में इस बारे में आश्वासन दिया था । इन्होंने पत्र लिखकर कहा कि चूंकि यह बिहार सरकार का मामला है इसलिए बिहार सरकार को कानून और व्यवस्था ठीक करने के लिये कह दिया गया है । इसके लिये इनका भी उत्तरदायित्व है कि उसको देखें । रेलवे की ओर से पिछले पांच वर्षों में इस कार्य में उपलब्धि नही हुई है । रोशनी के लिये भी कई बार लिखा गया है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । मैं चाहती हूं कि वहां ज्यादा पावर के बल्ब लगा दिये जाएं ताकि ठीक प्रकार से रोशनी हो सके ।

कि कुछ साल पहले रेल विभाग की ओर से दानापुर सब डिवीजनल हैड-क्वार्टर्स के लिये एक समिति बनाई गई थी जिसका कार्य स्थानीय समस्याओं को ठीक करना था । जैसे-स्टेशन की सफाई हो, वहां व्यवस्था ठीक हो और एनक्रोचमेंट की ओर भी ध्यान दिया जाये । ऐसी छोटी-छोटी समितियां सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर बनाई जाती थीं । इसलिये, मेरा निवेदन है कि इसको फिर से चालू किया जाये । इसमें शहर के प्रमुख, समाज-सेवी और जिनको दिलचस्पी हो, जो कि ठीक प्रकार से कार्य कर सकें रखे जाएं । अगर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाए तो यह संभव नहीं हो सकता ।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि दानापुर डिवीजन में लखीसराय एक स्टेशन है जहां से 6 लाख रुपए की आमदनी प्रतिदिन उस स्टेशन पर इनको होती है, लेकिन वहां पर

पाटलीपुत्र जैसी गाड़ी का भी ठहराव नहीं है । उसके बगल में मननपुर स्टेशन पर वह गाड़ी का ठहरती है जो कि देहाती क्षेत्र है, मैं यह नहीं करती कि बहां गाड़ी न ठहरे, लेकिन डिवीजनल हैडक्वार्टर लखीसराय में भी वह गाड़ी ठहरनी चाहिए । वह एक बड़ा व्यापारी केन्द्र है । जब इतनी आमदनी लखीसराय से है और इतना बड़ा व्यापारिक केन्द्र वह है तो उस स्टेशन को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, उस स्टेशन के विकास के लिए क्यों नहीं काम हो रहा है ?

मुझे आश्चर्य है, 1980 से लेकर आज तक लगातार हमने इसके लिए प्रयास किया है, मैं आज गिनती नही बता सकती कि कितने पत्र मैंने इसके लिए लिखे हैं और कितनी बार इसको परामर्शदात्री समिति में उठाया है लेकिन इस बारें में कुछ नहीं हुआ ।

इन्हीं शब्दों के साथ में मंत्री महोदय, का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करती हूं और मंत्री महोदय ने समय पर गाड़ियां चलाने के लिए रेल विभाग में चतुर्दिक विकास कार्य किया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं ।

श्री जगन्नाथ पाटिल (ढाणे) : सभापति महोदय, मन्त्री जी ने बजट में जो रेल किराया बढ़ाया है, उससे बम्बई और वहां के उपनगरों के प्रणाली लोगों पर ज्यादा बोझ आ रहा है । 1977 में डा० परांजपे की अध्यक्षता में रेलवे टैरिफ इन्क्वायरी कमेटी घोषित की गई थी, उनकी प्राथमिक रिपोर्ट करने के बाद 1978 में 100 परसेंट किराया बढ़ाया गया । बम्बई के लोगों ने आन्दोलन किया और मार्च किया, उसके बाद उसमें 50 परसेंट कटौती की गई ।

परांजये कमेंटी के सामने यह कैसे गया, यह सिद्ध करने के लिये परांजये रिपोर्ट कमेटी जिसमें कन्वीनर श्री गडकरी थे,उन्होंने एक प्रायर रिपोर्ट दी । उसे संसद सदस्य श्री महालगी ने ने यहां पेश किया था ।

मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 3 जगह रावर्वन रेलवे चलती हैं और सबसे कम घाटा बम्बई रावर्वन रेल से होता है । फिर भी कम से कम सुविधा बंबई रावर्बन के पैसेन्जर को दी जाती हैं । सबसे ज्यादा घाटा कलकत्ता से होता है फिर भी कलकत्ता के लिए सबसे ज्यादा सुविधाएं देते हैं । कलकत्ता को ज्यादा सुविधाएं दें, वह मुझे बुरा नहीं लगता है, जैसे मंत्री जी अपनी कांस्टीटुएन्सी मालदा में जो सुविधाएं दे रहे हैं, उसके साथ-साथ देश के सभी क्षेत्रों में यह सुविधाएं मिलनी चाहिए ।

दूसरों को देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे जो बम्बई रावर्वन के पैसेन्जर्स हैं, वहां ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए यह मेरा आग्रह है ।

अभी भी किराया बढ़ाने के बाद बम्बई में आन्दोलन शुरू हो गया है और सिगनेचर कैम्पन शुरू हो गया है । हर जगह सभी पार्टियों ने इसका निषेध किया है में मंत्री जी से प्रार्थना करता

हूं कि जिस प्रकार कलकत्ता के लिए रिपलेसमेंट के लिए उन्होंने ज्यादा रेक दिये हैं वैसे बम्बई के लिए भी दें।

जिस तरह से दूसरी जगहों पर आप एकोमोडेशन बढ़ाने के लिए ज्यादा रैक देते हैं उसी तरह से बम्बई के लिए भी आप ज्यादा रैक देने की कृपा कीजिए। मेरा सुझाव है कि 12 डिब्बों की गाड़ी होनी चाहिए और महिलाओं के लिए एक सेकेन्ड क्लास का डिब्बा अलग से होना चाहिए।

हमारे यहां मराठवाड़ा रीजन में नैरो गेज को ब्राड गेज में तब्दील करने के लिए जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दलित पैंथर के साथ-साथ इन्दिरा कांग्रेस के लोग भी इस मांग में शामिल हुए थे और सभी ने यह मांग की है कि बजट में जो एक करोड़ की व्यवस्था की गई है, उसके स्थान पर दस करोड़ की व्यवस्था करके मराठावाड़ा रीजन में नैरो गेज को ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय सीजन टिकट में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। डा० परांजपे ने यह लिखा था कि सीजन टिकटधारी हर महीने में पचास बार सफर करते हैं लेकिन यह बात रही नहीं है। नौकरी करने वाले लोग जो हैं उनकी सी० एल, ई० एल०, हालिडेज और वीकली हालिडेज को अगर निकाल दिया जाए तो साल में 135 दिन निकालने के बाद हर महीने पचास बार सफर करने का जो अन्दाज लगाया गया है, उसकी जगह पर यह सिर्फ 38 बार ही रह जाता है। इसी तरह से फर्स्ट क्लास के बारे में शायद आपने यह सोचा होगा कि उसमें तो केवल मौज करने के लिए बड़े आदमी ही चलते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बीमारी में या किसी मजबूरी की वजह से फर्स्ट क्लास का सीजन टिकट लेकर सफर करते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बाम्बे सबरबन के लिए आपने जो फर्स्ट क्लास और सेकेण्ड क्लास सीजन टिकटों के किराए बड़ाए हैं, उनको कम करने की कृपा करें।

इसके साथ-साथ मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बाम्बे सबरबन के लिए एक सेप्रेट जोन बनाया जाए जिससे कि उसके खर्चे, आय-व्यय के सम्बन्ध में आपको जानकारी मिल सके। आपको यह मालूम हो सके कि वह सर्विस नुकसान में चल रही है या फायदे में चल रही है। जहां तक हम समझ सकते हैं वह प्राफिट में चल रही है। अभी 8 तारीख को रेलवे कंवेशन कमेटी बाम्बे में आई हुई थी, उनके सामने हमने बाम्बे की कठिनाइयों को रखा था। हम चाहते हैं कि मंत्री जी भी खुद बम्बई आकर वहां की हालत को देखें और उसके बाद फैसला करें कि जो यह किराए बढ़ाए गए हैं वह वाजिब हैं या नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किराया न बढ़ाएं तथा साथ-ही-साथ बम्बई वासियों को सुविधा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा रैक्स देने की कृपा करें।

सभापति महोदय (श्री एन० के० शेजवलक) : रेलमंत्री ने आज बहस का उत्तर देना है।

अतः एक विशेष मामले के रूप में मैं केवल दो सदस्यों को दो मिनट तक बोलने का अवसर दे रहा हूं। इसके बाद रेलमंत्री बोलेंगे।

श्री प्रधान आप दो मिनट बोल सकते हैं, जैसाकि आपने आश्वासन दिया है। भाषण मत देना। कृपया कुछ बातें ही कहना। उसके बाद श्री पासवान बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1983-84 के लिए की गई रेलवे की अनुदान मांगों समर्थन में खड़ा होता हूं। मैं संक्षेप में अपने राज्य की कुछ समस्याओं का उल्लेख करूंगा।

पूर्वी और पश्चिमी उड़ीसा से होकर लगभग 2000 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन गुजरती है। लेकिन राज्य में पूर्वी और पश्चिमी उड़ीसा के बीच कोई सम्पर्क नहीं है। भुवनेश्वर से संभलपुर की दूरी केवल 300 किलोमीटर है। लेकिन भुवनेम्वर से संभलपुर तक जाने के लिए किसी को लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। भुवनेश्वर से संभलपुर तक जाने के लिए लगभग 160 किलोमीटर लगभग **सम्पर्क नदारद** है। मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इसकी जांच करने हेतु आकर्षित करूंगा। इसका सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। मैं उनसे जोर देकर कहूंगा कि वे तलचर को संभलपुर से जोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

जैसा कि मैंने कहा, उड़ीसा में होकर गुजरने वाली रेल लाइन लगभग 2000 मिलोमीटर लम्बी है। वहां दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत सात डिवीजन हैं और प्रत्येक डिवीजन के अन्तर्गत औसतन 1000 किलीमीटर लम्बी रेल लाइन है। उड़ीसा में खुर्दा रोड स्थित केवल एक ही डिवीजन है। मैं पश्चिमी उड़ीसा के लिए दूसरा डिवीजन लगाए जाने हेतु अनुरोध करता हूं जिसका मुख्यालय या तो संभलपुर में हो अथवा झारसुगुदा में।

रेल सेवा आयोग कलकत्ता में स्थिति है। जो दक्षिण-पूर्व रेलवे, चितरंजन वर्क्स तथा कलकत्ता की महानगरीय परियोजना हेतु उम्मीदवारों के चयन का कार्य करता हूं। इसलिए उस पर कार्यभार का आधिक्य है। वे समुचित रूप से कार्य की देखभाल नहीं कर सकते। इसलिए रेल सेवा आयोग को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए जिनमें एक का मुख्यालय, लोकहित तथा रेलवे के हित को देखते हुए, भुवनेश्वर में बनाया जाए।

कोरापुर से रायगढ़ तक एक अन्य रेल लाइन की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रगति अत्यन्त धीमी है। कोरापुर जिले में दमन जोदी में एक अलम्युनियम संयंत्र स्थापित होने की संभावना है। दमनजोदी से रायगढ़ तक कोई रेलसम्पर्क नहीं है। वहां डी०बी० के नाम से

जानी जाने वाली एक रेल लाइन है जो कोरापुर को जोड़ती है। लेकिन वहां आधिक्य तथा यातायात इतना ज्यादा है कि इसे इस परियोजना के किसी कार्य को मुहैय्या नहीं संभाला जा सकता। मैं माननीत मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें और इस परियोजना को पूरा करें ताकि इस रेल लाइन के जरिए भारी मशीनरी का परिवहन किया जा सके और अलम्युनियम संयंत्र अतिशीघ्र स्थापित हो सके।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं एक गम्भीर बात की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि जब मन्त्री महोदय जबाव दें तो इस बात का जबाव निश्चित रूप से दें। यह एक बहुत ही अहम सवाल है। अभी दो दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ है। आपने कहा है कि यह बहुत ही दुखद घटना है और मृतकों के परिवार के सदस्यों को इसका हर्जाना दिया जाएगा।

मैं आपका ध्यान 6 जून, 1981 की रेल दुर्घटना की ओर ले जाना चाहता हूं। उस रेल दुर्घटना में हम लोगों के मुताबिक तीन हजार लोग मरे हैं और सरकार के मुताबिक अभी तक कितने लोग मरे हैं, इसकी कोई संख्या नहीं बताई गई है। सभापति महोदय, यह बात सबको पता है कि जो डिब्बा पानी में गिरा उसको अभी तक निकाला नहीं गया है। किसी को पता नहीं है कि उसमें कितने यात्री थे—दो हजार थे, तीन हजार थे। सरकार डिब्बे के आधार पर गिनती कर सकती है।...(**व्यवधान**)...आपके भी गांव के लोग हो सकते हैं। मैं यह कह रहा था कि अभी तक वह डिब्बा निकाला नहीं गया है, तीन साल बीत चुके हैं। सबसे दुःखद बात यह है कि सरकार ने क्लेम-कमीशन की नियुक्ति एक साल दो महीने बाद की है। नतीजा यह हो रहा है कि मृतकों के परिवारों को पैसा नहीं मिल रहा है।

(श्री एन० के० शेजवलकर **पीठासीन** हुए)

मैं आपको रेलवे एक्ट की धारा 82 (सी)/2 पढ़कर सुनाता हूं। जिसमें लिखा है :

"82 सी (2) धान के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु किसी भी आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि इस दुर्घटना होने के तीन महीने के अन्तर्गत नहीं दिया जाता। लेकिन दावा आयुक्त इस प्रकार की घटना होने के एक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय इस प्रकार के किसी आवेदन को। उचित कारण से, किए जाने की अनुमति देगा।"

(व्यवधान)

सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्लेम कमीशन की नियुक्ति आप ने एक साल तीन महीने बाद की है। कम से कम एक आदमी को एप्लीकेशन देने का समय दो महीने हैं। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि उसमें कितने लोग मरे हैं? क्या उस डिब्बे को

निकाला गया है या नहीं ? यदि नहीं निकाला गया है, तो इसका मतलब है कि आदमी उसमें अभी तक सड़ रहे हैं और कमीशनर की नियुक्ति इतनी देर से क्यों हुई है ?

एक बात मैं पटना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पटना में रेलवे पुल बनने के बाद, जो ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। उस ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने घोषणा की थी कि पटना में गंगा पर पुल बनायेंगे। इस रेलवे पुल के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

आखिरी, 35 सालों की आजादी के बाद भी आज शायद रेलवे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हरिजनों, आदिवासियों या गाइनोरिटीज या बैकवर्ड क्लास के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। जो रिजर्वेशन इनके लिए था, वह भी पूरा नहीं हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं उनको आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा।

सभापति महोदय (श्री एन० के० शेजवलकर) आप ही सिर्फ दो मिनट वाले नहीं हैं और भी दो मिनट वाले हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप आधे घण्टे का समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय (श्री एन० के० शेजवलकर) बिजनेस एडवाजरी कमेटी द्वारा जो समय था, वह आलरैडी खत्म हो चुका है।

···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय (श्री एन० के० शेजवलकर) : यदि आप दिए गए समय को बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं समय नहीं दे सकता।

श्री मूलचन्द डागा (बाली) : हम केवल कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं।

श्री बनवारी लाल बेरवा : माननीय मन्त्री महोदय को हम दो मिनट बाद सुन लेंगे।

(**व्यवधान**)

रेलमन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : मैंने सभी सदस्यों की बातें सुन ली हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपको दो मिनट टाइम तो देना ही चाहिए।

···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय (श्री एन० के० शेजवलकर) : यह कहना सही नहीं होगा कि मैं आगे कार्यवाही ही नहीं करता। बजट के सम्बन्ध में आपके मूल भाषण में आपके पास 22 मिनट थे और तब आपने उल्लेख नहीं किया अथवा उल्लेख किया। पुनः आपको समय देना ठीक नहीं होगा। इस तरह दबाव मत डालिए। आखिर सरकार को तो कार्य करना है।

(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : श्रीमन् सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का, उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभारी हूं। मैंने बजट चर्चा के दौरान तथा आज भी उनके सुझावों को सुना है। उनमें से अधिकांश अत्यधिक उद्वेलित हैं क्योंकि हम नई लाइनों के निर्माण से संबंधित उनके अनुरोधों को पूरा नहीं कर सके हैं। रेलों की वार्षिक योजना, देश के समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवेज द्वारा तैयार कई जाती है। संसाधनों के दबाब में, पिछड़े क्षेत्रों के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। यह बात मैं हमेशा जोर देकर कहता रहा हूं कि संसाधनों के दबाव के कारण हम जो चीजें करना चाहते थे, वह नहीं कर सके। मुझे पूर्वानुमान था और मैं जानता था कि मेरा बजट अनेक माननीय सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि जहां तक रेलवे का संबंध है, यह एक पुनर्वास बजट है। मैं माननीय सदस्यों को दोष नहीं देता क्योंकि उन पर अपने ही क्षेत्र से, वृद्धि के कारण, विकास के कारण और इसी प्रकार के अन्य कारणों से दबाव पड़ रहा है। इसी कारण वे नई लाइनों आदि के निर्माण के लिए यहां दबाव डाल रहे हैं। हम सामान्यतः निधि के दबाव के कारण उनको वह सब नहीं दे सके जो वे चाहते थे। जैसाकि मैंने उनको स्पष्ट कर दिया है, हम चालू परियोजनाओं के लिए ज्यादा धनराशि नहीं दे सके हैं, चालू नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए हम केवल 70 करोड़ रुपए दे सके हैं। छोटी लाइन को बड़ी रेल लाइन में तब्दील करने के लिए हम केवल 50 करोड़ रुपए दे सके हैं। एम० टी० पी० कलकत्ता के लिए हम केवल 62 करोड़ दे सके हैं। हम मूल्य द्वारा आरक्षण निधि के लिए केवल 850 करोड़ रुपए की धनराशि दे सके है, जो धनराशि विगत में कभी भी आवंटित नहीं की गई। यह हमने जानबूझकर रेलवे जीर्ण-शीर्ण हुई परिसम्पत्तियों की मरम्मत के लिए, रेल मार्गों, रेल बेगनों, लोकोमोटिवन्स आदि की, जो अत्यन्त खस्ता हालत में है और जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है, की मरम्मत के लिए दी है। टूट-फूट आरक्षण निधि के लिए हमने 850 करोड़ रुपए दिए हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि दुर्भाग्य से कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमने एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच कुछ भेदभाव कर रहे हैं। मुझे यह कहते अफसोस है कि बहुधा हमें केरल और तमिलनाडु के बीच तुलना की बातें सुनने को मिलती हैं। तमिलनाडु के मदस्यों द्वारा यह धारणा पैदा की गई है कि उनके साथ अर्थात तमिलनाडु के साथ सौतेले बेटे जैसा व्यवहार किया गया है और केरल के साथ अपने सगे बेटे जैसा। यह बात सच्चाई से बहुत दूर है।

श्री एम० राजगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्रीमान् हमारे यहां कोई सौतेले बेटे नहीं हैं, केवल बेटे हैं—सभी हमारी मिट्टी (धरती) के बेटे हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं सदन को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस तरह की कोई बात नहीं है। हमने जो कुछ किया है वह नीति के अनुसार किया है···

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : व्यवधान के लिए खेद है···

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : नीति बहुत सीधी सी है···

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अनेक अवसरों पर यह मामला उठाया था ··न केवल नई लाईनों के संबंध में अपितु कुछ लाइनों को बदलने तथा कुछ मुख्यालयों के बनाने के संबंध में भी अर्थात मदुराई और त्रिवेन्द्रम के संबंध में। उस मामले में बहुत से कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यही कारण है कि हम यथापूर्व स्थिति चाहते थे लेकिन हमारी मांगें नामंजूर कर दी गई क्योंकि, जैसा कि आपने कहा, कर्मचारियों की ओर से पड़ने वाले दबाव के कारण हमें इस तरह कहना पड़ा। यह बात मन्त्री जी की जानकारी के लिए है।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : हमारी नीति बहुत सामान्य है कि उस किसी परियोजना के लिए जो पर्याप्त रूप से आगे बढ़ चुकी है। उसे शीघ्रता से पूरा करने के लिए और-अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए मूल्यों में वृद्धि और सीमित निधि के कारण योजना की सहमित से हमने निर्णय किया है कि कहां प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हमने उन परियोजनाओं को जो काफी आगे बढ़ चुकी है, प्राथमिकता दी और यह कहना सही नहीं है कि हमने अन्य परियोजनाओं की उपेक्षा की। क्योंकि जिन परियोजनाओं ने प्रगति नहीं की है उनको हम कम निधि देते हैं।

जहां तक निधि में वृद्धि करने की बात है यह अकेले हमारे बस में नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है और मैं उसे बार-बार दोहराना नहीं चाहता कि जो कुछ धनराशि योजना आयोग ने हमें आबंटित की है, स्वभावतः उसी धनराशि से हम आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य श्री सत्येन्द्र नारायण राव सुझाव दिया कि यदि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो हमें नई रेल लाइनों का निर्माण करने हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहिए। निश्चित ही इस प्रकार की किसी सहायता का स्वागत किया जाएगा। मैं सदस्यों को इससे अवश्य अवगत कराऊंगा कि उस मामले के लिए विश्व बैंक अथवा अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से ऋण भारत सरकार को मिलते हैं। इस प्रकार के सभी संसाधन सामान्य पूल (किटी) में चले जाते हैं। विदेशी ऋण स्वयं रेलवे को कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं देते, इसलिए जब तक हमारा योजना आबंटन नहीं बढ़ाया जाता तब तक रेलवे को यह ज्यादा सहायक नहीं होगा।

हमारे कुछ मित्रों ने यह संदेह व्यक्त किया कि हमारी नीतियां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से नियंत्रित होती है उन्हें हर जगह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भूत दिखाई देता है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : खास तौर से मार्क्सवादी लोग ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : उन्होंने इस सीमा तक सुझाव दिए हैं कि रेल बजट भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार कराया गया है । मैं समझता हूं इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई और बात नहीं हो सकती । मुझे एकदम यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमारा कोई लेना-देना नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : क्यों नहीं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : वित्त मंत्रियों ने अपने भाषणों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में विस्तार से बताया है और मैं इस पर कोई और बात नहीं कहता ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मन्त्री महोदय, आपने कहा है कि यह हास्यास्पद है । ठीक है

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैंने आपकी बातें सुनी हैं । कृपया सुनिए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं आपकी बातें सुन रहा हूं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : कोई भी देश विश्व बैंक से ऋण ले सकता है अथवा उस मामले के लिए अन्य किसी स्रोत से ऋण ले सकता है । हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इसे स्पष्ट कर दिया है । मैं अपने मित्र श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती की इस बात से सहमत नहीं हूं कि रेलवे को एक वाणिज्यिक संगठन नहीं होना चाहिए ।

मैं अपने मित्र को इस बात की याद अवश्य दिलाऊंगा कि रेलवे को लोक उपयोगिता और एक वाणिज्यिक संगठन के दायित्वों के बीच एक संतुलन बनाए रखना है । रेलवे अभिसमय समिति के एक सदस्य के रूप में वे उस सामाजिक दायित्व जो रेलवे निर्माता है, की समस्याओं को अवश्य पहले से ही जान गए होंगे ।

वर्ष 1982-83 में, कम यात्री किराए और कुछ वस्तुओं पर कम मालभाड़ा दरों के कारण तथा अन्य कुछ कारणों से रेलवे को लगभग 600 करोड़ रुपए की हानि हुई होगी । रेलवे का पृथक बजट होता है । उनसे वित्तीय व्यवहार्यता को बनाये रखने की आशा की जाती है । बिना वित्तीय व्यवहार्यता को कायम रखे, प्रणाली जीवित नहीं रह सकती ।

मुझे इस बात का विश्वास है कि माननीय सदस्य महोदय को इस बात की जानकारी होगी कि चीन का रेलवे भी साठ बिलियन पुआव के कुल निवेश पर तीन मिलियन पुआव का वार्षिक लाभ कमाता है (सरप्लस) जो कि पूंजी पर 5 प्रतिशत लाभ (रिटर्न) बैठता है, केवल हमारी प्रणाली की बात नहीं है, चीनी भी लाभ कमाते हैं।

मैं आपको इस बात की याद दिलाऊंगा कि प्रो० दण्डवते ने भी इस बात का सुझाव दिया था कि आम राजस्वों पर सामाजिक दायित्व के लिए भी प्रभार होना चाहिए। सार्वजनिक उपयोगिता को उपक्रमों में सरकारी क्षेत्र में ये सामाजिक दायित्व उठते हैं और कुछ सीमा तक उन्हें उपक्रम के विधिसंगत दायित्व के रूप में मानना होता है। लेकिन जब यह सीमा से बाहर चला जाता है तो वित्तीय प्रभाव को वित्त प्रभावी करने के लिए अन्य साधनों की खोज करनी होगी। मैं नहीं समझता कि सभी प्रकार के सामाजिक दायित्वों को अपने ऊपर लेना रेलवे की सही नीति होगी जिससे आम कर अदा कर्ता के खर्च पर केवल रेल प्रयोक्ताओं को लाभ मिले। रेलवे लोक उपयोगी संगठन के साथ-साथ एक वाणिज्यिक उद्यम भी बनना है।

प्रो० एन० जी० रंगा सहित कुछ सदस्यों ने इस बात का सुझाव दिया कि रेलवे का बिना कोई वित्तीय मुनाफा देखे विकास प्रयोजनों के लिए पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का निर्माण करना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूरी तरह सहमत हू कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए हम सामान्यतः ऐसी नई परियोजनाएं शुरू करते हैं जो जिनसे किए गए पूंजी निवेश पर हमें 10 प्रतिशत धनराशि वापस मिल सके हम अन्य विकास परक योजनाएं भी शुरू करते हैं। जिनसे हमें कुछ भी धनराशि वापस नहीं मिलती। कुछ मामलों में धनराशि की वापसी नकरात्मक भी हो सकती है।

यह सच है कि कुछ मामलों में हम ऐसी परियोजनाएं शुरू करते हैं जो जिनमें हमें पूंजी पर डिवीडेंड का भुगतान करने से छूट मिली होती है। यह केवल एक थोड़ी सी राहत है लगता है हमारे आलोचक यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार की रेल लाइनों पर, हमें काफी परिचलनात्मक हानि होती है। जिसके लिए हमें किसी भी स्रोत से कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। यह कठिनाई है। अनेक बाहरी देशों में, इस प्रकार हानि पूरी तरह अथवा आंशिक तौर पर सरकार द्वारा दहन की जाती हैं। मुझे विश्वास है कि रेलवे अभिसमय समिति इस पहलू पर गहराई से विचार करेगी।

(श्री आर० एस० स्पंरो पीठासीन हुए)

अब नई रेल गाड़ियों की मांग का जहां तक सम्बन्ध है, तमाम सदस्यों ने नई रेलगाड़ियों अनेक महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ट्रेनों को रोके जाने, द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों के लिए बेहतर

सुविधायें दिये जाने की मांग की है। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशनों आदि के सुधार की भी मांग की है। हमने इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख लिया है। जहां कहीं भी संभव होगा, हम निश्चित ही इन सभी समस्याओं को दूर करेंगे और जितना शीघ्र हो सकेगा नई रेल गाड़ियों आदि शुरू करेंगे। मैं सदन को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि यात्रियों के लिए सुविधाओं का प्रावधान किए जाने के प्रति मैं शत प्रतिशत ध्यान दूंगा।

सभापति महोदय, जैसा कि किसी अन्य दिन मैंने कहा, यह न तो यात्री उन्मुख अवधारणा है और न ये भालभाड़ा उन्मुख अवधारणा है क्योंकि यह दो पहलुओं वाले सिक्के की तरह है। यह केवल सिक्के के एक पहलू की ओर ध्यान देने का प्रश्न नहीं है अपितु हमें सिक्के के दोनों पहलुओं की ओर ध्यान देना है। यहां एक मुद्दे के बारे में मैं सदन को तथा माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा। हमारी कुछ सीमाएं होती हैं और एक दिन में हम सभी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, टर्मिनल सुविधाओं के बारे में, जबकि अनेक माननीय सदस्यों ने तत्काल रेल गाड़ियां प्रारम्भ करने का सुझाव दिया है।

मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि उन्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि सुविधाओं की कमी है। हमें पहले उनकी ओर ध्यान दिलाना देना है। अब सुरक्षा आधारभूत मामला है। अब रेल से यात्रा करना एक दुःस्वपन नहीं होना चाहिए। हमें यात्रियों को इस बात का आश्वासन देना है कि उनकी सुरक्षा की गारन्टी है। अब सभापति महोदय, मैं यह नहीं करूंगा कि हमने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हमने अभी यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया हैं यद्यपि वर्ष 1982-81 में दुर्घटनाएं 27 प्रतिशत कम हुई हैं। लेकिन जब तक हम दुर्घटनाओं का पूर्णतः उन्मूलन नहीं करते इससे खुश होने जैसा कुछ नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : हमारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसके बारे में भविष्यवाणी करने वाला नजूमों नहीं हूं। लेकिन जितना शीघ्र संभव हो सकेगा, हमें इसे करने का प्रयास करेंगे। श्रीमन् अध्यक्ष महोदय कुछ अन्य पहलू भी हैं। आधारभूत ढ़ांचे में कुछ खमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना है मुझे विश्वास है, हम वह कर सकेंगे, हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और उसके लिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी सहायता करें ताकि हम अपनी भावी योजनाओं के साथ आगे बढ़ सकें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। अपने उत्तर में उन्हें यह बात कहनी चाहिए कि वह दूसरे दर्जे के यात्री टिकटों तथा साथ ही उपनगरीय तथा गैर उप नगरीय यात्री टिकटें किरायों की बढ़ी हुई दरों को वापस कर लेंगे। आपको हमारा सुझाव स्वीकार करना चाहिए।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं सुरक्षा उपायों के बारे में बात कर रहा था । सदन में ऐसा एक सुझाव आया था कि क्यों नहीं हमें दिल्ली से मद्रास तक राजधानी टाइप रेलगाड़ियां शुरू करनी चाहिए ।

मैंने अपने विशेषज्ञों से परामर्श किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि इस प्रयोजन हेतु बड़े पैमाने पर रेल मार्गों को मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी । फिर यह दूरी भी बहुत ज्यादा लम्बी होगी और रातों रात इसे कर पाना संभव नहीं होगा । दिल्ली और बम्बई तथा दिल्ली और कलकत्ता के बीच यह संभव है । इसलिए इस समय इस प्रकार की रेलगाड़ी शुरू करना संभव नहीं होगा, तथापि, मैंने अपने विशेषज्ञों को इस बात के निदेश दिए हैं कि यथा सम्भव शीघ्र वे इस प्रकार की रेलगाड़ी शुरू करें ताकि हम सदस्यों को संतुष्ट कर सकें ।

अनेक माननीय सदस्यों ने ट्रेन सुविधाओं में सुधार का सुझाव दिया है । हमने उनको नोट कर लिया है ।

अनेक माननीय सदस्य खासतौर पर समय की पावंदी के बारे में बोले है । और मैं इस बात से सहमत हूं कि हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं । यद्यपि कुछ रेलगाड़ियाँ समय की पाबंदी बनाए रखती हैं लेकिन अधिकांश रेलगाड़ियां समय की पाबंदी कायम नहीं रखती । कारण अनेक हैं । इसके लिए देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियां भी जिम्मेदार हैं । जंजीर खींचना तथा असामाजिक तत्वों द्वारा होज पाइप काट देना आदि रेल गाड़ियों के विलम्ब से चलने के लिए जिम्मेदार कुछ अन्य कारण हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अधिकाँशतः स्थानीय रेल गाड़ियों में ऐसा होता है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : लेकिन कभी-कभी कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां भी इन असामाजिक लोगों का शिकार बन जाती है । इसलिए मैंने रेलवे के लिए समय की पाबंदी और सुरक्षा का नारा दिया है। सुरक्षा भी एक अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न है । जैसी वर्तमान व्यवस्था है कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । मैं रेलवे सुधार समिति से प्रकाशित एक पुस्तिका पढ़ रहा था जिसमें कि सुझाव हैं । उन्होंने सुझाव दिया है कि यह कानून और गृहमन्त्री को इस समस्या से निपटाना चाहिए न कि रेल मन्त्री को ठीक है मैं इसकी अकादायिक चर्चा में नहीं जा रहा, कि गृह मन्त्री को अथवा रेल मन्त्री को किसे इस समस्या से निपटना चाहिए यह हम सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय है । और हमें इस पर विचार करना चाहिए और किस तरह हर यात्रियों की सुरक्षा की गारन्टी दे सकते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : गृह मन्त्री और रेल मन्त्री के बीच समुचित समन्वय होना चाहिए

श्री राम विलास पासवान : जिस तरह आपने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त किया उसी तरह गृह मन्त्री को बर्खास्त क्यों नहीं करते ?···(**व्यवधान**)

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि कुछ किया जाना है। हो सकता है कि जी० आ० पी० को अपने नियंत्रण में लाया जाना है, जिसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई भी राज्य सरकार सहमत होगी अथवा हमें रेलवे सुरक्षा बल को और अधिक शक्तियां प्रदान करनी होगी। मुझे नहीं मालूम कि उसमें संवैधानिक स्थिति क्या होगी क्या हमारा संविधान रेलवे सुरक्षा बल को इस प्रकार का कोई अधिकार देगा।

श्री एम० सत्यानारायण राव : उसमें संशोधन किया जाना है।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना है। लेकिन यह विवादग्रस्त प्रश्न है और लोग सुरक्षा चाहते हैं। बिना सुरक्षा के कोई भी व्यक्ति अपने समान सहित रेल में यात्रा नहीं कर सकता। यथासंभव शीघ्र हमें इस बात की गारन्टी देनी होगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या किसी रेलगाड़ी में यात्रा के लिए सवार होने से पूर्व लोगों के लिए एक सीमा योजना नहीं होनी चाहिए ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जैसा कि मैंने अनेक बार कहा है। सुरक्षा के मामले में वित्तीय दबाव भी एक कारक है।

यदि आप विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के ब्यौरों को पढ़ें तो मेरे विचार से यदि मैं गलत नहीं हूं तो हमें 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

एक माननीय सदस्य : हमारे जैसे देश के लिए यह कोई अधिक नहीं है।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : जी हां, लेकिन हमारी कई अन्य बचनवद्धताएं भी हैं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, इसे प्राथमिकता दी जा सकती है। और योजना मंत्री इसे नोट करें।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मुझे खेद है यह राशि 20,000 करोड़ रुपए नहीं है, बल्कि 5,000 करोड़ रुपये है। और यह केवल एक ही समिति की सिफारिश है।

कलकत्ता में उपनगरीय लाइन हर हाल ही में हुई दुर्घटना के बारे में उस दिन सभा बहुत अधिक उत्तेजित थी। यह वास्तव में बहुत दुखद है कि क्योंकि जब यह दुर्घटना किसी भीड़भाड़ वाले

शहर अथवा बम्बई, कलकत्ता या मद्रास जैसी किसी उप नगरीय लाइन पर होती है तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं और यह अति खतरनाक है। कलकत्ता में उपनगरीय लाइन पर हुई हाल ही की दुर्घटना से हमें भारी सदमा पहुंचा है।

हम अब तक रेलों की सामान्य सुरक्षा के बारे में ही चिन्तित थे। अब मैंने इसे दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। एक वर्ग सामान्य सुरक्षा से संबंधित है तथा दूसरा उप नगरीय रेलों से मैंने सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है जिसमें मुझे आज जाना था लेकिन सभापति महोदय, यहां आज इस चर्चा के कारण मैं वहां नहीं जा सका। वहां मैं कल जा रहा हूं सुरक्षा समिति में हमने रक्षा, इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा अन्य विभागों के साथ रेल विभाग से प्रतिनिधि लिए हैं ताकि यह देखा जा सके कि हमारी प्रणाली में यदि कोई खामियां हैं तो उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है जिससे कि कम से कम शहरों में ऐसी दुखान्त घटनाओं से बचा जा सके। मैं रेल प्रशासन को कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की तीनों उपनगरीय रेलों में इस पहलू की जांच के लिए तत्काल तीन अध्ययन दल गठित करने को कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, दिल्ली के लिए क्यों नहीं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : अत्यधिक भीड़भाड़ वाली उप नगरीय लाइनों, जो स्वचालित सिगनलों से लैस होती हैं, पर चलने वाली गाड़ियों के चालक अथवा मोटर-मैनपर बड़ी भारी जिम्मेदारी हो जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सभी नियमों का वास्तव में और सख्ती से पालन करें, मैंने पहले ही एक विशेष चालन शुरू किया है जिसके दौरान चालनों के साथ वरिष्ट अधिकारी अथवा निरीक्षक होंगे जो इन महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में चालकों के कार्यकरण को देखेंगे, परामर्श देंगे और सावधान करेंगे। अब इन विशेष चालनों के दौरान मैं एक अतिरिक्त व्यक्ति यह देखरेख करने के लिए दे रहा हूं कि क्या चालक सिगनलों की उपेक्षा अथवा उल्लंघन आदि कर रहा है अथवा नहीं। मैं यह व्यवस्था बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तथा अन्य सभी शहरों में भी करूंगा इसके साथ-साथ जब चालक खतरे की स्थिति में स्वचालित सिगनलों को पार करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए अधिकारियों द्वारा घात लगाकर आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाता है। सुरक्षा अभियान का तीसरा अंग है, रौड से निकलने वाले बिजली की गाड़ी के प्रत्येक डिब्बे की ब्रेक शक्ति को पूर्ण तथा सावधानी पूर्वक जांच करना है।

कुछेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि संभवतया दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई अथवा ऐसी ही कोई बात हुई। इसलिए, मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह गाड़ी अपना परीक्षण चक्कर लगा रही थी ?

श्री ए० वी० ए० गनी खां चौधरी : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं शिक्षा प्रशिक्षण और नियंत्रण द्वारा सभी स्तरों पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोडूंगा। चूक तथा उपेक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाया जायेगा, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो और सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई दया नहीं की जाएगी।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते ने विशेषकर बम्बई क्षेत्र में उपनगरीय गाड़ियों में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जोरदार दलील दी है । मैं यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के प्रति पूर्णतया जागरुक हूं। मैंने मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे कानून और व्यवस्था की समस्याओं मे निपटने के लिए अपना सहयोग दें। राज्य सरकारों, माननीय संसद सदस्यों तथा यात्रियों के सहयोग से इस मामले में महत्वपूर्ण सुधार लाना संभव हो सकेगा । रेलवे सुधार समिति ने जिसने इस मामले की जांच की है, अभी रिपोर्ट भेजी है। मैं उसकी सिफारिशों का तत्काल अध्ययन करवाऊंगा और उनमें से यथा संभव अधिक से अधिक सिफारिशों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करूंगा।

एक और बात जिसने सदस्यों को उत्तेजित किया है वह चोरी, भ्रष्टाचार, उठाइगीरी, अधिक लदान, कम सरीका बीजक बनाना, आदि से संबंधित है। माननीय सदस्यों ने इन कतिपय पहलुओं की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। हम इस बात से इन्कार नहीं करते कि रेल कर्मचारियों में कुछ व्यक्ति भ्रष्ट हैं। इसका जरूरी यह मतलब नहीं कि हमारे सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। तब कोई सामाजिक अपराधों की बात करता है तो उसे समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा।

इस पहलू की उपेक्षा करके किसी भी समाज का जायजा नहीं लिया जा सकता। हमारा रेल सुरक्षा बल भी हमारी सामाजिक प्रणाली की ही उपज है। अनेक माननीय सदस्यों ने हमारे रेल सुरक्षा बल के बारे में कहा है। रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों में ईमानदार तथा कुशल कार्मिकों की अच्छी प्रतिशतता है। उनमें कुछेक भ्रष्ट लोग भी हैं। मैं सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को मिटाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए मैं सभा के विभिन्न वर्गों के सभी सदस्यों की सहायता चाहता हूं।

मेरे एक मित्र ने बंगलौर में पहिया और धुरी संयंत्र स्थापति करने और उसके संचालन के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अक्लमंदी पर आपत्ति की है। इस समय भारतीय रेलवे विदेशी मुद्रा की भारी लागत पर बड़ी संख्या में पहिए और धुरियां आयात कर रहा है। इस आयात को कम करने के लिए ही बंगलौर में पहिया और धुरी निर्माण का संयुक्त कारखाना स्थापित किया जा

रहा है । हमने आधुनिक प्रौद्योगिकी खरीदी है । आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है । जब यह कारखाना चालू हो जाएगा तो हम एक अति महत्वपूर्ण मद की मांग को पूरा करने में अपने आप पर निर्भर हो सकते हैं और विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं ।

इस बात की आलोचना की गई थी कि हम 20 उच्च शक्ति विद्युत इंजनों का अनावश्यक आयात कर रहे हैं । एक माननीय सदस्य ने इन इंजनों को डीजल इंजन बताया । जिनका हम आयात कर रहे हैं वे उच्च-शक्ति विद्युत इंजन हैं जिनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी की विशिष्टताएं हैं । भविष्य में, अधिक गति भारी यातायात को ढ़ोने सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने हेतु इस प्रकार के इंजन प्राप्त करना आवश्यक है । हमारा निर्यात विभिन्न निर्माताओं से प्रोटाटाइप प्राप्त करने सीमित होगा । ये परीक्षण के आधार पर सेवा में लाए जाएंगे और जो टाइप भारतीय परिस्थितियों के अत्यधिक अनुकूल होगा उसका चयन किया जाएगा । तत्पश्चात् उनका निर्माण अपने ही देश में अपने उत्पादन कारखानों में किया जाएगा । हम निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए केवल विदेशी प्रौद्योगिकी और सहयोग खरीदेंगे । इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि आधुनिकीकरण किए बिना हम जीवित नहीं रह सकते ।

प्रथम दर्जे के सीजन टिकट धारकों के हितों के समर्थन में बोलती हुई श्रीमती प्रमिला दण्डवते को सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ । उनकी शिकायत यह थी कि मैंने यद्यपि दूसरे दर्जे के सीजन टिकटों के लिए 25 प्रतिशत की रियायत घोषित कर दी है, लेकिन प्रथम दर्जे के सीजन टिकट किराए में की गई वृद्धि को नहीं घटाया

आम आदमी के लिए मैं चिन्तित था और उसी चिन्ता ने मुझे दूसरे दर्जे के सीजन टिकट धारकों को रियायत देने के लिए प्रेरित किया । जैसा कि मैंने बताया है, रियायत की घोषणा करते समय मैं आर्थिक अथवा वित्तीय कारणों से, प्रस्तावित किराया वृद्धि में कोई कमी नहीं कर सका । फिर भी साधारण व्यक्ति के लिए मेरी चिन्ता के कारण मैंने दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए 27.5 करोड़ रुपये की और कतिपय वस्तुओं के सम्बन्ध में 30 करोड़ रुपये की रियायतें घोषित की । माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे लोगों को रेलवे के संसाधनों में वृद्धि करने की अनिवार्य जरूरत के बारे में समझाएं ।

इस संदर्भ में, मुझे इस तथ्य की ओर खास ध्यान दिलाना चाहिए कि हमने यात्रियों के लाभ के लिए तीन परियोजनाएं शुरू की हैं जिनकी कुल लागत 175.81 करोड़ रुपये है ।

ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं ।

—बान्द्रा और अंधेरी के बीच 46.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लाइनों का अतिरिक्त जोड़ा ;

—75.74 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंखुर्द और बेलापुर के बीच एक नई लाइन ;

—53.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मद्रास बीच तथा लुज के बीच तीव्र परिवहन प्रणाली ।

अतिरिक्त संसाधनों के बिना नई परियोजनाएं शुरू कर पाना संभव नहीं होता । इस संबंध में यात्रियों को भी कुछ अर्थभार वहन करना है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवने ने बम्बई क्षेत्र में उपनगरीय सेवा में सुधार करने को भी कहा है । उनकी बिशेष शिकायत है कि मध्य रेलवे की सेवा असन्तोषजनक है । मैं यह बता दूं कि मध्य रेलवे को चार नए रेंक दिए गए हैं । हमने उनके सुझावों को नोट कर लिया है और हम सेवाओं में यथा संभव सुधार करने का भरसक प्रयास करेंगे । मैं बम्बई के अपने किसी दौरे के दौरान इन सभी पहलुओं पर उनके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा ।

पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों ने कलकत्ता में परिक्रमा रेल परियोजना शुरू करने की जरूरत को दोहराया है । कलकत्ता में दैनिक यात्रियों की समस्याओं से मैं पूर्णतया अवगत हूं । मैं यह भी महसूस करता हूं कि परिक्रमा रेल सेवा उस शहर की यातायात समस्या को काफी राहत दिला सकती है । लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण जब तक मेट्रो रेल परियोजना पूरी नहीं हो जाती तब तक कलकत्ता में कोई और बड़े पैमाने की परियोजना शुरू करना संभव नहीं हो सकेगा फिर भी मैं यह जानने के लिए इसकी जांच करवा रहा हूं कि क्या उत्तर से दक्षिण को कांकुरगाची से होकर जाने के लिए दैनिक यात्रियों को सियालदह में गाड़ी न बदलना पड़े, इसके लिए कोई छोटी परियोजना यथा शीघ्र शुरू की जा सकती है बशर्ते कि योजना आयोग से इसका अनुमोदित मिल जाए ।

रेलवे संबंधी मामलों में माननीय सदस्यों ने जो रुचि दर्शाई है और जो बहुमूल्य सुझाव दिए दिए हैं उनके लिए मैं उनको एक बार फिर धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : मुझे केवल एक मिनट का समय दीजिए ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए । जब वह अपना भाषण समाप्त कर लेंगे तब आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : श्री राम विलास पासवान ने बागमती नदी पर हुई

दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में पूछा है । इस समय मेरे पास सभी जानकारी नहीं है । मैं इस मामले की जांच करूंगा ।

श्री राम विलास पासवान : सिर्फ एक मिनट ।

सभापति महोदय : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए ।

एक माननीय सदस्य : ऐसा क्यों है कि केवल उन्हीं को बोलने की अनुमति दी जाती है । जबकि अन्य सदस्यों को नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह पूछना चाहता हूं कि (**व्यवधान** ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं इस मामले की जांच करूंगा ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : हमें एक मानदण्ड का पालन करना चाहिये । जब माननीय मंत्री अपना भाषण समाप्त कर लें केवल तभी आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : फिर शास्त्री जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : पटना के पुल के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं उन्हें अलग से लिखूंगा ।

एक माननीय सदस्य : सब कुछ बह जाएगा ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : यह आंशका थी कि जबलपुर वर्कशाप में कुछ छंटनी होगी । हम इसकी जांच करेंगे । हम उस वर्कशाप की क्षमता देखेंगे । छंटनी का प्रश्न ही नहीं उठता । किसी की छटनी करने को हमारी नीति नहीं है । हमारा आशय इसे और बड़ी और बेहतर बनाने का है ताकि यह रेलवे की जरूरतों को पूरा कर सके ।

श्री रामविलास पासवान : मुझे खुशी है कि वर्तमान रेल मन्त्री कम से कम सत्य तो बोलते हैं । भूतपूर्व मंत्रियों की तरह रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को बचाने के बजाय सही बात बोलते हैं । इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । (**व्यवधान**)

लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं । एशिया की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बागमती पुल पर हुई । इसमें 3000 आदमी मारे गये । इस मामले को कई बार सदन में उठाया गया । लोगों को मुआवजा नहीं मिला है । एक साल के बाद क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया गया

है। इस मामले के संबंध में रेलवे मिनिस्टर को जानकारी न हो यह बड़े शर्म की बात है । यह सदन को गुमराह करने वाली बात है । जहां तीन हजार लोग मरे हों वहां मंत्री जी को जानकारी न हो और वे कहें कि मैं बाद में जानकारी दूंगा । यह बड़े खेद की बात है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : क्योंकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी उत्तर दे रहे थे अतः मैंने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा । लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते ।

यह बहुत गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी सभा ने पहले ही इसपर चर्चा कर ली है और अन्य सभी जानकारी सभा को पहले ही दी जा चुकी हैं । मैं माननीय सदस्यों के लाभ के लिए इसे फिर दोहराना चाहूंगा ।

जैसा कि मैंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी । हताहत व्यक्ति की कुल संख्या 270 अथवा इसके लगभग थी । सदस्य यही कहता रहा कि हताहत लोगों की संख्या हजारों में थी, आदि-आदि । ऐसी बात नहीं कि केवल रेलवे ने ही बचाव कार्य किये थे । सेना, और विशेषकर नौसेना हमारे बचाव के लिए आई ।

जहां तक मुआवजे के भुगतान में विलम्ब का प्रश्न है मैं मानता हूं कि उसमें कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि सर्वप्रथम, हमने राज्य सरकार को यह कार्य करने का अनुरोध किया । लेकिन, फिर इस दुर्घटना विशेष के स्वरूप के देखते हुए यह समझा गया कि यह कार्य यहीं से होना चाहिये और यह कि गृह मन्त्रालय कोई सुझाव दे। अन्ततः, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को मुआवजा आयुक्त नियुक्त किया गया । लेकिन जो विलम्ब हुआ है, उसका लाभ उन लोगों को दिया जा रहा है । अतः मुआवजे का लाभ खोने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामविलास पासवान : मेरा कहना यह था कि जो डिब्बा पानी में गिर गया था उसको पानी से निकाला गया या नहीं निकाला गया । मंत्री जी किस आधार पर कहते हैं कि 290 आदमी मरे हैं । क्या डिब्बे को निकालकर लाशों की गिनती की गई ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जिस डिब्बे के बारे में आप कह रहे हैं उसके बारे में नेवी वालों ने खुद कहा है कि उसमें कोई लाश नहीं थी ।

श्री रामविलास पासवान : मेरा सवाल यह है कि डिब्बा निकाला गया या नहीं निकाला गया ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप कह रहे हैं कि काफी लोग मरे हैं जब कि नेवी वालों का कहना है कि उसमें कोई लाश नहीं है ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरी) : किसी भी ब्यौरे की जांच आप बाद में कर सकते हैं ।

श्री रामविलास पासवान : कुछ है ही नहीं तो ये जानकारी क्या देंगे ?

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : आपने कहा है कि ढाबा नहीं बचाया गया है ।

श्री रामविलास पासवान : इस घटना को तीन साल हो गए हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में रानीगंज से बंकुरा, बरास्ता मेजिया, रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में कुछ नहीं बताया है । उन्हें स्मरण होगा कि पश्चिम बंगाल विधान सभा ने इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था । सर्वेक्षण भी किया गया था । उन्होंने बताया है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए नई लाइनें बिछाई जायेंगी, लेकिन बंकुरा और पुरुलिया, दोनों ही पिछड़े हुए जिले हैं। इस लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए ।

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि रेलवे रेल धुरियों के निर्माण के लिये बंगलौर में एक कारखाने का निर्माण करेगा । उन्हें मालूम है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इन पहिया-धुरियों का निर्माण करता है । रेलवे आयातित पहियों के लिये जो कीमत चुकाता है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को उससे कम कीमत देता है । अत: मेरा आशय यह है कि इस पहिया धुरी कारखाने को बनाए रखने के लिये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को पर्याप्त क्रयादेश दिए जाने चाहिए ।

मैं माननीय मंत्री से ये दो स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं ?

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : रुकिये । कृपया मेरी बात सुनिये । माननीय सदस्य यह सुनिश्चित करें कि वे माननीय मंत्री के भाषण से सम्बन्धित स्पष्टीकरण ही मांगने की ही मांगने की कृपा करें । हम इसे प्रश्नकाल जैसी कोई चीज न बनायें । आप कृपया केवल तत्संबंधी कोई स्पष्टीकरण ही मांगे । पहले एक बात समाप्त होने दें । श्री हाल्दर ने जो कुछ कहा है उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हों ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : जहाँ तक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का प्रश्न है, हम उसका ध्यान रखेंगे तथा उन्हें दुर्गापुर के लिए चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं। जो मदें रेलवे को चाहिये, दुर्गापुर को उनके लिए भरपूर क्रयादेश मिलेंगे, उसके बाद ही हम अन्य क्षेत्रों का पता लगाएंगे।

नई रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में मैंने बताया है कि संसाधनों सम्बन्धी अड़चन मुख्य समस्या है और मैं असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप केवल इतना बता दीजिये कि क्या आप इस मामले की जांच करेंगे।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मुझे वास्तव में खुशी है कि आपने मुझे मन्त्री से स्पष्टीकरण मांगने का अवसर प्रदान किया है। ऐसा मालूम होता है कि माननीय मन्त्री ने परिक्रमा रेल को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और उनके भाषण से मैं यही समझा हूं कि उनका आशय यह है कि जब भी निधियां उपलब्ध होंगी, इस रेल का काम शुरू कर दिया जायेगा। यदि ऐसी बात है तो काकुरगाची से दक्षिण की ओर उनका क्या करने का विचार है। क्या वह प्रस्तावित परिक्रमा रेल का अंग है ? क्या वहीं से शुरू होगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : परिक्रमा रेल की वह शुरूआत है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इसका अभिप्राय है कि वह परिक्रमा के एक अंग की शुरूआत करते जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : सभापति जी, मंत्री जी ने जो भी सुझाव दिए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना करता हूं। मैं सिर्फ एक क्लेरीफिकेशन के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो भी जबाव दिये हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिये हैं। लेकिन हमारे राजस्थान डिस्ट्रीक्ट के अन्दर हमारी जो भी योजनायें थीं उनमें से एक पर भी प्रकाश नहीं डाला है।

दिल्ली अहमदाबाद तक बी० जी० लाइन डालने की बात है, सीमा-प्रान्त में बी० जी० लाईन की बात थी। उन्होंने हमारे जिले के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं ;

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : मैंने आपको कहा था कि सिर्फ क्वैरीफिकेशन मांगिये। जो कुछ उन्होंने कह दिया है, कई चीजें बनी हैं, कई नहीं बनी है, कई का प्रोग्राम है,

उन्होंने यह बता दिया है जिसे कोई इनमें क्लैरीफिकेशन मांगना हो, वह मांगे, इस तरह से लम्बी बात करने का कोई फायदा नहीं है ।

श्री बनवारी लाल बेरवा : सभापति महोदय, मैंने एक ही बात कही है कि राजस्थान के विषय में हमारे रेल मंत्री ने अपने जबाव में कोई भी बात नहीं कही है । मैं आपसे यह अनुग्रह करता हूं कि माननीय रेल मन्त्री से कह दिया जाये कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच जो बी० जी० लाइन डालने वाली बात है, सीमा-प्रान्त को जोड़ने वाली जो बात है, वह उसके बारे में कुछ कहें ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : इस प्रश्न का मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता । मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है । यदि माननीय सदस्य मुझसे उत्तर चाहते हैं, तो मैं उन्हें पत्र लिखकर प्रत्येक जानकारी दूंगा ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : मेरे विचार से यह उचित सुझाव है। यदि आप किसी प्रश्न का कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो उन्हें पत्र लिखिये और वह उत्तर देंगे । इस चर्चा के दौरान आपको उन सभी प्रश्नों की गहराई में नहीं जाना चाहिए जो आपने मूलतः उठाए हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, बिहार की राजधानी पटना को दिल्ली से मिलाने वाली एक ही सुपरफास्ट ट्रेन सोनभद्रा चलती है इस ट्रेन में कोई पेंटरी कार नहीं है । उनसे पहले जग श्री पी० सी० सेठी रेल मंत्री थे, उन्होंने भी माना था कि इस गाड़ी में पेंटरी कार आवश्यक है । मंत्री महोदय ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) यह बात तो आपने अपनी स्पीच में भी कही थी ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : लेकिन मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई जवाव नहीं दिया, इसी लिये चाहता हूं कि वह इसका क्लैरीफिकेशन दें ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : सभापति महोदय, वह मेरे एक अच्छे मित्र हैं । वह प्रायः मेरे पास आते हैं वह मुझे भली-भांति ये बातें बता सकते हैं ओर मैं उन्हें उत्तर दूंगा । जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं नई रेल गाड़ियां चलाने का बहुत इच्छुक हूं । परन्तु मुझे खेद है, मैं उन्हें अभी कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं रसोई यान के विषय में पूछ रहा हूं न कि रेल के विषय में ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं रसोई यान के प्रश्न पर विचार करूंगा।

अनेक सदस्य उठ खड़े हुए।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : मेरा विचार है यह काफी हो गया है। फिर यह समाप्त नहीं होगा। अतः अब मैं और स्पष्टीकरण न देने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको मंत्री जी से अलग से बात करनी होगी। मैं अधिक चर्चा या स्पष्टीकरण के अनुरोध की और अनुमति नही दूंगा।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : अब मैं रेल की अभिसमय समिति के सातवें प्रतिवेदन के पैरा 63,64,67 और 70 में की गई सिफारिशों पर सभा की स्वीकृति चाहने वाला श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी द्वारा पेश किए गए संकल्प को रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त सम्बन्धी अन्य अनुषंगी मामलों की पुनरीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1980 के 5 नवम्बर, 1982 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गये सातवें प्रतिवेदन के पैरा संख्या 63,64,67 और 70 में की गई सिफारिशों को अनुमोदन करती है।

कि यह सभा यह निदेश भी देती है कि इस प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना समिति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : 1983-84 के लिए बजट (रेल) के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा अनुदानों की मांगों पर अनेक कटौती प्रस्ताव दिये गये हैं। अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिये रखूंगा, यदि कोई सदस्य किसी विशिष्ट कटौती प्रस्ताव को अलग से न रखना चाहे।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : अब मैं 1983-84 के लिये अनुदानों की मांगों (रेल) को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांग संख्या 1 से 16 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 की समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1983-84 के लिए सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांगों (रेलवे) की सूची

मांग संख्या	मांग की रकम सदन द्वारा स्वीकृत
1	2
	रु०
1. रेलवे बोर्ड	4,38,34,000
2. विविध व्यय (सामान्य)	32,12,65,000
3. सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	197,63,19,000
4. रेल-पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	399,73,63,000
5. रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	337,86,28,000
6. सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	501,24,86,000
7. संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	212,77,25,000
8. परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	37[illegible],19,12,000
9. परिचालन-व्यय	399,40,84,000
10. परिचालन व्यय-इंजन	810,45,32,000

1	2
11. कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	145,75,32,000
12. विविध संचालन व्यय	205,68,11,000
13. भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	185,62,71,000
14. निधियों में विनियोग	1094,43,15,000
15. सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण का भुगतान तथा अति पूंजीकरण के परिशोधन के लिये भुगतान	636,62,01,000
16. परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण, तथा बदलाव राजस्व	11,99,50,000
अन्य व्यय	3184,20,48,000

सभापति महोदय : अब मैं 1982-83 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्यसूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं

मांग संख्या-1, और 3 से 16,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1982-83 के लिए सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की अनुपूरक मांगों (रेलवे) की सूची

मांग संख्या	मांग की रकम सदन द्वारा स्वीकृत
1	2
	रु०
1. रेलवे बोर्ड	27,68,000
2. सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	6,42,78,000

1	2
3. रेल-पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	18,45,77,000
4. रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण	2,00,89,000
5. सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	20,10,20,000
6. संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	6,08,53,000
7. परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	9,78,76,000
8. परिचालन व्यय-यातायात	12,27,49,000
9. परिचालन व्यय-ईंधन	51,99,19,000
10. कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	3,00,91,000
11. विविध परिचालन व्यय	18,43,17,000
12. भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	19,92,74,000
13. निधियों में विनियोग	55,94,50,000
14. सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गए ऋण का भुगतान तथा अति पूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान	21,75,34,000
15. परिसम्पत्तियां-खरीद निर्माण तथा बदलाव अन्य व्यय	103,96,33,000

सभापति महोदय : अब मैं 1980-81 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) को सभा में मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए

कार्यसूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये—

मांग संख्या-3 से, 7 से 13 और 16,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1980-81 के लिए सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की अतिरिक्त मांगों (रेलवे) की सूची

मांग संख्या	मांग की रकम सदन द्वारा स्वीकृत
1	2
	रु०
3. सामान्य अधीक्षण और सेवायें	2,06,16,289
4. रेल-पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	3,54,41,845
5. रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण	4,96,57,930
6. सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	10,03,79,527
7. संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	5,77,08,884
9. परिचालन व्यय-यातायात	6,57,60,855
10. परिचालन व्यय-ईंधन	10,23,53,364
11. कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	3,55,14,944
12. विविध संचालन व्यय	8,25,26,575
13. भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	10,57,90,209
16. परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण तथा बदलाव	181,71,37,208

विनियोग (रेल) विधेयक, 1983

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिये भारय की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : प्रश्न यह है ।

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाए ।"

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : प्रस्ताव किया गया :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाए ।

प्रो० अजित कुमार मेहता, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : जी हां, महोदय, मैं कुछ बातें कहूंगा ।

सभापति महोदय, रेलवे की योजनायें सार्वदेशिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनानी चाहिए । कुछ समर्थ लोग अब तक अपने क्षेत्र के लोगों की खुशी के लिए अथवा अपने समर्थकों की वाह-वाही लूटने के लिए सार्वदेशिक समस्याओं को नजरअन्दाज करके खण्ड-खण्ड योजनाओं को स्वीकृत कराने में सफल होते रहे हैं । परिणाम यह है कि परिवेश बदलने के साथ प्राथमिकता भी बदलती रही है । उदाहरण के लिए मैं आपको दो तीन परियोजनाओं के बारे में

बताना चाहता हूं । पहला-नाथ ईस्टर्न, पूर्वोत्तर रेलवे में छितौनी पुल की बात है । योजना स्वीकृत बनाने की बात थी, लेकिन अभी तक उसका कार्यान्वयन आरम्भ नहीं हुआ है । दूसरा-समस्तीपुर दरभंगा मीटरगेज के ब्राडगेज में आमान परिवर्तन करने की बात, योजना स्वीकृत थी । मन्त्री महोदय बदल गए ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : ये बातें आपने पहले भी कही हैं ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : ये बातें मैंने पहले नहीं कही हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय बदल गए, योजना स्वीकृत थी, मन्त्री के बदलते ही प्राथमिकता भी बदल गई । योजना खटाई में पड़ गई । पता नहीं कि फिर उस पर अमल होगा या नहीं ।

तीसरी बात मैं समस्तीपुर कारखाने के बारे में कहना चाहता हूं । यह बहुत पुराना रेलवे का कारखाना है । वहां प्रतिदिन दो वैगन्स के हिसाब से निर्माण होता है । किन्तु ऐसा लगता है कि वर्तमान रेलवे मन्त्री महोदय के कार्य काल में यह निर्णय लिया गया है कि अब वहां पर निर्माण का काम नहीं होगा, बल्कि इस कारखाने में मरम्मत का काम होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है । वहां रोजगार के अवसर नहीं है, उद्योग-धन्धे भी नहीं हैं और आप रोजगार के द्वारा सीमित अवसर को भी और भी सीमित कर रहे हैं । यह पिछड़े हुए हैं । यह पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए न्यायसंगत बात नहीं है । मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए ।

आज कल गाड़ियों की लम्बाई बहुत अधिक हो गई है । थोडी सी दृष्टि अवरूद्ध होने पर इंजिन ड्राइवर को गार्ड का डिब्बा नजर नहीं आता है । ऐसी स्थिति में कुछ भी हुआ तो ड्राइवर का सम्पर्क गार्ड से नहीं होता है जो कि अवश्य होना चाहिए । इसलिए मेरा सुझाव है कि किसी न किसी प्रकार का टेलीफोन का संबंध दोनों में कर दिया जाए, तो बहुत सुविधा हो सकती है ।

तीसरा मुद्दा यह था कि उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार का रांची इलाके से कोई भी सीधा सम्पर्क रेलवे का नहीं है । इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूं कि रांची से चलने वाली "हटिया-पटना एक्सप्रैस" को समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर तक बढा दिया जाय। दूसरा सुझाव-मौर्य एक्सप्रैस को धनवाद पर रोकने के बजाय रांची तक एक्सटेण्ड कर दिया जाय । इस से भी सम्पर्क हो सकता है । यदि ये दोनों सुझाव आप को पसन्द न हों, तो एक और वैकल्पिक सुझाव मैं यह दे रहा हूं कि जो हावड़ा जाने वाली हावड़ा-हटिया पैसेन्जर चलती है उस में कुछ डिब्बे काट कर अदा स्टेशन पर मुजफ्फरपुर जाने वाली टाटा-मुजफ्फरपुर एक्सप्रैस में जोड़ दिये जाय तो कम से कम उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच में सप्ताह में दो दिन यह सम्पर्क बन सकता है । मैं रेल मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इन सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । अभी तक मैं रेलवे कन्सलटेटिव कमेटी में था और आप के रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष थे उन के सामने न जाने कितनी दफा

मैंने वे सुझाव रखे । चूंकि ये सुझाव एक संसद सदस्य की ओर से आते थे, इस लिए कुछ नहीं होता था । उस समय के अफसर लोग शायद यह समझते थे कि सदस्य की ओर से जो सुझाव आये उस को नहीं मानना है । इस लिए में मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें ।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकार (दुर्ग) : क्या मैं एक-दो सवाल पूछ सकता हूं ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरी) : श्री कमला मिश्र मधुकर नहीं हैं। माननीय मन्त्री ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य ने गार्ड और ड्राइवर के बीच संचार पहलू के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम इस पर कोई सूत्र ढूंढ़ने का प्रयास कर रहे हैं । फिलहाल मैं आपको बताने में समर्थ नहीं हूं । महा-प्रबंधकों के सम्मेलन में हम इस बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे ।

समस्तीपुर कार्यशाला के संबंध में जो माल डिब्बों की मरम्मत का काम करती है और मीटर गेज माला डिब्बों का निर्माण करती है, इसके कार्यकलापों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

निर्माण, परिवर्तन आदि के विषय में मैं पहले ही विस्तार से उत्तर दे चुका हूं । मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं । नई रेलगाड़ियां चलाने के संबंध में कृपया मुझे लिखिए और मैं आपको उत्तर दूंगा । फिलहाल, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी इसकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जानी है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं केवल नई रेल गाड़ियां चलाने के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। कतिपय रेल गाड़ियों को बढ़ाने के लिए मेरे तीन सुझाव हैं । यदि वैसा सम्भव नहीं है, तो आप कतिपय समायोजन कीजिए, जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : हम इस पर विचार करेंगे ।

सभापति महोदय (**श्री आर० एस० स्पैरी**) : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1983

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : प्रश्न यह है :

"कि रेल के प्रयोजनार्थ संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग [को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनाथ वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय (श्री एस० एम० स्पैरो) : अब हम विधेयक पर खण्ड वार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 तीन अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमय सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1983

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मार्च, 1981 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1981 के 31 वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करनें के लिए उपबन्ध करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० बी० ए० गनी चौधरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री ए० बी ए० गनी खां चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मार्च, 1981 के 31 वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमो को पूरा करने के लिए, जो उस बर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1981 के 31 वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करनें के लिए उपबन्ध करने वाले विधयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : अब हम खण्डों पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प
दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक और
दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : सदन में अब मद संख्या 18, 9,20 और 21 पर एक साथ चर्चा होगी । इस के लिए डेढ घंटे का समय नियत किया गया है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अनुपस्थित श्री शेजवलकर ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1983 को प्रख्यापित दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का अध्यादेश संख्या-1) का निरनुमोदन करती है ।"

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : उन्हें दूसरा प्रस्ताव भी रखने दीजिए ताकि हम सभी प्रस्तावों पर एकसाथ विचार कर सकें ।

श्री एन० के० शेजवलकर : उसे अन्य सदस्य करेंगे ।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : सभी एक साथ लिये जा रहे हैं । वह पहले अपने संकल्प पर बोलें, श्री शेजवलकर पहले अपने प्रस्ताव पर बोलेंगे ।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह अध्यादेश संख्या-1 रविवार, दिनांक 2 जनवरी, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। मैंने इससे पहले भी सदन से बहुत-बार अनुरोध किया है कि अध्यादेश जारी करना अच्छी प्रक्रिया नहीं है। मैंने इस विषय पर पूर्ववर्ती अध्यक्षों और वर्तमान अध्यक्ष के विनिर्णयों और विचारों के बारे में भी बताया था कि ये अत्यन्त विशेष और असाधारण प्रावधान हैं और उनका प्रयोग बार-बार नहीं करना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे अनुरोधों या अध्यक्ष महोदय के विचारों का सरकार की विचारधारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं इसे लोकतंत्र तथा सदन के प्रति भी अपमान समझता हूं। यद्यपि संविधान में यह अधिकार दिया गया है। कोई भी उस अधिकार को चुनौती नहीं देता। परन्तु जब इसका प्रयोग करना है तो वे परिस्थितियां कौन-कौन-सी हैं जिनमें इसका प्रयोग आदि किया जायेगा, आदि; उसके बारे में कुछ प्रचलित परम्पराएं हैं जिन्हें हमारे देश की तथा अन्य देशों की संसदों ने भी निर्धारित किया है। परन्तु हमारी सरकार कोई सबक नहीं ले रही है और न ही इन परम्पराओं पर कोई ध्यान दे रही है। अतः मैं वह तारीख पढ़ता हूं। यह रविवार था और तारीख 2 जनवरी थी।

अब अध्यादेश क्या है? अध्यादेश एक नया चुनाव-क्षेत्र बनाने या अधिनियम के अन्तर्गत नए वार्ड बनाने की आवश्यकता को नकार देता है और इसके लिए क्या कारण दिया गया है। विधेयक इस प्रकार है। मैं इसे अभी पढ़ूंगा यह एक छोटा विवरण है, परन्तु मैं अवश्य कहूंगा कि इस विवरण को बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में बनाया गया है-तथा इसमें संसद के प्रति कोई आदर नहीं। मैं कहूंगा···(**व्यवधान**) रेड्डी साहिब, आप मुझसे सहमत होंगे, आप "हां" कहेंगे—यहां नहीं बाहर इस का अर्थ क्या है?

"दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 इस बात की अपेक्षा रखता है कि दिल्ली महानगर परिषद के चुनावों के लिए संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को एकल-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे ढंग से विभाजित किया जाये जिससे, समूची दिल्ली में जहां तक संभव हो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या बराबर हो। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन तथा अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का भी प्रावधान है ···"

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

"1981 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन 1981 की जनगणना के आधार पर हो···

यह तथ्य का विवरण है-कि वर्तमान के अधिनियम के अन्तर्गत इसकी आवश्यकता है। अर्थात जिस अधिनियम का पहले ही उल्लेख किया गया था।

"परन्तु सीमांकन करने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगेगा···"

अध्यादेश लागू करने का यह एक कारण है। अतः एक अन्य कारण है कि सीमा निर्धारण करने की प्रक्रिया में समय लगता है। दूसरा कारण है कि

"...और दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव अत्यावश्यक होने के कारण..."

इसमें दो बातें हैं

जो हो, जहां तक अध्यादेशों का संबंध है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें वैयक्तिक निर्णय कायम रहेगा क्योंकि यह अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जायेगा और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जब वे कहते हैं कि 'हम सन्तुष्ट हैं' और जब राष्ट्रपति कहते हैं कि "मैं सन्तुष्ट हूं" तो न्यायालय उसके गुणदोष पर विचार नहीं कर सकता तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कोई निर्णय नहीं ले सकता। स्थिति ऐसी है, वर्तमान के कानून ऐसे हैं और इनका पूर्ण प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाता है। इससे तो अच्छा है कि प्रक्रिया की निंदा की जानी चाहिए क्योंकि इन दो कारणों से कोई बात नहीं बनती। मैं मानता हूं—अधिक समय लगनेवाली प्रक्रिया है। अधिक समय लगनेवाली प्रक्रिया है। कितना समय चाहिए? वर्तमान के कानून के अनुसार सीमांकन करने, आपत्तियों को आमंत्रित करने तथ्य उन आपत्तियों को सुनने या महानगर परिषद के वार्डों या चुनाव-क्षेत्रों की सूची बनाने संबंधी पूरी प्रक्रिया मुश्किल से डेढ़ महीना लेगी। केवल बार-बार दुहराते रहने कि "समय लगने वाला" से क्या मतलब है। इनमें कुछ संगति होनी चाहिए। आप यदि कहते हैं कि समय लगता है, तो समय की किस बिन्दु से समय लगता है। किसने समय बरबाद किया है। जब महानगर परिषद को भंग कर दिया गया था, तो कितने महीनों के बाद और कितने वर्षों के बाद उन्होंने सीमांकन के बारे में सोचा।

17.05 (श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

परन्तु इस सीमाकन के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया? 1981 की जनगणना उसी वर्ष में ही पूरी हो गई थी। परन्तु उन्होंने 1982 के पूरे वर्ष के दौरान क्या किया। क्या वे डेढ़ महीने की अवधि के भीतर इसे अन्तिम रूप नहीं दे सकते थे। वे पूरा कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब कहते हैं कि समय लगेगा। परन्तु क्या इस अवस्था में भी जब कि वे अध्यादेश लेकर आ चुके हैं, वे कह सकते हैं कि यह एक अधिक समय लेनेवाली प्रक्रिया है। इससे पहले भी संसद के सत्र थे। शीत ऋतु में भी हमने सत्र बुलाया है यदि हम ऐसी चीज की आवश्यकता को महसूस करते तो पहले के सत्र में ही ऐसा प्रस्ताव ला सकते थे। इसे पिछले नवम्बर के सत्र में सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था। अब चुनाव कराने के बाद वे इसके बारे में कह रहे हैं। अब क्या जल्दी है? अचानक सरकार के मन में आया कि चुनाव होने चाहिये परन्तु 2 जनवरी 1983 से पहले नहीं।

दिल्ली की जनता, विभिन्न राजनैतिक दलों, और विपक्षी दलों की ओर से निरन्तर मांग

की जा रही थी कि महानगर परिषद तथा दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव कराये जाने चाहिये। परन्तु उस समय ये मांगें अस्वीकृत की गई थीं। उन्होंने अनुरोध किया और उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। अब किस की प्रेरणा से उन्होंने निर्णय लिया है कि 5 फरवरी को चुनाव कराये जा सकते हैं कि ? उसका क्या कारण था और उसके लिए क्या जल्दी थी। वे और एक डेढ़ महीने का इन्तजार क्यों नहीं कर सके ? मैं उनके उद्देश्यों पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूं। मैं दूसरे राजनैतिक मामलों को भी इससे जोड़ना नहीं चाहता हूं।

परन्तु, मैं जोर देकर कहूंगा कि इस सरकार का सदन और कानून बनाने के लिए निर्धारित संवैधानिक रीति के प्रति कोई आदर नहीं है। वे हमेशा संसद से बचना चाहते हैं। उन्होंने बहुधा ऐसा किया है। इनके पीछे उनकी कुछ छिपे उद्देश्य हैं जिसकी निन्दा करने से मैं नहीं रुक सकता और मुझे इस प्रकार के कार्य की निन्दा अवश्य करनी चाहिए।

महोदय, दिल्ली हमेशा बढ़ता हुआ नगर रहा है। दिल्ली की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अब 1971 में दिल्ली की जनसंख्या क्या थी और 1981 में दिल्ली की जनसंख्या क्या थी। यह 65 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। अब इस 65 प्रतिशत की वृद्धि में हर एक समुदाय के लोग यहां आ बसते हैं। वह महोदय, हम अनुसूचित जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में बात कर रहे हैं। अब दिल्ली को इस दस वर्ष की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक आ गए हैं क्योंकि दिल्ली औद्योगिक नगर है और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिक आकर काम-धंधे में लग जाते हैं। वे दिल्ली में स्थायी रूप से बस गए हैं।

वास्तव में प्रतिनिधि चुनने का उनका हक है और आपने उन्हें इस अधिकार से बंचित किया है। इसका कारण है कि आप 1971 की अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या के अनुपात पर अड़ जाते हैं। आप इस दस वर्ष की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति के लोगो की सख्या मे वृद्धि हुई है उसके अनुपात की उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार आप अन्य अनेक लोगों को उनके अधिकार से बंचित कर रहे हैं। जो लोग 10 वर्ष पहले 18 वर्ष के थे अब 28 वर्ष के हो गए हैं और मतदान करने के भी योग्य हो गए हैं। आप अब उसके मामले क्या करना चाहते हैं ? आपने उन्हें उनके वोट देने के अधिकार से बंचित किया है और यह सम्पूर्ण रूप से अक्षमणीय है। चुनावों में यह बात नहीं उठती कि किसने जीता और हार किसकी हुई। परन्तु आप लोगों ने पहले हिसाब लगाया होगा और उसके बाद सोचा होगा कि यह हमारे जीतने का समय है अतः हम चुनाव करायेंगे यह तो ठीक है। परन्तु क्या आप लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से बचित करेंगे।

इसकी संविधान में, अधिनियम में व्यवस्था है और आप लोगों के उन सभी अधिकारों को नकार रहे हैं। यह घोर आपत्तिजनक बात है। मैं नहीं समझता कि यह कदम किसी भी प्रकार उचित ठहराया जा सकता है। आखिरकार उद्देश्यों और कारणों का विवरण किस लिए है ? यह

सदस्यों को सन्तुष्ट करने के लिए हैं ; अथवा उन्हें कम से कम यह समझाने के लिए है कि इस विशेष उपाय और अध्यादेश के पीछे का प्रयोजन है। क्या उद्देश्यों और कारकों का विवरण कुछ बताता है ? केवल यह कह देना कि यह समय बिताने की प्रक्रिया है।

मैं इसे सही नहीं समझता । आप ऐसा कह सकते हैं । प्रत्येक वस्तु, का सदैव कुछ न कुछ सम्बन्ध होता है । आप पहले ही दो वर्ष लगा चुके हैं । अब इस समय बिताने वाला कैसे कहा जा सकता है, और इसकी जल्दी भी क्या वर्षा का मौसम आने वाला था ? क्या दिल्ली में कोई और मामला पटने वाला था, जिसके कारण 5 फरवरी, को चुनाव कराना जरूरी हो गया था ? जल्दी क्या थी ? केवल आपके जल्दी कह देने से जल्दी का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता । आप चाहते हैं कि सभा इसका अनुमोदन करे । उस स्थिति में आपको सभा को विश्वास में लेना चाहिए था और आपको उसके कारण बताने चाहिए थे । आप यह काम भी नहीं कर रहे हैं ।

जैसा कि मैं प्रारू में कर चुका हूं कि यह काम बहुत जल्दी में किया गया है। यह कानून की अवमानता है, यह गलत ढंग से लिया गया है । यह एक गलत परम्परा है । इसलिए मैं एकबात कहना चाहूंगा । अन्ततः शरारत तो की जा चुकी है । चुनाव हो चुके हैं और अब यह कहना व्यर्थ है...

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : अब इस पर बात करना भी बेकार है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : लेकिन आखिरकार अफसोस तो जाहिर कर दें कि गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : कोई गलती नहीं हुई है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : आपकी समझ में और मेरी समझ में थोड़ा फर्क है । यह कानून का मामला है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा । (**व्यवधान**)

जो कुछ मैंने कहा है, उसे मद्देनजर रखते हुए मैं अपना एक संकल्प पेश कर रहा हूं और माननीय सदस्यों से इसका समर्थन करने तथा उक्त कार्यवाही का निरानुमोदन करने का अनुरोध करता हूं ।

श्री जेथियर अराकल (एर्णाकुलम) : यदि आप कहते हैं कि यह कदम सही नहीं था, तो आपने चुनावों में क्यों भाग लिया था ? उसका क्या औचित्य था ?

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं यह भेद नहीं खोलूंगा, जब मैं यह कहूं कि हमने दिया था हम जीत जाएंगे, बी० जे० पी० जीत जाएगी, लेकिन जीत आपकी हुई और यह अच्छा है... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : कृपया उन्हें अपनी बात कह लेने दें, आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : लेकिन जब असम में चुनावों का बहिष्कार किया गया, आप उसके विरुद्ध बात। अनेक द ों ने असम में चनावों का बहिष्कार किया लेकिन क्या आपने उस ओर ध्यान दिया ? क्या आपने उस पर विचार किया। क्या आप वहां पुनः चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहां अनेक दलों ने उसका बहिष्कार किया था ? आप ऐसा नहीं करेंगे।

आखिरकार बहिष्कार करना विरोध प्रदर्शित करने का एकमात्र तरीका नहीं है। कोई कह सकता है... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह गलत था।

श्री एन० के० शेजवलकर : गलत या सही, यह एक अलग बात है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मेरे मित्र, श्री शेजवलक ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा है तथा उन्होंने सरकार को सदाशयता अथवा नेक मंशा पर इस अध्यादेश को लाने के बारे में कतिपय टिप्पणियां की हैं और उन्होंने यह दिखाने के लिए अनेक कारण गिनवाए हैं कि हमने इसे किसी विशेष प्रयोजन से किया है तथा यह प्रजातन्त्र अथवा संविधान के आदर्शों के अनुकूल नहीं है।

महोदय, मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि किसी भी समय सरकार की मंशा सभा या संसद का कोई अनादर करने की नहीं रही है।

महोदय, यह एक साधारण विधेयक है, जो पहले से जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। अध्यादेश इसलिए जारी किया गया था कि यथा संभव जल्दी से जल्दी महानगर परिषद के नए चुनाव कराए जा सकें।

इस संबंध में, मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि महानगर परिषद, जो राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दी गई थी, से संबंधित अध्यादेश की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा था।

महोदय, इसे अन्तिम बार मार्च, 1983 तक बढ़ाया गया था। इस सम्बन्ध में इस सम्मान

सभा के सदस्यों को मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने संविधान में 42वां संशोधन पारित किया था । उस संशोधन में हमने संविधान को 2000 ई० तक के लिए जाम कर दिया था ।

हमने राज्य विधान सभाओं और संसद, दोनों के मामले मैं चुनाव क्षेत्रों की संख्या का आधार 1971 की जनगणना को लिया है, क्योंकि उस समय हमारा विचार था कि देश में हरेक दस वर्ष की अवधि में जनसंख्या में हुई वृद्धि के हिसाब से यदि हम चुनाव-क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि करते रहेंगे तो यह संसदीय प्रणाली के हित में नहीं होगा ।

अतः 42वें संशोधन के जरिए हमने 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए राज्य विधान सभाओं और संसद, दोनों के मामले में 2000 ई० तक के लिए चुनाव-क्षेत्रों की संख्या को जाम कर दिया था ।

महोदय, इस संशोधन को दिल्ली महागर परिषद के मामले में प्रभावी नहीं बनाया गया था । क्योंकि दिल्ली में विपक्ष के नेताओं और जनता की ओर से यह मांग लगातार की जा रही थी कि महानगर परिषद और नगर निगम के चुनाव यथा शीघ्र करवाए जाने चाहिए और चूंकि हम अध्यादेश की अवधि समय-समय पर बढ़ाते रहे थे ।

अन्त में यह अवधि मार्च, 1983 में समाप्त होने वाली थी, हमने सोचा कि विपक्ष के नेताओं और जनता की मर्जी के बिना (एक) यथा सम्भव शीघ्र ही महानगर परिषद के चुनाव कर लिए जाएं और (दो) चुनाव कराने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा था कि महानगर परिषद के मामले में भी 42वें सशोधन को प्रभावी बना दिया जाए । उस अध्यादेश को जारी करने तथा महानगर परिषद के चुनाव शीघ्र कराने का यही मुख्य कारण है ।

महोदय, मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि चुनाव फरवरी में होने चाहिए थे । उन्होंने पूछा है कि इसमें क्या कठिनाई थी ? हमें इन्तजार करना चाहिए था तथा चुनाव-क्षेत्रों को ठीक करने में एक या डेढ़ महीने से अधिक का समय नहीं लगता । यह बात सही नहीं है । महोदय, महानगर परिषद के चुनाव-क्षेत्रों को व्यवस्थित करने का काम निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा था तथा इस प्रक्रिया में समय लगता है ।

मेरे मित्र श्री शेजवलकर चाहे मेरी बात से सहमत हो या नहीं, लेकिन चुनाव-क्षेत्रों के परि सीमन पर कम से कम पांच से छः महीने अवश्य लग जाते है ।

दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हम दिल्ली में गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित कर रहे थे । सारा प्रशासन इस सम्मेलन की सफलता के लिए कार्य कर रहा था । जैसाकि श्री शेजवलकर ने सुझाव दिया है कि यदि हमने चुनाव-क्षेत्रों का परिसीमन करने के काम पर सारा प्रशासन लगा

दिया होता तो केन्द्र सरकार के लिए इस सम्मेलन का आयोजन करना असंभव हो जाता। इसलिए जब सरकार ने इस काम को हाथ में लिया तो वह बात भी डिमांग में थी।

यह ऐसा नहीं है जैसा कि हम प्रायः अध्यादेश निकाल देते हैं। मैं माननीय मित्र से पूरी तौर पर सहमत हूं कि बार-बार अध्यादेश नहीं जारी किए जाने चाहिए। आकास्मिकता और संविधान की जरूरतों के अनुसार इनको पूरा करने के लिए कभी-कभी ऐसा किया जाता है।

चुनावों को कराने का यही कारण है। पहला—उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई है और लोगों को परिषद में उनका प्रतिनिधित्व चुनने के अधिकार से वंचित रखा गया है। महानगर परिषद में 56 सीटें निर्धारित है। जनसंख्या चाहे बढ़े अथवा कम हो नहां तक महानगर परिषद का सम्बन्ध है यहां की सीटें निर्धारित हैं

श्री एन०के० शेजवलकर : मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिनका नाम मतदान सूची में नहीं है, क्या उनको अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित रखा गया है अथवा नहीं, यह मुझे भी मालूम है कि उनकी संस्था निर्धारित है मैं भी नहीं चाहता हूं कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए लेकिन निर्धारित संख्या के अंदर ही आप अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकते हैं क्यों कि संविधान के अनुसार एक निश्चित प्रतिशत उनके लिए निर्धारित किया गया है। आप इसे नहीं बदल सकते। इसलिए क्या स्वतः ही इससे यह तात्पर्य नहीं निकलता है कि कुछ अनुसूचित जातियों को उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों का नाम मतदान सूची में नहीं है तथा जो वहां पर नहीं जा सके, उन्हें भी इस अधिकार से वंचित रखा गया है।

दूसरी बात यह है कि प्रतिनिधित्व का मतलब केवल चुनाव लड़ना ही नहीं है। प्रतिनिधित्व का मतलब मतदान करना भी है, जो मतदान करते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होता है। उसे भी प्रतिनिधित्व कहा जाता है।

श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या : मैं माननीय सदस्य के मतलब को समझ गया हूं। लेकिन मेरे रहने का तात्पर्य यह था कि इस काम में काफी समय लगता है। इसलिए यह दिल्ली में प्रतिनिधि काउंसिल अर्थात महानगर परिषद का चुनाव यथाशीघ्र सुनिश्चित करना हमने उचित समझा। इसलिए हमने दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 को संविधान के प्रावधानों के अनुकूल बनाने के संशोधन करने का फैसला किया ताकि 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अथवा दूसरे शब्दों में 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमित चुनाए क्षेत्रों के आधार पर महानगर परिषद के चुनाव कराए जा सकें। इसी के अनुसार दिल्ली प्रशासन संशोधन अध्यादेश, 1983 को जारी करके आवश्यक संशोधन किए गए थे। यह विधेयक अध्यादेश का स्थान लेने के लिए है। मैं एक बार पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूं कि सरकार का कोई गलत इरादा नहीं था, अथवा संसद और जनता की आकांक्षाओं की अवहेलना करना नहीं था, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारी

चुनाव कराने की चिन्ता के कारण हमें अध्यादेश जारी करना पड़ा और पूर्ण अध्यादेश को बदलने के लिए यही एकमात्र साधारण उपाय था जिसे लागू कर दिया गया है। और चुनाव भी करा लिए गए हैं।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 में संसोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन): यह संख्या 20 के सांविधिक संकल्प के संबंध में श्री अटल बिहारी बाजपेयी यहां पर नहीं है। श्री सूरजमान और श्री राम जेठमलानी भी यहां पर नहीं है। इसलिए इस प्रस्ताव को पेश नहीं किया जा रहा है।

अब मद—21 : श्री बैंकट सुब्बैय्या फिर से प्रस्ताव रखेंगे।

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, दिल्ली नगर निगम को 11 अप्रैल 1980 से दिल्ली नगरनिगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 (एक) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने भंग कर दिया था क्योंकि केन्द्र सरकार के विचार से निगम को अपने दायित्वों का निर्वाह करने से दोषी पाया गया, इसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया तथा निगम इसको सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहा। निलबन की अवधि से समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार बढ़ाई गई अवधि—10 अप्रैल 1983 को समाप्त हो जानी थी।

महोदय, दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक को अभी-अभी पेश करते हुए मैंने दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश 1983 को लागू करने के विस्तृत कारण बता दिए हैं। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1973 को जारी करने के भी वही कारण हैं। जिसका स्थान अब यह विधेयक लेगा। इसलिए अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि पिछले विधेयक को पेश करते समय मैंने सारे कारण उसी समय बता दिए हैं। मैं इस विधेयक को सदन के विचार रख रहा हूं।

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : केवल यह संस्था 18, 19, और 21 पर चर्चा की जाएगी यह संख्या 20 पर चर्चा नहीं होगी। अब श्री सुधीर गिरि बोल सकते हैं।

अब हम यह संख्या 18, 19, और 21 पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : हम उम्मीद करते हैं। मूल अधिनियम में संशोधन करते समय यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि संशोधन, मूल अधिनियम में एक सुधार हो। लेकिन वर्तमान

संशोधन में हमें कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है । बल्कि इससे तो पहले अधिनियम की गरिमा ही घट जाती है । अध्यादेश क्यों जारी किया गया था और क्या यह औचित्यपूर्ण था अथवा नहीं, इस बात की चर्चा की गई है । श्री शेजवलर के अध्यादेश जारी करने और उसके बाद इस संशोधन को पेश करने के दोषों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है ।

इस समय दिल्ली के लोगों को किस चीज की जरूरत है । हमें उनकी समस्याएं समझनी चाहिए । क्योंकि संशोधन पेश किया गया है मैं मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज दिल्ली के लोगों की समस्या क्या है ।

दिल्ली के लोग विभिन्न कार्य क्षेत्रों पर ऊपर थोपे गए अनेक प्राधिकारियों के भार से दबे हुए हैं । ये हैं एन० डी० एम० सी० डी० डी० ए० मुनिसिपल कारपोरेशन और रेन्टोनमेंट बोर्ड । डी० डी० ए० के चेयरमेन के रूप में उपराज्यपाल है । और मुनिसिपल कारपोरेशन के पास आयुक्त है । आयुक्त को मुनिसिपल कारपोरेशन के कर्मचारियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण और पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया है । ये सभी एक अधिकारी एक दूसरे की अनुसंसा करते हैं । किसी कार्य विशेष के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है । यह लोगों को मालूम नहीं होता है । इसलिए मैं मन्त्री महोदय और सरकार से यह निवेदन करता हूं इस प्रकार की बात को हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाए ।

इसके लिए एक ही संगठित प्राधिकरण होना चाहिए, जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो । परन्तु हम देखते हैं कि नगर निगम और महानगर परिषद दिखावे की हैं । उन्हें कुछ नहीं करना है, मेयर और डिप्टी मेयर को कोई कार्य नहीं करना है । आयुक्त और उपराज्यपाल लोगों की इच्छाओं का ख्याल किए बिना अपना कार्य कर रहे हैं । अतः यही समय है जब सरकार को लोगों के प्रतिनिधियों अर्थात मेयर और डिप्टी मेयर, पार्षदों आदि को कुछ अधिकार देने के लिए व्यापक विधेयक लाना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

सरकार दिन-रात प्रजातंत्र का ढिंडोरा पीट रही है । परन्तु प्रजातंत्र का अर्थ क्या है ? मेरे विचार से यह समता के आधार पर होना चाहिए । दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत कुछ गांव आते हैं और उन गांवों की जनसंख्या कम से कम एक लाख है । उनको एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है । परन्तु जहां तक नगरीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है 25,000 से 30,000 लोग एक प्रतिनिधि भेंजने के अधिकार हैं । यह ग्रामीणों के विरुद्ध जनसंख्या के विरुद्ध भेद-भाव है । नगरीय लोग अनेक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, और वे नगरों के विकास का लाभ उठा रहे हैं, जबकि ग्रामीण लोगों को ऐसी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है । अतः मेरा विचार है एक ही संगठित प्राधिकरण बनाना सरकार के लिए उचित होगा जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो । इसे लोगों के अनुरोधों और इच्छाओं के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए । अन्यथा दिल्ली के लोग निश्चय ही इस कदम को स्वीकार नहीं करेंगे ।

एक और मांग जो वर्षों से दिल्ली के लोगों द्वारा उठाई जाती रही है वह है कि दिल्ली एक अलग राज्य होना चाहिए। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने में कठिनाई क्या है ? मैं नहीं समझता कि कोई कठिनाई है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

एक मास्टर प्लान होना चाहिए, जो सभी आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करे और ऐसे रास्ते बनाये जिनसे उन्हें पूरा किया जा सके। इस मास्टर प्लान में ग्रामीण लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं क्योंकि वे अभी तक सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखे गये हैं।

मैं पुनः इस तथ्य पर जोर देता हूं कि अधिकारों को विकेन्द्रित किया जाना चाहिए जबकि प्राधिकरण एक होना चाहिए। यह अपने क्षेत्र में सभी गतिविधियों का उत्तरदायी होना चाहिए। मैं यह कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को एक और संगठित प्रशासन देने के लिए सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, माननीय गृह मन्त्री द्वारा जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बिल पेश किया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

दिल्ली देश की राजधानी है। हमारा देश बहुत विशाल है। बहुत बड़ा और महान देश है। आज दिल्ली की गिनती भारत मे ही नहीं बल्कि संसार के सुन्दर साफ और बड़े शहरों में होती है। हमारी सरकार ने दिल्ली के रख रखाब के लिए और दिल्ली के प्रशासन के लिए जिस मुस्तैदी से काम किया है इसके लिए जितनी सराहना की जाए वह कम है।

अभी दिल्ली में चुनाव हुए। इन चुनावों के सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। 1980 में जब इन्दिराजी के नेतृत्व में कांग्रेस को अपार सफलता प्राप्त हुई और देश में उनके नेतृत्व में सरकार बनी उसके बाद से विरोधी पक्ष के लोगों ने दिल्ली की दीवारों पर पोस्टर चिपकाना शुरू कर दिया और नारे लिखे जाने लगे कि दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं।

एक नारा तो यह था "जब चुनाव की वारी आई---कतराती है इंदिरा आई"। जब कुछ दिन पहले हमें कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा तो इन्हीं विरोध पक्ष के लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर नारा लगाया था कि "दक्षिण में इन्दिरा हारी है, अब दिल्ली की बारी है"। इनसे पूछिये कि इनके नारों, इनकी थोथी बातों, झूठे आश्वासनों और दिल्ली की जनता ने क्या जवाब दिया ?

श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व, नीतियों और उनके कार्यक्रमों के कारण दिल्ली मैट्रोपोलिटन काउंसिल और दिल्ली कारपोरेशन में कांग्रेस को आशा से अधिक व्यापक समर्थन मिला जिसकी

वजह से इनको मुंह की खानी पड़ी । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज ये लोग दिल्ली में असेम्वली की बात करते हैं । मैं तो यह कहता हूं कि जब आपने जनता पार्टी के नाम पर हुकूमत की तो दिल्ली में विधान सभा की स्थापना क्यों नहीं की ।... (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सब बोगस वोट लिए हैं ।

श्री चंद्रपाल शैलानी : आपकी कोई हैसियत नहीं है । आपके किसी भी उम्मीदवार और साथी की जमानत भी नहीं बची । जो अपने आपको राजनीति का चाणक्य और धुरन्तर नेता कहते थे, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई । आप बुजुर्ग है, और आपको इस सम्बन्ध में बात नहीं करनी चाहिए । सात पार्टियों के प्रगतिशील मोर्चे ने चुनाब लड़ा लेकिन एक की भी जमानत नहीं बची । मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है । दिल्ली देश की राजधानी है । दिल्ली एक लघु भारत है यानी "मिनी इंडिया" । यहां पर बंगाल, कर्नाटक, आन्ध्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यू० पी० हरियाणा, पंजाब और हि० प्रदेश के लोग रहते हैं । सभी लोगों ने जब यह देखा कि सिवाय श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी के और कोई दिल्ली की बागडोर नहीं सम्भाल सकता तो उन्होंने एकमत होकर श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस आई को वोट दिया और आज दिल्ली में कांग्रेस आई की सरकार है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली में हाल ही में दो महान कार्य हुए हैं जिनकी राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति हुई है । संसार के हर देश ने इसकी सराहना की है । कितनी शान के साथ "एशियाड और नान एलाइनमेंट" समिति का आयोजन किया गया ।

श्री रामावतार शास्त्री : झोंपड़ी वालों को हटाओ ।

श्री चंद्रपाल शैलानी : कलकत्ता में जाकर देखिए क्या हो रहा है । हमारी पार्टी की सरकार ने तो जिन लोगों को हटाया गया था, उनको जमीनें दीं और उनके मकान बनवाए । जिन गरीबों को झोंपड़ी से निकाला, उनको जमीन और मकान का मालिक बनाया । आज आप देख सकते हैं कि वे कितने आराम से रह रहे हैं ।

श्री सुधीर गिरि : आपने गृह-स्थल कहां दिए हैं ?

(व्यवधान)

श्री चंद्रपाल शैलानी : कृपया बैठ जाइए । मेरी बात सुनिए । मैं पीछे नहीं हट रहा

(व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : आप उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री चंद्रपाल शैलानी : आपके कलकत्ता में तो आदमी ही आदमी को ढोता है । यह अनैतिक और अमानवीय है। यह आपकी सरकार का ही काम है ।

श्री सुधीर गिरि : आपके लोग लूट रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : अब दिल्ली पर बहस हो रही है ।

श्री चंद्रपाल शैलानी : दिल्ली देश की माता है, दिल्ली की गोद में, दिल्ली की शरण में देश के किसी भी भाग से जो आता है, दिल्ली उसको रोजी-रोटी देती है, रोजगार देती है और साथ ही सिर छिपाने की जगह देती है, इज्जत देती है ।

मैं यह कहना चाहता था कि जो दो काम हुए हैं, इनसे दिल्ली की शान-शौकत में चार चांद लगे हैं ।

जहां यह बातें हैं, वहां पर कुछ ऐसी बातें भी हैं, जिनकी तरफ हमारे गृह मन्त्री को बिशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि दिल्ली दिनों-दिन बढ़ती जा रही है । यहां दिन-रात दिल्ली से बाहर के लोग रोजी-रोटी की तलाश में आते हैं। यहां नित्य नई कालोनियां बस रही हैं ।

दिल्ली में चुनाव हुए हैं, हमारे मैनिफैस्टों पर लोगों मे विश्वास किया है । हमने 200, 250 कालोनियों को एप्रूव किया था लेकिन अभी भी बहुती कालोनियां ऐसी हैं जिनको एप्रूव करने की जरूरत है । वहां के नागरिकों को को नल, बिजली, सफाई और दबा आदि की आवश्यकता है । इसके लिए सरकार को वहां पर प्रावीजन करना चाहिए । उन कालोनियों को भी एप्रूव कर देना चाहिए ताकि उन लोगों की समस्यायें हल हो जाएं ।

दिल्ली शासन चलाने के लिए यहां पर 4 बाडी काम कर रहे हैं । एक मैट्रोपोलिटन काउंसिल है, दूसरी दिल्ली नगर निगम है, तीसरी नई दिल्ली नगरपालिका है और चौथी डी० डी० ए० है । डी० डी० ए० के सम्बन्ध में बहुत से लोगों को शिकायतें रही हैं । कहा जाता कि बड़े-बड़े पैसे वाले वहां के अधिकारियों से मिलकर प्लाट खरीद लेते हैं और ऊंची बोली बोलते हैं । इस सिस्टम को बदलना चाहिए । डी० डी० ए० सही काम करे, इन्साफ करे' इसके लिए कोई अंकुश गृह-मन्त्रालय आवश्य लगाए । तमाम वर्ग के आदमियों को प्लाट मिलने चाहिएं ।

दिल्ली शहर ही नहीं है, बल्कि इसके आसपास देहात भी हैं । देहात के लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं । उनको समय पर राशन तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं । इसका सर्वे कराया जाना चाहिए । मैं खासतौर से उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लाखों की तादाद में आस-पास के प्रांतों से आकर यहां भट्टों पर काम करते हैं । उनका कोई पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं है । उन्हें सुविधा नही मिलती है । यहां पर 400,500 भट्टे हैं और उनके

मालिक इन लोगों का इस तरह शोषण करते हैं कि अगर मैं यह कहूं कि उनको बंधुओं मजदूर बनाकर रखते हैं तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। उनके पास राशन-कार्ड नहीं होता, उनके बच्चों को दूध और दवाएं भी नहीं मिलती हैं। मिट्टी का तेल उन्हें नहीं मिलता। गल्ला भी उन्हें ऊंची कीमतों पर बाजार से लाना पड़ता है।

भट्टा मजदूर वह मजदूर हैं जो ईंट बनाते हैं और इन ईंटों से बड़े बड़े आलीशान होटल, महल, मकान, ओवर-ब्रिज आदि बनते हैं। इन मजदूरों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और विशेष रियायत पर उनको जीवन की आवश्यक सामग्री पहुंचाई जानी चाहिए। इसका सर्वे सरकार को कराना चाहिए और उनको राहत देनी चाहिए।

दिल्ली प्रशासन को चुस्त करने के लिए और भी बहुत से कदम उठाना जरूरी है। यहां पर ला रैंड आर्डर की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अगर मैं यह कहूं कि कोई बहिन-बेटी रात के समय निकल नहीं सकती, उसका जेवर छीन लिया जाता है, इज्जत पर ढाका डाला जाता है और ऐसे अनेक कार्य यहां होते हैं दिन-दहाड़े बैंकों में डकैती होती हैं, चोरियां होती हैं, कालोनी में लुटेरे घुस जाते हैं। मैं विशेष तौर पर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि पुलिस को चुस्त करने की जरूरत है। अगर उसमें आमूल-मूल परिवर्तन करने की जरूरत पड़े तो उसमें सरकार को हिचकना नहीं चाहिए। अगर जनता का विश्वास पुलिस पर नहीं रहेगा तो उससे ला-लेसनेस आएगी और उसका सम्भालना मुश्किल हो जाएगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मन्त्री जी यहां पर जो बिल लाए हैं वह बहुत अच्छा है, इसके द्वारा संशोधन किया जाए, पूरा हाऊस गम्भीरता से विचार करके अपना सुझाव दें तथा जो रचनात्मक सुझाव हों उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकार शीघ्र से शीघ्र कदम उठाए ताकि दिल्ली की जनता में सरकार के प्रति जिस तरह से अब तक आस्था और विश्वास जमा रहा है वह हमेशा के लिए जमा रहे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यबाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, दिल्ली प्रशासन विधेयक जो यहां पर प्रस्तुत किया गया है इसके बारे में अगर सरकार की नीयत साफ रहती तो 1971 की जनगणना के अनुसार भी एकल सदस्य क्षेत्र बनाए जा सकते थे लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया, चुनाव हो गए और सरकार लाभान्वित हो गई उसके बाद यहां पर यह बिल लाया गया है और यह भी सांग्रिहेंसिव नहीं हैं। इसमें सरकार की कुटिल मंशा साफ जाहिर होती है। यह पांच साल के बाद ही एफेक्टिव होगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद तुरन्त कास्टीटुएन्सीज बनाने का कोई लाभ नहीं हो पायेगा। जहां तक जनप्रतिनिधित्व का सवाल है, जनता को सही प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक होता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने ढाई साल में क्या किया ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : आपको 36 सालों में ढाई साल ही नजर आते हैं। उन ढ़ाई सालों में ही हम सभी कुछ कर लेते। फ़िर भी हमने उस समय में जो किया वह सराहनीय है। आपने भी जो अच्छे काम किए हैं उनको जनता मानती है और हम भी मानते हैं लेकिन खराब काम करेंगे तो उनको अच्छा कैसे कहा जायेगा ? अच्छा काम किसी का भी होगा, वह अच्छा ही कहा जाएगा। हम लोग विदेशी नहीं है। एक ही देश के हम सभी हैं। अगर राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा तो प्रशंसनीय होगा। जनता का प्रतिनिधित्व भी सही होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि जब आपकी इच्छा हो तो तभी किया जाए। मैं समझता हूं इसके लिए कोई आयोग होना चाहिए और जब भी संख्या बढ़े तो आटोमेटिक परिसिमन कर दिया जाए।

दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए 56 की जो संख्या है वह बहुत कम है। त्रिपुरा और मेघालय जैसे प्रान्तों में भी वहां की विधान सभाओं में यहां से ज्यादा सदस्य हैं। वहां 60 सदस्य होते हैं।

दिल्ली वासियों की बराबर यह मांग रही है कि दिल्ली को भी एक प्रदेश का दर्जा दिया जाए लेकिन केन्द्रीय सरकार की हमेशा यह भावना रही है कि दिल्ली को एक कालोनी बनाकर रखा जाए। यहां की जनता को सोच-विचार करके अपना सर्वांगीण विकास करने का मौका नहीं मिलता है। चुंकि दिल्ली केन्द्रीय सरकार का मुख्यालय है इसलिए सरकार की यह मंशा रहती है कि इस पर नियन्त्रण रखा जाए। दिल्ली को भी एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अपने ढंग से दिल्ली का भी विकास होना चाहिए अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है मैंने इस चुनाव के अन्तर्गत बहुत सी जगहों को देखा है। जनसंख्या के आधार पर यदि आप लिमिटेशन करेंगे, तो कठिन समस्या प्रस्तुत होगी। दिल्ली के अन्दर ही छावनी एरिया के अन्दर औरतों को शौचालय के रूप में बाहर मैदान में जाना पड़ता है। दिल्ली जैसी महानगरी में यह बहुत ही अशोभनीय है। शौलानी जी ने पता नहीं दिल्ली को क्या-क्या कह दिया कि यह हमरी माता है, बहुत सुन्दर है।

मैं आपको तिलक ब्रिज के आस-पास के क्षेत्र के बारे में बतलाता हूं। वहां हजारों लोग, मजदूर झौपड़ियों में रहते हैं अपने परिवारों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये विकास के लक्षण है। वोटर लिस्ट में नाम तो जोड़ दिया लेकिन उनके लिए पानी पीने के लिए, रहने की व्यवस्था, बिजली आदि की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के अन्दर पालम एयरपोर्ट के चारों तरफ के क्षेत्र को देखिए। ईस्ट-वैस्ट मेरहूमपुर, जहां दस हजार की आबादी है, वहां झौपड़ियों में लोग रहते है। रोड की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की व्यस्था नहीं है। स्ट्रीट लाइट की व्यबस्था नहीं है—क्या यह डेबलपमेंट हुआ है। दिल्ली के अन्दर ही कैनटोनमेंट क्षेत्र के चारों तरफ ओड-नांगल-पुर, झरेड़ा, सरायसोहा ऐसे गांव हैं, जहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। वहां पांच-सात किलो-मीटर के अन्दर-अन्दर न रोड की व्यस्था है, न पानी की व्यवस्था है।

पिछले चुनाव में आपने शराब और पैसा देकर उन लोगों से वोट खरीद लिया। उन्होंने हमको बताया है कि 15 दिन मुर्गा खाते हैं, शराब पीते हैं। आपने गाजर-मूली के भाव पर उन लोगों से वोट खरीद लिया। उन गरीब लोगों के लिए कम से कम आवास, पीने के पानी, बिजली, सड़क आदि की सुबिधा करिए। वोट तो आपमें उनसे गाजर-मूली की तरह ले लिया।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपको एक वोट नहीं मिलेगा ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : सब आप ही ले लीजिए।

इस विधेयक की भावना तो बहुत अच्छी है। 1981 की जनसंख्या के आधार पर अब जो यह लिमिटेशन करने जा रहे हैं, इसे आप पहले नहीं कर सकते थे या करना नहीं चाहते थे। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इससे दिल्ली वासियों को क्या लाभ मिलेगा ? यदि ये सुविफायें आप उन को उपलब्ध नहीं कर सकते हैं तो क्या आप अभी जो चुनाव हुए हैं, उनको भंग करेंगे और फिर चुनाव करायेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि आप एक काम्प्रिहैंसिग बिल लाइए दिल्ली के अन्दर कोई भी गांव बीस सूत्री कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा रहे हैं। यहां हर आपका कार्यक्रम सिर्फ कागज पर ही रह गया है, जमीन पर उतर कर नहीं आया है। आपका उद्देश्य केवल भोजनम्, भाषणम् और उद्घाटनम् का ही रह गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप भलाई चाहते हैं तो दिल्ली को प्रदेश का दर्जा दीजिए। इसके लिए आप एक बिल लाइए, ताकि दिल्ली विकास कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली म्यूनिस्पिल कारपोरेशन के सम्बन्ध में जो बिल यहां हर प्रस्तुत किए गए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति जी, मैं इन बी० जे० पी० के भाइयों से यह पूछना चाहता हूं, इन्होंने दिल्ली का चुनाव इसलिए लड़ा था कि इन्हें उम्मीद थी कि इनको यहां पर बहुमत मिल जाएगा, लेकिन इनको बड़ी निराशा मिली। असम के बारे में इन को पहले से मालूम था कि वहां पर एक भी सीट नहीं मिलेगी, इसलिए उस चुनाव का इन्होंने बायकाट किया।···(**व्यवधान**)···

जब जनता पार्टी का यहां पर शासन था—उन साढ़े तीन सालों के समय में इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता इनसे अपेक्षा रखती थी कि महानगर परिषद् में इनका बहुमत था, कारपोरेशन में इनका बहुमत था, डी० डी० ए० में और नई दिल्ली म्युनिस्पिलिटी में इनका बहुमत था, भारत सरकार पर इन का अधिकार था, इसलिए ये लोग

दिल्ली वालों का कुछ न कुछ फायदा करेंगे, लेकिन ये इतने नाकाबिल लोग निकले कि इन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही दिल्ली वालों के लिए नहीं की।

यहां पर जितनी कच्ची बस्तियां थीं, चुनाव के पहले इन्होंने वायदे किए थे कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे मगर कोई बस्ती रेंगुलराइज नहीं हुई। इनके बड़े-बड़े नेताओं ने बड़ी-बड़ी जमीनें ने हड़प ली लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली के लोगों को इस से बड़ी निराशा हुई। ये लोग अपना पेट भरना जानते थे, लेकिन आप जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे। इसलिए दिल्ली की जनता ने कांग्रेस में अपना विश्वास प्रकट किया और कांग्रेस को भारी बहुमत देकर जिताया।

अभी एक माननीय सदस्य शेडयूल्ड कास्टस का जिक्र रहे थे। मेरे राजस्थान के 10 लाख मजदूर यहां पर रहते हैं जो शेडयूल्ड कास्टस के हैं। उन्होंने भी 99 प्रतिशत वोट कांग्रेस को दिया। जिन शेडयूल्ड कास्टस के लोगों ने भारी तदाद में कांग्रेस को बोट दिया, उनके लिए ये लोग कहते हैं कि हम ने उनके साथ अन्याय किया है। आप ने उन के लिए उस कार्यकाल में क्या किया ? हम ने तो पिछले 35 सालों में उन के लिए जितना काम किया है, शायद माननीय सदस्य को उस की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी शेडयूल्ड कास्ट जानता जानती है कि हमने उन के लिए अब तक क्या किया है और आइन्दा क्या करने वाले हैं। मगर जिस प्रकार से मगर-मच्छी आंसू आप उन के लिए बहाते हैं, हम आंसू नहीं बहाते हैं, बल्कि उनके लिए काम करने में विश्वास करते हैं। उन को रोजगार देना चाहते है, धन्धे देना चाहते हैं, उनके लिए खाने तथा शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि वे उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें।

हमारा शासन आने के बाद हम ने कितनी-सारी कालोनीज को रेगुलराइज किया है, पीने के पानी की व्यवस्था की है, बिजली की व्यवस्था की है, सड़कों की व्यवस्था की है, डिस्पैन्सरीज खोली हैं, एजूकेशनल इंस्टीचूशन्ज खोली हैं।

जो भाई अभी कह रहे थे कि हम ने उन के लिए कुछ नहीं किया, उन को मालूम होना चाहिए कि हम ने उन के लिए क्या-क्या काम किए हैं और उसी का यह परिणाम है कि इन का एक आदमी भी जीत कर कर नहीं आया, ये लोग वोटों के लिए तरसते रह गए। दिल्ली की जनता ने इन को बिल्कुल ठुकरा दिया। बी० जे० पी० के भाइयों को पिछले चुनावों में इतने जोर का धक्का लगा है कि शायद 10 वर्ष तक भी वापस उठ नहीं पायेंगे

सभापति महोदय, 1971 के चुनाव के पीछे भी यही बात थी...

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : क्या आप ज्यादा टाइम लेना चाहते हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : जी हां।

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : आप कल अपना भाषण जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति

43वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तैतालिसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सभा कल प्रातः 11.00 बजे म०पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थागित होती हैं।

6.00 म० प०

तत्पश्चात, लोक सभा मंगलवार, 22 मार्च, 1983/1 चैत्र 1905 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : इण्डियन प्रैस राजा पार्क सकूरबस्ती दिल्ली-34